छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **पंचम सत्र**

मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2025

(फाल्गुन 27, शक सम्वत् 1946)

[अंक 14]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2025

(फाल्गुन 27, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हैल्थ कैम्प लगा हुआ है । माननीय नेता जी वहां पर अपना हैल्थ चैक-अप कराने गए थे। उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, उनको 3-4 दिन आराम करने की आवश्यकता है तो मेरा आपसे आग्रह है कि वे आराम करें ।

अध्यक्ष महोदय :- ये संसदीय कार्यमंत्री का सुझाव है या डॉक्टर का सुझाव है?

श्री केदार कश्यप :- यह मेरा सुझाव है ।

श्री उमेश पटेल :- उनकी तबीयत खराब नहीं है, वे सबकी तबीयत खराब कर रहे हैं ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, मेरा ब्लड प्रेशर 130/70 आया है तो मैं समझता हूं कि मैं पर्याप्त रूप से ठीक हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप जवान हैं ।

डॉ. चरण दास महंत :- सर की जगह पॉव में दर्द हो रहा है, बस यही प्राब्लम है । (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- आपके में तो टेंशन नहीं है इसीलिए तो आप यहां छाए हुए हैं, टेंशन वाले सब बाहर हैं ।

डॉ. चरण दास महंत :- आपका धन्यवाद ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, सिर्फ बाहर नहीं हैं, टेंशन वाले अंदर भी हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पंखाजूर से मायापुर तक सड़क निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

1. (*क्र. 1726) श्री विक्रम उसेण्डी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत टी-14 पंखाजूर से मायापुर सड़क मार्ग का

निर्माण किस वर्ष में पूर्ण किया गया था? वर्तमान में सड़क की स्थिति क्या है? **(ख)** यदि सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है तो उसकी मरम्मत कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा? समय-सीमा बतावें । **(ग)** क्या सड़क के श्रतिग्रस्त होने/मरम्मत संबंधी/सड़क निर्माण संबंध में कोई सूचना/शिकायत प्राप्त हुई है? **(घ)** यदि हॉ तो शिकायत को दूर करने के लिये क्या प्रयास किये गये ? यदि नहीं तो जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गयी?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत टी-14 पंखाजूर से मायापुर सड़क मार्ग का निर्माण वर्ष 2021 (दिनांक 15.06.2021) को पूर्ण किया गया था, वर्तमान में सड़क क्षतिग्रस्त है। **(ख)** क्षतिग्रस्त सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल है। स्वीकृति उपरांत ही सुदृढ़ीकरण/मरम्मत कार्य पूर्ण करा लिया जावेगा। वर्ष 2025-26 को पूर्ण होना संभावित है। **(ग)** जी हॉ, शिकायत प्राप्त हुई है। **(घ)** जी हॉ, जांच 05 सदस्यीय टीम गठित कर कराया गया है, जिसमें भारी वाहनों के आवागमन से सड़क क्षतिग्रस्त होना पाया गया, क्षतिग्रस्त सड़क में सुदृढ़ीकरण कार्य स्वीकृति हेतु बजट प्रावधान इत्यादि के संबंध में कार्यवाही की गई है। शेषांश उद्भूत नहीं होता।

श्री विक्रम उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी (गृह) से पूछना चाहता हूं । यह पखांजूर से मायापुर सड़क का प्रश्न है । चूंकि महाराष्ट्र की सीमा गढ़चिरौली वहां से लग जाता है, इसके चलते उस सड़क पर बहुत ज्यादा आवाजाही होती रहती है । इसी प्रश्न पर मैंने 26 जुलाई, 2024 को भी ध्यानाकर्षण के माध्यम से पूछा था । प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम बरसात के बाद उस काम को शुरू करेंगे । मंत्री जी, यह बताने की कृपा करेंगे कि वह काम अब तक शुरू नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के इस विषय पर 26 जुलाई, 2024 के ध्यानाकर्षण के विषय में सारी बातों को, माननीय सदस्य की चिन्ता को समझते हुए मैंने जरूर यह कहा था कि मैंने वहां पर स्ट्रेंथनिंग की घोषणा की थी । कुल मिलाकर जो काम वहां बजट के तात्कालीन प्रावधानों के अनुरूप हो सकता था, उसकी पूरी कोशिश की गई है, परन्तु यह समझ में आया, चूंकि महाराष्ट्र के साथ वह बार्डर जुड़ गया है, उसमें काफी Heavy Traffic हो गई है और सड़क इतना खराब हो चुका है कि उसको फिर से बनवाने की जरूरत है । जितनी लागत से पहले वह बना था, लगभग उसमें वही लागत आ गई तो वित्त विभाग में एक बार हम लोगों ने कोशिश की तो उन्होंने कहा कि चूंकि राशि बड़ी है, 8 करोड़ से अधिक की राशि है इसलिए उसके लिए मुख्य बजट में राशि रखी जाये । उसके बाद इस बार मुख्य बजट में यह सड़क जुड़ गई है । मैं फिर उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इसकी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करके हम इसको बनवाएंगे ।

श्री विक्रम उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस सड़क का काम जून, 2021 में पूरा हुआ था और 5 साल तक उस ठेकेदार के माध्यम से उस सड़क का रख-रखाव और मेंटनेंस होना चाहिए था । वहां पर इतने गड्डे हैं कि चलना मुश्किल है, इस तरह की स्थिति वहां हो गई है । जब आपने कहा था कि बरसात के बाद शुरू करेंगे तो थोड़ा बहुत पेंच रिपेयर और गड्डों को भरने का काम होना चाहिए था । भले ही आप उसको मुख्य बजट में शामिल कर लेते या आपके पास समय भी था कि उस सड़क को द्वितीय अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान कर सकते थे तो उस सड़क का काम अब तक पूरा हो जाता । चूंकि 8 माह का समय हो रहा है, मैंने उस समय कहा था कि बरसात के बाद शुरू करेंगे । अब यह बातें आ रहे हैं कि शुरू होगा तो वह पूरी सड़क 15 जून, 2025 के पहले या बरसात के पहले बनेगा क्या ? मंत्री जी, यह बताने का कष्ट करें ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सड़क 2019 में पूर्ण हुआ, उसमें ठेकेदार के साथ पेंच रिपेयरिंग आदि के लिए 5 वर्षों का अनुबंध था, परन्तु जब तक यह अनुबंध होता है, तब तक इसको बजट में नहीं रखा जा सकता, ऐसा नियम है । इसलिए इस अनुबंध को पहले समाप्त किया गया । चूंकि यह बजट में प्रावधान करके इस सड़क को बनाने वाली स्थिति आई इसलिए अनुबंध को समाप्त करके बजट में इसको जोड़ने का काम अभी किया गया है । मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि यह सड़क शीघ्र ही बनेगा ।

श्री विक्रम उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं, चूंकि 8 माह का समय पूरा हो गया । जुलाई, 2024 से लेकर अभी जो प्रश्न लगा, उसके बाद चूंकि आज की स्थिति में आवाजाही के चलते वह सड़क बहुत खराब है, आने-जाने की स्थिति भी नहीं है और 11.20 किलोमीटर की वह सड़क है । उस सड़क को मुख्य बजट में शामिल किया गया, इसके लिए आपको धन्यवाद, लेकिन हमारे पास समय भी था कि अनुपूरक बजट के साथ वह पूरा हो जाता, उसकी मरम्मत भी हो जाती तो वह सड़क चलने लायक हो जाता । अभी की स्थिति में वहां पर इतने गड्डे हैं कि आप 10-20 की स्पीड में चल भी नहीं सकते । मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि क्या 15 जून मतलब बरसात के पहले उस सड़क का काम पूरा हो पाएगा, यह माननीय मंत्री जी स्पष्ट बताएं ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 जून से पहले सड़क का निर्माण तो संभव नहीं है। ये बजट में आया है, इसकी प्रशासकीय स्वीकृति के बाद टेंडर लगने के बाद फिर ये काम पूरा होगा। परंतु कुछ रिपेयरिंग का काम माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो मैं अवश्य इसको दिखवा लेता हूं।

श्री विक्रम उसेंडी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है। रिपेयर वगैरह करवा दें, ताकि चलने लायक हो जाए, बाद में निर्माण हो जाए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य की चिन्ता है कि वह रोड चलने लायक हो जाए। बाद में पूरा काम होगा, मगर अभी कम से कम माइनर रिपेयर का काम हो जाए, यह सदस्य चाहते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- विक्रम उसेन्डी जी, अभी रिपेयर के लायक नहीं हैं, आप रिपेयर के लिए बोल रहे हैं।

श्री विक्रम उसेंडी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी स्वस्थ हूं।

प्रदेश में L.W.E. (Left Wing Extremism) प्रभावित/घोषित जिले

[गृह]

2. (*क्र. 981) श्री अजय चंद्राकर: क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ में कितने जिले या क्षेत्र L.W.E. (Left Wing Extremism) प्रभावित या घोषित हैं? **(ख)** S.R.E. (Security Related Expenditure) (सुरक्षा संबंधी व्यय) योजनांतर्गत वर्ष 2019 से 2023 तक भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन सी कार्ययोजना भारत सरकार को प्रेषित की गयी? उनके परीक्षण उपरांत किन-किन कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी? **(ग)** उक्त योजनांतर्गत केन्द्र सरकार से 1 दिसंबर, 2018 से 31 दिसंबर, 2023 तक कितनी राशि प्राप्त हुयी तथा उक्त स्वीकृत राशि किन-किन कार्यों में, कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी तथा कितनी राशि व्यय नहीं कर पाये? वर्षवार बतायें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) भारत सरकार की एसआरई स्कीम अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 15 जिले क्रमशः जगदलपुर (बस्तर), नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोण्डागांव, सुकमा, राजनांदगांव, मुंगेली, कबीरधाम, धमतरी, महासमुन्द, गरियाबंद, मानपुर-मोहला-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिले हैं तथा 01 जिला बलरामपुर लिगेसी एण्ड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट है। **(ख)** भारत सरकार की एसआरई स्कीम अंतर्गत कार्ययोजना वित्तीय वर्षानुसार प्रेषित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक प्रेषित कार्ययोजना राशि 1,73,801.84 लाख रूपये एवं स्वीकृत कार्ययोजना राशि 98,288.12 लाख रूपये है, विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। **(ग)** भारत सरकार की एसआरई स्कीम अंतर्गत केन्द्र सरकार से 01 दिसंबर 2018 से 31 दिसंबर, 2023 तक कुल राशि 55,766.09 लाख रुपए प्राप्त हुई है। जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-"ब"** अनुसार है। योजनान्तर्गत राशि व्यय होने के उपरांत प्रतिपूर्ति के रूप में राशि प्राप्त होती है तथा प्राप्त राशि मदवार प्राप्त न होकर किश्तों में प्राप्त होती है। प्रश्नाधीन अवधि में भारत सरकार से विभिन्न तिथियों को प्राप्त राशि आवंटन संबंधी आदेश की छायाप्रति व व्यय एवं प्राप्ति शेष की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-"स"** अनुसार है। उक्त अवधि में केन्द्र सरकार

से प्राप्त संपूर्ण राशि का उपयोग किया गया है, अत: राशि शेषांश का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। उक्त अवधि में पुलिस विभाग द्वारा एसआरई मद अंतर्गत लगभग राशि रुपए 99897.32 लाख व्यय किया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पूरा उत्तर संशोधित करके भेज दिया। मैंने जब बस्ता खोला तो इसे सुबह-सुबह देखा। माननीय आपने जो लिखा है कि आपने 1,73,801.84 लाख रूपये की कार्ययोजना भेजी और उसमें 98,288.12 लाख रूपये की कार्ययोजना स्वीकृत हुई। आपको राशि 55,766.09 लाख रुपए प्राप्त हुई है, जबकि आपने 99897.3 लाख रुपए व्यय कर दिया है। राशि आपको 55,766.09 लाख रुपए प्राप्त हुई है और आपने व्यय 99897.3 लाख रुपए किया है, यानि 44131.21 लाख का अंतर है। ये राशि कैसे व्यय किया, क्या किया, ये समझ में नहीं आ रहा है, कृपया इसे बताइए?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि संशोधित उत्तर भेज दिया, तो संशोधित उत्तर में कोई संशोधन आंकड़ों में नहीं हुआ है। संशोधन सिर्फ यह हुआ है कि पहले इनको कहा गया था कि L.W.E. (Left Wing Extremism) प्रभावित 15 जिले हैं, किन्तु अभी ये कहा गया कि L.W.E. (Left Wing Extremism) प्रभावित 15 जिले के साथ 01 और जिला बलरामपुर है जो लिगेसी एण्ड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट है। सिर्फ यही एक संशोधन किया गया है। अन्य कोई संशोधन किसी उत्तर में नहीं है। जैसे कि माननीय सदस्य की यह चिन्ता है कि वहां से राशि 557.66 करोड़ रुपए प्राप्त हुई और हम लोगों ने 998.97 करोड़ रुपए व्यय कर दिया है, तो 557.66 करोड़ रुपए आया है और 998.97 करोड़ रुपए व्यय हो गया है, ये कैसे हो गया है, यह प्रश्न है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, एसआरई स्कीम जो L.W.E. (Left Wing Extremism) डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया जाता है, ये रियेम्बर्स होने वाली राशि है। ये प्राप्त होने के बाद खर्च नहीं होगी, बल्कि ये राशि रियेम्बर्स होती है। पहले राज्य के बजट से खर्च हो जाती है, उसके बाद मिलता है। अभी तो आधा घंटे आपका और मेरा है। आगे के प्रश्न वाले सब रिलैक्स हो गए हैं। सब ये समझ गए हैं कि अजय जी का नंबर लग गया है, तो अभी अगला किसी का नंबर नहीं आने वाला है।

अध्यक्ष महोदय :- इतने लंबे के लायक कोई प्रश्न नहीं है, आप संक्षिप्त जवाब दे दीजिए।

एक माननीय सदस्य :- वे लंबा खींच देंगे।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें रियेम्बर्स होकर राशि आती है और इसमें विभिन्न मद जो हैं, उन मदों में कहीं 100 परशेंट है, जहां पर केन्द्रीय एजेंसियां काम करती हैं, उसका 100 परशेंट रियेम्बर्समेंट होता है और जो मद ऐसे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं, वहां 60 एवं 40 का रेशियो है। तो पूरी राशि रियेम्बर्स भी नहीं होती और क्लेम किया जाता है, जितनी रियेम्बर्स होती है। इसमें 998.97 करोड़ खर्च हुआ है और प्राप्त 557.66 करोड़ हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उक्त अवधि में प्राप्त संपूर्ण राशि का उपयोग कर लिया है। यह आपने उत्तर में लिखा है कि आपने पूरी राशि का उपयोग कर लिया है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो लिखा है वह यह है कि राशि तो पहले राज्य के बजट से खर्च होती है और बाद में प्राप्त होती है तो प्राप्त राशि का उपयोग कर लिया, मेरे कहने का ऐसा तात्पर्य नहीं है। इसमें मसला यह है कि राशि पहले ही खर्च हो चुकी है, उसका कुछ प्रतिशत रिइम्बर्स होता है तो उपयोग हो ही गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझको तीन परिपत्र दिये हैं। मैं इसमें उदाहरण के तौर पर प्रपत्र "स" को पहले खोल लेता हूं। मैं पांचों साल का तो नहीं पूछूंगा। आप चाहे तो प्रपत्र "स" में वर्ष 2018-19 का पढ़ लीजिये। आपने जो कार्ययोजना भेजी है, वह 13 बिंदुओं में हैं और आपने जो खर्च किया है, वह 25 बिंदुओं में हैं। ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कुछ व्यय हो, मुझको उसमें आपत्ति नहीं है। इसमें खर्च कुछ समझ में नहीं आते हैं और उसमें काफी राशि व्यय हुई है। आप 20 नंबर में देखेंगे तो सामाग्री और पूर्तियां अन्य व्यय है। उसके बाद कर्मचारी, अधिकारियों को प्रशिक्षण, उसमें राशि, परितोषित मद, अनुरक्षण कार्य मशीन उपकरण के लिये 1 करोड़ रूपये दर्शाया गया है। आपने कुछ चीजों में कार्ययोजना भेजी है और व्यय कुछ दूसरी चीजों में है और यह ऐसे व्यय हैं, जो कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। वर्ष 2018-19 से अब तक पांचों साल में ऐसे व्यय दिख रहे हैं। आप प्रपत्र "स" को पढ़ लीजिये फिर मैं प्रपत्र "अ" और "ब" में एक-एक प्रश्न पूछ लूंगा, फिर बैठ जाऊंगा। क्या पुलिस विभाग प्रशिक्षण के लिये इसी पैसे पर निर्भर है ? आप उसमें देखियेगा कि 175 जो भी आंकड़ा है 36 और उसके बाद शेष राशि इतनी है। आप 8 नंबर देखिये, जिसमें कर्मचारियों का विवरण है। किराया महसूल कर किस चीज का है ? आप उतना पैसा किराया पटा रहे हैं ? यह किराया महसूल कर में किस चीज का किराया है ? आप बिजली एवं जल प्रभार एवं राज्य बजट के हेड को भी देख लीजिये और इसको भी देख लीजिये, इसमें वहीं-वहीं चीजें दिखती है। आप कहेंगे तो मैं आपको राज्य बजट के एक-दो हेड दिखा देता हूं। आप बताईये कि इसमें क्या है ? क्या चीज में व्यय किया जाता है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी ही संतुष्टि और प्रशंसा का विषय है कि माननीय सदस्य इतनी ही गंभीरता के साथ इन विषयों पर ध्यान रख रहे हैं और इससे ही सूक्ष्मता और समग्रता प्राप्त होती है। माननीय सदस्य महोदय को मैं इस बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम वर्ष 2018-19 के बजट में जो देख रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पांचों साल का देखिये। मैंने तो इसको सिर्फ उदाहरण के तौर पर कहा है। आप पहले एक साल का बता दीजिये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दिया जाये। इसमें आप जो पहला देख रहे हैं और इसमें आपने जो विभिन्न बातें कही कि निर्माण एवं अन्य लघु निर्माण क्या है, प्रशिक्षण के

संबंध में कहा, बिजली और जल प्रभार कर क्या है, आप यह जितने हेड देख रहे हैं यह राज्य सरकार के बजट के हैं। इन्हीं राज्य सरकार के बजटों के आधार पर हमको राशि प्राप्त होती है और यह बजट कहीं न कहीं जाकर एस.आर.ई. के उन 13 सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड पर फिट होता है और उसी के आधार पर क्लेम किया जाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य महोदय के इस प्रश्न के आधार पर पिछला जो प्रश्नाधीन समय है, उस समय में जितने भी क्लेम किये गये और केंद्र की सरकार से जितनी भी राशि जब-जब प्राप्त हुई, उस पूरी राशि का पूरा प्रपत्र इसमें लगा हुआ है कि कब-कब राशि प्राप्त हुई है। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि यह जो हेड्स हैं, जो आपको दिख रहे हैं, यह राज्य सरकार के बजट के हैं इसलिए यह केंद्र से पृथक है। परंतु केंद्र में एस.आर.ई. के 13 हेड्स में कहीं न कहीं इनको मान्यता है और इन मान्यताओं के आधार पर वहां पर राशि रिइम्बर्स होती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपमुख्यमंत्री जी, पहली बात तो आपने पूरे उत्तर में कहीं पर यह नहीं लिखा है कि यह राज्य सरकार के हेड्स हैं। आपने मुझको प्रपत्र अ, ब और स में यह जानकारी दी है, जिस जानकारी के आधार पर मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। आप यह कह सकते हैं कि राज्य सरकार अलग व्यय करती है और एस.आर.ई. मद से अलग व्यय होता है। आपने एस.आर.ई. में यह प्रपत्र दिया है। पूरे उत्तर में कहीं भी राज्य सरकार नहीं लिखा है। आपने राज्य सरकार शब्द का उपयोग नहीं किया है। आप उत्तर में इसे बता रहे हैं इसलिए मैंने यह बात पूछी। वह बजट के आधार पर रिफलेक्ट होता है फिर वह बजट के आधार पर देते हैं, यह तो तकनीकी प्रश्न है। आपने एस.आर.ई में जो जानकारी दी है, मैंने तो उसको पूछा है। आपने इधर पूरा खर्चा बताया है और इधर शेष व्यय के बाद तीन कॉलम है। बजट प्रावधान, व्यय और शेष। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि पूरी राशि खर्च कर दी गयी है और इसमें एक तरफ शेष का कॉलम दिख रहा है और आपने पूरे उत्तर में कहीं पर भी राज्य सरकार का बजट नहीं लिखा है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रावधानित बजट है, यह व्यय है और शेष है। यह प्रावधानित बजट है और व्यय है। इसकी अंतर की राशि को शेष में लिखा है, ऐसे ही तो लिखा जाएगा और माननीय सदस्य ने यह कहा भी है कि इसमें कितनी राशि शेष है? तो उसको वर्षवार बताया गया है। इसमें प्रावधान कितने थे उसमें से व्यय कितना हुआ। अब व्यय जितना हुआ, उसका reimburse कितना हुआ, यह एक अगला प्रश्न है। वर्तमान में इसमें प्रावधान और उसके व्यय को ही स्पष्ट किया गया है, जैसा आपने कहा। दूसरा ये प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी मद 6717 है । इसी में यह है जो आप "स" परिपत्र देख रहे हैं, उसी में यह लिखा है योजना क्रमांक 6717 प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय। यह राज्य सरकार का है। इस मद को प्रतिपूर्ति के लिए बनाया गया है तो जो यह हेड हैं, वह राज्य सरकार के हेड हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, नहीं। आप सही कह रहे होंगे। मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। पहली बात तो यह है कि यह पूरा प्रश्न राज्य सरकार से संदर्भित नहीं है । आपने अपने उत्तर में यह जरूर कहा कि यह राज्य सरकार, केन्द्र सरकार इसकी प्रतिपूर्ति करती है। मैंने आपसे "स" के बारे में पूछा। अब मैं परिपत्र जो "अ" है, आपने यह लगाया है, आपने जो 13 बिन्दु में भेजा है। चूंकि आप नक्सल में अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें दो-तीन चीजें हैं आप आठवें नंबर का कॉलम पढ़ लीजिए। Rehabilitation of LWE cadres who surrenders in accordance with the comprehensive surrender and the rehabilitation policy being implemented by the state government. अब ये by the state government लिखे हैं और यह एसआरई स्कीम से जो पैसे मिलते हैं, उससे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। यदि आपने जितना पैसा मांगा है, उससे कम पैसा मिला है तो Rehabilitation का काम रूक जाता है या चलते रहता है। यदि कम राशि मिली है तो आप इसको स्टेट बजट से पूरा करते हैं क्या, पहला। अभी का आखिरी प्रश्न है। आपने इंश्योरेंस में पैसे जरूर मांगे हैं, लेकिन एक भी इंश्योरेंस नहीं किया है। आप किसका और क्या इंश्योरेंस करते हैं ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो जैसे माननीय सदस्य का कहना है इसमें उत्तर के "ग" में बहुत स्पष्टत: लिखा है कि योजनान्तर्गत राशि व्यय होने के उपरान्त प्रतिपूर्ति के रूप में राशि प्राप्त होती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर के "ग" में लिखा है। मतलब व्यय हो जाने के उपरांत अर्थात् अगर सरकारी संस्था व्यय ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे आगे बढ़े।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट। अपना उत्तर पूरा कर देता हूँ। अगर राशि व्यय हो रही है तो राज्य सरकार के बजट से व्यय हो रही है तो उसके बाद यह प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होती है। हम आठवें नंबर पर आते हैं Rehabilitation of LWE cadres who surrenders in accordance with the comprehensive surrender and rehabilitation policy being implemented by the state government. यह राशि है इसमें आप यह देखेंगे कि वर्ष 2019-2020 में प्रपोस्ड वर्क प्लान है 900 मतलब 9 करोड़ का है और एप्रूव्हड भी 9 करोड़ रूपये का है। यह 9 करोड़ और दूसरी बार 9 करोड़ का प्रस्तावित है और 5 करोड़ का एप्रूव्हड है। केन्द्र से Rehabilitation पॉलिसी में सबके लिए पूरी राशि प्राप्त नहीं होती है। जितनी वहां से हमको प्रतिपूर्ति में प्राप्त हो जाती है शेष राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था उसके बाद यह पूछूंगा। माननीय मंत्री जी आपके पास इंश्योरेंस के लिए हेड है। आप 13 वां नंबर पढ़ लीजिए और उसके बाद जो

मैंने पहले प्रश्न पूछा था, उसमें आपने प्रतिपूर्ति राज्य और केन्द्र तो बता दिया। मैंने साथ में आज स्टेट के बजट का हेड भी रखा है, लेकिन मैंने जो आपको असली चीजें पूछी थीं। मैंने आपको कुछ किराया महसूल कर के बारे में पूछा, सामग्री प्रतिपूर्ति एवं अन्य व्यय के बारे में पूछा था, अनुरक्षण एवं...। यह सारे उसी योजना के तहत होते हैं, यह आपने बताया। अब इस मुझे इस इंश्योरेंस को बता दीजिए तो फिर मैं जानूं क्योंकि इसमें कुछ भी, आपने एक भी इंश्योरेंस नहीं किया है और आपने पूरी राशि व्यय बतायी है। हम पूरी राशि व्यय कर देते हैं तो जब आपने इंश्योरेंस किया नहीं है तो यह राशि कैसे व्यय हो गई?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में आप मुख्यमंत्री थे और उस समय जब भयावह स्थिति नक्सलवाद की थी और यहां बहुत बड़ी संख्या में हमारे जवान हताहत हो रहे थे और आपको यह ध्यान होगा कि उस समय बीमा कंपनियां तैयार नहीं थीं। उस समय आपने ही निर्णय लिया था और माननीय सदस्य स्वयं भी आपके मंत्रिमण्डल के सदस्य थे, उन्होंने ही निर्णय लिया था। आप लोगों ने यह कहा था कि बीमा कंपनियों को प्रीमियम देने के स्थान पर हम एक बीमा प्रतिपूर्ति या इस तरीके का कोई नाम लेकर आपने एक मद बनाया और उस मद के माध्यम से बीमा कंपनियों को प्रीमियम देने के स्थान पर आप लोगों ने निर्णय किया था कि अब ये राशि सीधे-सीधे जो जवान शहीद हो जायेंगे, उनके परिवार को दे दी जायेगी और इसको एस.आर.ई. से क्लेम किया जायेगा। आपने इसको एस.आर.ई. से क्लेम किया, कुछ समय मिला, बाद में वहां से मना कर दिया गया कि अगर बीमा प्रीमियम के रूप में दिया जायेगा तभी हम एस.आर.ई. में इसको reimburse करेंगे, अन्यथा reimburse नहीं करेंगे। यह कहकर अब ये राशि वहां नहीं दी जाती है तो यह बीमा की स्पष्ट स्थिति है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक-3 श्री द्वारिकाधीश यादव जी।

श्री विक्रम मंडावी:- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में छोटा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माओवाद प्रभावित क्षेत्र 15 जिले में बताया है, क्या इसी मद से इन जिलों में कोई केन्द्रीय एजेंसी वहां कार्य कर रही है या नहीं कर रही है?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी केन्द्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं। वहां सी.आर.पी.एफ. काम कर रही है। आपकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए लोग काम कर रहे हैं।

श्री विक्रम मंडावी :- क्या सड़क निर्माण का कार्य कोई केन्द्रीय एजेंसी कर रही है?

श्री विजय शर्मा :- अभी सड़क निर्माण के लिए बी.आर.ओ. को भी काम दिया गया है।

श्री विक्रम मंडावी :- ठीक है।

छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती बोर्ड की स्थापना की कार्यवाही

[गृह]

3. (*क्र. 2225) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्तमान में पुलिस बल भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त शिकायतों की संख्या 01 जनवरी, 2024 से 15 फरवरी, 2025 की स्थिति में जिलावार बतायें ? उक्तावधि में कितने पदों पर भर्ती की गई, जिलावार बतायें ? **(ख)** छत्तीसगढ़ प्रदेश में पुलिस बल भर्ती में पारदर्शिता व समयानुसार भर्ती हेतु क्या पुलिस भर्ती बोर्ड छत्तीसगढ़ की स्थापना विचाराधीन है ? यदि हाँ तो कब तक ? शासन इस हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** छत्तीसगढ़ प्रदेश में पुलिस भर्ती समयानुसार नहीं होने या त्रुटिपूर्ण होने के कारण 15 फरवरी, 2025 की स्थिति में प्रदेश में रिक्त पद की संख्या जिलावार बतायें ? कब तक पर्याप्त पुलिस बल की पदस्थापना कर दी जावेगी ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्तमान में पुलिस बल भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त शिकायतों की संख्या 01 जनवरी, 2024 से 15 फरवरी, 2025 की स्थिति में जिलावार जानकारी तथा उक्तावधि में प्रक्रियाधीन भर्ती की जिलावार जानकारी **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-अ"** अनुसार है। **(ख)** हॉ, विचाराधीन है। समय बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** 15 फरवरी, 2025 की स्थिति में प्रदेश में रिक्त पद की जिलावार संख्या **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-ब"** अनुसार है। रिक्त पदों पर पदस्थापना भविष्य में भर्ती के माध्यम से की जा सकेगी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में पुलिस बल भर्ती में गड़बड़ी की जिलेवार कितनी शिकायत प्राप्त हुई है। माननीय मंत्री जी, आपने उत्तर में यह बताया है कि बिलासपुर और राजनांदगांव जिले में शिकायत प्राप्त हुई है। माननीय मंत्री महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि शिकायतकर्ता कौन-कौन थे? शिकायत किस तिथि में प्राप्त हुई और किस बात की शिकायत की गई है?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी प्रपत्र के रूप में उपलब्ध कराई गई है। राजनांदगांव में 1 शिकायत प्राप्त हुई है, वह भी वहां पर पुलिस उप अधीक्षक आजाक में कार्यरत हैं, उन्होंने उस गड़बड़ी को पकडा और पुलिस उप अधीक्षक ने स्वयं शिकायत की। उसके आधार पर एफ.आई.आर. हुई, जांच हुई। यह राजनांदगांव का विषय है। दूसरा विषय है आपने कहा कि किसने शिकायत की ? पुलिस उप अधीक्षक तनुप्रिया ठाकुर जी ने शिकायत की थी। उसके आधार पर वहां पर अपराध क्रमांक 568/24 धारा 318, 4, 338, 336, 340 बी.एन.एस. के द्वारा कायम की गई है। ऐसे ही बिलासपुर जिले में 02 शिकायतें प्राप्त हुईं। उसमें शिकायतकर्ता अजय सिंह राजपूत और दुर्गेश यादव हैं। ऐसे 2 लोगों ने शिकायत की की है। इस संबंध में याचिकाकर्ता अजय सिंह राजपूत ने आगे

न्यायालय में भी जाने का काम किया है। ये वहां बिलासपुर में भी शिकायत प्राप्त हुई है। ऐसे दो स्थानों पर शिकायत प्राप्त हुई है। बाकी पूरे प्रदेश में बड़ी शुचिता के साथ 5900 constable की भर्ती काम चल रहा है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, आपने राजनांदगांव जिले में कार्रवाई की है, लेकिन केवल और केवल आरक्षक लेवल के ऊपर आपने कार्रवाई की है। इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया में क्या आरक्षक गड़बड़ी कर सकते हैं ? क्या आप सक्षम अधिकारी के ऊपर जांच करायेंगे ? अगर सक्षम अधिकारी के ऊपर जांच की गई है तो क्या पाया गया है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनांदगांव में गड़बड़ी स्वयं पुलिस विभाग के अधिकारी ने निकाली और गड़बड़ी निकालने के उपरांत आपके भी निर्देशानुसार, सबकी स्थिति के अनुसार वहां पर परीक्षा निरस्त कर दी गई। उस परीक्षा को निरस्त करने के बाद राजनांदगांव में दोबारा परीक्षा न कराकर उस परीक्षा को उस रेंज के अंतर्गत खैरागढ़ छुईखदान जिले में कराई जा रही है। वह जो प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण की जांच के लिए राजनांदगांव जिले के मानपुर मोहले जिले से अतिरिक्त एडिश्नल एस.पी. के अंडर में 5 सदस्यीय टीम बनाकर जांच की जा रही है। उस विषय पर पर्याप्त चिंता की गई है। मैं आपसे कह रहा हूं कि बिलासपुर में 02 लोगों ने शिकायत की है, उसकी भी जांच की गई है। ऐसे 129 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इसके लिए 95000 वीडियो देखे गये और 95000 वीडियोग्राफी को देखकर 129 प्रकरण निकाले गये जिसमें discrepancy निकली और उस 129 प्रकरण को चिन्हांकित किया गया, लिस्टिंग की गई और लिस्टिंग करने के बाद आज वह pending है। उसमें हम बात आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। यह न्यायालय में विषय है, रिट पिटीशन लगा हुआ है। न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है। उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी और आगे भी बढ़ेंगे ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, मेरा सवाल अलग है और आप जवाब अलग दे रहे हैं । क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि पुलिस भर्ती में आरक्षक गड़बड़ी कर लेंगे ? आरक्षक को कौन सी नीति में इतनी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत् आरक्षक हेरफेर कर लेंगे ? क्या आपने ऐसी नीति बनायी है जिसमें आरक्षक पुलिस भर्ती कर रहे हैं ? गड़बड़ी तो वही करेगा जो व्यवस्था में नीति को प्रभावित करने की स्थिति में रहेगा । सक्षम अधिकारी के द्वारा गड़बड़ी हुई है और मामले को दबाने के लिये छोटे कर्मचारियों को जेल भेज दिया गया और बड़े अधिकारी की जो भूमिका थी उसकी जांच नहीं हो रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो सी.बी.आई. जांच का मामला बनता है । दूसरी बात 2 जिलों में शिकायत हुई है तो वह सामने आया, गडबड़ी हुई और वह निरस्त भी हुआ । माननीय मंत्री जी, ऐसा ही पूरे समूचे जिले में है इसलिये आप एक-बार फिर से जांच करवाईये । मैं इसलिये बोल रहा हूं कि यदि पुलिस के जवान योग्य

नहीं आयेंगे तो कानून व्यवस्था कहां से रहेगी । आप मुझे यह बता दीजिये कि क्या आपकी पुलिस भर्ती में आरक्षक की भूमिका उनको प्रभावित करने की है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में बड़ी प्रसन्नता है कि केंद्रीय एजेंसियों पर विश्वास बढ़ रहा है । (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो दिनों से देख रहा हूं कि सी.बी.आई. के प्रति विश्वास बढ़ा है और मैं ऐसा जरूर मानता हूं अन्य एजेंसियों के प्रति भी मन में विश्वास होगा । चूंकि माननीय सदस्य फिर से सी.बी.आई. की जांच की मांग कर रहे हैं । 05 वर्षों तक सरकार जब तक रही तब तक सी.बी.आई. बैन रहा ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय शर्मा :- एक मिनट, माननीय सदस्य महोदय आप मेरी बात हो जाने दीजिये । मैं आपके उत्तर पर जरूर आउंगा । यह वही भर्तियां हैं जो आप अपने पूरे कार्यकाल में न कर सके, यह वही भर्तियां हैं, जिनको किया जा रहा है और यह वही भर्तियां हैं, जहां एक शिकायत प्राप्त होने पर पूरी भर्ती की प्रक्रिया निरस्त की गई । यह वही भर्तियां हैं, जहां पर जो प्रोवेक्टिवली (proactively) करने के लिए आप हमसे कह रहे हैं कि आप पहले उसको पता करें और पूरे प्रदेश में पता करें । पूरे प्रदेश में जांच कराई गई है और पूरे प्रदेश में जांच करा करके पुलिस अधीक्षकों के पूरे प्रदेश की जानकारी हमारे पास है जिसमें स्पष्टत: यह विषय है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया को पुनः देखा, परखा और स्पष्ट किया कि हां और कोई बात नहीं है । जहां जानकारी पाई गई वहां छिपाने की एक मिनट कोशिश नहीं की गई । राजनांदगांव की प्रक्रिया है, पुलिस विभाग ने स्वयं शो-मोटो इसको आगे बढ़कर किया और बिलासपुर में जो 129 प्रकरण पकड़े गए उसको छिपाया नहीं गया, उसको हाईकोर्ट में स्वयं जाकर पुटअप किया है कि 129 प्रकरणों में गड़बड़ी पाई गई है । पुलिस विभाग ने स्वयं कहा है, मैं आपसे एक और अंतिम बात कहना चाहता हूं कि पूरी जानकारी पूरी शूचिता के साथ पूरा परीक्षण हो रहा है । अगर आपको कुछ विशेष जानकारी है कि फलां पुलिस का अधिकारी ऐसा कर रहा है, आप मुझे बता दीजिये जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे और दूसरी बात मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं ।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री विजय शर्मा :- एक मिनट । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूं कि किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है इसको समझने की आवश्यकता है, क्या गड़बड़ी हुई है यह समझने की आवश्यकता है । क्या वहां पर आई.जी. खड़े रहते हैं, यह समझने की आवश्यकता है । जिस समय दौड़ हो रही है, जिस समय गोला फेंक हो रहा है, गोला फेंक में किसी का अतिरिक्त अंक चढ़ा दिया गया, वहां कम्प्यूटर ऑपरेटर बैठा है, वहां पुलिस का एक कांस्टेबल है और वीडियोग्राफी हो रही है । वीडियोग्राफी के माध्यम से पकड़ा गया तो वहां पर जो लोग उपलब्ध हैं उन्हीं के माध्यम से यह किया गया और उन पर ही कार्रवाई की गयी है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक । प्रश्न क्रमांक- 4, रिकेश सेन ।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोर क्षेत्र के मामला हे । ऐकरे से संबंधित हे ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट उनका प्रश्न आ जाये । आपका बहुत हो गया, आप बताईये ।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया रिहिस हे, इही में मोर क्षेत्र के ग्राम सुखापाली के एक आरक्षक आत्महत्या करे हे और ओला आज तक के न्याय नइ मिले हे और ओहा अपन हाथ में लिखे रिहिस हे कि अधिकारी मन ये काम ला करे हें अउ छोटे-छोटे आरक्षक मन के ऊपर में कार्रवाई होत हे । (शेम-शेम की आवाज) मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहत हंओं कि का ओ अधिकारी मन के ऊपर में कार्रवाई होही या नइ होही ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहन जी जेन बात ला पूछिन हे मतलब ओखर प्रश्न बहुत अच्छा रहिथे भई अउ ओ हा बोलथें ता बड़ा अच्छा लगथे । मैं हा निसंदेह ये बात ला कहना चाहत हंओं कि वह जो आरक्षक के विषय हे बिल्कुल ध्यान मा हे, ओ भले आपके क्षेत्र के रहईया हो परंतु पदस्थ राजनांदगांव में रिहिस हे। राजनांदगांव मा ओसनहा विषय प्रकरण समझ में आये हे, पकड़ में आये हे और ओ समय जब राजनांदगांव में पकड़ में आइसे तो उहां के आई.जी. महोदय राजनांदगांव के अधिकारी ला छोड़के मैं आप ला पहली बताये हव, मानपुर-मोहला के एडिशनल एस.पी. स्तर के अधिकारी ला रखके 5 सदस्यीय टीम बनाके ओखर जांच करथे। काफी जांच आगू बढ़े हे। 16 आदमी जेल के अंदर हे। अब आप अउ काला अंदर करना चाहथव भई? अउ करे के ओखर कोई तार्किक आधार होना चाहिए। त जेन ओमा दोषी होहे, तेन हा भीतरी जाहै दीदी, ते चिंता झन करबे। (मेंजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- श्री रिकेश सेन। प्रश्न संख्या 4

दुर्ग में हाउसिंग बोर्ड, औद्यौगिक क्षेत्र व जवाहर नगर में 100 बिस्तर चिकित्सालय निर्माण का प्रस्ताव

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. (*क्र. 2186) श्री रिकेश सेन : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सत्र 2025-26 में छत्तीसगढ़ दुर्ग हाउसिंग बोर्ड, औद्यौगिक क्षेत्र कालोनी व जवाहर नगर भिलाई जिला-दुर्ग में क्या नवीन चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव है? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ तो कब तक नवीन 100 बिस्तर चिकित्सालय का निर्माण हाउसिंग बोर्ड कालोनी औद्यौगिक क्षेत्र जवाहर नगर में किया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जी नहीं। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग ढाई लाख मतदाता हैं और लगभग साढ़े तीन लाख जनसंख्या है। दोनों विधान सभा मिलाकर 6 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, लेकिन उस जगह पर जवाहर नगर औद्योगिक क्षेत्र के आसपास एक भी 100 बिस्तर अस्पताल दोनों विधान सभा मिलाकर नहीं हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, क्या आपने इस पर कोई विचार किया है, कोई मंथन किया है या क्या क्राइटिरिया है? 100 बिस्तर अस्पताल खोलने के लिए क्या नियम होने चाहिए, कितनी आबादी होने चाहिए और आपने उसमें ऐसे क्या नियम बनाए हैं?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 100 बिस्तर हॉस्पिटल, जवाहर नगर और औद्योगिक क्षेत्र में खोलने हेतु बातचीत की है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जवाहर नगर और औद्योगिक क्षेत्र के आसपास में ही एक हमारा सुपेला 80 बेडेड हॉस्पिटल है, वहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और साथ ही साथ 5 से 13 किलोमीटर के रेडियस में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज संचालित है। ऐसे में जवाहर नगर और औद्योगिक क्षेत्र में वहां पर 100 बिस्तर हॉस्पिटल खोला जाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ही नजदीक में वहां पर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 किलोमीटर दूर चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज है और मेरे विधान सभा में जहां पर टोटल साढ़े तीन लाख की आबादी है, आपने 07 हमर क्लिनिक खोले हैं, जो पिछले शासन काल में बिना प्लानिंग के खोला गया, वहां पर तो ताला बंद है और सुपेला अस्पताल, जब भी जो भी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं पिछले 5 साल में 100 बिस्तर अस्पताल की पांच बार घोषणाएं हुईं, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल सुपेला को ही आप 100 बिस्तर अस्पताल बना दीजिए, क्योंकि वहां की डिमांड है और दोनों विधान सभा मिलाकर लगभग 6 लाख की आबादी है, उसमें एक भी 100 बिस्तर अस्पताल नहीं देना। क्या आपकी विधान सभा में अगर ऐसी स्थिति होती तो क्या आप खोलते या नहीं खोलते?

अध्यक्ष महोदय :- ये क्या प्रश्न है? (हंसी) यह विषय बिल्कुल गलत तरीका है। माननीय मंत्री जी, पूरे प्रदेश को सामने रखकर योजना बनाते हैं, अपने विधान सभा या आपके विधान सभा को नहीं।

श्री रिकेश सेन :- एक उदाहरण देने का प्रयास कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न में सम्मान झलकना चाहिए। प्रश्न करिए और कठोर से कठोर प्रश्न करिए, मगर विनम्रता भी रहे और उसमें सम्मान भी झलके।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है। मैं सुपेला हॉस्पिटल भी दो बार जा चुका हूं। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। वहां पर हमारे पर्याप्त स्पेशलिस्ट

डॉक्टर हैं। वहां साल में ओ.पी.डी. भी 11,000 से ऊपर होती है और आई.पी.डी. भी पर्याप्त होता है। एक और प्रश्न इन्होंने कहा कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं, इनके विधान सभा में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित है और यह कहना सही है कि स्टाफ की कमी है, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने 184 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू की है। ये भर्ती प्रक्रिया जैसे ही पूर्ण होती है तो वहां पर स्टाफ भी आ जाएंगे। सुपेला उस क्षेत्र के लिए मध्य में है। सदस्य की चिंता जायज है। आने वाले समय में हम लोग उसको 100 बेड वैसे भी करने की योजना बनाये हैं। निश्चित रूप से उसको करेंगे।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने घोषणा कर दी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पिछले शासन काल की तरह सिर्फ 100 बिस्तर बना देना, न डॉक्टर उपलब्ध होना, न कोई व्यवस्था होना, ऐसी स्थिति न हो, क्योंकि आप सक्षम मंत्री हैं। आप लगातार स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। आप प्रदेश में बहुत जागरूक मंत्री हैं। आपसे निवेदन है कि ये भी इस प्लानिंग के तहत कर दीजिए कि पूरे साधन और संसाधन के साथ 100 बिस्तर अस्पताल बनेगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सुपेला की बात कर रहे हैं, मैं खुद दौरे में गया था और पिछले समय में जो घटिया कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसके खिलाफ मैंने वहां पर छत को तुरंत तोड़ने का निर्देश भी दिया था और तोड़कर फिर बनवाए और उसमें जितनी भी और अतिरिक्त राशि की आवश्यकता थी, मैंने तत्काल उसको स्वीकृत भी किया था। उस अस्पताल को हम अभी भी 100 बिस्तर अस्पताल जैसा ही संचालित कर रहे हैं । वह 100 बिस्तर अस्पताल नहीं है लेकिन भी भी वहां आई स्पेशलिस्ट है, अस्थि रोग विशेषज्ञ है, जनरल मेडिसिन विशेषज्ञ है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, शिशु रोग विशेषज्ञ है, डेंटल विशेषज्ञ है, वहां ब्लड स्टोरेज यूनिट है, गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी है, डिजिटल एक्स-रे है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, जब वह 100 बिस्तर अस्पताल नहीं है तो फिर इतनी पोस्टिंग क्यों है ? वह 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं है उसके बावजूद इतनी पोस्टिंग क्यों है, यह बताइए ?

श्री रिकेश सेन :- आप भी स्वास्थ्य मंत्री थे, आपने भी दो बार घोषणा की थी, एक बार भी पूरा नहीं हुआ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- न मैंने कभी सदन में घोषणा की और न ही कभी बाहर घोषणा की, आप एक भी घोषणा बता दीजिए ।

श्री रिकेश सेन :- अध्यक्ष महोदय, मैं, मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं उन्होंने बताया कि वह अस्पताल 100 बिस्तर के लायक है और पिछले 5 सालों में एक रूपए का भी बजट उस अस्पताल को नहीं मिला । उसका भवन बहुत जर्जर स्थिति में है । मैं चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में उस

अस्पताल का एक स्वरूप हो और वह अस्पताल लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर है तो उसकी अपनी एक गरिमा होनी चाहिए । लोगों को उस अस्पताल पर आश्रित होना पड़ता है । दूसरा अस्पताल हमारा दुर्ग का चिकित्सालय है जहां लोगों को 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है । भिलाई जैसे शहर में अगर हमें आपके संज्ञान में डालकर निवेदन करना पड़ रहा है तो कहीं न कहीं यह दुर्भाग्यपूर्ण है । आपसे निवेदन है कि इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी भी बजट में उस अस्पताल का स्वरूप बदलने का प्रयास करें ।

चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत विशाखा समिति का गठन

[चिकित्सा शिक्षा]

5. (*क्र. 2230) श्रीमती भावना बोहरा : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-(क) विशाखा समिति चिकित्सा शिक्षा के कौन-कौन से महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में सक्रिय/क्रियाशील है? चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत इस समिति का प्रमुख कौन होता है एवं समिति में कितने सदस्य होते हैं ? सदस्य बनने हेतु इसकी योग्यता क्या होती है? (ख) समिति बनाने हेतु किन नियमों का पालन किया जाता है? नियमों सहित जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें? (ग) वर्ष 2021 से 2025 तक आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में विशाखा समिति को कितने शिकायत या आवेदन प्राप्त हुए हैं? प्राप्त शिकायतों में कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है? निराकरण पश्चात कितनी शिकायतों में पुनः सुनवाई/कार्यवाही हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं? शिकायत/आवेदन अनुसार जानकारी देवें ? कितनी शिकायते लंबित हैं ? वर्षवार जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत अधीनस्थ संस्थाओं में विशाखा दिशा-निर्देश अंतर्गत गठित समिति के सक्रिय/क्रियाशील की जानकारी संलग्न प्रपत्र[1] 'अ' अनुसार है। विशाखा दिशा-निर्देशानुसार उक्त गठित समिति का प्रमुख महिला होना आवश्यक है एवं समिति में आधे से अधिक सदस्य महिला होना आवश्यक है। सदस्यों की संख्या के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। विशाखा दिशा-निर्देश/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 अनुसार सदस्य बनने हेतु योग्यताएं इस प्रकार है: - गठित समिति में आधे से ज्यादा सदस्य महिला होना आवश्यक है, समिति का अध्यक्ष महिला होना चाहिए तथा निष्पक्ष जॉच हेतु इनमें से 01 सदस्य तृतीय पक्ष अथवा उक्त गैर सरकारी संगठन में नियुक्त सदस्य जिसे समाज कार्य के क्षेत्र में कम से कम 05 साल का अनुभव वाला कोई समाजिक कार्यकर्ता जो महिलाओं के सशक्तिकरण तथा विशिष्टतया कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न की समस्या दूर

[1] परिशिष्ट "एक"

करने के लिए अनुकुल सामाजिक स्थितियों का सृजन करने का मार्ग प्रशक्त करता हो तथा 01 सदस्य जिसे श्रम, रोजगार, सिविल या दांडिक विधि में अर्हता प्राप्त हो। (ख) समिति बनाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं निर्धारित मापदण्ड (विशाखा एवं अन्य विरूद्ध राजस्थान सरकार एवं अन्य (JT 1997 (7)SC 384))/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के दिशा-निर्देशों/नियम का पालन किया जाता है। दिशा-निर्देशों/नियम की प्रति संलग्न् प्रपत्र 'ब' अनुसार है।(ग) प्रश्नांकित अवधि में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर में 01 आवेदन प्राप्त। जिसका निराकरण किया गया है। निराकरण पश्चात् आवेदन अप्राप्त। वर्तमान में कोई शिकायत लंबित नहीं है।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न विशाखा समिति के गठन से संबंधित था । मेरे मूल प्रश्न को परिवर्तित किया गया है, जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी । प्रश्न और उसके जवाब में अंतर है । मैंने यह पूछा था कि 2017 से लेकर 2025 तक विशाखा समिति के कितने केस आए थे, कितने लंबित हैं, कितने का निराकरण हो गया है । मुझे जो उत्तर में मिला है उसमें लिखा है 2021 से 2025 तक का । मेरा मूल प्रश्न 2017 से 2015 तक जानकारी के संबंध में था । मूल प्रश्न को परिवर्तित करके 2021 से 2025 क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कारण था ? मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, जवाब मिलने के बाद इसकी जानकारी हुई है ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, विधान सभा से जो प्रश्न मेरे संज्ञान में आया है उसमें 2021 से 2025 के बीच की जानकारी का आया है । मैंने इसका जवाब दिया है । फिर भी माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है, मुझे लगता है वे जिस विषय के संबंध में जानकारी चाहती हैं, वह लिखित उत्तर में भले ही नहीं है लेकिन मैं आपको जवाब दे सकता हूं, उस प्रकरण के बारे में आप पूछ सकती हैं ।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, 2017-18 के बीच में एक बहुत ही गंभीर विषय सामने आया था, जिसके बारे में सभी को ज्ञान है । मुझे लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी को भी इसकी जानकारी होगी लेकिन कहीं न कहीं या तो अधिकारियों के द्वारा या जिस भी कारण से यह लंबित है, उसकी जानकारी होना जरूरी है । महोदय, 2017-18 में एक केस हुआ था, चूंकि हम सब जानते हैं कि विशाखा समिति महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट के संबंध में गठित की जाती है । 2017-18 में अनीता शर्मा, जो कि आयुर्वेदिक कॉलेज में थी, उन्होंने डॉ. जी.आर. चतुर्वेदी के विरूद्ध केस किया था । जिसकी जांच एक वरिष्ठ महिला प्रोफेसर जो कि इस समिति में ही थीं सरोज परहाते, उनके द्वारा जांच की गई थी, जांच में आरोप को सही पाया गया था, चतुर्वेदी को दोषी पाया गया था, इसके सारे दस्तावेज मेरे पास हैं । उन्होंने लिखा था कि जी.आर. चतुर्वेदी को इसमें दोषी पाया गया है । उसके बाद जो जांचकर्ता महिला हैं सरोज परहाते, उनको ही इस विशाखा समिति से हटा दिया गया, नई समिति का

गठन हो गया और जिनके विरूद्ध इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी, जी.आर.चतुर्वेदी का रातोंरात प्रमोशन कर दिया गया । मैं जानना चाहती हूं कि रातोंरात डीपीसी करके चतुर्वेदी जी का प्रमोशन कर दिया गया और अनिता शर्मा के केस को जिन्होंने संज्ञान में लिया था और उचित कार्रवाई की थी, उनको पद से हटाकर, रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, आज भी इसकी जांच लंबित है और रिपोर्ट में भी आया है कि एक जांच अभी इसमें लंबित है । मैं महोदय जी से जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा विषय था कि 2017 से लेकर 2025, लगभग 7 से 8 वर्ष हो गए हैं, क्या कारण है कि ऐसी रिपोर्ट और अधूरी जानकारी विभाग के द्वारा दी गई है ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जिस बात की चिंता कर रहीं हैं, वह वाकइ में चिंता करने योग्य बात है। परन्तु मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय विष्णु देव साय जी की सुशासन वाली सरकार है। प्रदेश में किसी भी महिला, माताओं-बहनों के खिलाफ किसी भी प्रकार के किसी भी आपराधिक कृत्य या प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। यह मामला सन् 2018 का है। जिसमें सरोज फराते एक प्रोफेसर थीं, विशाखा समिति द्वारा उल्टा उनके ऊपर आरोप लगाया गया। वह वहां पढ़ने वाली बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की बात का आरोप लगाया गया। कई अखबारों और कई जगहों में बहुत ..।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भावना बोहरा जी सन) 2017-18 कह रही हैं और मंत्री जी सिर्फ 2018 कह रहे हैं। तो मंत्री जी आप यह बताईये कि कौन से महीने की घटना है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 2.11.2018 को शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के एम.डी. छात्र जिसमें नाम और दिनांक निरंक था, उसकी शिकायत आई थी। इसलिए यह शायद वित्तीय वर्ष 2017-18 ही होगा।

डॉ. चरण दास महंत :- ठीक है। आप विशेषकर पुराने कार्यकाल, पुरानी सरकार की बात करते हैं इसलिए मैं महीना जानना चाहता था। हमारा कार्यकाल यानि 11वें महीने के बाद ही आया होगा। यह आपके ही कार्यकाल है, 11वें महीने के पहले की बात है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी कि अभी जिस प्रकरण का जिक्र हो रहा है, वह सन् 2018 का है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मेरे पास बहुत सारे रिकार्ड्स हैं, इसके पूरे दस्तावेज उपलब्ध हैं। मैं उन विषयों पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को भी इस महिला फराते ने सारी रिपोर्ट्स सबमिट की थी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। संबंधित विभाग में भी सारी रिपोर्ट्स सबमिट की थीं, फिर भी वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय :- अभी क्या चाहते है ? आप एक प्रश्न करिये कि आप क्या चाहते हैं ?

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या इसकी वापस जांच होगी ? यदि चतुर्वेदी को संलिप्त पाया गया या संबंधित जिस भी व्यक्ति को संलिप्त पाया गया तो क्या उन पर उचित कार्रवाई होगी ? ताकि इस महिला का मामला 8 साल से न्याय के लिए लंबित है, लोगों को वापस विशाखा समिति में भरोसा हो सके, क्या आप इसकी घोषणा करेंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी पहले बात कर रहे थे। माननीय नेता जी नरसिंह अवतार जैसा वाला मामला था। न रात था न दिन था, यह उस समय की घटना है जब आचार संहिता लगा हुआ था। (हंसी) बाकी जब प्रक्रिया शुरू हुई तो आपकी सरकार में हुआ था। यह हंसी मजाक वाला विषय नहीं है। वाकई में उसके साथ अन्याय हुआ था। माननीय उच्च न्यायालय ने इसे संज्ञान में लिया था और माननीय उच्च न्यायालय ने 09.01.2023 को यह निर्देशित किया कि फिर से जांच किया जाये। इसलिए फिर से विशाखा समिति में जांच हुई। उसकी रिपोर्ट शासन के पास आ गई है। उसमें अनुशंसा है कि जिस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, डॉ.जी.आर. चतुर्वेदी को अन्यत्र स्थनान्तरित किया जाये तथा समाचार पत्रिका को जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से कार्रवाई करने हेतु समिति ने अनुशंसा की है। साथ ही साथ उनके एक सहयोगी शांति कुमार मांझी सेवा निवृत्त हो चुके हैं, उनके विरूद्ध भी जो भी नियमानुसार होगा, कार्रवाई होगी। हम यह कार्रवाई 3 दिन के अंदर करने जा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। बहुत बढ़िया।

डॉ. चरण दास महंत :- बहुत अच्छा।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा जी।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, हो गया। बहुत अच्छा जवाब आ गया, पर्याप्त है।

दुर्ग संभागान्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों में संचालित एम्बुलेंस व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. (*क्र. 2239) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दुर्ग संभागान्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों मेंवर्तमान में कितने संजीवनी 108 एम्बुलेंस संचालित हैं ? जिलेवार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के परिपेक्ष्य में कितने चालू व कितनी खराब स्थिति में हैं? **(ग)** सभी एम्बुलेंस के सुचारू संचालन रहने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) दुर्ग संभागान्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्तमान में कुल 64 संजीवनी 108 एम्बुलेंस संचालित हैं जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार

है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिपेक्ष्य में 63 चालू एवं 01 खराब स्थिति में हैं।**(ग)** सभी एम्बुलेंस के सुचारू संचालन हेतु वाहनों का रिपेरिंग कार्य मेन्टनेंस एवं सर्विस कार्य अनुबंधित कंपनी से कराया जाता है।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा सवाल स्वास्थ्य मंत्री जी से है। क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि दुर्ग संभाग अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्तमान में कितने संजीवनी 108 एम्बुलेंस संचालित है ? जिलेवार बताईये ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्ग संभाग में संजीवनी 108 एम्बुलेंस 64 संचालित है। इसमें जिलेवार निम्नानुसार है:- बालोद जिला में 14 एम्बुलेंस, कवर्धा जिला में 9 एम्बुलेंस, राजनांदगांव जिला में 9 एम्बुलेंस, बेमेतरा जिला में 9 एम्बुलेंस, दुर्ग जिला में 15 एम्बुलेंस, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला में 4 एम्बुलेंस, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला में 4 एम्बुलेंस, कुल 64 एम्बुलेंस संचालित है।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी, 64 एम्बुलेंस में से 63 एम्बुलेंस चालू है और 1 एम्बुलेंस खराब है। कौन जिले का एम्बुलेंस खराब है, यह बताने की कृपा करें ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहिनी उत्तर लिखत समय खराब रहिस ए ओहू ठीक हो गइस, पूरा 64 एम्बुलेंस चलत ए।

अध्यक्ष महोदय :- पूरा ठीक हो गया, अब 64वां एम्बुलेंस भी ठीक हो गया।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि नवीन जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई तथा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी नया जिला बना है। उस जिले में सिर्फ 4-4 एम्बुलेंस हैं। जबकि वहां के विधान सभा क्षेत्र का क्षेत्रफल डेढ़ से दो सौ किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह मांग करना चाहती हूं कि हमारे खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला एवं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला में एम्बुलेंस की ज्यादा संख्या बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई योजना है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से एम्बुलेंस बढ़ाने की योजना है। मैं सदन में यह योजना बता देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं घर-घर तक पहुंचे और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार हम एकदम चकाचक 375 नये एम्बुलेंस का टेण्डर जारी कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) अभी जो 328 एम्बुलेंस हैं, वह 375 हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- इनके यहां भी भेजवा दीजिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- हाँ। जनमन योजना से 57 एम.एम.यू. खरीद रहे हैं, 76 एम.एम.यू. हाट बाजार योजना से खरीद रहे हैं, 30 रूरल एम.एम.यू. चला रहे हैं। पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस दौड़ेगा। आपके यहां भी एम्बुलेंस भेजेंगे।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा। सुश्री लता उसेंडी।

जिला नारायणपुर अंतर्गत आश्रम में पदस्थ भृत्य की संदेहास्पद मृत्यु की जांच

[गृह]

7. (*क्र. 2256) सुश्री लता उसेंडी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नवम्बर, 2024 से दिनांक 15.02.2025 तक श्री योगेन्द्र कुमार पटेल, भृत्य, मूल पदस्थ संस्था- बालक आश्रम मुंजमेटा, जिला नारायणपुर, संलग्न संस्था आदिवासी विकास विभाग (सहायक आयुक्त कार्यालय) जिला नारायणपुर की संदेहात्मक ढ़ग से मृत्यु की जांच करने के संबंध में विभाग/शासन को कब, किसके द्वारा व क्या शिकायत की गई है? **(ख)** शिकायत की जांच किसके द्वारा की गई/की जा रही है व कब से की जा रही है? जांच में क्या तथ्य परीक्षण में आये तथा जांच उपरांत क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कार्यवाही क्यों नहीं की गई प्रकरण/कार्यवाही लंबित रखने के क्या कारण है व जांच/कार्यवाही लंबित रखने हेतु जिम्मेदार कौन-कौन हैं ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में मृतक योगेन्द्र कुमार पटेल, भृत्य, मूल पदस्थ संस्था-बालक आश्रम मुंजमेटा, जिला नारायणपुर, संलग्न संस्था आदिवासी विकास विभाग (सहायक आयुक्त कार्यालय) जिला नारायणपुर की मृत्यु जांच करने के संबंध में मृतक की माता श्रीमती लालबती पटेल, ग्राम-महिमागवाड़ी, ओरछा-नारायणपुर द्वारा दिनांक 12.11.2024 को माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय निवास रायपुर में एक लिखित शिकायत मृतक योगेन्द्र पटेल के ''संदेहात्मक ढंग से मृत्यु'' की जांच करने के संबंध में प्राप्त हुआ है। **(ख)** शिकायत की जांच प्रधान आरक्षक क्रमांक-633, चौकी-हल्बा, थाना-नरहरपुर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 20.11.2024 से की जा रही है। मर्ग क्रमांक 80/2024 धारा 194 बी.एन.एस.एस. के जांचक्रम में साक्षी, गवाहों के कथन लिये गये है। मृतक का जप्तशुदा विसरा का रासायनिक परीक्षण कराया गया है। परीक्षण रिपोर्ट में रासायनिक विष नहीं होना पाया गया है। विसरा का हिस्टोपैथालॉजी परीक्षण रिपोर्ट अप्राप्त है। जांच प्रक्रियाधीन है।

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि योगेन्द्र कुमार पटेल, भृत्य की मृत्यु कहां पर हुई, कब हुई, उसका पंचनामा किसके समक्ष किय गया और उसका पोस्टमार्टम कहां पर किया गया?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदया योगेन्द्र कुमार पटेल, भृत्य की मृत्यु के संदर्भ में पूछ रही हैं। इनकी मृत्यु 05.10.2024 को हुई थी। उनकी मृत्यु कांकेर जिला के अरौद गांव में हुई थी। इनका पोस्टमार्टम दिनांक 06.10.2024 को नारायणपुर में हुआ और अंतिम संस्कार भी 06.10.2024 को नारायणपुर में ही हुआ था।

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, योगेन्द्र कुमार पटेल, भृत्य की चरौद ग्राम में शाम को 6 बजे मृत्यु बताया गया है और उनकी मृत्यु सहायक आयुक्त के निवास में हुई थी। उनकी मृत्यु 6 बजे हुई, उसके बाद लोकल किसी डॉक्टर को बुलाकर जिस तरह का बयान आया था, उनको मृत पाया गया और मृतक को सीधे धमतरी के एक प्राईवेट एम्बुलेंस बुलाकर उसे उसके गृह निवास महिमागवाड़ी के लिए भेज दिया गया। रास्ते में बेलुर में उसके परिजन द्वारा उस वाहन को रोका गया और उनके द्वारा मांग किया गया कि इसका पोस्टमार्टम कराया जाये क्योंकि हमें इसका मौत का कारण पता नहीं है। उसे जो ड्राइवर लेकर जा रहा था, उस ड्राइवर ने उनको सहायक आयुक्त से बात करवाया तो सहायक आयुक्त ने उनसे सीधे यह कहा कि आप उसे सीधे उसके गांव महिमागवाड़ी ले जाये और उसका अंतिम संस्कार करें, बाकी बाद में देखा जाएगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि अगर किसी मृत्यु होती है तो उसका पंचनामा कहां होना चाहिए और पोस्टमार्टम कहां होना चाहिए?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसी की असज मृत्यु हो जाती है तो पंचनामा वहीं मृत्यु के स्थान पर होता है और जहां निकटस्थ पोस्टमार्टम संभव है, वहां उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए।

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मृत्यु कांकेर जिले में हुई है। कांकेर जिला, कोण्डागांव जिला क्रास करके नारायणपुर जिला आता है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि शव को बिना पोस्टमार्टम के, बिना पोस्टमार्टम के धमतरी से एक प्राईवेट एम्बुलेंस मंगवा कर किस तथ्य को छुपाने के लिए उसके परिजन के जानकारी के बिना उसे उसके गांव में सीधे भेजा जा रहा था? अगर उस अधिकारी के द्वारा तथ्य को छुपाने के लिए भेजा रहा था तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें शिकायत प्राप्त होने के उपरांत मतलब यह जो घटना हुई, यह किस तरीके से उसको सीधे कांकेर जिला से नारायणपुर जिला जहां उसका स्थान था, वहां पर ले जाया गया और नारायणपुर पहुंचने के बाद यह बात सबके ध्यान में आई कि इनको पोस्टमार्टम कराना है इसलिए इनका पोस्टमार्टम नारायणपुर में हुआ है, परन्तु इसमें मर्ग क्रमांक 80/2024 धारा 194 BNS के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है, इसकी जांच की जा रही है, इसमें कतई

ऐसा नहीं है कि किसी को बख्शा जायेगा, कुछ छिपाने वाली बात है, जो बातें हैं, पूरी स्पष्ट है और उस पर जांच हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच के अंतर्गत जो भी आयेगा, जो भी दोषी होगा, उस पर कार्यवाही होगी ।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 महीने हो चुके हैं, मृतक के परिवार को सिर्फ 50 हजार की राशि मिली है । दो साल की एक छोटी बच्ची है और वृद्ध मां है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि उनके शव को गृह ग्राम ले जाने का प्रयास क्यों किया गया ? अध्यक्ष महोदय, उसे बीच में रोका गया, नारायणपुर बेनुर में रोका गया कि हम बिना पोस्टमार्टम के शव नहीं ले जायेंगे । मेरे फोन करने बाद, दबाव बनाने के बाद, 4 बजे पोस्टमार्टम हुआ है । 5 तारीख की घटना है, 6 तारीख की शाम तक शव को लेकर गांव के लोग घूमते रहे, इसके पीछे क्या कारण था ? अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर संदेहास्पद विषय है और जांच तो होता रहता है, कई प्रकरण के जांच होते रहते हैं । अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसे प्रकरणों का 4-4 महीने तक जांच नहीं होता है, मॉ भटक रही है, गुहार लगा रही है, मां को जनदर्शन में आवेदन देना पड़ रहा है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गयी है, उसके ऊपर कार्यवाही किया जाये, माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन देने के बाद जांच प्रक्रिया पर आई है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगी कि दोषी संलिप्त अधिकारी के ऊपर, जिसने तथ्य को छिपाने का प्रयास किया है, उस तथ्य को छिपाने के आरोप में उस अधिकारी के ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे ? वह एक जिम्मेदार अफसर है, जो डिपार्टमेंट का जिले में सबसे बड़ा अधिकारी होता है ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के संज्ञान में यह बात तभी आई, जब तक शव नारायणयपुर पहुंच चुका था । यह बात गलत है, शव को नारायणपुर नहीं ले जाना चाहिये था, यह कैसे हुआ यह भी जांच का विषय है, क्यों हुआ यह भी जांच का विषय है, क्या कोई विशेष षड़यंत्र था या कोई विशेष बात थी, यह भी जांच का विषय है ? अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां जनदर्शन में प्रस्तुत होकर जो आवेदन दिया गया, वह यही आवेदन दिया गया कि जिस अधिकारी के यहां थे, उस पर भी कार्यवाही किया जाये । यह एक अलग मामला है । अध्यक्ष महोदय, मृत्यु जो हुई है, उसके संदर्भ में बिसरा के लिये और बिसरा रिपोर्ट आने के बाद और हिस्ट्रोपैथॉलाजी के माध्यम से जांच करने के लिये यह प्रक्रियाधीन है । यह जांच रिपोर्ट भी आ जायेगा, बयान लिये गये हैं, परिजनों के बयान लिये गये हैं, जहां उनकी मृत्यु हुई है, उनके बयान लिये गये हैं, इन सारी चीजों के बाद स्थिति जरूर स्पष्ट होगी और उस पर जरूर कोई विषय आता है तो कार्यवाही होगी ।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि गलतबयानी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी इसलिये लगाया गया है, बार-बार सूचना देने के बाद, लोगों के भटकने के बाद, बिसरा रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण वह मेरे पास आये तब मैंने सत्र आने वाला था और यह क्वेश्चन लगवाया । माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारी ने तथ्य को छिपाने का स्पष्ट प्रयास किया है, जबकि परिजन के पूरे

बयान है । थाने में जो सारे बयान है, उसमें स्पष्ट झलकता है । माननीय मंत्री जी, मैं यह चाहती हूँ कि आप सदन में घोषणा करें कि सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन यदि कर रहा है तो तथ्य छिपाने वाले अधिकारी के ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे ? आप तत्काल इसकी घोषणा करें ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, कार्यवाही करने की मांग हो रही है ।

श्री विजय शर्मा :- जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिसरा के संदर्भ में बताना चाहूँगा कि 27/11 को ही बिसरा का रिपोर्ट आ गया था, लेकिन उसी बिसरा को और कन्फर्म करने के लिये हिस्ट्रोपैथॉलाजी इसका परीक्षण होता है, उसके लिये पुन: भेजा गया । माननीय अध्यक्ष महोदय, बिसरा का रिपोर्ट आज तक नहीं आया है, ऐसा नहीं है । उसका एक रिपोर्ट आ गया है, परन्तु और कन्फर्मेशन के लिये उसको भेजा गया है । पहली बात, इसकी जांच अभी प्रधान आरक्षक स्तर पर किया जा रहा है, फिर भी अगर सदस्य महोदया, इसमें व्यथीत है, मुझे समझा में आ रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निस्संदेह यह कहता हूँ कि एस.पी. और एडिशनल एस.पी. स्तर पर अधिकारी के माध्यम से इसकी और पूरी जांच करवा लेते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है । जांच का जो आदेश चाहती थी...।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मृतक की मां और उस बच्ची के भरण पोषण के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी, वह नक्सल पीड़ित परिवार है, जो गांव छोड़कर नारायणपुर में आकर रह रहे थे, उसके लिये भी सरकार क्या प्रयास कर रही है, माननीय मंत्री जी इसकी भी जानकारी देंगे ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मृतक की पत्नी भी शासकीय सेवक है । बच्ची के लिये सरकार के पास आवेदन आया था, परन्तु मृतक की पत्नी स्वयं शासकीय सेवक है । अब हम उन कानूनों से सब बंधे हुये हैं, मृतक के परिजन शासकीय सेवक हैं तो और किसी को अनुकंपा नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होती है । यह नियम है, कानून है, अत: उसी के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की बात समाप्त की गई है । यहां 50 हजार का सहयोग हुआ है, परन्तु परिवार में अभी भी शासकीय सेवक हैं, जिसके माध्यम से परिवार ठीक चल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, डॉ.चरणदास महंत जी ।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

8. (*क्र. 2173) डॉ. चरण दास महंत : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024-25 में प्रदेश के कितने ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति दी गई ? कितने निर्माण हेतु राशि जारी की गई? कितने निर्माण प्रारंभ हो गए हैं? एक महतारी

सदन निर्माण की लागत क्या है? विधानसभावार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' हेतु बजट अनुपूरक बजट सहित कितनी राशि का प्रावधान किया गया? 15 फरवरी, 2025 तक कुल कितनी राशि जारी की गई? कितनी राशि व्यय हुई? विधानसभावार जानकारी देवें? **(ग)** महतारी सदन निर्माण का औचित्य बतावें? जिन ग्राम पंचायतों में महतारी सदन का निर्माण स्वीकृत किया गया है, उन ग्राम पंचायतों में पूर्व से निर्मित सामाजिक/सामुदायिक, सांस्कृतिक भवन की भी संख्यात्मक जानकारी जिलावार देवे?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 194 ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति दी गई। 168 महतारी सदन के निर्माण हेतु राशि जारी की गई। 147 महतारी सदन का निर्माण प्रारंभ हो गए है। एक महतारी सदन निर्माण की लागत 29.20 लाख है। जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ"** अनुसार है। **(ख)** वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में महतारी सदन योजना में 5000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था, अनुपूरक बजट में राशि प्राप्त नहीं हुआ है। 15 फरवरी, 2025 तक अनुशंसा अनुसार जिलों को राशि रू. 4964.70 लाख जारी की गई एवं जिलों द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी करते हुए निर्माण एजेन्सी को राशि रूपये 1872.22 लाख जारी की गई। जिसमें से राशि रू. 469.07 लाख व्यय हुई है। विधानसभावार जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ"** अनुसार है। **(ग)** महतारी सदन का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने एवं महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से किया जा रहा है। जिलावार संख्यात्मक जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब"** अनुसार है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आपने पिछले प्रश्न में बड़ी धीमी गति से उत्तर देने का प्रयास किया है । शायद मुझसे डरकर किया है, क्या किया है, यह मैं नहीं जानता । मैं बड़ी द्रुत गति से आपसे प्रश्न पूछूंगा, ताकि समय रहते उसका जवाब आ जाये । माननीय मंत्री जी, आपने स्वीकार किया है कि 194 ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति हुई है और 168 महतारी सदन के निर्माण हेतु राशि जारी की गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि महतारी सदन निर्माण हेतु शासन से राशि कब जारी हुई, एजेंसी कौन है, प्रक्रिया क्या है, क्या निविदा आमंत्रित किए गए या सीधे एजेंसी को दे दी गई ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले प्रश्न का उत्तर मैंने धीरे किया, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का यह आरोप बड़ा गलत है और इनका एक प्रश्न भी गलत है । मैं अपनी सीमाओं का उल्लंघन भले ही कर रहा हूं, परन्तु मैं ज्योत्सना भाभी जी को फोन लगाकर बताऊंगा कि इस तरह काम नेता जी करते हैं, महंत जी ऐसा प्रश्न लगाते हैं और कहते हैं कि महिलाओं के लिए यह महतारी सदन क्यों बनाया जा रहा है ?

डॉ. चरण दास महंत :- नहीं, नहीं । आप गलत आरोप लगा रहे हैं । मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आप महतारी सदन क्यों बना रहे हैं ? आपने कब-कब राशि जारी की, आपकी एजेंसी कौन है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका तीसरा प्रश्न यही है । उसमें आपने पूछा है कि इसका औचित्य क्या है ? औचित्य पूछा गया है, मतलब मैं उन्हीं से बात करूंगा ।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उनसे बात कर लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर प्रक्रिया तो बता दें । आप चयन किस हिसाब से कर रहे हैं, निविदा कैसे दे रहे हैं ? मैं तो यह जानना चाहता हूं ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 50 करोड़ रूपए के प्रावधान में लगभग 200 महतारी सदन 24 लाख की राशि से बजट के प्रावधान से और स्वच्छ भारत मिशन से लगभग 4.5-5 लाख रूपए लगाकर 29 लाख रूपए की लागत से महतारी सदन बनाने की योजना है । इस योजना का आशय यही है कि 2 लाख, 60 हजार महिला स्व सहायता समूह बने हैं । गांव में महिलाओं के स्व सहायता समूहों के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उनको स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है, ऐसा सभी जनप्रतिनिधियों के बीच में यह विषय आता रहा है । इसलिए इसको प्रारंभ किया गया है । इसमें पहले यह कोशिश कर रहे हैं कि सीएलएफ जो हेड क्वार्टर्स हैं, वहां पर पहले यह बन जाये और विशेष कोई बड़ा गांव है और बड़ी मांग है तो वहां पर भी इसमें आगे बढ़ जाते हैं । अभी तक लगभग 200 आवासों की स्वीकृति और इसके अनुशंसा की जा चुकी है । इसमें जो प्रशासकीय स्वीकृति है, वह भी 170-180 आवासों की हो चुकी है ।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, चूंकि वे गृह मंत्री भी हैं और गृह मंत्री जी को पंचायती करना उचित नहीं है तो आप गृह मंत्री की भाषा में मुझे साफ-साफ बता दीजिए कि क्या इसका चयन सेटेलाईट के माध्यम से हुआ है या आपने कोई स्पेशल विंग बनाया है या राजनीतिक दृष्टिकोण रखा है ? अभी आपने कहा कि सभी विधायकों को, वहां की महतारी को, वहां की बहिनों को यह सुविधा देने के लिए बनाया है । सक्ती में एक भी महतारी सदन नहीं बना है, मेरा यह आरोप है । इन्होंने अभी तक 194 महतारी सदन स्वीकृत किया है और 194 सदन में से सिर्फ 5 सदन कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में है और 4 महतारी सदन गोंडवाना वाले विधायक के क्षेत्र में है, पता नहीं कैसे पहुंच गया । बाकी के 185 महतारी सदन जो हैं, सिर्फ चुन-चुनकर भाजपा के विधायकों को दिया गया है तो यह कोई प्रक्रिया है क्या ? जबकि आपको तो समान दृष्टि से काम करना चाहिए । पंचायतें आपकी हैं, हमारी हैं, छत्तीसगढ़ की हैं, यहां सभी सदन आपका है। इस तरह से आप चुनकर कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है । आप जवाब दे दीजिए क्योंकि सिर्फ 20 सेकेण्ड बचे हुए हैं ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लैलूंगा, धर्मजयगढ़, रामपुर, कटघोरा, पाली तानाखार में महतारी सदन स्वीकृत हुआ है ।

डॉ. चरण दास महंत :- मैंने पॉच बताये हैं ।

श्री दिलीप लहरिया :- हमारे कांग्रेसी विधायकों के क्षेत्र को छोड़ा गया है, जिले में भी जहां से कांग्रेस के विधायक हैं, वहां सदन स्वीकृत नहीं हुआ है ।

श्री विजय शर्मा :- मेरी बात सुन लीजिए । सराईपाली, धमतरी, संजारी बालोद, पाण्डातराई में महतारी सदन स्वीकृत हुआ है । सारी जगहों में यह स्वीकृत हुआ है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- भाजपा विधायकों के सारे जगहों में स्वीकृत हुआ है, कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में सदन स्वीकृत नहीं हुआ है ।

श्री विजय शर्मा :- आप निश्चिंत रहें ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वैसे ही स्वीकृत हुआ है जैसे हवाई जहाज में बताते हैं ना कि मास्क पहले खुद लगाइए फिर दूसरे की मदद करिए। पहले इधर लग रहा है, अगला आप लोगों को करेंगे।

समय :

12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचनाएं

उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 356 की उप धारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना कमांक :-

(i) एफ 1-5/2014/18, दिनांक 12 सितम्बर, 2024

(ii) एफ 1-5/2014/18, दिनांक 8 नवम्बर, 2024

(iii) एफ 1-5/2014/18, दिनांक 11 नवम्बर, 2024

(iv) एफ 1-134/2024/18, दिनांक 10 दिसम्बर, 2024

(v) एफ 1-135/2024/18, दिनांक 10 दिसम्बर, 2024

(vi) एफ 1-138/2014/18, दिनांक 24 दिसम्बर, 2024

(vii) एफ 1-138/2024/18, दिनांक 15 जनवरी, 2025 तथा

(viii) एफ 1-137/2024/18, दिनांक 13 फरवरी, 2025

पटल पर रखता हूँ।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

समय :

12.02 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप अभियंता पद के लिए सिविल इंजीनियरिंग डिग्री धारकों को आवेदन देने से वंचित किया जाना

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) (नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत)(सक्ती)):- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 175/स्था./प्र.अ./लो.स्वा.यां./2025 अटल नगर दिनांक 15.01.2025 में उप अभियंता (सिविल) लेवल-8 वेतन 35400-112400 तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) रिक्त पद 118 के लिए विहित शैक्षणिक योग्यता राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा निर्धारित की गई है, जिसके कारण सिविल इंजीनियरिंग डिग्रीधारी इस पद के लिए आवेदन देने से वंचित हो गये हैं। यह पूर्ण रूप से नियमों के प्रतिकूल है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईड लाईन (पुनीत शर्मा एवं अन्य वर्सेस हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड) के भी सर्वथा प्रतिकूल है। इस विज्ञापन से प्रदेश के लाखों डिग्रीधारियों के परीक्षा देने के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अतः यह विज्ञापन तत्काल निरस्त करना आवश्यक है एवं इसके स्थान पर नवीन विज्ञापन जिसमें डिप्लोमा/डिग्रीधारी सभी को आवेदन करने का समान अवसर मिले, जारी करना अत्यंत जरूरी है। ऐसा नहीं होने से प्रदेश के डिग्रीधारी हजारों बच्चों में घोर निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

उप मुख्य मंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) (श्री अरुण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय यह सही है कि छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी संक्षिप्त विज्ञापन क्रमांक 175/स्था/प्र.अ./लो.स्वा.यां./2025 अटल नगर, दिनांक 15.01.2025 में उप अभियंता (सिविल) लेबल-8 वेतन 35400-112400 तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) रिक्त पद 118 के लिए विहित शैक्षणिक योग्यता राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा निर्धारित की गई है। तथ्य यह है कि आवेदकों के पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अनिवार्यतः होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राजपत्र, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-03/2008/34-1, दिनांक 30.12.2016 छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित) (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2016 में प्रकाशित अनुसार उप अभियंता के लिये विहित शैक्षणिक अर्हता "राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से तीन वर्षीय डिप्लोमा" निर्धारित है एवं इसी के अनुरूप भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित) (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2012 प्रकाशन में भी यही भर्ती नियम थे।

सिविल अपील क्रमांक (एस) 318-322/2021 श्री पुनीत शर्मा एवं अन्य वर्सेस हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय संबंधित विभाग के दिनांक 03.06.2020 को जारी संशोधन के आधार पर दिया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय की परिधि में नहीं आता है। उप अभियंता का पद सेवा भर्ती नियम के अनुसार तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी आवेदकों के लिये निर्धारित है, अतः डिग्रीधारी बच्चों के परीक्षा देने के मौलिक अधिकारों के हनन का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। यह कथन सत्य नहीं है कि विज्ञापन जारी करते समय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा अपने विवेक का सारवान उपयोग नहीं किया गया है, अपितु तथ्य यह है कि भर्ती के लिये जारी विज्ञापन में अक्षरशः सेवा भर्ती नियम का पालन किया गया है। चूंकि उप अभियंता के भर्ती हेतु जारी विज्ञापन पूर्णतः नियमानुसार किया गया है। इसलिये इसे निरस्त कर, नवीन विज्ञापन जारी करना न्याय संगत नहीं है। नियमानुसार की गई कार्यवाही से डिग्रीधारी बच्चों में आक्रोश व्याप्त नहीं है।

समय:

12.07 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय सभापति महोदय, यदि किसी भी विभाग में भर्ती की प्रक्रिया है और वह पद डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी दोनों के बीच का है, इस चीज को समझना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति ने ज्यादा पढ़ाई कर ली तो क्या वह सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं दे सकता ? जब आप टेक्निकल रूप से डिप्लोमाधारी के लिए विज्ञापन निकालते हैं, जिसमें ड्राईंग डिजाइन बनाना हो। यदि किसी ने बी.ई. किया हो, एम.ई. किया हो या अगर वह स्ट्रक्चर में स्पेशल कोर्स करके आया हो और वह डिप्लोमाधारी पद पर अपना आवेदन नहीं दे सकता है, तो यह उन हजारों लोगों के लिए चिंता का विषय हो गया कि वह इतनी पढ़ाई क्यों करें कि वह सरकारी नौकरी न कर सके। मैं वर्ष 2017 में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग का भारसाधक मंत्री था, मैंने अपने विभाग के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया की है और वर्ष 2016 में आपने ही पी.एच.ई. विभाग के अंदर संसोधन कर दिया। सम्माननीय सभापति महोदय, कोई भी नियम बनता है तो जी.ए.डी. उसका परीक्षण करता है और जब जी.ए.डी. उसका परीक्षण कर रहा है तो एक ही सरकार में दो अलग-अलग विभागों में दो नियम कैसे चलेंगे ? आप जरा इसमें प्रकाश डाल दे।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, विभाग ने भर्ती नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया है। मेरे हाथ में वर्ष 1977 के भर्ती नियम है। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, इंजीनियरिंग विभाग, उपयंत्री (सिविल), मैकेनिकल आदि के जो पद हैं, उसके लिये योग्यता है कि राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा 6 वर्ष का अनुभव।

उसके बाद में यह अनुभव का हिस्सा हटाया गया पर लगातार भर्ती नियम वर्ष 2012 में और वर्ष 2016 में जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है, वही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि हमारे राज्य में 30 से अधिक पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जिससे हर साल 8 हजार से अधिक बच्चे निकलते हैं । जहां तक सरकार का विषय है। सरकार के नाते एक तरफ जहां हमारे डिग्री होल्डर्स की भी चिंता है, उनके लिए असिस्टेंट इंजीनियर के पद, अन्य पद हैं, पर यह Diploma holder engineer, जिनके छत्तीसगढ़ में 30 से अधिक सरकारी कॉलेज हैं और अलग-अलग Decipline में 8 हजार से अधिक बच्चे हर साल पढ़कर निकलते हैं और जहां तक विभाग के भर्ती नियम का विषय है। जैसे मैंने यहां बताया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का वर्ष 1997 से लगातार वही भर्ती नियम चला आ रहा है। हमने अपने से कोई परिवर्तन नहीं किया है। भर्ती नियम में हर पद की अलग शैक्षणिक योग्यता होती है, हर विभाग के अपने अलग रिक्वायरमेंट हैं। हमारे अलग-अलग विभाग अपने भर्ती नियमों में अपनी आवश्यकता और उस पद के नेचर, सारी बातों को ध्यान में रखकर,भर्ती नियम के लिए वह पदों की आर्हता निर्धारित करते हैं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर नहीं आया है। मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि एक विभाग में वर्ष 2017 में भर्ती होती है और एक ही विभाग में वर्ष 2016 में भर्ती है यह सेम नेचर के हैं। ठीक है। यह पी.डब्ल्यू.डी. विभाग भर्ती करता है, यह पी.एच.ई. विभाग भर्ती करता है। जिसके नियम को जी.ए.डी. एप्रूव्हल करता है। तो इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है?

सभापति महोदय :- उन्होंने बता तो दिया है। अपने-अपने विभाग का नेचर है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, आप जो कह रहे हैं। मैंने यह प्रश्न पूछा है कि जी.ए.डी. ने जो पी.डब्ल्यू.डी. के नियम approval किये और उसके बाद में आपके यहां की भर्ती में आपके विभाग को लोगों ने आपको आधी-अधूरी जानकारी दी। आप कहें तो मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग प्रमुख अभियंता द्वारा 2008/2024 को जारी उप अभियंता सिविल वर्क क्रमांक 1 की स्थिति में जारी अंतिम सूची में प्रति भी है। जिसमें सरल क्रमांक 76 से लेकर 95 और सरल क्रमांक 99 से लेकर 101 तथा 104 में उल्लेखित अभियार्थियों को प्रथम नियुक्ति तिथि क्रमांक 2017 । अगर दिसम्बर 2017, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उस समय यह भर्ती हुई है।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मेरा अब यही कहना है कि अगर वह व्यक्ति है और यह भर्ती की प्रक्रिया है दूसरा आपने सर्वोच्च न्यायालय का कहा है तो न्यायालय का निर्णय तो स्पष्ट है। आप कहें तो वह न्यायालय का निर्णय भी पढ़ देता हूँ।

सभापति महोदय :- आप वह मत पढ़िये। आप प्रश्न पूछिये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, जब न्यायालय का निर्णय स्पष्ट है। कोई बच्चा पढ़ाई किया और वह डिप्लोमाधारी है, अगर वह डिप्लोमाधारी के साथ में बी.ई. किया है, कोई एम.टेक किया है तो क्या वह व्यक्ति परीक्षा का हकदार बनता है या नहीं बनता है ?

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप बताईये।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, इन्होंने जिस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का Reference दिया है, मैं ही उससे जो Relevant पैराग्राफ है,, उसे आपके सामने पढ़ देता हूँ। मैं उस जजमेंट का पैराग्राफ 3 पढ़ रहा हूँ। 3. The Himachal Pradesh Staff Selection commission ("HPSSC" hereafter), acting on the requisition sent by the Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd., ("HPSEB" hereafter) advertised 222 posts, of Junior Engineer (Electrical- hereafter referred to as "JE") on 27.06.2018. Degree-holders in the concerned discipline applied for the post; after qualifying the written examination, they were called for verification of documents but the final result was not declared. They approached the High Court in writ proceedings, claiming that since they possessed educational qualifications that were higher than the prescribed minimum (and advertised) qualifications, they could not be denied consideration. The diploma holders opposed this claim, and argued that that the qualifications possessed by degree holders was neither higher nor can be considered in teeth of the recruitment rules as also on the basis of advertisement issued by the Himachal Preadesh Staff Selection Commission. The HPSEB adopted a neutral position; however, it highlighted that per the applicable regulations, the minimum essential qualification provided for recruitment to the post of Junior Engineer (Elect.) was "matriculation with Diploma in Eletctrical/Electronics/Electronics and Communication/computer Science from the recognized Institution/Board/University duly recognized by the Central or State Government."

यह विज्ञापन था। जो डिग्री होल्डर हैं, वह पूरी प्रक्रिया में भाग लिये। क्यों भाग लिये? तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने दिनांक 03.06.2020 को एक नोटिफिकेशन करके इसे equivalent माना, डिग्री होल्डर्स को परमिट किया और परमिट करके उन्हें सारी प्रक्रिया में भाग लेने दिया। जब उनका रिजल्ट नहीं निकला, उन्हें सलेक्शन नहीं किया गया, तब वह हाईकोर्ट गये। हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन डिसमिश की। वह सुप्रीम कोर्ट गये और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जब आपने उनको

03.06.2020 को मान्यता दे दिया तो you are bound to follow that and you are bound to select them. पर हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ है। जो 1977 से सब-इंजीनियर के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है, वही आज भी है। उसी के अनुरूप हमने ये विज्ञापन निकाला है।

सभापति महोदय :- एक आखिरी प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं आ रहा है। अगर आप कहें तो मैं बैठ सकता हूं। कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इस प्रदेश के हजारों छात्रों के भविष्य का विषय है।

सभापति महोदय :- मैं आपको बैठने के लिए तो बोल नहीं रहा हूं। आपको प्रश्न पूछने के लिए बोल रहा हूं।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, जो प्रश्न मैंने पहले पूछा कि जी.ए.डी. सरकार का विभाग है, दो नियम कैसे लागू हो सकते हैं? उसका उत्तर अभी तक मेरे पास नहीं आया है। अगर पी.डब्ल्यू.डी. की भर्ती होती है तो डिप्लोमा इंजीनियर के लिए बी.ई. बी.टेक. सब पी.डब्ल्यू.डी. में होता है, सिविल वर्क होता है, उसके अंदर होता है। आप पी.एच.ई के अंदर भर्ती कर रहे हैं, पी.एच.ई. में वर्ष 2016 के अंदर आपने जो नियम बनाये, उस नियम को जी.ए.डी. ने approval दी है, उसका अंदर स्पष्ट रूप से प्रावधान है। उसके बाद में अगर कोई पढ़ा-लिखा नौजवान डिप्लोमाधारी के साथ में बी.ई., बी.टेक है, अगर टेक्नीकल रूप से है, उसका हक है। कई संशोधन हुए हैं, अभी 03 दिन पहले इस सदन के अंदर एक संशोधन हुआ है। संशोधन करना अपने ऊपर है।

सभापति महोदय :- आप सीधे प्रश्न पूछ लीजिए। फिर तीसरा, चौथा जो भी प्रश्न है, आप पूछ लेना।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मेरा सीधा प्रश्न है क्या जी.ए.डी. दो नियम approval करती है ? दूसरा आपने उच्च न्यायालय का उदाहरण दिया है तो एक मैं भी थोड़ा सा पढ़ देता हूं। मैं वकील नहीं हूं। मैं उसमें धारा के ऊपर डिबेट भी नहीं करूंगा। क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी हैं, उसमें राज्य सरकार की दलील लिखा है। पिट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश एडिश्नल एडवोकेट जनरल अभिनव मुखर्जी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि बोर्ड को जूनियर इंजीनियर पद के लिए न केवल डिप्लोमा को बल्कि डिग्रीधारी को भी नियुक्ति पाने का अधिकार है। आप कहें तो मैं इसको पटल पर रख देता हूं।

सभापति महोदय :- मत रखिये, वह बोल रहे हैं।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य के एक-एक प्रश्नों का उत्तर दिया है। हर विभाग अपने-अपने विभाग के काम की पद्धति, काम के नेचर सारी बातों को विचार करके एक-एक पदों की क्या शैक्षणिक अर्हता आवश्यक है, यह निर्धारित करते हैं। मैंने

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का बताया कि वर्ष 1977 से वही नियम है। सब इंजीनियर की भर्ती के लिए केवल 06 साल का अनुभव जो निर्धारित था, वह अनुभव को बाद में हटाया गया है, बाकी 1977 से वही चला आ रहा है। यदि किसी विभाग ने अपने भर्ती नियम के विपरीत जाकर कोई भर्ती की होगी तो वह मेरे संज्ञान में नहीं है। जैसा मैंने बताया जहां तक हजारों विद्यार्थियों का विषय है। मैंने आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक कहा है कि हमारे राज्य में 30 से अधिक पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, 8 हजार से अधिक बच्चे प्रतिवर्ष निकलते हैं। ये डिप्लोमा होल्डर के साथ-साथ हमारी सरकार ने अन्य पदों की भी भर्ती की प्रक्रिया चालू की है, जो डिग्री होल्डर हैं उनके लिये असिस्टेंट इंजीनियर के भी पद होते हैं लेकिन जहां तक इस विज्ञापन की बात है तो विज्ञापन पूरी तरह से नियम अनुरूप है और यह विष्णुदेव साय जी की सरकार है जो लगातार भर्तियां निकाल रही है और यह भर्ती का जो विज्ञापन निकला है यह पूरी तरह से भर्ती नियम के अनुरूप है ।

सभापति महोदय :- डॉ. चरणदास महंत ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक आखिरी प्रश्न है । माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने नियम अनुरूप कहा है चूंकि विष्णुदेव साय जी की सरकार है, हम भी उसी में हैं । नियम है तो नियम में शिथिलता । मैंने शुरू दिन एक बात कही, शुरूआत में कि दो विभागों की अलग-अलग प्रक्रिया है और जीएडी के नियम, उस नियम में आपने अर्हता डाल दी कि डिप्लोमाधारी, उसके आगे को आपके विभाग ने एक्सेप्ट नहीं किया । आपने कह दिया कि इस प्रदेश में डिप्लोमा के इतने कॉलेज हैं, इतने विद्यार्थी निकलते हैं । मैंने इतना ही कहा कि अगर डिप्लोमाधारी के ऊपर, मैं आपके यहां की एक भर्ती प्रक्रिया को और बता देता हूं कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी इस प्रकार से माननीय उपमुख्यमंत्री जी आपके पास कह रहे हैं । जो जानकारी है, आदेश क्रमांक-165 स्थापना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 2017, नया रायपुर । दिनांक 18.07.2017 जिसमें 34 डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को उप अभियंता पद पर नियुक्ति दी गयी है । आप चाहें तो मैं इसके आदेश की प्रति पटल पर रख देता हूं । यह आपके ही विभाग ने किया है, यह मैंने नहीं किया है । आपके ही विभाग ने वर्ष 2017 में किया ।

सभापति महोदय :- मूणत जी, वही प्रश्न पूछ लीजिये न ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैं वही प्रश्न तो पूछ रहा हूं कि आप यह स्पष्ट कर दें कि जब उस समय हो सकता है तो आज क्यों नहीं हो सकता ?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने जैसा कहा कि आज जो हमने विज्ञापन निकाला है, भर्ती की प्रक्रिया की है उस दौरान क्या परिस्थिति थी, क्या था ? जैसे हिमाचल प्रदेश ने कुछ नोटिफिकेशन निकाला है, कुछ उस तरह से हुआ था, क्या हुआ था ? मैं उन परिस्थितियों से

वाकिफ नहीं हूं परंतु आज जो विज्ञापन और भर्ती की प्रक्रिया चल रही है वह पूरी तरह से नियमानुकूल है ।

सभापति महोदय :- डॉ. चरणदास महंत जी ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- आदरणीय साव साहब बड़े...।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय, आप तो आज स्वास्थ्य लाभ लीजिये । आज नियद नेल्लानार के बच्चे लोग भी आये हुए हैं । सैकड़ों बच्चे आये हैं, आप टेंशन मत लीजिये, यह लोग कर लेंगे ।

डॉ. चरणदास महंत :- बिल्कुल टेंशन नहीं, केवल एक प्रश्न । आदरणीय साव साहब बड़े वरिष्ठतम् अधिवक्ता हैं, उनका बिलासपुर में बड़ा नाम है, सभी जगह प्रदेश में नाम है । आज वे सौभाग्य से उपमुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आदरणीय मूणत जी के साथ बहुत अच्छी बहस की है, दोनों ने बहुत अच्छी बहस की है । मैं दोनों को बधाई देता हूं । माननीय उपमुख्यमंत्री जी, मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा, मैं केवल एक जानकारी चाहता हूं कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है । मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में जो निर्देश या जो अनुपालन करने योग्य आपको आदेश हैं उसका आप पालन करेंगे कि नहीं करेंगे ? आप केवल इतना ही जवाब दे दीजिये कि करेंगे कि नहीं करेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस पुनीत शर्मा एण्ड अदर्स का रेफरेंस दिया है, उसको डिस्टिंगविस भी मैंने किया है कि उसमें विभाग ने परमिट किया था, वर्ष 2018 का एडवरटिजमेंट था, दिनांक 27.06.2018 का...।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, आप इतना विस्तृत मत जाईये न । मैं आपको केवल यह कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे ? बस । मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना है, आपसे जो पूछना है, मूणत जी ने आपसे समझ लिया है ।

सभापति महोदय :- आप बता दीजिये ।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से अपने वक्तव्य में कहा है कि यह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला और हमारा यह विज्ञापन दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग-अलग हैं । दोनों के फेक्ट्स अलग-अलग हैं ।

सभापति महोदय :- श्री द्वारिकाधीश यादव ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि करेंगे या नहीं करेंगे ? उसका जवाब नहीं आया है । सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे, आप मुझे इस लाईन का जवाब दे दें ।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महादेय, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सबके लिए बंधनकारी

होता है, जहां तक इस प्रकरण का विषय है, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय का यह जजमेंट लागू नहीं होता और इसलिए उसका वक्तव्य में ही स्पष्ट रूप से हमने उल्लेख किया है।

डॉ. चरणदास महंत :- देखिए, आप अपने अधिकारियों के लिए सब कुछ समर्पित मत करिए। मैं तो इसी बात पर अड़ा हुआ हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, पूरे देश के लिए बंधनकारी है, आप उस आदेश का पालन करेंगे या नहीं करेंगे? साहब, सिर्फ एक शब्द का है। करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे एक शब्द का जवाब चाहिए।

श्री अरूण साव :- मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि यह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। किन परिस्थितियों में किन तथ्यों पर ये फैसला आया? मैंने बताया कि दिनांक 27/06/2018 को विज्ञापन निकलता है। विज्ञापन के दौरान संबंधित विभाग हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक नोटिफिकेशन निकालता है और डिग्री होल्डर को मान्यता देता है, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन के समय डिग्री होल्डर को सिलेक्ट नहीं करता है, तब सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि आपने परमिट किया है, आपने इनको मान्यता दी है, इसलिए इनके क्लेम पर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। हमारे यहां हमने जो शैक्षणिक योग्यता निकाली है, हमारी भर्ती उसी विज्ञापन के अनुरूप हो रही है।

डॉ. चरणदास महंत :- चलिए, उस विज्ञापन को छोड़िये, उस विज्ञापन पर मैं नहीं जा रहा हूं, क्या किया क्या नहीं किया।

सभापति महोदय :- इनका ध्यानाकर्षण है, आप क्यों उठ रहे हैं?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मेरा ध्यानाकर्षण इसी में ही है।

सभापति महोदय :- नहीं, अभी तो इनका नाम है न। पहले इनको पूछ तो लेने दीजिए।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, मैं सिर्फ अभी भी इसी बात पर अड़ा हूं, मेरा एक ही प्रश्न है। चलिए, जो विज्ञापन हुआ, नहीं हुआ, विज्ञापन कैंसिल करेंगे, नहीं करेंगे, मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, पूरे देश के लिए बंधनकारी है तो आज नहीं तो आने वाले समय में आप इस आदेश का पालन करेंगे या नहीं, इसे मैं पटल पर रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैं तो कुछ नहीं पूछ रहा हूं, करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री केदार कश्यप :- आप तो चलिए, फोटो खिंचवाइए। वहां पर नियद नेल्लानार के बच्चे लोग आए हुए हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- कहां से?

श्री केदार कश्यप :- कोंटा से आये हुए हैं। सैकड़ों बच्चे आये हुए हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- चलिए।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, बैठिए। आप रख सकते हैं, रखना चाहते हैं तो।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं इसको रख देता हूं। पुन: यही चाहता हूं कि करेंगे या नहीं करेंगे में आप जवाब दे दें, यह मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय :- चलिए, रखना चाहते हैं, रख दीजिए।

सभापति महोदय :- कोई एक खड़े होइए न।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मेरा ध्यानाकर्षण है।

सभापति महोदय :- हां, तो आप पूछ लीजिए।

डॉ. चरणदास महंत :- मेरा तो उत्तर आया ही नहीं है। करेंगे या नहीं करेंगे?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, बता दीजिए। करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला लागू नहीं होता है।

डॉ. चरणदास महंत :- आप इस पर कोई जवाब नहीं देंगे कि करेंगे या नहीं करेंगे।

सभापति महोदय :- निषाद जी, जल्दी से एक क्वेश्चन करेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी, माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- बिल्कुल लंबा नहीं, सीधा प्रश्न पूछेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं भूमिका बनाउंगा तभी तो पूछूंगा..।

सभापति महोदय :- आप भूमिका मत बनाइए। यहां इतनी भूमिका बन चुकी है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है और उसने कहा है कि जे.ई. पद के लिए बी.टेक की डिग्री का होना कोई रुकावट नहीं है। उसके बाद मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या बी.ई., बी.टेक की डिग्रीधारी क्या राज्य सरकार द्वारा वांछित योग्यता की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते? बस इतना बता दें।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा कि विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है, जिनके पास वह निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उपलब्ध है, वह पात्र है।

सभापति महोदय :- चलिए, हो गया। श्री द्वारिकाधीश यादव।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से पूछा है कि बी.ई., बी.टेक डिग्रीधारी क्या राज्य सरकार द्वारा वांछित योग्यता की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं।

सभापति महोदय:- एक ध्यानाकर्षण में कम से कम 12 क्वेश्चन हो गया।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- उतना ही बता दें। आते हैं या नहीं आते, बस इतना बता दें।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय..।

सभापति महोदय :- पूछिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, ए.ई. का पोस्ट है। ए.ई. के पोस्ट में जो भर्ती होते हैं, उसमें कितना प्रतिशत प्रमोशन का है और कितना प्रतिशत सीधी भर्ती का है? वह बता दीजिए। अगर जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूं कि 75 प्रतिशत प्रमोशन से है और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती से है। ये जे.ई. से ही भर्ती होकर जाएंगे । अब ए.ई. बनने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री अनिवार्य है । पिछले 8 सालों से भर्ती हुई नहीं है अगर आगे भी इसी ट्रैक रिकॉर्ड पर चलेंगे तो आगे भी भर्ती नहीं होगी और इस बीच में यदि बिना इंजीनियरिंग वालों की भर्ती हो जाती है तो प्रमोशन के सारे पद 15-20 सालों के लिए खाली रहेंगे । आपका ए.ई. का पोस्ट 15-20 सालों तक खाली रहेगा । क्या इस पर आप चिंतन करेंगे ?

सभापति महोदय :- ठीक है, आपने अपनी बात कह दी ।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, मैंने लगातार कहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद, आपने भर्ती की होती तो ऐसी परिस्थिति नहीं होती, आपने पांच सालों में भर्ती नहीं की । हम लगातार भर्तियां कर रहे हैं और तब भी आपको दर्द हो रहा है तो उसको मैं क्या कहूंगा । हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के नवजवानों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

सभापति महोदय :- हो गया पटेल साहब, आपकी बात का जवाब उन्होंने दे दिया ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यह उनके साथ किया जा रहा सौतेला व्यवहार है । ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए ।

सभापति महोदय :- श्री द्वारिकाधीश यादव ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए और नये सिरे से भर्ती होनी चाहिए । यह हजारों युवाओं के साथ छलावा हो रहा है ।

सभापति महोदय :- बहुत लम्बी चर्चा हो गई और कितना पूछेंगे भाई ?

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, ए.ई. के सारे पद खाली रह जाएंगे क्योंकि वहां आपने इंजीनियरिंग अनिवार्य कर दी है और यहां बिना इंजीनियरिंग वालों को ले लिया । प्रमोशन से 75 परसेंट लोगों को तो जाना ही है क्योंकि सीधी भर्ती तो आप 25 परसेंट ही करोगे । या तो उस नियम को बदल दीजिए ।

सभापति महोदय :- आप सीधे सीधे प्रश्न पूछिये ना ।

श्री उमेश पटेल :- मेरा प्रश्न यही है ।

सभापति महोदय :- क्या है ?

श्री उमेश पटेल :- जो आज भर्ती होकर जाएंगे, जो प्रमोशन होंगे उसके लिए इंजीनियरिंग अनिवार्य है । यहां आप इंजीनियरिंग को ब्लॉक कर रहे हो और जब वे 75 परसेंट पोस्ट प्रमोशन से भरे जाएंगे तो आने वाले समय में ए.ई. के सारे पद खाली रह जाएंगे, आपका विभाग में काम नहीं होगा । इसमें आप संशोधन करिये या तो प्रमोशन और सीधी भर्ती के पोस्ट को कम करिये, गैप को कम करिये

अन्यथा आने वाले समय में आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा । कृपया इस पर ध्यान दीजिए । हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उसके लिए चाहे मूणत जी हों या नेता जी हों, इन्होंने जो कहा है वह सिस्टम बिगड़ जाएगा इसलिए कह रहे हैं। इस पर चिंतन करिये, मंत्री जी आप यह बताइए कि अगर ऐसे ही भर्ती करेंगे तो आप ए.ई. के पोस्ट कैसे भरेंगे ?

सभापति महोदय :- एक बार में पूरी बात का जवाब दे दीजिए ।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, सारी भर्तियों के नियम होते हैं । भर्ती नियम आज नहीं बने हैं, वर्षों से चले आ रहे हैं, उसी प्रक्रिया, उसी परम्परा से काम हो रहा है । यदि आपने अपने पांच साल के कार्यकाल में भर्तियां कर ली होती तो आज वे प्रमोशन के लिए इलीजिबल हो गए होते । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, यह कोर्ट का डिसीजन है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप अपने कार्यकाल का बताइए ना । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप मंत्री जी को जवाब नहीं देने दे रहे हैं, आप प्रश्न भी पूछते हैं और जवाब भी नहीं लेना चाहते हैं। बैठिये, जवाब तो लीजिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- किसी भी सदस्य के प्रश्न का जवाब नहीं आया है ।

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी केवल आरोप लगा रहे हैं । हमने तो आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया । सिस्टम में जो खामी आने वाली है, हमने उससे अवगत कराया । ये तो केवल आरोप लगाते हैं ।

सभापति महोदय :- आपने प्रश्न पूछा, वे जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए ।

श्री उमेश पटेल :- यही उत्तर रहेगा क्या ? 24 घंटे यही सुनते हैं कि आपने पांच साल क्या किया ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- पांच साल आपने नहीं किया, पांच साल आपने नहीं किया । ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बड़े हैं क्या ?

सभापति महोदय :- निषाद जी, आप बैठेंगे । नेता जी भी सप्रीम कोर्ट के फैसले को पटल पर रख चुके हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मत बताइए ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय मंत्री जी पूरी तरह से बता रहे हैं, स्पष्ट बता रहे हैं, आप सुन लीजिए ।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, यदि माननीय सदस्य कहते हैं कि मैं सिस्टम की खामियां बता रहा हूं । आज छत्तीसगढ़ के नवजवानों के हित में बात कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है । यही चिंता सरकार में रहते हुए कर लेते, सब इंजीनियर की भर्ती कर देते तो आज वे सब इंजीनियर आगे बढ़ते, ए.ई. के पद के लिए इलीजिबल होते । आपने तो ब्लॉक कर दिया । हम भर्ती कर रहे हैं ए.ई. की भर्ती करेंगे और छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे ।

श्री उमेश पटेल :- 75 प्रतिशत पद प्रमोशन के हैं, जिनमें इंजीनियरिंग अनिवार्य है, इन पदों पर प्रमोशन कैसे करेंगे, यह बता दीजिए ? अध्यक्ष महोदय, एक भी उत्तर नहीं आया है । न नेता जी का उत्तर आया, न मूणत जी का उत्तर आया, न इनका उत्तर आया ।

सभापति महोदय :- देखिए, उत्तर तो मंत्री जी को देना है, प्रश्न आपको पूछना है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, हम लोग असंतुष्ट होकर बहिर्गमन कर रहे हैं।

समय :
12.35 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(श्री उमेश पटेल के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (दल) के सदस्यों दवारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश यादव।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सदन में नेता कौन हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष के रहते हुए कोई भी बोलकर निकल जाएंगे।

श्री राजेश मूणत :- खाली नेतागिरी धमकाने के लिए...।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश यादव।

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) महासमुंद जिले में कीटनाशक दवाईयों को कृषि सेवा केन्द्रों में अवैध रूप से बिक्री की जाना।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि कीटनाशक दवा विक्रय में कृषि सेवा केन्द्रों में अनियमितता के कारण कृषकों को हानि हो रही है। अमानक दवा, बीज, जैविक खाद आदि मनमाने दर पर बिना शासन के अनुमति के बिक्री पर कार्यवाही भी नहीं की जा रही है। जिले के कीटनाशक दुकानों में शासन द्वारा बिना प्रिंसीपल सर्टिफिकेट प्राप्त किये अधिकांश दुकानों में AMWAY (एमवे) कम्पनी की दवायें खुलेआम बेची जा रही है। कृषि सेवा केन्द्रों को उक्त कम्पनी की कीटनाशक दवाएं बेचने की अनुमति (प्रिंसीपल सर्टिफिकेट) की आवश्यकता होती है, ताकि कृषकों का अहित न हो तथा अमानक होने पर उचित मुआवजा कम्पनी से किसानों को प्राप्त हो सके। महासमुंद जिले के अलावा प्रदेश के अनेक स्थानों पर

बिना सर्टिफिकेट इस AMWAY कम्पनी की दवा बेचे जाने की जानकारी/शिकायत प्राप्त हुई है तथा महासमुंद जिले में लगभग सभी कृषि सेवा दुकानों में बेची जा रही है जिससे जिले व प्रदेश के किसानों में इस अनियमितता/मनमानी से रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय सभापति महोदय, शासन कृषि आदानों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु पर्याप्त सजग है तथा विभागीय आदान निरीक्षकों द्वारा सभी कृषि आदानों के नमूने लिए जाकर अधिसूचित प्रयोगशालाओं को प्रेषित किये जाते हैं तथा परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी रसायनों के यादृच्छिक (रेण्डम) आधार पर लिए गये नमूनों में से उर्वरकों के 144, बीज के 273 एवं कीटनाशी के 90 नमूने अमानक पाये गये। उक्त समस्त अमानक नमूनों के परिणाम प्राप्त होते ही ऐसे समस्त स्कंध के विक्रय पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया। इस स्थिति में यह कहना आधारहीन है कि अमानक दवा एवं बीज, जैविक खाद आदि मनमाने दर पर बिना शासन के अनुमति के बिक्री पर कार्यवाही भी नहीं की जा रही है।

कृषि आदान विक्रेताओं को जारी किये जाने वाले "कीटनाशक विक्रय अनुज्ञा (लाईसेंस)" के अंतर्गत विभिन्न कीटनाशी निर्माताओं से संबधित "प्रिंसिपल सर्टिफिकेट" का इंद्राज किया जाना अनिवार्य होता है। यही प्रक्रिया उर्वरक एवं बीज से संबंधित अनुज्ञप्तिधारी विक्रय केन्द्रों के लिये भी लागू होती है। इसके परीक्षण के लिये विभागीय निरीक्षकों द्वारा आदान विक्रय केन्द्रों के निरीक्षण में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विक्रेता केवल अनुमति प्राप्त उत्पादों का भण्डारण एवं विक्रय कर रहा है। महासमुन्द जिले में 01 जनवरी, 2024 से 15 फरवरी, 2025 की अवधि में किये गये निरीक्षणों में से 56 विक्रय केन्द्रों में कमियां पाई गई, जिस हेतु संबंधितों को नोटिस जारी किया गया तथा आंशिक रुप से पाई गई कमियों में सुधार हेतु सचेत किया गया।

ध्यानाकर्षण सूचना में उल्लेखित "एमवे कंपनी" के संबंध में परीक्षण करने पर पाया गया कि इस कंपनी को राज्य में किसी भी प्रकार के कीटनाशी विकय हेतु अनुमति जारी नहीं की गई है। महासमुन्द जिले में इस कंपनी के कुछ उत्पादों जैसे ए.पी.एस.ए.-80 एवं परसु (Pursue) आदि को कृषि आदान विक्रय केन्द्रों में विक्रय हेतु प्रदर्शित करना पाया गया। ये दोनों उत्पाद "कीटनाशी अधिनियम, 1968" तथा "उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985" की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, अर्थात् ये पौध संरक्षण दवा अथवा उर्वरक/जैविक खाद/जैव उर्वरक की श्रेणी में भी सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में ध्यानाकर्षण सूचना में उल्लेखित आक्षेप तथ्यहीन एवं भ्रामक है। विभाग द्वारा कृषि आदानों के गुण नियंत्रण हेतु पर्याप्त प्रयास किये जा रहे हैं। शासन द्वारा किये जा

रहे इन प्रयासों के फलस्वरूप राज्य के किसान भाइयों का विश्वास इस सरकार की कार्य प्रणाली के प्रति और अधिक सुदृढ़ हुआ है।

अत: यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश के किसानों में कीटनाशी कृषि सेवा केन्द्र से बेचे जाने वाली अनियमितता/मनमानी से आक्रोश एवं रोष व्याप्त है।

सभापति महोदय :- यादव जी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि एमवे कंपनी के ए.पी.एस.ए.-80 को बेचने के लिए सक्षम अधिकारी से क्या उस कंपनी ने अनुमति प्राप्त की है ?

सभापति महोदय :- आपने पूछ लिया न ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही इस बात को स्पष्ट किया है कि जो एमवे कंपनी के प्रोडक्ट हैं, वह हमारे कीटनाशी अधिनियम या उर्वरक आदेश अधिनियम के तहत अनुसूची में जो प्रावधान हैं, उसमें वह लिस्टेड नहीं हैं। यदि कहीं पर कृषि केन्द्रों में इस तरीके से किया गया है तो वहां पर स्थानीय स्तर पर, क्योंकि हमारे इन केन्द्रों में कई जगहों पर कहीं सीमेन्ट भी रखते हैं, कहीं छड़ भी रखते हैं, कहीं और भी अन्य पदार्थ रखते हैं तो जो अधिसूचित हैं, उनको ही रेण्डम चेक करने का हमारे पास प्रावधान है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि क्या इस कंपनी ने सक्षम अधिकारी से अनुमति ली है ? यदि अनुमति नहीं ली है तो यह भी सही है कि पूरे प्रदेश में यह दवाई बिक रही है। क्या इसकी आप जांच करवाएंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे ? मैं आपके संज्ञान में इस बात को भी लाना चाह रहा हूं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट को कृषि विभाग के बड़े-बड़े अधिकारियों पर दबाव डालकर कृषि केन्द्र के विक्रेताओं को नियम विरूद्ध बेचवा रहे हैं। आप मुझे यह स्पष्ट बताइये कि क्या इसको अनुमति प्राप्त है ? यदि अनुमति प्राप्त नहीं है तो आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, बताइये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, इस एक्ट के तहत इसमें ये प्रोडक्ट लिस्टेड नहीं हैं। इसको किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई है। इसके लिए विभाग के माध्यम से किसी को बाध्य भी नहीं किया जा रहा है कि इस एमवे कंपनी के प्रोडक्ट को लिया जाये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, इनको अनुमति प्राप्त नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि क्या आप पूरे प्रदेश में इसकी जांच करवाएंगे ? अधिकांश दुकानों व कृषि केन्द्रों में।

सभापति महोदय :- ठीक है। आपने प्रश्न पूछ लिया है कि क्या आप पूरे प्रदेश में इसकी जांच कराएंगे ? मंत्री जी, यह पूछ रहे हैं कि क्या आप पूरे प्रदेश में इसकी जांच कराएंगे ? आप बता दीजिये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि एमवे कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हमारे एक्ट में लिस्टेड नहीं है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न गंभीर है और आप उसको हल्के में ले रहे हैं। पूरे प्रदेश के किसानों को इस अमानक दवाई की व्यापक आवश्यकता बताकर लूटा जा रहा है। आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि इसको बेचने की कानूनन व्यवस्था नहीं है। मेरा यह कहना है कि अभी भी यह दवाई दुकानों में मिलेगी तो आप इसकी जांच कराने के लिए सहमत क्यों नहीं हो रहे हैं ?

सभापति महोदय :- आप बैठिये। आप बैठ जाया करिये, तब तो वह बोलेंगे। आप खड़े हैं, इसलिए वह नहीं उठ रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, पहली बात यह है कि माननीय सदस्य जो दवाई बता रहे हैं, वह हमारे एक्ट में लिस्टेड नहीं है और वहां पर विक्रय केन्द्र में वह बहुत सारे विषयों को लेकर चलते हैं। वह केवल हमारे खाद-बीज को लेकर नहीं चलते हैं। इसलिए वह कौन-कौन से प्रोडक्ट रखे हैं, क्या रखे हैं, यदि वह हमारे एक्ट में लिस्टेड नहीं हैं तो उस पर हम कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की सरकार डबल इंजन की सरकार है।

सभापति महोदय :- यह सब प्रश्न नहीं है। आप सीधे एक बार और प्रश्न पूछ लीजिए। आप आखिरी प्रश्न पूछ लीजिए। यह आपका पांचवां-छठवां प्रश्न होगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूं। यदि किसी भी कंपनी की गलत दवाई मार्केट में किसानों को बेची जा रही है तो कृषि विभाग के अधिनियम में प्रावधान है कि आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं और यदि ऐसा प्रावधान नहीं है, तब तो छत्तीसगढ़ में कोई भी कोई दवाई बेच देगा। किसानों को लूटा जा रहा है। मेरा आरोप सही है कि किसानों में इस बात का आक्रोश है और आप इसका नियम विरूद्ध खण्डन कर रहे हैं कि किसानों में आक्रोश नहीं है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, बताइये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही इस बात को स्पष्ट किया कि आप AMWAY के सन्दर्भ में पूछ रहे हैं। जो उत्पाद है, वह कीटनाशी अधिनियम एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, मैंने इस बात को स्पष्ट किया। यह पौध सरंक्षण अथवा उर्वरक, जैविक खाद या जैव उर्वरक की श्रेणी में समिमलित नहीं है। अत: इस दृष्टि से यह लिस्टेड नहीं है। इस पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है।

सभापति महोदय :- अब आप बैठिये।

श्री दिलीप लहरिया :- मान लीजिये डुप्लीकेट दवा आ रहा हो तो ? ठीक है दवाई आ रहा है।

सभापति महोदय :- सब कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, कार्रवाई नहीं कर सकते तो आप मुझे उस अधिनियम को बता दीजिये ?

सभापति महोदय :- क्या नियम ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी की ओर से उत्तर आ रहा है। आपके बोलने का आशय यह है कि हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। तो सरकार की ऐसी कौन सी व्यवस्था है, कौन से अधिनियम में व्यवस्था है कि सरकार के बगैर अनुमति के दवाई-खाद बेच लें ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा है तो वह कीटनाशी नहीं है, यह पहली बात है। दूसरी बात, हमारे जो एक्ट में है, उसमें वह कवर्ड भी नहीं है। मैंने अपने उत्तर में भी इस बात को स्पष्ट किया कि यह कोई ..।

सभापति महोदय :- चलिये, सब स्प्ष्ट हो गया।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, दवाई बिना अनुमित के बिक रहा है।

सभापति महोदय :- माननीय यादव जी, मंत्री जी 3-4 बार क्लीयरकट बता चुके हैं कि वह कीटनाशक की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए हम जांच नहीं करा सकते।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- कहां जवाब दे रहे हैं ? बिना शासन की अनुमति के बेच सकते हैं क्या ? आपने स्वीकार किया है कि शासन द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई है।

सभापति महोदय :- हो गया, अब आप बैठिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- बिना शासन की अनुमति के जो बेचेगा, आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं ? आप दो लाईन में बताईये कि आप कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे ? आपने एक और जवाब में कहा है कि कार्रवाई नहीं कर सकते। तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन से अधिनियम में है, जिसके तहत आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं ?

सभापति महोदय :- वह बोल तो दिए हैं, कितनी बार पूछेंगे ?

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य यह पूछना चाह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर में दिया है कि वह कीटनाशक नहीं है, इसलिए हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। माननीय सदस्य का प्रश्न पूछने का आशय यह है कि आपको ऐसा कौन सा अधिनियम रोक रहा है या कौन सा नियम रोक रहा है, जिसके कारण आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं ? क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार ने बेचने की अनुमति नहीं दी है। इसका मतलब यह है कि वह दवाई अवैध रूप से बेच रहा है। तो ऐसा कौन सी चीज कार्रवाई करने से रोक रहा है, यह जानना चाहते हैं ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही बताया है कि हमारा जो एक्ट है, उस एक्ट में यह उत्पाद कवर्ड नहीं है। आपने कीटनाशक के रूप में कहा है जबकि यह कीटनाशी की श्रेणी में नहीं है और न जैविक खाद के रूप में है।

सभापति महोदय :- चलिये हो गया।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, एक आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूं।

सभापति महोदय :- उमेश जी हो गया, बहुत प्रश्न हो गया।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है प्रश्न नहीं है। माननीय मंत्री जी, आपने मान लिया कि यह कीटनाशक की श्रेणी में नहीं है, इसलिए हमारे अधिनियम में कवर्ड नहीं होता है, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले समय में उस अधिनियम में इस लाईन को जुड़वायेंगे कि कोई भी अवैध रूप से किसी भी प्रकार की दवाई बगैर सरकार की अनुमति के बेच नहीं सकता, यह आप अधिनियम में अपडेट करायेंगे ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि यह कीटनाशी दवा है ही नहीं, तो फिर ..।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, किसी भी तरह की दवाई जो किसानों के लिए एक खतरा बन सकता है, आप उसको बंद करवायेंगे ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, पहली बात यह है कि इसके सन्दर्भ में न तो ब्लाक स्तर पर, न जिला स्तर पर, किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।

सभापति महोदय :- ऐसा नहीं होता है। बैठिये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, सवाल सिर्फ इतना ही है कि एक आदमी अवैध रूप से दवाई बेच रहा है।

सभापति महोदय :- हो गया, मंत्री जी सुन लिये हैं। उन्होंने अपना जवाब दे दिया है।

श्री उमेश पटेल :- उसको मानीय मंत्री जी ने मान लिया है तो अधिनियम में चेंज करने का आपकी ओर से आदेश चला जाये।

सभापति महोदय :- आपने कहा दिया और मंत्री जी ने सुन लिया। चलिये हो गया, बैठिये, ऐसा नहीं होता।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप जांच करा लीजिये।

श्री संदीप साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं खुद किसानों के साथ जाकर शिकायत किया हूं, किसानों के 40 एकड़ खेत जल गये हैं। मैंने खुद किसानों के साथ जाकर शिकायत किया है कि किसानों के 40 एकड़ खेत जल गये हैं। किसान परेशान हैं, उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा ? मेरा

माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कम से कम जिनके द्वारा अवैध रूप से दवाई बेचा जा रहा है, उस पर कानून में कार्रवाई करने का तो होगा ?

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में जो डुप्लीकेट दवाई बिक रहा है।(व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जांच कराने के लिए तैयार नहीं हैं। इस तरह का जवाब आना उचित नहीं है। इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

समय
12.50 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा मंत्री जी के जवाब के विरोध में।

(श्री द्वारिकाधीश यादव के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

समय :
12:50 बजे

नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्रीमती चातुरी नंद
2. श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा
3. श्रीमती रायमुनी भगत
4. श्री बालेश्वर साहू
5. श्री अटल श्रीवास्तव

समय :
12:50 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री अमर अग्रवाल, सदस्य :- सभापति महोदय, मैं याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(2) शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन

श्री भईया लाल राजवाड़े, सभापति :- सभापति महोदय, मैं शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम्, सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय :- अब उप मुख्यमंत्री (गृह) के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा प्रारंभ होगी। श्री विक्रम मण्डावी, सदस्य चर्चा प्रारंभ करेंगे।

समय :

12:51 बजे

वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(1) मांग संख्या 3 पुलिस
मांग संख्या 4 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या 5 जेल
मांग संख्या 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या 46 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
मांग संख्या 47 तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी के विभागों के अनुदान मांग संख्या 3, 4 ..।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय मण्डावी जी, आप गृह विभाग में बोल रहे हैं तो आप नक्सलाईटों के विषय में बोलियेगा। हम लोग नक्सलाईट मुक्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं।

श्री विक्रम मण्डावी :- आप इंतजार करिये, हम आगे बोल रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- कहीं ऐसा न हो कि आप फिर से पुलिस के ऊपर आरोप लगाना चालू कर दें।

श्री विक्रम मण्डावी :- आप सुनते रहिये, हम बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी के विभागों के अनुदान मांग संख्या 3, 4, 5, 30, 80, 46 एवं 47 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश के अंदर हमारे सत्तापक्ष के साथी बार-बार इस बात को बोलते हैं कि वर्तमान में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और यह बोलते-बोलते अभी यह स्थिति हो गई है कि अब

इस प्रदेश में ट्रिपल इंजन, उसक बाद चार इंजन की भी बात हो रही है। लेकिन जिस तरीके से हमारी प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है, उसको आप सभी जानते हैं। आज किस तरीके से पूरे प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है। यदि हम अपराध की बात करें तो ऐसा कोई दिन नहीं है, जिस दिन समाचार पत्रों एवं समाचार चैनलों में अपराध के बारे में बात न हो, अपराध के बारे में चर्चा न हो। ऐसा कोई दिन नहीं है, जिस दिन समाचार पत्रों में बड़े-बड़े अक्षरों में अपराध की खबर न छपी हो। अपराध किस तरीके से बढ़ रहे हैं, चाहे वह महिलाओं के ऊपर अपराध की बात करें, चाहे गांजा, तस्कर की बात करें, चाहे मार-पीट या चाहे चाकूबाजी की बात करें, हर दृष्टि से पूरे प्रदेश के अंदर में अपरध चरम स्थिति में बढ़ते जा रहे हैं। पिछले काफी समय से समाचार पत्रों में यह भी खबर आ रही है कि ड्रग्स जैसे चीजें जो हमारे प्रदेश के अंदर में नहीं था, हमारे राजधानी में नहीं था, वह ड्रग्स भी हमारे प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर चल रहा है। आखिर यह किसके संरक्षण में चल रहा है? क्या इसमें पुलिस विभाग का कोई नियंत्रण है या नहीं है, यह देखने वाली बात है? यदि मैं अपराध की बात करूं तो जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अपराध हुए हैं, जिसमें सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, उन अपराधों पर कहीं पर भी कोई नियंत्रण नहीं दिख रहा है। आज हमारे सत्तापक्ष के साथी बड़े-बड़े दावा करते थे कि प्रदेश में जब से डबल इंजन की सरकार बैठी है तब से अपराध रूक गये हैं, अपराध नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जुआ और सट्टा यहां पर बड़े पैमाने पर चल रहा है। जो दावा किया जा रहा था, फिर उसका उलट हो रहा है, यह हम सभी जानते हैं। यहां पर माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं। जिस तरीके से बजट में जो बातें आनी थी। छत्तीसगढ़ की लगभग सवा तीन करोड़ जनता का जिम्मा पुलिस विभाग के अधीन होता है और सब लोग पुलिस विभाग के भरोसे रहते हैं, लेकिन पुलिस एक्ट में जो कुछ कानून लाना था और उसमें जो बदलाव होना था, वह इस बजट में नहीं दिख रहा है। आप किस तरीके से आने वाले समय में आप पुलिस एक्ट में सुधार करेंगे, उसमें क्या कार्रवाई करेंगे, क्या काम करेंगे, यह कहीं पर भी इस बजट में नहीं दिख रहा है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो लोग हमारे माओवाद क्षेत्रों में रहते हैं, खासकर बस्तर जैसे क्षेत्रों में रहते हैं, वहां पर लम्बे समय से अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं, मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर से आता हूँ, वहां पर 10-12 सालों से जवान तैनात हैं, उनका स्थानांतरण नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, मैंने पूर्व में भी प्रश्न के माध्यम से मंत्री जी से पूछा था और उनका उत्तर आया था कि ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि वहां पर हैं। उन लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, वे 12-15 सालों से वहां पड़े हुये हैं, उनका स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है । सभापति महोदय, इसमें स्थानांतरण नीति भी स्पष्ट होना चाहिये कि वह कैसे वहां से बाहर निकले, जवान का स्थानांतरण होगा, यह भी स्पष्ट नहीं है ? माननीय सभापति महोदय, गृह विभाग के अधीन जो बहुत से छोटे-छोटे काम है, वह भी होना चाहिये, । पुलिस विभाग यह सोचकर काम करके कि वहां कोई दखलंदाजी न हो और पुलिस विभाग निष्पक्ष तरीके से काम करने के लिये स्वतंत्र हो ।

माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में लगातार जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, उस पर नियंत्रण नहीं हो रहा है । चाहे वह बलौदाबाजार घटना की बात हो, कवर्धा की बात करें, चाहे वह सूरजपुर पुलिस आरक्षक को घर में घुसकर मारने का मामला हो, यह साबित करता है कि प्रदेश के अंदर में किस स्थिति में अपराध हो रहे हैं, इसमें सरकार का नियंत्रण है या नहीं है, यह हम सब ने देखा है ? माननीय सभापति महोदय, हमारे पूरे प्रदेश भर में पुलिस विभाग की जो भर्तियॉ हुई है, उसके संबंध में भी हमारे सदस्यों ने चिंता जाहिर की है कि किस तरीके से राजनांदगांव से लेकर तमाम जो भर्तियॉ हुई है, उन भर्तियों में जो घटना हुई है, उसके बावजूद भी जो जांच होना था, जो दोषियों पर कार्यवाही होना था, वह कहीं पर भी होता हुआ दिख नहीं रहा है । माननीय सभापति महोदय, पुलिस जैसा महत्वपूर्ण विभाग हमारे प्रदेश के लिये है, बजट में पुलिस सुधार का जो प्रावधान है, उसके बारे में बहुत सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथियों ने सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, लेकिन पुलिस सुधार के अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं । सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वास्तव में हम सब बस्तर से आते हैं और बस्तर एक नक्सल प्रभावित संभाग है और माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि क्या आप बस्तर के नक्सलवाद पर बोलेंगे तो इसमें कोई कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, हम सभी नक्सलवाद से सहमत हैं ? माननीय सभापति महोदय, पिछले कुछ समय से, साल सवा सालों से, बस्तर में माओवाद और नक्सलियों को लेकर, प्रोपेगेण्डा करने का काम सरकार ने किया है । मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ा गया है, क्या उनके खिलाफ कोई काम वहां पर नहीं हुआ है, पिछले पांच सालों में वहां हमारी सरकार भी थी । कांग्रेस के द्वारा भी वहां पर बेस कैम्प लगाया गया, विकास के कार्य लगातार हुये, नक्सलियों के खिलाफ लगातार लड़ाई हुई, लेकिन हमारी सरकार ने पिछले पांच सालों में बस्तर के भीतर राजनीतिकरण करने का काम नहीं किया । सभापति महोदय, वर्तमान सरकार बस्तर में नक्सलवाद को राजनीतिक चश्में से देख रही है और वहां नक्सलवाद का राजनीतिकरण हो रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि बस्तर में नक्सल समस्या सभी पीड़ित हैं, इससे कोई वर्ग विशेष या कोई पार्टी ही पीड़ित है, ऐसा नहीं है, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह नक्सलवाद को राजनीतिक चश्में से न देखें । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में कोई भी सरकार रही हो, नक्सलवाद पर लगातार कार्यवाहियां होती रही है, इसके पूर्व में भी कार्यवाहियां लगातार हुई है, जितने भी बड़े-बड़े पुल बने हैं, सड़कें बनी है, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है, पुलिस चेक पोस्ट की स्थापना हुई है, वहां बहुत से काम हुये हैं और हमारे गृह मंत्री जी वहां पहुंचे हैं । सभापति महोदय, यह कहना कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने बस्तर के लिये कुछ नहीं किया है, यह उचित नहीं है । माननीय सभापति महोदय, आज बस्तर का हर वर्ग, चाहे वह कोई भी हो, सभी बस्तर में शांति चाहते हैं । बस्तर में शांति हो, बस्तर का विकास हो, उन क्षेत्रों का भी विकास हो, जहां अब तक सुविधायें न पहुंची हो, वहां पर मूलभूत सुविधा पहुंचे, यह हम सभी चाहते हैं, लेकिन ऐसा कहना कि यह

हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ । सभापति महोदय, सरकारें आती-जाती रहती है, लेकिन जो सतत प्रक्रिया चलने वाली है, वह चलते रहती है । नक्सलियों को लेकर जो पुनर्वास नीति लाना था, उसमें भी कहीं पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, आप जो नक्सल के लिये पुनर्वास नीति लायेंगे, आपकी उसमें स्पष्ट नीति क्या है, आप उसमें क्या करना चाहते हैं, किस तरह से चलना चाहते हैं, वहां के लोगों का जो मत लेना था वहां के लोगों का जो अभिमत लेना था, वह कहीं पर भी नहीं है । नक्सल पीड़ितों के लिए जो पुनर्वास नीति है, उनके लिए भी कोई स्पष्ट नीति वहां पर नहीं है कि नक्सल पीड़ितों को किस तरीके से पुनर्वास नीति का फायदा मिलेगा । ऐसे बहुत से लोग हैं, जो नक्सल पीड़ित परिवार हैं, जो वहां पर अपना घर, खेती छोड़कर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको पुनर्वास नीति का फायदा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है और बहुत मुश्किल से वे अपने जीवन का गुजारा कर पाते हैं । उनकी सम्पत्तियों का नुकसान होता है, उसकी भरपाई कैसे होगी ।

समय :-

1:00 बजे

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- विक्रम जी, आप इतने सारे आंकड़े लेकर बोल रहे हैं । पखांजूर के असीम राय वाली घटना का भी जिक्र करिएगा, जिसमें आपके कांग्रेस के लगभग दर्जनों लोग जेल के अंदर में हैं, जिन लोगों ने सुनियोजित तरीके से हमारे बीजेपी के मण्डल अध्यक्ष को मारा । (शेम-शेम की आवाज) नारायणपुर में एनएसयूआई का अध्यक्ष रहा है, उसने अपनी ही पार्टी के आदमी को सरेआम गोली मारी, उसके बारे में भी बोलिएगा । यदि और आगे जाना है तो आपके ही जिले का मुकेश चन्द्राकर का भी एक बार उल्लेख कर दीजिएगा ।

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ मंत्री जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, उन घटनाओं के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि घटनाएं हुई हैं, यह बात सही हैं, लेकिन आप उन घटनाओं को भी कांग्रेस और भाजपा के दल विशेष से मत जोड़िए । अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हो रही है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, जब राजनीतिक कार्यकर्ता होगा तो दल से क्यों नहीं जोड़ा जाएगा ?

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, चूंकि वह राजनीतिक कार्यकर्ता है और पार्टी के अंदर में ऐसे क्या-क्या विषय चलते हैं, यह भी आपको बताने की आवश्यकता है । कहीं सुनियोजित तरीके से आपकी पार्टी में तो नहीं हो रहा है, आप इसको बताईए ।

श्री रामकुमार यादव :- झीरम कांड में जतका कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता मन ला गोली में छलनी कर दीस, ओला काबर नहीं बतावव ।

श्री सुशांत शुक्ला :- 5 साल तक झीरम की घटना के संदेही को जेब में लेकर क्यों चल रहे थे, जवाब दीजिए ।

श्री रामकुमार यादव :- कांग्रेस के पहला पंक्ति के जतका नेता मन ला तुहर सरकार में घटना काबर होईस ।

श्री सुशांत शुक्ला :- झीरम के संदेही को लेकर क्यों घूम रहे थे ?

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिए, उनको बोलने दीजिए ।

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जिस तरीके से घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, मैं उसमें बोलना चाहता हूं । क्या इसके पूर्व में किसी दूसरे दल के विशेष लोगों की कोई भी घटना में मौत नहीं हुई है, आप बस्तर का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि ऐसे कितने लोग हैं, अगर मैं उस पर जाऊं और बात करूं तो बहुत लम्बा इतिहास हो जाएगा । आज हम पिछले दो सालों की बात कर रहे हैं । क्या उन वर्षों की बात नहीं करें, जिसमें किसी दल विशेष की पूरी पीढ़ी वहां पर खत्म हो गई, झीरम घाटी में हमारे बड़े नेता खत्म हो गए, हम उसकी बात क्यों नहीं करते या और बाकी लोगों की बात क्यों नहीं करते ? हम सब घटना की निंदा करते हैं चाहे किसी भी घटना की बात हो । हम उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ उन घटनाओं की बात क्यों करते हैं, उन घटनाओं की बात आप क्यों नहीं करते, जो आपके समय में हुई हैं ।

सभापति महोदय :- विक्रम जी, उधर देखकर डायरेक्ट बात मत करिए । आप इधर देखकर बात करिए और अपना भाषण दीजिए । आप अभी तक बढ़िया बोल रहे थे, लेकिन अभी आप भटक रहे हैं ।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, यदि झीरम कांड के संदर्भ में विस्तृत रूप से बात करनी हो तो हमारे पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी से भी एक बार चर्चा कर लीजिएगा कि उसके संदर्भ में क्या-क्या विषय थे ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, अब उनको बोलने दीजिए ।

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय, बस्तर में लगातार घटनाएं हो रही हैं, उसमें वर्ग विशेष या कोई दल विशेष की नजर से नहीं देखना चाहिए । जो नियद नेल्लानार की बात बार-बार यहां पर की जा रही है । नियद नेल्लानार अच्छी योजना है, हमारा गांव हैं । वहां पर पूर्व की सरकारों ने भी काम किया है, हम सबने भी काम किया है । वास्तव में सही मायने में उन क्षेत्रों में काम हो, उन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा पहुंचे, यह हम सभी चाहते हैं और उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसके लिए राज्य स्तर पर विशेष बजट बनाकर उस पर कार्य किया जाये । सिर्फ कंवरजेशन की राशियों में वहां काम करना पर्याप्त नहीं है, वहां पर कोई स्पेशल बजट का प्रावधान करते हुए नियद नेल्लानार में काम करने की जरूरत है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं पंचायत विभाग में भी अपनी बात रखना चाहता हूं । किसी भी गांव का विकास और उसका मूलभूत आधार है, वह ग्राम पंचायत और पंचायत होता है । अभी कुछ दिन पहले पूरे राज्य में चुनाव हुए हैं और चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आये हैं, उस सुशासन की बात बार-बार यह सरकार करती है कि यह सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, लेकिन पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधि जनपदों एवं जिलों में पंचायतों के जनप्रतिनिधि के रूप में जो एक दल को बहुमत मिलता है लेकिन वर्तमान समय में वहां पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। डेट पर डेट आगे बढ़ता जा रहा है। आज भी कुछ जिलों में चुनाव की डेट थी, कुछ में कल है, फिर वह आगे बढ़ेगा और तीन-तीन, चार-चार बार ऐसा हो रहा है कि वहां पर डेट पर डेट मिल रहा है और वह आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव नहीं हो रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये कैसी सुशासन की सरकार है कि आप पूरे प्रदेश में एक साथ जिला एवं जनपद पंचायतों के चुनाव नहीं करा पा रहे हैं और डेट पर डेट देते जा रहे हैं? आप तारीख आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम किस सुशासन की बात पर वोट कर रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, यदि मैं पंचायतों की बात करूं तो यदि हम गांव का विकास करें, तो वास्तव में असली विकास वही है लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से पिछले सवा सालों में पंचायतों में जो काम स्वीकृत होना चाहिए, वह पूरे प्रदेश में कहीं पर भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो छोटी-छोटी मूलभूत सुविधाओं के काम हैं, उन कामों की भी स्वीकृति पिछले सवा सालों से किसी भी पंचायत में नहीं हो रही है। हमारे पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको वहां जो आधारभूत सुविधा मिलनी चाहिए, वह उन पंचायतों में नहीं मिल रही है। पिछले समय जब हमारी सरकार थी, हमने अपनी सरकार के समक्ष बात रखी थी, तो पंचायत के जनप्रतिनिधियों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके वेतन-भत्ते बढ़ाने का काम हुआ था। इस ओर भी ध्यान देने की जरुरत है। पंचायतों में पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर काम हुआ, किन्तु इन सवा सालों में कोई भी काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। नरेगा एक केन्द्रीय योजना है, उसमें लगातार काम होता आया है किन्तु नरेगा में जो 13 लाख जॉब कार्डधारी हैं, एकाएक वह 13 लाख जॉब कार्डधारी कम हो गए और जिस पैमाने पर इन जॉबकार्डधारियों को काम मिलना था, उसमें भी कमी की गई है। उसे और बढ़ाने की जरुरत है।

माननीय सभापति महोदय, सदन के अंदर बार-बार आवास की बात की जाती है कि डबल इंजन की सरकार ने 18 लाख आवास दिये हैं। इससे पहले भी हमारे सदन के साथी ने जब प्रश्न उठाया था, तो उनके उत्तर में आया है कि हम सिर्फ 1 लाख 65 हजार आवास दिए हैं। तो ये आवास किस दर से है क्योंकि डबल इंजन की सरकार तो 18 लाख आवास की बात करती है। मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष कुछ सुझाव रखना चाहता हूं कि लगातार पुलिस भर्ती हो रही है लेकिन अभी भी पुलिस में बहुत से पद रिक्त हैं, उन पर भी फिर से भर्ती होनी चाहिए और उन भर्तियों में किसी भी प्रकार से स्थानीय युवाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ और प्राथमिकता दे सकें, इसकी जरुरत है। जेलों में कैदियों की संख्या

लगातार बढ़ रही है लेकिन जेलों में जिस प्रकार से मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, उनमें भी कहीं न कहीं कमी है, उस पर भी ध्यान देने की जरुरत है। महोदय, आवास योजनाओं का लाभ वास्तव में अति गरीब एवं पिछड़े व्यक्तियों को मिलना चाहिए लेकिन आवास का लाभ वास्तव में उन गरीब व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा है। कहीं न कहीं पट्टे उनके नाम पर नहीं होने की वजह से मालिकाना हक नहीं होता है।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय रामकुमार यादव जी आ गए हैं। शायद आप आवास उनके लिए मांग रहे हैं क्या?

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मैं साहबमन के भाषण ल सुनथंव, ये मन के होर्डिंग ल देखथंव कि 18 लाख इंदिरा आवास, पीएम आवास देंगे।

एक माननीय सदस्य :- इंदिरा आवास कहां आ गया? प्रधान मंत्री आवास है।

श्री रामकुमार यादव :- वही है, ओला बदल दे हवव, बदले के तुम्हर आदत हे। 18 लाख पीएम आवास देंगे अऊ हमन पूछेन कि कै लाख दे हवव, त 1 लाख 65 हजार दे हवन, अऊ तूमन छत्तीसगढ़ के जनता के 17 लाख लागत हवव। बोल भइया।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, जो आवास की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं बी.पी.एल. सूची में नाम नही होना या मालिकाना हक नहीं होना, इन वजहों से जो वास्तव में गरीब हैं, वे व्यक्ति भी उसमें पीछे हो जाते हैं या उन्हें आवास का लाभ नहीं मिल पाता है।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें। आप 18 मिनट बोल चुके हैं।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट में समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय :- 5 मिनट में नहीं बल्कि 2 मिनट में समाप्त करिए।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, एक दूसरी बात जिस पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बीजापुर जिले के अंदर लंबे समय से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का जो काम होना था, वर्तमान समय में पूरे देश में पीएमजीएसवाई फेज़-3, फेज़-4 चल रहा है लेकिन बस्तर और खासकर बीजापुर जिले में हम लोग फेज़-1 में ही अटके हुए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसमें अगर हम जायेंगे तो कहीं न कहीं प्रधान मंत्री सड़क योजना की बहुत सारी रोड जो नहीं बन पाई, उसका लाभ वहां के लोगों को मिलेगा। यदि मैं तकनीकी शिक्षा की बात करूं तो तकनीकी शिक्षा में और भी ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है। आप बजट में भी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, आई.टी.आई. या तकनीकी सेक्टरों में ज्यादा से ज्यादा महाविद्यालय खोलकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और उनको ऐसी शिक्षा मिले जिससे उनको रोजगार भी मिले। हमें उस शिक्षा की ओर बढ़ने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मैं गृहमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पुलिस सुधार कार्य में भी लगातार पक्ष विपक्ष की राय लेते हुए काम करने की जरूरत है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गजेन्द्र यादव (दुर्ग शहर) :- माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं माननीय उप मुख्यमंत्री (गृह, जेल और पंचायत विभाग) के वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों के समर्थन में अपनी बात रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री (गृह) को बहुत-बहुत धन्यवाद और साधूवाद देता हूं। एक लंबे अंतराल के बाद पहली बार पुलिस विभाग के बजट में जो 10 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, मैं उसके लिये भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष वर्ष 2016 की एक बात रखना चाहता हूं। मैं स्टेट में स्काउट गाईड का चीफ कमिश्नर था। हम लोग डिमरापाल, जगदलपुर में एक बड़ी जम्बोरी किये थे। उसमें पूरे देश भर के बच्चे आये थे। कुछ बच्चे जब ट्रेन से आये और रायपुर रेलवे स्टेशन में तो संयोग से वहां उसी समय केंद्रीय पुलिस फोर्स के लोग भी किसी कारण से आये हुए थे। वे बच्चे जब पुलिस को देखें तो उन बच्चों में एक दहशत आ गयी, एक डर आ गया। उसके बाद वह बच्चे वहीं से अपने शिक्षकों को आवेदन देने लगे कि छत्तीसगढ़ बहुत खतरनाक है, यहां तो गोलीबारी चलती है, यहां तो रहना मुश्किल और दुश्वार है और यहां कभी-भी मौत हो सकती है। उन शिक्षकों ने मुझे फोन करके पूछा कि सर वहां आना उचित है या नहीं है क्योंकि हमारे बच्चे बहुत डर गये हैं। मैंने कहा कि ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप निश्चिंत होकर बच्चों को लेकर आईये। उसके बाद वह बच्चे आये और बाद में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। उस समय माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री, भईया केदार कश्यप जी उस कार्यक्रम के होस्ट थे। मुझे वह दिन याद आता है और आज का दिन याद आता है। आदरणीय सभापति महोदय, कितने गर्व की बात है कि पूरे देश में लोग बस्तर जाने से डरते थे। आप आम आदमी की बात तो छोड़ दीजिये, अधिकारी अपनी पोस्टिंग से डरते थे, वह अपनी पदस्थापना से डरते थे। आज हमारा बस्तर शांति का टापू बनने जा रहा है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि जो बस्तर नक्सलवाद, उग्रवाद से पीड़ित था। वहां लोग जाने से डरते थे, शासन की योजनाओं से जुड़ने के लिये डरते थे, भारत का तिरंगा झण्डा फहराने से डरते थे, वहां लाखों बच्चे बस्तर ओलंपिक के नाम से खेलकूद में भाग लेते हैं। वहां पौने तीन लाख लोग अपना आवेदन देते हैं। अगर आज यह दृश्य हमको दिखता है तो यह माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी का सुशासन और हमारे युवा जोश वाले माननीय उप मुख्यमंत्री जी की मेहनत है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमको यहां सवा साल बीत गये। इस सवा साल का ऐसा कोई सप्ताह नहीं होगा, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी बस्तर दौरा न किये हो, मैं उसके लिये आपको आभार व्यक्त करता हूं। आपकी लगातार मेहनत और आप जिस ईमानदारी से लोगों के बीच में गये, बस्तर में गये और आप पुलिस जवानों के बीच में हौसला अफजाई करने गये। आज उसका परिणाम हमको दिखता है कि जो बस्तर अशांत बस्तर कहलाता था, नक्सलवाद बस्तर कहलाता था, वह आज शांति का टापू बस्तर कहलाता है। जब वहां पिछले 5 साल में घटना घटती थी तो मैंने एक समय में किसी नेशनल न्यूज में पढ़ा था कि गृहमंत्री गायब है। मैंने

जब बाद में पढ़ा तो संक्षेप में लिखा हुआ था कि 5 साल हो गये परंतु 5 साल में तत्कालीन गृहमंत्री एक बार भी बस्तर और बीजापुर के दौरे में नहीं गये, यह समाचार पत्र में आया था। उस समय के गृहमंत्री और आज हमारे जो गृहमंत्री हैं, यदि मैं उन दोनों की तुलना करता हूं तो मुझे बहुत गर्व होता है कि यह छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में माननीय विजय शर्मा जी गृहमंत्री हैं जो लगातार बस्तर में जाते हैं और आज हमको उसका परिणाम देखने को मिलता है। इस बार सभी नेशनल न्यूज में दिया गया कि यदि पूरे देश में, मध्य भारत में सर्वाधिक पर्यटक किसी राज्य में गये, किसी भू-भाग में गये तो हमारे छत्तीसगढ़ में गये। यदि सर्वाधिक पर्यटक किसी जगह गये तो हमारे बस्तर में गये, जो आज शांति का टापू है। वह शांति के टापू आज पर्यटन के रूप में पूरे भारत में विख्यात होते जा रहा है। लोगों में जो डर और जो भय था, वह आज खत्म हो रहा है। आज हम शांति की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे भाई बंधु जो समाज की मुख्य धारा में नहीं थे, वह पुन: मुख्य धारा में आ रहे हैं, मैं माननीय गृह मंत्री जी को उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी, आपको और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पुलिस आवास के लिए चिन्ता की। मैं दुर्ग शहर का विधायक हूँ और दुर्ग संभाग मुख्यालय है। हमारे यहां पहली बटालियन, सातवी बटालियन और वहां पर बहुत सारे कैम्प, पुलिस लाईन का बड़ा सेटअप है। जब वहां जाता हूँ तो वहां लोगों में यही बात रहती है कि भईया, हम दिन भर ड्यूटी करते हैं और हमारे आवास की कोई चिन्ता नहीं करता है। आपने इस बार के अपने बजट में जो हमारे नये आरक्षक लेवल तक के लोगों के लिए 2500 से ज्यादा आवास के प्रावधान किये हैं। मैं, आपका उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और साथ-साथ आपने राजपत्रित स्तर के 500 अधिकारियों के लिए आवास की चिंता की है। चूंकि पुलिस विभाग में लगातार राजपत्रित स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण आपस में यहां से वहां होता रहता है, उनका आना-जाना होता है। अगर आपने उनके बच्चे, परिवार के लिए आवास की चिंता की है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ मैं एक और निवेदन करता हूँ। आपने इस बजट में विवेचना अधिकारी के लिए भी चिंता की है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि जितने पुराने संभाग मुख्यालय हैं, बड़े जिले हैं उसमें पुलिस लाईन में विवेचना अधिकारी के साथ-साथ दूसरे जिले से आये जवान रहते हैं, उनके रूकने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। वह पेशी में आते हैं, अपराधी लेकर आते हैं, वह ईलाज और मुलाहिजा के लिए आते हैं तो उनको कई बार रूकना पड़ता है उनके रूकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिससे वह बहुत दर-ब-दर भटकते हैं। कई बार आपात स्थिति में वी.आई.पी. मूवमेंट में हम लोगों को दूसरे अन्यत्र जिलों से पुलिस बल को अपने जिले में बुलाना पड़ता है। वह जवान दिन भर, सुबह से लेकर रात तक ड्यूटी करते हैं वह सड़क में ही विचरण करते-करते, वहीं भोजन करते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होती है, यह हमें अच्छा नहीं लगता है। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि जो बड़े जिले हैं, संभाग मुख्यालय हैं, वहां जो बाहर से आने वाले पुलिस जवान है यथासंभव अगर

स्थानीय पुलिस लाईन में उनके लिए भी एक रेस्ट हाऊस की व्यवस्था हो जाए तो माननीय मंत्री जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करूंगा। मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि आप इसमें जरूर चिंता करें। आज भी बहस चल रही थी कि आपने जो पुलिस विभाग में जो नये जवानों की भर्ती की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन थी उसको आपने फिर से चालू करवाया। आपने उसमें 6 हजार 85 नवीन पदों की पदस्थापना की, मैं उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में आपने एक नया, बड़ा और अच्छी यूनिक चीज डाली है। आपने Antinacotic task force का गठन किया है। मैं माननीय गृहमंत्री जी को इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूँ एवं साधुवाद देता हूँ। वर्तमान में शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक कोई नशा है तो Nacotic दवाई और टेबलेट दुनिया भर के नशे हैं, जिसमें हम कोई प्रकार की कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। उसमें आपने चिंता की, मैं आपको उसके लिए धन्यवाद् देता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ-साथ माननीय गृह मंत्री जी से एक निवेदन भी करता हूँ चूंकि उसमें Nacotic विभाग, ड्रग इंस्पैक्टर और खाद्य औषधि विभाग Involve रहता है, उसमें हेल्थ विभाग की जरूरत पड़ती है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि हमारे पुलिस के जवान बिना ड्रग कंट्रोल, इंस्पैक्टर के सहयोग के कोई प्रकार की कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है उसमें स्वास्थ्य विभाग से, खाद्य औषधि प्रशासन विभाग से उसमें अनिवार्य रूप से एक टास्क फोर्स और ड्रग इंस्पैक्टर की भर्ती जरूर करें ताकि आगे कार्यवाही करने में बहुत आसानी होगी, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। कि आपने 5 जिलों में नयी साइबर शाखा खोली है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद् देता हूँ। आज का जो समय है, यह सब जानते हैं कि यू-ट्यूब और दुनिया भर के चैनल का समय है। प्रदेश में मोबाईल और सोशल मीडिया के द्वारा साइबर अपराध इतना बढ़ रहा है, इसको रोकना बड़ी चुनौती है। हम सब लोग जानते हैं कि आजकल ट्रांजेक्शन में कहीं न कहीं बहुत गड़बड़ होता है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भी गिरोह सक्रीय हैं, उसको रोकने लिए आपने 5 नये जिलों में साईबर थाना घोषित करने की जो घोषणा की है, उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय गृह मंत्री जी एक और निवेदन करता हूँ कि चूंकि ज्यादातर शहरों में घनी आबादी रहती है नगरीय निकाय विभाग को यह अधिकार नहीं है कि वह सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा सके या सब जगह सी.सी.टी.वी. कैमरे का केबल बिछा सके। चूंकि आपने इस बार साईबर अपराध को नवीन थानों में लिया है तो आपसे मेरा निवेदन है कि जो बड़े शहर हैं और संभाग मुख्यालय हैं, पुलिस विभाग के द्वारा हम एक सी.सी.टी.वी. कैमरा फुटेज के लिए जगह-जगह चिन्हित कर दें ताकि अपराध को रोकने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकें जिसे हम साईबर सेल की मदद से स्थापित करें और एक कंट्रोल रूप रहे। मेरा निवेदन है कि सारे शहरों में जैसे ट्रेफिक के कंट्रोल रूम हैं, वैसे ही साईबर का भी एक कंट्रोल रूम

रहे, जिससे हम अपराधियों को सी.सी.टी.व्ही. कैमरा की मदद से एक स्थान से बैठकर पकड़ सकें। अभी कोई अपराध होता है तो हम किसी के घर में, किसी संस्थान में, प्रतिष्ठान में जाते हैं और उनके सी.सी.टी.व्ही. कैमरा को चेक अप करते हैं। मेरा आग्रह है कि पुलिस विभाग खुद का सी.सी.टी.व्ही. कैमरा शहर के प्रमुख स्थलों में जरूर लगाये। मैं जेल विभाग की बात करूं तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जेल विभाग में जेल बंदियों के लिये मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण और बंदियों को पारिश्रमिक की बात इस बजट में की है। सभापति महोदय, हमारे जेल में बंद जो अपराधी रहते हैं, उनके लिए जेल में कुछ न कुछ बनाने की ट्रेनिंग देने का काम होता है, लेकिन उनको प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता। वह बाहर आने के बाद कोई प्रकार का काम नहीं कर सकते। आपने जो उनको मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से जोड़ा, उनके जीवन में एक नई प्रगति और तरक्की आयेगी। मेरा एक निवेदन है कि वह ज्यादातर प्रिटिंग प्रेस, ऑफसेट, बढ़ई, लोहा, बुनाई, साबुन आदि यह सब बनाने का काम करते हैं। आजकल यह काम तो बहुत कॉमन हो गया है, सब जगह महिला समूह की बहनें करती हैं। मेरा एक निवेदन है कि हमारे जितने भी सेन्ट्रल जेल हैं, उसमें सब जगह एक बड़ी गौशाला हो। लगभग सब जगह गौशाला है, उसको और व्यापक रूप से दें। वहां से जो दूध उत्पादन हो, गौमूत्र से एक नया आयाम स्थापित करें जो प्राकृतिक आधारित हो जिसको बाहर में भी सेल ऑउट कर सकें और वहां रहने वाले बंदियों के भी काम आये। मैं ऐसा मानता हूं कि उनके जीवन में सुधार की एक बड़ी भूमिका अदा हो सकती है। माननीय गृह मंत्री जी, आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने नगरसेना, होमगार्ड के लिये इस बार बजट में राशि प्रावधानित की है। चूंकि हम सब जानते हैं कि पुलिस विभाग का एक बड़ा सहयोगी होमगार्ड पुलिस होती है और आपने होमगार्ड को कन्या आश्रम, छात्रावासों में रहने वाली हमारी बहनों की सुरक्षा के लिये नगर सैनिकों की तैनाती की है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करता हूं कि यह हमारे होमगार्ड के जवानों की संख्या कम रहती है। वह रात-दिन ड्यूटी करते हैं। मैं दुर्ग के होमगार्ड के सेन्टर में गया। वह हमेशा पुलिस के बराबर ड्यूटी करते हैं, वह सब चीज करते हैं। लेकिन अगर सुविधा देखी जाये तो पुलिस विभाग के बाकी कर्मचारियों की तुलना में उनकी सुविधायें मुश्किल से 25 प्रतिशत है। मेरा आपसे निवेदन है कि हम उन सुविधाओं को पुलिस के बराबर न करें तो उनसे कुछ कम उनकी सुविधाओं को बढ़ायें। उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती। इसमें एक और निवेदन है कि यही नगर सैनिक लोग एस.डी.आर.एफ. की भूमिका में भी काम करते हैं। आपात स्थिति में कोई न कोई जब घटना, दुर्घटना होती है, दुर्घटना होती है तो यही होमगार्ड के जवान जाते हैं।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करिये।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, एक मिनट में समाप्त करता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि एस.डी.आर.एफ. की टीम की संख्या बहुत कम होती है, आपदायें बड़ी होती हैं। अभी लगातार यह

देखने में आ रहा है कि आज कल डूबने से बड़ी मौत हो रही है। उसका कारण यह है कि आजकल बच्चे, जवान किसी को तैरना नहीं आता। मेरा आग्रह है कि जैसे आपने कन्या छात्रावास में होमगार्ड जवानों की नियुक्ति किये हैं, वैसे ही होमगार्ड और एस.डी.आर.एफ. की टीम को लेकर सारे शहरों में एक समर कैंप चलाया जाये ताकि वहां के युवा और बच्चों को तैरना आये। जिससे वह जो बड़ी दुर्घटनायें घटती हैं, आजकल डूबने से मरते हैं। आप देखेंगे कि ज्यादातर मौत या तो दुर्घटना से होती है या डूबकर मरते हैं। अगर उनको एस.डी.आर.एफ. तैरने का प्रशिक्षण दें तो बहुत अच्छा होगा। इस बार आपने बजट में अग्निशमन विभाग के लिए 03 वॉटर टैंक, 03 फोम फायर टेंडर, 3 वाउंडर वाहन के लिए प्रावधान किया है, उसके लिए विशेष रूप से साधुवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वॉटर केनन वाला तो सब जगह पर्याप्त हो गया है। आजकल गर्मियों में दुकानों में बहुत आग लगती है। आग लगती है तो उस पानी से दुर्घटना में नियंत्रण नहीं कर पाते। आपने जो 3 फोम फायर टेंडर किया है, उसको बढ़ाकर जितनी भी बड़ी जगह दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर है, वहां पर प्लास्टिक से जो आगजनी होती है, उसको रोकने लिए अगर हम नई मशीन और लें तो बहुत अच्छा हो जायेगा। आपने अभी भी उसकी चिंता की है । चूंकि आपने इस बजट में साढ़े 7 करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि ली है इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं इसके साथ ही साथ माननीय उपमुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पहली बार पंचायत विभाग में समरसता भवन दिया, आपने 20 लाख रूपये की लागत से समरसता भवन दिया है । विधायक होने के नाते एक पीड़ा रहती है, कोई भी विधायक जाता है तो वह कितना पैसा देगा, 5 लाख रूपये, 10 लाख रूपये वह उससे ज्यादा राशि किसी के लिये नहीं दे पाता है, 5 लाख रूपये में वह भवन चूंकि वह भवन चालू हुआ ही नहीं रहता है और खत्म हो जाता है । आपने पूरे गांव के लिये, पूरे पंचायत के लिये एक बड़े भवन की जो परिकल्पना की है, मैं इसके लिये आपका आभार व्यक्त करता हूं ताकि हमारे गांव में जो भी कार्यक्रम हो, सुख का हो, दुख का हो, किसी प्रकार का आयोजन हो उसके लिये आपने एक पर्याप्त बड़ा भवन दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ आपने महतारी सदन के लिये भी जो 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है इसके लिये भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ताकि हमारी महिलाओं के वहां पर उद्यमिता से लेकर सब प्रकार के काम हों, मैं आपको इसके लिये धन्यवाद देता हूं । मैं एक आखिरी चीज बोलना चाहता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं चूंकि वह मेरा विभाग नहीं है, मुझे उसका काम भी नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि पूरे 5 साल किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में प्रधानमंत्री मंत्री ग्राम सड़क योजना का मेंटेनेंस तक भी नहीं हुआ था । आप हमारे पहले ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत मंत्री हैं जिन्होंने इस बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये बजट में लगभग बहुत पर्याप्त राशि केंद्र सरकार से पैसा लाये और राज्य सरकार में भी आपने पर्याप्त बजट

किया है जिससे हमारे गांव में रहने वाले, दूरस्थ अंचलों में रहने वाले आदिवासी-वनवासी और ग्रामीण अंचल के भाईयों के लिये आपने जो नया काम किया है उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए और आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर मांग संख्या- 3, 4, 5, 30, 80, 46 और 47 पर अपनी बात रखना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, दोनों विभाग बड़े महतवपूर्ण हैं । मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से अपनी बात की शुरूआत करता हूं जिसमें महात्मा गांधी, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री समग्र विकास, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क, श्यामाप्रशाद मुखर्जी रूर्बन योजना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सांसद आदर्श ग्राम, विधायक आदर्श ग्राम, मुख्यमंत्री गौरवपथ । मैंने मुख्य-मुख्य को लिया है, मैं अपनी बात की शुरूआत सड़क से करता हूं । सड़क गांव के लिये कितना महत्वपूर्ण है, हम सब लोगों के लिये कितना महत्वपूर्ण है, चूंकि 3 एजेंसियां हैं । एक मुख्यमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री सड़क और लोक निर्माण । हमारे पंचायत मंत्री जी के अधीन दो सड़क योजना है । जब लोकनिर्माण की सड़क बनती थी और जब प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू की गयी तो सारे लोग उस पर केंद्रित हो गये कि हमें लोकनिर्माण की सड़क नहीं चाहिए । प्रधानमंत्री सड़क ही बन जाती तो अच्छा होता और सभी का यह था कि उनकी क्वालिटी, उनके काम करने का जो तरीका है, उनका जो नियंत्रण है लेकिन जब बीच में डॉ. रमन सिंह जी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री सड़क योजना की परिकल्पना की गयी, जब लांच हुआ, योजना लागू हुई, बजट में आया तो वह मुझे बहुत अच्छा लगा । मैं आज भी सदन में इसकी तारीफ करूंगा कि जब मुख्यमंत्री सड़क योजना लागू की गयी तो उसके बारे में हमने जो पढ़ा कि जब सड़क बनेगी तो लेवीवॉय होगा, उसमें शौचालय बनेंगे, यात्री प्रतीक्षालय बनेंगे, पेयजल की व्यवस्था होगी, यह सारी चीजें उस योजना में थी । जब मेरे गांव की सड़क बनने को हुई तो मेरे लोकनिर्माण ने भी स्वीकृति कर दी थी तो मैंने कहा कि नहीं मैं मुख्यमंत्री सड़क योजना से बनाउंगा क्योंकि मुख्यमंत्री सड़क योजना की जो परिकल्पना है, मुख्मयंत्री सड़क जिस गांव में जिस गांव से जुड़ेगी तो उससे कितना फायदा हो रहा था, वहां पर शौचालय बनता, यात्री प्रतीक्षालय बनाया जाता, पेयजल की व्यवस्था कराता और इसके साथ ही साथ उस गांव की जितनी भी गलियां हैं उसको किसी और योजना की जरूरत नहीं पड़ती, वह उस योजना में शामिल हुआ करते थे और उस गली का और गांव का उद्धार हो जाता था। सभापति महोदय, यह मुख्यमंत्री सड़क योजना की सोच, परिकल्पना और उद्देश्य के रूप में बनाया गया था। मैंने कहा कि मैं लोक निर्माण विभाग से नहीं बनाउंगा, मैं इसी से बनाउंगा और मैंने बनाया। उस समय अजय चंद्राकर जी मंत्री थे, मुझे गर्भगृह में जाना पड़ा, क्योंकि स्वीकृति नहीं कर रहे थे। बना, अच्छा लगा। आज मैं मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि आप एक बार जरूर पढ़िए। उस कल्पना को

जिसने भी किया होगा, जिस भी अधिकारी ने उसको लॉन्य किया होगा, जिसने स्वरुप बनाया होगा, आज आपका सब कुछ खत्म। आप खाली ले देकर रोड बना रहे हैं, आपके पास बजट भी नहीं है। मैं सोचता हूं कि सारी चीजों को बाहर कर दिया और भ्रष्टाचार का इतना आलम हो गया, मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री सड़क योजना को इतना स्तर से गिरा दिया गया कि डामर की जगह में लिक्विड गैस का बिल लगाया जाता है। मैं उसका पैकेज क्रमांक बताउंगा। हम सोचते थे कि ऐसा कैसे होगा? कैसे ऐसे बिल पास हो जाएगा? कैसे कार्यपालन अभियंता इस बिल को पास कर देंगे? यह सबूत हैं। कंप्लेंट हुआ। कंप्लेंट होने के बाद अधीक्षण यंत्री अपने कार्यपालन अभियंता को लिखता है कि ये-ये शिकायत है, आप बिल वाउचर मंगाइए और क्या-क्या गैस का बिल लगाया हुआ है तो कार्यपालन अभियंता वह बिल नहीं दे पाता। सारे रिकॉर्ड हैं। आपके एम.बी. रजिस्टर में है। मैं तथ्यात्मक बात बोल रहा हूं। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका बिल नंबर भी बता दूंगा, पैकेज नंबर भी दूंगा। उसके बाद अधीक्षण अभियंता पत्र लिखते रहे, आज भी वह पेंडिंग है। मंत्री जी, आप कार्रवाई नहीं करा पा रहे हैं। उसको इतने निम्न स्तर पर गिरा दिए कि आपको क्या बताउं। मैं आपको मुख्यमंत्री जी का दूसरा उदाहरण और देना चाहूंगा। इसमें भी जांच में पाया गया है कि आपने गलत लिक्विड गैस का बिल लगाया है। सिर्फ उसकी जांच प्रक्रिया हुई और कुछ कार्रवाई भी नहीं हुई।

समय :
1.32 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, एक दूसरा उदाहरण देता हूं। इस मुख्यमंत्री सड़क में इतना भ्रष्टाचार का आलम हुआ कि ठेकेदार के ऊपर कितना लाख रुपए का वसूली का आदेश होता है और वसूली होने के बाद भी विभाग कलेक्टर को लिखता है, वह कलेक्टर दूसरे कलेक्टर को लिखता है। आज भी मैं सोचता हूं कि उस ठेकेदार के ऊपर आज भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सारी वसूली की प्रक्रिया भी हो गयी है। 7,46,99,446 रूपये हेतु कलेक्टर, धमतरी को लेटर लिखता है कि इसकी वसूली करो, पर आज भी वह कलेक्टर साहब सोया हुआ है और ठेकेदार अपनी कार्य प्रणाली पर लगा हुआ है, ये आलम है। ये आपके ध्यानाकर्षण में है, प्रश्नोत्तरी में है, पर जांच भी हो गई है, वसूली की कार्रवाई के अंतर्गत आप वसूली नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा उदाहरण मैंने आपको दिया है। प्रधानमंत्री सड़क में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री सड़क के अंतर्गत वर्ष 2022-23, 2024-25, 1262 सड़क की संधारण अवधि समाप्त हो गयी है। 1262 सड़कों के नवीनीकरण की राशि 1 करोड़ 67 लाख 500, एक मिनट शब्दों में टोटल अगर मैं विस्तार से बताउंगा तो सारी चीजों के फिगर हैं, आपने 1262 सड़कों की जो स्वीकृति दी है, उसके लिए तो अवधि समाप्त है, उसके लिए तो पैसा भी नहीं है। आपने 175 सड़कों की स्वीकृति की, उनके लिए भी आपके पास पैसा नहीं है और मैं सोचता हूं कि करोड़ों रुपया लगभग 13 करोड़ 25 लाख रूपये शायद

आपको देने की आवश्यकता है और आपके बजट में वह प्रावधान है ही नहीं । पहले लोगों मानसिकता रहती थी कि लोक निर्माण विभाग से न बनाकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनाएंगे, आज मुख्यमंत्री सड़क योजना से बनी सड़कों की क्या हालत हो रही है, इनकी क्वालिटी में गिरावट देखने को मिल रही है वैसे ही प्रधानमंत्री सड़क योजना की हालत है । मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इसके लिए बजट का जुगाड़ करिये । जिन सड़कों की संधारण अवधि समाप्त हो चुकी है, उनको कैसे सुधारोगे, इसमें फंसे हुए वायरस को कैसे दूर करोगे, यह आपकी जिम्मेदारी है ?

सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना की बात करना चाहूंगा । ग्रामीण अंचलों के लिए यह बहुत अच्छी योजना है । मुख्यमंत्री निर्मला घाट, अटल समरसता भवन, मिनी स्टेडियम, यात्री प्रतिक्षालय, हाट-बाजार, गली कांक्रीटीकरण, आंगनबाड़ी भवन, कांजी हाऊस, व्यावयसायिक परिसर का निर्माण, हाट बाजार, ये सब बहुत सुंदर कल्पना है । कल्पना तो हम करते हैं, बजट का प्रावधान भी करते हैं फिर धीरे धीरे मंत्रिमंडल बदलता है तो वह अपने हिसाब से करता है । फिर वह योजना बंद होने के कगार पर आ जाती है । अब, आपने एक नया नियम लागू कर दिया । जिन जिलों में डीएमएफ नहीं है, उन जिलों को एफ.आर.ए. साइट डेवलपमेंट के लिए प्रति जिला राशि 2 करोड़ के मान से मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना से स्वीकृति दी जाने का प्रावधान किया गया है, यह हम नहीं बोल रहे हैं, यह आपका प्रतिवेदन बोल रहा है । ग्राम पंचायतों में से एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रूपए तक निर्माण की अनुशंसा की जाती है । अटल समरसता भवन, मिनी स्टेडियम, ग्राम पंचायत भवन, मुख्यमंत्री जी की घोषणा की पूर्ति के परिपालन में स्वीकृत, इस कार्य की सीमा से मुक्त । ठीक है, बड़ी योजना है, अटल समरसता भवन 19 लाख का है, मिनी स्टेडियम करीब-करीब 50 लाख की है, आपने मुक्त कर दिया लेकिन सांसद, विधायक आदर्श ग्रामों में राशि 50 लाख की सीमा तक निर्माण की अनुशंसा किए जाने का प्रावधान है । अभी हमारे महंत जी ने प्रश्न उठाया था कि आपने किसको किसको दिया ? आप नियम बनाते हैं और बिना मुख्यमंत्री की घोषणा, देखो अटल समरसता भवन 2 हजार से 3 हजार की जनसंख्या में ही अटल समरसता भवन बनाना है किंतु राजनीतिक दुष्प्रभाव से अपना-पराया की वजह से सारे नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं और शायद जहां नहीं बनना चाहिए, वहां बन जाता है और आज भी हमारे विधायक जो बार-बार मांग कर रहे थे । सभापति महोदय, मुख्यमंत्री गौरवपथ है, मैं सोचता था डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में बैठे हैं तो आसपास के विधायकों को कुछ मिल ही जाएगा, कुछ छींटा पड़ सकता है किंतु राजनांदगांव जिले में कहीं भी मुख्यमंत्री गौरवपथ नहीं दिया गया । आखिरी आखिरी में 50 लाख से मिनी स्टेडियम कहीं दिया तो डॉ. रमन सिंह के इलाके में दिया, हम लोगों के इलाके में जरा भी नहीं, यह हाल है । जब आपने नियम बना दिया कि एक-एक विधायक के क्षेत्र में ऐसा होगा और आदर्श गांव में क्या हुआ ? सांसद के गांव में क्या हो रहा है, हम लोगों को जानकारी नहीं है । आपके प्रतिवेदन में ज़रा भी उल्लेख नहीं है, प्रावधान का उल्लेख है । सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी

बहुत सुलझे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा दें, यदि आप उनको 10 देते हैं तो हमको 2 तो दीजिए । आप समरसता की बात करते हैं तो कुछ कुछ योजनाओं में तो दीजिए । या तो यदि आपने नियम नहीं बनाया होता तो हम बोलते भी नहीं । जो आपकी अनुशंसा होती, आप कर देते । किंतु आप यह उल्लेख तो आपके प्रतिवेदन में है कि हर गांव में हम 20 लाख रूपए देंगे । ठीक है आप दूसरे मद से या जैसा भी करके, किंतु जहां तक विधायक और सांसद जो आदर्श ग्राम हैं, जहां तक अटल समरसता भवन, मिनी स्टेडियम और जो बड़े काम हैं, उनको आप प्राथमिकता के तौर पर विपक्ष के विधायकों को भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता है । मुख्यमंत्री गौरव पथ योजना है, उनको भी आप उसी क्रम में 5 की जगह 1 ही दीजिए, उसमें कम से कम बैलेंस बनाकर रखिए। मैं भी पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण का चेयरमेन हुआ करता था, आप रिकॉर्ड खोलकर देख लीजिएगा, मैंने डॉ. रमन सिंह जी को कभी मना नहीं किया, जो प्रस्ताव आता था, हम उसको पूरा महत्व देते थे। आज हम आप सब लोगों को बार-बार बोलते हैं कि हमने जो किया है, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, उस इलाके में तो दीजिए। मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर मैंने अपनी अनुशंसा में नहीं दी होगी तो बिल्कुल मत दीजिए। जब आपकी बारी है तो कम से कम उस बैलेंस को बनाकर रखिए, मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गए। ठीक है लेकिन आप गृह में भी बोलेंगे, इसलिए इसको जल्दी करिए।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं। चलिए थोड़ा सा पुलिस विभाग में आ जाता हूं। मैं थोड़ा सा ध्यान उसी में केन्द्रित करता हूं। श्यामा प्रसाद मुकर्जी रूर्बन योजना, मेरे इलाके में प्रधानमंत्री जी इसका भूमिपूजन करने आए हुए थे, मुझे अच्छा लगा कि इसके भूमिपूजन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, कोई भी योजना बनती है, मैं उसकी भूमिका जरूर पढ़ता हूं। उस गांव में डिजीटल साक्षरता होगी, वहां पर सार्वजनिक परिवहन होंगे, हर आदमी को एल.पी.जी.गैस कनेक्शन मिलेगा, कृषि प्रसरण का केन्द्र बनेगा, कृषि सेवा केन्द्र बनेंगे, भंडारण होगा, वेयरहाउस होगा, कौशल विकास प्रशिक्षण होंगे, दुर्भाग्य है, श्यामा प्रसाद मुकर्जी रूर्बन योजना के लिए मैं समझता हूं कि पैसा आना भी बंद हो गया है। शायद बजट में है या नहीं मैं इसको गंभीरतापूर्वक नहीं पढ़ पाया हूं। मेरे इलाके में कम से कम 12 पंचायत शामिल है। जब प्रधानमंत्री जी किसी चीज का भूमिपूजन करने आए हों, अगर उस रूर्बन योजना की परिभाषा की कल्पना को सोचोगे तो आदमी को उत्साह होता है। आपके विधान सभा में ऐसा हो रहा है, आप जाईए शामिल हो जाईए, आपका बहुत अच्छा कार्य होगा। आज शहर की तर्ज में हम गांव की कायाकल्प कर देंगे, आप वहां जाकर देखिए। आप पूरे प्रदेश में कलस्टर के रूप में 12-12, 15-15 गांव बनाए हो। ये हाल है।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा सा पुलिस विभाग में आ जाता हूं। राज्य में कानून सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूरा विभाग है, उसके कारण ही हम लोग अपने आपको सुरक्षित मानते हैं।

छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से 6 पुलिस रेंज को जिम्मेदारी दी है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, राजनांदगांव, रेंज विभाजित करके सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक जिम्मेदार व्यक्ति को कलस्टर बनाकर जिम्मेदारी दी गई है जिसमें प्रत्येक रेंज में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ हैं। जब आंकलन करोगे, रिजल्ट आता है, प्रदेश में हत्या के 1114 मामले हैं, लूट के 458 मामले हैं, अपहरण के 3644 मामले हैं, चोरी के 7960 मामले हैं, डकैती के 96 मामले हैं, बलात्कार के 3181 मामले हैं, सामग्री चोरी के 3522 मामले हैं, दुष्कर्म के 1030 मामले हैं, महिला उत्पीड़न के 627 मामले हैं, महिलाओं की तस्करी के 1 मामले हैं, ठगी के 780 मामले हैं, नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के 89 मामले हैं, नशीले पदार्थों की तस्करी के 316 मामले हैं, अपहरण के 1444 मामले हैं, हत्या के प्रयास के 3024 मामले हैं, सड़क दुर्घटना के 64002 मामले हैं, गोलीबारी के 6 मामले हैं, गैंगवार के 0 मामले हैं, बलवा के 400 मामले हैं, आपके प्रतिवेदन में जो संदिग्ध की अवस्था में है, रायपुर में 244 है, राजनांदगांव में 209 है, कबीरधारम में 262 मामले हैं, बस्तर में 181 है, दुर्ग में 148 है, मोहला मानपुर में 141 है, कोण्डागांव में 40 है, ये संदिग्ध की परिधि में है और पुलिस विभाग के रिकॉर्ड में है।

सभापति महोदय, शव परीक्षण, जब किसी आदमी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि भैया आप फटाफट पोस्टमार्टम करा दीजिए। हम लोग वहां के टी.आई. को बोलते भी हैं, थोड़ा जल्दी मर्ग कायम कर दीजिए और उनको विधिवत भेज दीजिए। आप उसका आंकड़ा देखिए, आपने पोस्टमार्टम कर दिया, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है या आपकी जिम्मेदारी है, आप कम से कम शव परीक्षण प्रतिवेदन किये जाने की निर्धारित अवधि दीजिए, आपका उसमें दो या तीन दिन में देना जो भी होगा। परिजनों द्वारा दिये गये आवेदन 9071 है, परिजनों को प्रदाय किये गये पी.एम. रिपोर्ट की संख्या 8813 है, 258 लंबित है। कोई आदमी बीमा कराना चाहता है, कोई आदमी किसी और चीज का लाभ लेना चाहता है, जब तक पी.एम रिपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक यह संभव नहीं है।

सभापति महोदय, मैं एक और घटना बताना चाहूंगा। डोंगरगढ़ बलेश्वरी मंदिर में दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहां इतनी भगदड़ होती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र से डोंगरगढ़ मंदिर लगा हुआ है। वहां धमतरी का पूरा परिवार दर्शन करने के लिए जाता है और दर्शन के दौरान ही उपर चढ़ते-चढ़ते भगदड़ होती है, उस भगदड़ में एक महिला की मृत्यु हो जाती है। उनहोंने कहा कि चलो पास के विधायक से मुलाकात कर लेते हैं, पुलिस विभाग पंचनामा नहीं दे पा रहे हैं, उनको अंतिम प्रतिवेदन नहीं मिला है, इतना सेंसिटिव मामला है। धमतरी का आदमी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आता है, पर पुलिस विभाग को अंतिम प्रतिवेदन देने में क्या दिक्कत है ? मां बम्लेश्वरी समिति की ट्रस्ट में इतना पैसा है कि शायद वे भी मदद कर देते, नहीं होता तो आप किसी तरीके से मदद करा देते, वह महिला अपने परिवार के साथ दर्शन करने गई थी और भगदड़ में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है,

आज भी वह एक रिपोर्ट के लिए तड़प रही है, ये कितना दुर्भाग्य है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इसको संज्ञान में लें, ये मेरा विधान सभा क्षेत्र नहीं है, धमतरी विधान सभा क्षेत्र से संबंधित है, पर वे जाते-जाते मेरे से ही निवेदन कर रहे थे। मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। दूसरा, मैंने पिछले समय भी इस बात को कहा था।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी समाप्त करिए।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मैं पीड़ित पक्षों के लिए बोल रहा हूं। मेरे ही विधान सभा तिलईरवाड़ में दिनांक 17.03.2024 को फाइरिंग रेंज में मिस इक्सप्लोजिव, समान को उठाकर घूमने के दौरान हाथ में रखे मटेरियल के फटने से बच्चे का हाथ कट जाता है। दिनांक 17.03.2024 को 208 कोबरा कर्रापुर बालाघाट मध्यप्रदेश में फायरिंग प्रैक्टिस के लिए आई थी, उनके द्वारा मिस राउंड डिफ्यूज क्यों नहीं किया गया, बड़े अधिकारी एस.पी. साहब को पत्र लिखते हैं। बटालियन 208 किन्ना ब्लाक घाट के जवान द्वारा एरिया पे वन सी.जी.एल.ई.वी.एल. एवं 51 जो भी है, फायरिंग प्रैक्टिस 52 रेंज में किसी भी प्रकार के क्षतिग्रस्त बम अन्य विस्फोटक नहीं पाया जाता है, ऐसा रिपोर्ट देते हैं। जब आप वहां के थानादार से चेक कराते हो, तो थानादार के रिपोर्ट से पता लगा कि वह खुद रिपोर्ट देते हैं कि इस घटने से इनका हाथ कट गया है, अब दोनों में विरोधाभास है। आप इस प्रकरण को किस स्तर पर ले जाना चाहते हो, क्या दबाना चाहते हो ? बच्चे का हाथ कटा हुआ है। उनके परिवार का भविष्य खराब हो गया है। फायरिंग रेंज में उक्त बालक कैसे प्रवेश कर गया। ग्राम तिलईरवाड़ के फायरिंग रेंज में किसी प्रकार की कोई घेरा नहीं है जिससे पीड़ित बालक फायरिंग रेंज के भीतर में.. उपर के अधिकारी ने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, पर निचले अधिकारी की जो टीप है, फायरिंग रेंज में किसी यूनिट द्वारा मिस हुए राउंड को रिफ्यूज किया गया अथवा नहीं तथा किस अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही से यह हुआ बताया जाना संभव नहीं है। आप एक तरफ बोलते हैं कि इसके कारण फटा है। आप उसी को हॉस्पिटल में भर्ती कराते हो, एक तरफ किससे घटना घटी है, इसको बताने के लिए तैयार नहीं हो बताया जाना संभव नहीं है। ये बड़ा विरोधाभास है। जांच प्रतिवेदन में उल्लेख है कि ग्राम तुम्हड़ीबोड़ में लक्ष्य साहू, दलेश्वर के साथ में फायरिंग रेंज में जवानों के साथ फायरिंग क्षतिग्रस्त विस्फोटक सामग्री के पीतल भाग को उठाने के लिए गया हुआ था, जहां किसी विस्फोटक सामान के उसके दाहिनें हाथ पर लगने से वह बुरी तरह से जख्मी हुआ। यह आपके थानेदार की रिपोर्ट है। उनके साथ यह दुर्घटना हो गयी और उनका हाथ कट गया। जैसा भी हुआ, परंतु मजे की बात यह है कि एस.पी. साहब कलेक्टर को पत्र लिखते हैं। मैं पत्र क्रमांक का उल्लेख करूंगा तो ज्यादा लंबा समय लगेगा कि यह-यह घटना हुई है तो इनको आर्थिक मदद की जरूरत है तो आप इनकी आर्थिक मदद कर दीजिए। कलेक्टर साहब डिप्टी केलेक्टर के माध्यम से हॉस्पिटल को चिट्ठी लिखते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह पत्र क्रमांक में उल्लेखित है कि राजनांदगांव में दिनांक 11.02.2024 को कलेक्टर साहब डिप्टी कलेक्टर के द्वारा पुलिस अधीक्षक को

पत्र लिखते हैं कि हमारे पास कोई आर्थिक सहायता राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य अधिकारियों को आवेदन प्रेषित किया। एस.पी. साहब कलेक्टर को पत्र लिखते हैं, कलेक्टर सी.एम.ओ. (हॉस्पिटल) को पत्र लिखते हैं। यह हाल है। हमारे पास इतना बड़ा अमला है। इतनी सारी चीजें हैं। यदि उनसे नहीं होता तो कम से कम वह मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख देते या मैंने जो पत्र लिखा है तो मेरे पत्रों पर अमल कर देते। आप उनको 5000-10000-15000 रूपये जन संपर्क से, स्वेच्छा अनुदान से कहीं से भी उपलब्ध करा देते। मैं मंत्री जी से फिर ऐसी अपेक्षा करता हूं।

सभापति महोदय :- चलिये दलेश्वर जी, आप समाप्त करिये। आप बहुत लंबा लगभग 30 मिनट बोल चुके हैं। अभी बहुत सारे वक्ता शेष हैं। अभी 10 लोगों को और बोलना है।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, यह परिवार का मैटर है। किसी का हाथ चला जाता है और आप उनके लिए पत्र में गोल-मोल जवाब देते हैं। मैं फिर से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनके लिए थोड़ी आर्थिक व्यवस्था करवा दीजिए। इससे उस गरीब का भला हो जायेगा। मेरे पास तो बहुत से विषय हैं, लेकिन आपने कह दिया है। अभी कल के ही प्रश्न के जवाब में जानकारी आयी थी तो मैंने पढ़ा कि जेल की क्षमता के विरूद्ध कैदियों की जेलवार जानकारी दी गई। आपने जेल में कैदियों को इतना ठुस दिया है। आपके जेल में 14 हजार 143 कैदियों की क्षमता है तो आप 19 हजार 200 कैदियों को कहां-कहां सुलाते होंगे? बेचारा कैदी। या तो आप उनको कष्ट देने के लिए ही ऐसा बनाए होंगे तो कोई बात नहीं है, परंतु वह कहां पर अपना बिस्तर लगाते होंगे, कौन से बाथरूम में उनका जाना होता होगा। वहां पर क्षमता से अधिक कम से कम 5 हजार 542 कैदी ओव्हर हैं। आप इतना बजट बनाते हैं। यहां जेल खोल दिया गया, वहां जेल खोल दिया गया, यह कर दिया तो कम से कम आप जेल की संख्या को तो बढ़ा दीजिए। कम से कम वह बेचारे अमन-चैन से सजा तो पाये। अपने परिवार को छोड़कर वहां पर जो लोग रहते हैं तो कम से कम वह ढंग से बिस्तर में तो सो सके या जो भी हो। आपको इसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। मैं इस ओर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। आपके जेल की कैपिसिटी के विरूद्ध में 5 हजार 552 कैदी ओव्हर हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अच्छा जेल बन जाये। क्यों साहू जी, आप बढ़िया जेल क्यों बनवा रहे हैं ? आप यह अच्छा वाला जेल क्यों बनवा रहे हैं ?

श्री दलेश्वर साहू :- यदि यह कंट्रोल कर लेते तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने तो शुरू से इसका उल्लेख किया कि आपके ये हैं, वह हैं। आपने कितने अत्याचार किये, कितने लूट किये और आपने कितने फसाद करवाए हैं तो जब आप ऐसा करवा ही रहे हैं तो कम से कम आप जेल की संख्या बढ़ा दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- क्या यह सब 5000 की संख्या 12 महीने में बढ़ गई ?

श्री दलेश्वर साहू :- नहीं, यह 2 साल की संख्या है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी तो वहां पर 10000 कैदी और बढ़ेंगे। जो-जो बदमाशी करेगा, वह सब अंदर कर दिये जाएंगे। किसी को वहां पर बैडमिंटन खेलने नहीं दिया जायेगा, किसी को वहां पर मछली पालने नहीं दिया जायेगा। वह जैसा भी है, हम उसी में उनको सुलायेंगे। अभी हम उसको बनवा रहे हैं। वह धीरे-धीरे बनेगा।

सभापति महोदय :- चलिये दलेश्वर जी, समाप्त करिये। (हंसी)

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, बस थोड़ा लास्ट का और है। अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों।

सभापति महोदय :- नहीं, आप समाप्त करिये।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मैं इतना बढ़िया प्वाइंट बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- आप बहुत अच्छे-अच्छे प्वाइंट बहुत बोल चुके हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- चलिये, छोड़िये। सभापति महोदय, मैं अब अपनी थोड़ी सी मांग कर रहा हूं। यदि आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं, आप तो बहुत समझदार और किसान आदमी हैं। आपकी मांग को मंत्री जी और हम लोग गंभीरता से सुन रहे हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- यदि होता तो आप एक भी बता दीजिए। सर, मैंने आपको भी दिया था।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप सुन तो लीजिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आखिर आप इतनी सुविधा की मांग किसके लिए कह रहे हैं ? 5 साल तक तो आपको बहुत सी सुविधा दे डाले थे। जेल के अंदर कार्ड बोर्ड का सब बना हुआ था, मोबाइल भी था, चपरासी भी था, खाना भी आता था और नैवेद्य से समोसा भी आता था। भाई, सब बंद हो गया। अब जेल को जेल जैसे रख दिया गया है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सभापति महोदय, 5 साल तक इनकी सरकार रही तो यह यहां रहें और अब 5 साल तक इनकी सरकार नहीं है तो अब यह वहां जायेंगे। इसके लिए यह चिंता कर रहे हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, आपने जो रेंज बनाये हैं, यदि आप रेंज के अधिकारी को टाइट करते तो शायद आपको जेल के भवन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अब महतारी सदन योजना में आ रहा हूं। ये सारे हमारे नेता जी ने किये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, अभी तक नहीं समझ पाये कि किसके लिए बना रहे हैं ? आप यह तो बताइये कि इतनी सुविधा किसके लिए चाह रहे हैं ?

श्री दलेश्वर साहू :- अभी आपको वोल्टेज प्रॉब्लम है। अब ज्यादा हो गया। आपने बहुत कर लिया है। (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- है न, मैं उसी में जा रहा हूं।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मैं इनसे पूछता था कि आप लगातार चुनाव कैसे जीतते हैं ? हम लोग आपका अनुसरण करते हैं। किसी अच्छी चीज का विरोध करना हमारी तासीर में नहीं है। हम इनके प्रश्न-उत्तर पढ़ते हैं, आपके व इनके भी प्रश्न-उत्तर पढ़ते हैं। मैंने आपके चुनाव जीतने के रहस्य को भी जानने की कोशिश की।

सभापति महोदय :- चलिये, आप कुछ मांग कर रहे थे।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, इन्होंने मुझे थोड़ा सा छेड़ दिया है तो आप मुझे बोलने दीजिए।

एक माननीय सदस्य :- आपने इनको छेड़ा है तो आपको सुनना पड़ेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय जी, हमारे जो मंत्री हैं, वह स्वयं वहां से राउण्ड लेकर आये हैं तो उन्होंने बताया कि अजय चंद्राकर जी सेव लेकर गये थे तो वह बहुत टेस्टी लगा था। यह बात उन्होंने बतायी थी। उस स्थिति को देखते हुए जेल को सुधारना है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- संगीता जी, अब मोहले जी ने बोला है तो आपका बोलना जरूरी हो जाता है। (व्यवधान)

श्री दलेश्वर साहू :- अब मोहले जी ने बोला है तो इनको जवाब तो देना पड़ेगा। सभापति महोदय, हमने बहुत गंभीरता से मोहले जी के चुनाव जीतने का अध्ययन किया। आप सांसद रहे और लगातार विधायक बन रहे हैं तो आपके जीतने का क्या कारण है तो उनके हर सेक्टर में भाभी जी हैं। (हंसी) वह इनके परिवार की तरह काम करते हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है, यह लोग बताते हैं। यह पवित्र सदन है। आप जो भी, जैसा भी समझें। इनके जीतने का भी एक राज है। हर सेक्टर में परिवार रहना बड़े मजे की बात है। मैं सोचता हूं कि शायद हम सब।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप जेल के अंदर भी अपने साथ एक परिवार रख लेना। (हंसी)

श्री राजेश मूणत :- दलेश्वर भाई, आप उनकी बहुत सी चीजों में मत जाना। उनका पंच का भी है, सरपंच का भी है, विधायक का भी है। कुल-मिलाकर 13 हैं। आप उस लाइन पर मत जाना।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मेरी छोटी सी मांग है। महतारी सदन योजना में आप 2 भी दे देंगे तो चलेगा। मेरा खुद का गांव है। मुसरा क्लस्टर में आप जो भवन की बात कर रहे हैं। मेरी अर्जुनी क्लस्टर में व आलीवारा अर्जुनी में एक मिनी स्टेडियम की भी मांग है। मनेरी और बरगांव में चूंकि मिनी स्टेडियम की जरूरत है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मेरा डोंगरगांव और राजनांदगांव जिला अन्य जिलो की तुलना में फुटबॉल व हॉकी का गढ़ है। आज भी मेरे इन 2 गांवों, जिनके लिए मैं मिनी स्टेडियम की बात कर रहा हूं, वहां पर हम प्रदेश स्तरीय फुटबॉल का कार्यक्रम कराते हैं। वहां पर बाहर के बड़े-बड़े खिलाड़ी आते हैं। वह बार-बार मिनी स्टेडियम के लिए बोलते हैं। मैंने उसको अपने कार्यकाल में कराया है, परंतु आप इसका परीक्षण करवा लीजिएगा कि क्या मनेरी में प्रदेश स्तर पर फुटबॉल मैच

का आयोजन होता है या नहीं होता है और क्या बरगांव, डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र में प्रदेश स्तर का फुटबॉल मैच होता है या नहीं होता है। आप इसका पता लगाने के बाद ही निष्कर्ष पर जाइये और निर्णय लीजिएगा, परंतु मैं इस सदन से व आपसे मांग कर रहा हूं कि इन दोनों जगहों में मिनी स्टेडियम बनायी जायें। जैसे आपने अभी लास्ट-लास्ट में डॉ. रमन सिंह जी को 4 स्टेडियम दिये हैं। उसी में आप 2 और जोड़ दीजिएगा। मुख्यमंत्री गौरव पथ। आपने राजनांदगांव जिले में किसी को इसका लाभ नहीं दिया है। आपने अलग-अलग जगहों में इसका लाभ दिया है। एक मेन गौठान से हाई स्कूल पहुंच मार्ग है। हाई स्कूल पहुंच मार्ग एक शब्द है। मुख्यमंत्री गौरव पथ में मेन गौठान से हाई स्कूल पहुंच मार्ग, शीतला पारा से मीडिल स्कूल पहुंच मार्ग है। कम से कम बच्चे के दृष्टिकोण से इनको आप स्वीकृति दे दीजिएगा। बाकी तो मैं आपसे और निवेदन करूंगा, परंतु मुख्य रूप से आप अपने बजट भाषण में इसको कहियेगा। ये दो छोटे-छोटे काम हैं। महतारी सदन योजना, मिनी स्टेडियम और मुख्यमंत्री गौरव पथ योजना है। क्या मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं? वह गांव रूआतला है। महतारी वंदन का मेरा आलीवारा गांव है, अर्जुनी क्लस्टर का गांव है, मिनी स्टेडियम मनेरी का है, डोंगरगांव, बरगांव, डोंगरगांव। मुख्यमंत्री गौरव पथ में मेन रोड से हाई स्कूल पहुंच मार्ग का है। यह रूआतला, डोंगरगांव है। शीतला पारा से मीडिल स्कूल पहुंच मार्ग हल्दी का है। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा आपसे यह निवेदन है। सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, मैंने जो बात सदन में रखने का प्रयास किया, शायद आप मुझे और समय देते तो मैं थोड़ा-बहुत और कुछ बोल पाता। इतने के लिए मैं आपका हृहय से आभार मानते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, अत्यंत हर्ष का विषय है कि गृह विभाग में चर्चा हो रही है और सुदूर वनाचंल क्षेत्र के कोंटा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के हमारे विद्यार्थी आज इस पूरे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) उसमें से हमारी कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं, जो पहली बार कोंटा क्षेत्र से इस शहर की ओर आये हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं और माननीय मंत्री जी को भी बधाई देते हैं कि नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से हमारे उन बच्चों में एक नई उम्मीद जगी है।

सभापति महोदय :- माननीय वक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि समय की पाबंदियां भी है और 10 लोगों को बोलना है तो कृपया संक्षेप में 10-10 मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे। श्री सुशांत शुक्ला जी।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं मांग संख्या- 3, 4, 5, 30, 80, 46 तथा 47 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, जब विषय छत्तीसगढ़ सरकार के विष्णु देव साय जी के सुशासन पर विजय संकल्प के साथ एक अमिट छाप छोड़ने की नक्सल उन्मूलन के खिलाफ व्यवस्था बन रही है, तो अपने आप में यह वर्ष उल्लेखनीय हो जाता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य 2026 राज्य नक्सल उन्मूलन

की तरफ बढ़ चुका है और व्यवस्थागत ढांचे में कुछ आवश्यक परिवर्तनों के साथ हम पुलिस को मनोबल देने जा रहे हैं। राज्य सरकार और पुलिस बल संसाधनों में वृद्धि करने के लिए वर्तमान बजट में 7,786 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है, यह अपने आप में उल्लेखनीय है। वर्ष 2025-26 के मूल बजट के पूंजीगत परिव्यय मद अन्तर्गत 829 करोड़ रूपए की राशि बजट में प्रावधानित किया गया है, जो विगत वित्तीय वर्ष के प्रावधानित राशि 406 करोड की तुलना में 422 करोड़ की वृद्धि की गई है, जो स्वागत योग्य है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अवगत कराना चाहूंगा कि वर्तमान में राज्य में पुलिस कर्मियों के 18,355 आवास उपलब्ध हैं। जबकि पुलिस विभाग में उपलब्ध बल 83,259 है। इस तरह पुलिस विभाग में आवास संतुष्टि 22 प्रतिशत है। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि प्रधान आरक्षक और आरक्षक पुलिस की रीढ़ की हड्डी हैं। उनके लिए 2,384 आवास एवं राजपत्रित अधिकारियों के लिए 500 आवास का प्रावधान किया गया है, जो अपने आप में स्वागत योग्य कदम है। पुलिस प्रशासनिक भवन, आवासीय गृह एवं अन्य निर्माण के लिए 518 करोड़ रूपये का प्रावधान यह दर्शाता है कि पुलिस विभाग की अधोसरंचना पर नवनिर्माण के लिए शासन विशेष महत्व दे रही है। सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुलिस विभाग में 6,085 नवीन पदों का भी प्रावधान किया गया है। यह अपने आप में छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के साथ-साथ पुलिस को संबल देने के लिए स्वागत योग्य कदम है, जो पिछले वर्षों में की तुलना में काफी ज्यादा है। इस वर्ष नवीन थाने, अतिरिक्त चौकी संस्थागत रूप से उपलब्ध करा रहे हैं। नवीन संरचना के अन्तर्गत स्पेशल Operation Group Anti Narcotics Task Force का गठन भी किया है। यह भी स्वागत योग्य कदम है। छत्तीसगढ़ में नवगठित जिलों में आजाक्स थानों का प्रावधान तथा 5 जिलों में साइबर अपराध को चुनौती पूर्ण देखते हुए हमने नवीन साइबर थाना खोलने का भी निर्णय लिया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बस्तर में स्थानीय युवकों से बनी बस्तर फाइटर्स को भी मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 3,202 नवीन पदों का प्रावधान इस बजट में किया गया है, जो स्वागत योग्य कदम है। केन्द्र सरकार से राज्य में एक सशस्त्र वाहिनी का गठन करने हेतु सहमति बनी है। इसमें केन्द्र सरकार को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि राज्य में नवीन भारत रक्षित वाहिनी के गठन हेतु 1,007 पदों का प्रावधान भी किया गया है, जो स्वागत योग्य है। नक्सल उन्मूलन अभियान और कानून व्यवस्था हेतु बुलेट प्रूफ वाहन, mounted jammer, W.H.P. वाहन शेष राशि का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार विशेष आसूचना को हल्का वाहन मोटर साइकल उपलब्ध कराना है। क्योंकि देखने में यह आता है कि L.I.B. के जो सिपाही होते है, वह साइकल में घूमते हैं। हम तो बिलासपुर में

देखते हैं कि वे साइकल में घूम-घूमकर आसूचना एकत्रित करते हैं, उनको वाहन उपलब्ध कराना, स्वागत योग्य कदम है।

माननीय सभापति महोदय, crime and criminal tracking network system N.C.R. नई दिल्ली गृह मंत्रालय भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य थानों को तकनीकी तौर पर सक्षम बनाना है। समाधान मोबाइल एप और मिसाइल मोबाइल एप को दिनांक 14 मार्च, 2024 को लांच किया गया और इसको सरलतापूर्वक निष्पादित करने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जो स्वागत योग्य कदम है।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध तीव्र गति से बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में बढ़ रहा है। जब इसके विरूद्ध काम करने की आवश्यकता है तो जागरूकता की भी आवश्यकता है कि इन विषयों पर जनता जागरूक हो। crime help number 1930, call centre, cyber crime control room की स्थापना और संचालन अपने आप में स्वागत योग्य कदम है। प्रशासन लगातार साइबर जनजागरूता पखवाड़ा भी चला रहा है। साइबर कमाण्डो बनाकर उनके लिए जन जागरूकता का विषय बनाया जा रहा है, यह भी स्वागत योग्य कदम है। साइबर अपराध पर कार्रवाई हेतु रेंज स्तर पर 5 साइबर थाने रायगढ, कोरबा, राजनांदगांव, कबीरधाम और विवेचना हेतु सहायक हार्डवेयर और साफ्टवेयर भी क्रय किया गया है, यह अपने आप में उल्लेखनीय है।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ शांति प्रिय प्रदेश है। वर्ष 2023 की तुलना में 2023-24 में अपहरण, व्यपहरण, चोरी, बलवा आगजनी, महिला संबंधी अपराधों, शीलभंग, दहेज प्रताड़ना जैसे अपराधों में पूर्ववर्ती समय के पूर्व समय में कमी आई है, यह भी अपने आप में उल्लेखनीय है।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज।

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं हर तोर ही बात करता हौं। सुन लें। प्रदेश में गौवंश की तस्करी ..। यादव जी, सुन लें कि पिछले पांच साल मा तस्करी करे हौं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, प्रदेश मा पहला 15 साल के सरकार मा बिहार और उत्तर प्रदेश के मुजरिम इहां आ के खड़ा होवत हे। यही सरकार मन ओला अच्छा मानत हे।

श्री सुशांत शुक्ला :- तुमन ही तो लाय रहे हौ।

श्री रामकुमार यादव :- बिहार अऊ उत्तर प्रदेश से मुजरिम आवत हे। आप का बात करत हौं। ओ मन सब तुंहर बिलासपुर मा ही बइठे हावय।

श्री सुशांत शुक्ला :- तुमन ही तो लाय रहे हौ न।

श्री रामकुमार यादव :- जब ले तुंहर सरकार आय हे तब से प्रदेश मा गांजा, अफीम चलत हे।

श्री सुशांत शुक्ला :- रायपुर मा मुगलिया सल्तनत चलात रिहीस हे, ओई मन तो लाय रिहीस हे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, लबारी झन मारौ। तुंहर सरकार आय के बाद अपराध बढ़े हे।

श्री सुशांत शुक्ला :- पिछले पांच साल मा रायपुर मा मुगलिया सल्तनत चलात रिहीस हे, ओई मन तो लाय रिहीस हे, ओ मन ला अऊ कोन लाय रिहीस हे तो जवाब तो तुंहर मन दिहा न।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, इधर बोलिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- जी।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यगण, सीधे बात न करें।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में गौवंश की तस्करी रोकने के लिए नया ए.पी.ओ. जारी किया गया है। रोडमैप तैयार करके अंतरराज्यीय सीमाओं पर चेक पोस्ट लगा कर जांच की जा रही है। गौ तस्करों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। यह स्वागत योग्य कदम है। तस्करी में प्रयुक्त वाहनों को भी राजसात कर जब्ती करके कार्रवाई की जा रही है। नियमित गस्त पेट्रोलिंग, चेकिंग भी किये जा रहे हैं, यह भी स्वागतयोग्य कदम है। वर्ष 2026 तक छत्तीसगढ़ प्रदेश नक्सलवाद मुक्त हो, यह भारत का संकल्प है और उसमें छत्तीसगढ़ सहयोगी बने, इसलिए माननीय गृह मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं। यह संपूर्ण राज्य नक्सल उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, यह अपने आप में अद्भूत विषय है, जिसके लिए बहुत सारे कार्य छत्तीसगढ़ पर समय-समय पर हो रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ता जेलों में आवास संबंधी विषयों में बोल रहे थे। पता नहीं कि वे किसकी सुविधा के लिए बोल रहे थे, परन्तु यह विषय वाकई गंभीर है कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदी है। मैं आपके माध्यम से एक विषय उठाना चाहता हूं कि जिला बिलासपुर में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नवीन जेल बनने के लिए पिछले सात वर्षों से लंबित है। यह किन कारणों से रूका हुआ है, उसकी जानकारी अप्राप्त है। इस बार जो राशि प्रावधानिक की गई है। कुल लोग जो पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार का विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनके लिए आने वाले समय में काम आने वाली है, लेकिन जल्द ही बनेगा तब उसका लाभ होगा।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री रइथे, ओई मन जेल मा जाथे। तुंहर मन ला देखे रइहौ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि बैमा नगोई में जेल बनने जा रही है, उसका जल्द से जल्द निर्माण हो, ताकि बिलासपुर की बहुत ही महंगी भूमि रिक्त हो और उसका उपयोग सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जा सके। सभापति महोदय, पी.एम.जी.एस.वाई., पी.एम.वाई.जी. सरकारी योजना में लाखों जरूरतमंद परिवारों को आवास के लिए हमारी सरकार बहुत सारी व्यवस्थाएं देने जा रही है। हमने मोर आवास, मोर अभियान विषय को लेकर पिछले पूर्ववर्ती समय में सड़कों पर संघर्ष किया है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी का आवास से वंचित परिवारों को छत देने का सपना है, जिसके लिए माननीय विष्णु देव साय जी और माननीय विजय शर्मा जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लाखों लोगों को आवास मिले,

ताकि वंचित परिवारों के छत के सपने को पूर्ववर्ती सरकार ने जो रोक रखा था, उसकी प्रतिपूर्ति होकर उनको आवास मिले ताकि वह भी पल्लवित और पुष्पित होकर छत्तीसगढ़ के विकास के साथ चल सके। इसी परिकल्पना के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। एक विषय समय-समय पर आता है, जिस पर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों में गांवों में शासकीय जमीनों को राजनीतिक कारणों से कब्जा कराकर प्रधानमंत्री आवास के लिए आबंटित कराकर उपयोग में लिया जा रहा है, वह क्रम अभी भी चल रहा है। इस पर रोक लगाना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही हैं, उनको पंचायतों के राजनीतिक लोग शासकीय जमीनों पर कब्जा कराकर वहां पर आवास बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, इसके विरूद्ध कोई योजना बने, ताकि आने वाले समय में जो शासकीय जमीनों की गांवों में चारागाह और अन्य कार्यों के लिए उपयोग होती है, उस पर रोक लगनी चाहिए। सही तरीके से विधिवत निर्माण हो, ऐसी व्यवस्था बने। जब हम गांवों में इंटरनेट सुविधा की बात करते हैं तो लाल किले की प्राचीर से माननीय मोदी जी ने जब डिजिटल इंडिया की शुरूआत की थी तब लोग हंसते थे। आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार गांवों में इंटरनेट की सुविधा देने जा रही है। ग्रामीण अधोसंरचना विकास के लिए भी ..।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- कितने जगहों में दी है। एक भी जगह में इंटरनेट नहीं है। पंचायतों में अभी भी सुविधा नहीं मिल रही है।

श्री रामकुमार यादव :- स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सपना देखा था और आप लागों ने सिर्फ अंबानी को कमाने के लिए सपना देखा है। आप लोगा बी.एस.एन.एल. सरकारी संस्था को नहीं बढ़ा रहे हैं, आप लोग सिर्फ अंबानी, अडाणी को बढ़ाओगे।

सभापति महोदय :- प्लीज, बैठिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने जहां-जहां पर भ्रष्टाचार किया है, जहां-जहां पर उंगली रखे हैं, वहां यह लोग तिलमिला जाते हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अभी आपकी सरकार है और एक साल बीत चुके हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने भारतपेट परियोजना में करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार किया है, उस पर तो जवाबदेही के समय मूक बधिर हो जाते थे जब छत्तीसगढ़ में भारतनेट परियोजना में भ्रष्टाचार करते थे और आज जब इंटरनेट की गति बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ के गांव इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, तब इनको बहुत चिल-पो हो जा रही है । सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर गांव की अधोसंरचना का विकास तय होता है तो तकलीफ किस बात की है ? अभी पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि गांवों में विकास नहीं हुआ है, 5 साल तक पांच लाख रूपये का काम और एक ढ़ेला नहीं रखने वाले लोग बात करते हैं, आज छाती पीट रहे हैं । आज ग्राम पंचायतों को लाखों रूपये के काम मिल रहे हैं, तब तो तकलीफ नहीं हो रही है ? अपने सरकार के विकास कार्यों की पिछले

पांच सालों में पांच उपलब्धि नहीं बता सकते हैं और आज छाती ठोंकते घूमते रहते हैं? सभापति महोदय, मैं आज सदन में सार्वजनिक तौर पर कहता हूँ कि अपने क्षेत्रों में अपनी सरकार की पांच उपलब्धि बताईये, जहां गांव के विकास की व्यवस्था बन सके हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- मैं चैलेंज करता हूँ, आप आ जाईये । आप पांच घोटाला किये हो । (व्यवधान) आप बताओ कि एक साल में क्या किये हो ?

श्री सुशांत शुक्ला :- आपकी चुनौती मुआवजे में रूक जाती है । आपके समय 63 मुआवजे के प्रकरण लंबित हुये हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- राम कुमार जी । (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी :- आप पहले भी 18 लाख आवास बोलते थे, आज भी 18 लाख आवास बोलते हैं, कल भी 18 लाख आवास बोलेंगे । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- क्या घोटाला हो रहा है उसको...। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- 15 साल में चावल घोटाला अऊ डामर घोटाला होय हे ।

श्री सुशांत शुक्ला :- गांव में 5 ग्राम नहीं गिरा सकते ...।(व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- चौकीदार, साथ में चाय पीयेंगे, 15 लाख रूपये देने की बात किये थे, 15 लाख कहां है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- 8 रूपये स्कवेयर फिट बिलासपुर में ..।(व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- नरवा, गरवा, घुरवा, बारी अऊ भ्रष्ट्राचार के यही संगवारी । यह पिछली सरकार का नारा था । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- नरवा, गरवा, घुरवा, बारी म 5 लाख हमर सरकार म दे हन । 5 लाख रूपया सुरक्षित हो गे हे । (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी :- नरवा, गरवा, घुरवा, बारी बंद हो गये तभी तो महिलायें बेराजगार हो गयी । महिलाओं को जहां रोजगार मिल रहा था । बाड़ियों में काम हो रहा था, वह भी बंद हो गया । गौठान बंद हो गया । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- नरवा, गरवा, घुरवा, बारी आव मिलके भ्रष्ट्राचार करव संगवारी । इस तरह की इनकी व्यवस्था थी । यह क्या बात करेंगे ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सुशांत जी, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि बजट के अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है, आप लोग सीधे आरोप-प्रत्यारोप करते हैं, सदन की गरिमा का ध्यान रखें । अनुदान मांगों पर चर्चा करें ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, वह बजट में बात करें । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- बजट में बात करे न भई ? (व्यवधान) बीएसएनएल का नहीं बढ़ायेंगे, अडानी-अंबानी का बढ़ायेंगे. । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, छेड़े ना, तो जवाब मिलेगा । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जब छत्तीसगढ़ की यह वर्तमान सरकार ग्रामीण अधोसंरचना के विकास पर काम कर रही है, ऐसे समय में भी गांव का भी मास्टर प्लॉन बनना चाहिये, ताकि शासकीय कार्य संतुलित तौर पर हो सके, विधिवत तौर पर हो सके और अवैध तौर पर शासकीय जमीनों का दुरूपयोग न हो, इसके लिये मास्टर प्लान की आवश्यकता है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मास्टर प्लान बनाने में कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं है । वर्तमान पटवारी नक्शे में ही भूमि अगर सुरक्षित कर दी जाये तो किस निर्माण के लिये है तो अपने आप गांव का मास्टर प्लान बन जायेगा और शासकीय निर्माण व्यवस्थित हो पायेंगे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, आप लोग तो चुनाव पीरियड मतें जमीन को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, जो अवैध बना हुआ है, उसको तो सुरक्षित कर लीजिए ? (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- लगता है कि भूल जाते हैं, उड़ते पंजाब के तर्ज में उड़ता खसरा इनकी सरकार की देन है और जमीन हम बचायें ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं अभी त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की बात कर रही हूँ...। (व्यवधान) आप उसकी बात क्यों नहीं करते ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- 8 रूपये स्कवेयर फिट...। (व्यवधान) सरकार आप चलाव ..। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, आप अभी का अभी आदेश कलेक्टर से करवाईये कि सब को तोड़े ।

सभापति महोदय :- चलिये ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया जाये । उनको बोलने का अवसर दिया गया है ।

श्री रामकुमार यादव :- आपत्ति हमर होवय ..। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सुशांत जी, 10 मिनट से ज्यादा हो गये हैं ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, थोड़ा समय तो देना होगा । मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ ।

सभापति महोदय :- संक्षेप करिये । समाप्त करिये ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार में भ्रष्ट्राचार, अपराध और अपराधी ..।(व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, फिर भ्रष्ट्राचार...। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सिर्फ नरेन्द्र मोदी ..। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, आज भी इन लोग पूववर्ती पर जी रहे हैं और बात करते हैं । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- भारत के जनता पूछना चाहथे....।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- क्या काम किये हो, इस बात को बोलिये ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, ग्राम सड़क योजना में माध्यम से लगभग 44,967 किलोमीटर और 458 वृहत पुलों के लिये राशि के आवंटन की व्यवस्था दी गई है, यह स्वागत योग्य कदम है । सभापति महोदय, पूर्ववर्ती वर्ष में योजना के प्रारंभ से अब तक 8304 किलोमीटर की सड़कें और 402 वृहत पुल पूर्ण राशि करके 15,451 करोड़ का व्यय किया गया है । ऐसे पूर्ण सड़कों से वर्तमान समय में 10,622 पात्र बसाहटें लाभान्वित हो रही हैं । यह अपने आप में स्वागतयोग्य कदम है । छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से लखपति महिला, सामुदायिक आधारित कृषि, कृषक उत्पादन कम्पनी (एफपीसी) और उत्पादन समूह पीजी के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिसके लिए बजट में प्रावधान है, यह भी स्वागतयोग्य कदम है। चक्रीय निधि सामुदायिक निवेश कोष, बैंक क्रेडिट लींकेज, वीआरएफ का भी प्रावधान है। मनरेगा के तहत हमारे राज्य में 37,26,000 परिवारों को रोजगार कार्ड, जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें से 3,84,000 अनुसूचित जाति परिवार और 12,34,000 अनुसूचित जनजाति परिवार भी शामिल हैं ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति जी, अभी मनरेगा के तहत किसी को पैसा नहीं मिल रहा है । एक साल से मनरेगा का पैसा नहीं मिल पाया है, उसकी भी जानकारी दीजिए ।

श्री सुशांत शुक्ला :- जब हम तकनीकी शिक्षा पर बात कर रहे हैं, उसमें भी हमारी सरकार उल्लेखनीय काम कर रही है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सुनना भाई, तै सपना भी देखथन का पूर्ववर्ती। (हंसी)

श्री सुशांत शुक्ला :- जब छत्तीसगढ़ के आदमी तुमन ला याद कर करके रोवथे, छाती पीट-पीट कर भ्रष्टाचार करे हव, ओला देख-देख के रोवथे तो फिर हमला याद करे में का बुराई हे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मोला लगथे कि सोते हुए भी सोचथस कि पूर्व सरकार में ये होएहे, वो होएहे ।

सभापति महोदय :- संगीता जी और हर्षिता जी, आप लोग सीधे चर्चा करते हैं, यह उचित नहीं है । सीधे संबोधन न करें ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक युवाओं को तकनीकी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । वर्तमान में 33 जिलों में 3 शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, 25 अन्य निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित हैं । 37

शासकीय पॉलीटेक्निक और 17 अन्य निजी पॉलीटेक्निक संस्थाएं संचालित हैं, जिसमें इंजीनियरिंग महाविद्यालय की कुल 1,11,016 सीटें और पॉलीटेक्निक संस्थाओं में 8777 सीटें उपलब्ध हैं । यह अपने आप में उल्लेखनीय विषय है । यह एक वर्ष में प्रगति हुई है। यह अभी तक की सबसे ज्यादा सीटों की उपलब्धता है । धमतरी के नगर पंचायत, कुरूद में नवीन पॉलीटेक्निक कॉलेज की स्थापना हेतु कुल 65 पद और 1 करोड़ रूपए का प्रावधान बजट में किया गया है । शासकीय पॉलीटेक्निक के स्तरोन्नयन संबंधी निर्माण पर बात की जा रही है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि एशिया की सबसे बड़ा आईटीआई मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, जिसमें पिछले बजट सत्र में माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और निरीक्षण में गए भी थे । यह 1800 समथिंग में खुला था, यह एशिया का सबसे बड़ा आईटीआई है, लेकिन आज एक वर्ष पश्चात् भी वहां पर अधिकारियों की मिलीभगत से आज भी कोई निर्माण प्रस्तावित नहीं हो पाया है, जो आपने आश्वासित किया था।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यही डबल इंजन की सरकार है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उन्होंने तत्कालीन समय में जो घोषणा की थी, उसकी प्रतिपूर्ति की व्यवस्था हो । साथ ही वह इतना बड़ा कैम्पस है कि तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से वहां बीपीओ भी संचालित किया जा सकता है, उसके लिए भी आग्रह है। मल्टीनेशनल कम्पनियों के माध्यम से लगातार प्रस्ताव आ रहे हैं कि कुशल और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, विदेशों में और भारत में अलग-अलग कम्पनियों में उनकी आवश्यकता है । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि ऐसी कोई योजना बनें, ताकि आईटीआई, पॉलीटेक्निक से प्रशिक्षित युवा रोजगार के लिए जो अवसर आ रहे हैं, उससे चूकें न और अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों में रोजगार पा सकें ।

सभापति महोदय, आपदा विषय पर एक एफडीआरएफ की व्यवस्था बनी थी। बिलासपुर में यह चीज हमेशा देखने में आई है कि अग्निशमन सुविधाओं से हम थोड़े कमजोर हैं । हमें लगातार एनटीपीसी और एसईसीएल से सहयोग लेकर फायर बिग्रेड और अन्य व्यवस्थाओं की व्यवस्था बनानी पड़ती है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बिलासपुर में सर्वसुविधायुक्त अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जायें, ताकि बिलासपुर में जो अग्नि संबंधी व्यवस्थाएं हो सके । पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अग्निशमन योजन सिरगिट्टी में लागू की गई थी, जो आज दिनांक तक लंबित है, उसके लिए बजट में घोषणा भी की गई थी, लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति पूर्ण नहीं हो पाई ।

सभापति महोदय, अब मैं कुछ मांगों पर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में जो व्यापक भ्रष्टाचार पूर्ववर्ती सरकार में किया गया, उसकी जांच आज दिनांक तक लंबित है ।

श्री रामकुमार यादव :- गुरूजी भर्ती होए हो, ओला निकाल डरव । तीन हजार गुरूजी ला निकाल दे हवव ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- इस पर मेरी आपत्ति है । अगर पूर्ववर्ती सरकार पर बहस होना है।

श्री सुशांत शुक्ला :- अनुदान मांग पर चर्चा है ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- पूर्ववर्ती सरकार पर यह प्रमाणित नहीं हुआ है और ये भ्रष्टाचार-भ्रष्टचार चिल्ला रहे हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- भूत बनके मशके रेहे, तेन पांच साल ले नहीं उतरे हे। तूंहर भूत ह पॉच साल ले नहीं उतरे हे ।

श्री सुशांत शुक्ला :- तै बइठ जा भई ।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर 5 साल के भूत हर नइ उतरय।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, इनको अभी-भी यही लग रहा है कि यह पिछले 5 साल के कार्यकाल में चर्चा कर रहे हैं। यह हर बात में पूर्ववर्ती से चालू कर रहे हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में जो भ्रष्टाचार किया गया है, उसकी जांच जल्द पूर्ण हो। सभापति महोदय, मेरा सदन से (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, यह भ्रष्टाचार की बात करते हैं। यदि हम लोग गिनाने लग गये और नान घोटाले और इस तरह के घोटाले के बारे में बोले तो। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सुशांत जी, आप मांग रखिये और समाप्त करिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। मेरे साथी मेरे प्रश्नों पर बहुत जंपिंग- जपांग कर रहे हैं। वह बता दें कि घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था ?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, घोटाला नहीं हुआ था। आप जांच करा लीजिये तो सामने आ जायेगा। आपको किसने रोका है, आप जांच करा लीजिये ?

श्री सुशांत शुक्ला :- पैसा (व्यवधान)। कर रहे हैं ना। मैं उसी की तो मांग कर रहा हूं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, इन्होंने जांच नहीं करायी है और सिर्फ बता रहे हैं कि घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है। यह खुद ही वकील है और खुद ही जज है। आप खुद ही वकील और जज बने बैठे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, वह जेल बनावत हे, तेला बने बना ले रहय।

श्री सुशांत शुक्ला :- साहब, मैंने तो मांग की है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप पूरे समय वही बात कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात छोड़कर जांच करवाईये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप अनुदान मांगों में मांग रखिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, गांव का मास्टर प्लान बने, उसके लिये बजट में प्रावधान हो, इसके लिये मैंने पहले भी मांग की है और आज भी कर रहा हूं। महतारी वंदन और समग्र योजना को और व्यापकता देनी चाहिए ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा गांव इससे लाभान्वित हो सके। जिला पंचायत की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूर्ववर्ती समय में अधिकारविहीन हो गयी है। (हंसी) पूर्ववर्ती समय मतलब पहले से है। मैं पूर्ववर्ती मतलब 5 साल पहले का नहीं बता रहा हूं। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, तोहर हाथ-पांव जोड़त हव। (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- (व्यवधान) पिछले समय में पंचायत की मांग में बढ़ाया गया था और उनका (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, ओकर जांच तो कर देवव। ओकर से पूर्ववर्ती छूटबे ही नइ करत हय।

सभापति महोदय :- माननीय रामकुमार जी, बैठिये। वह पूर्ववर्ती बोलते हैं तो आपको तकलीफ होती है। पूर्ववर्ती की बढ़ाई करते हैं, तब भी आपको तकलीफ होती है। सुशांत जी, आप समाप्त करिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, जिला पंचायत की व्यवस्था को, वर्तमान संरचना को प्रभावशाली बनाने के लिये और भी बहुत सारे जतन करने चाहिए और उनको अधिकार संपन्न करना चाहिए ताकि वह विभागीय व्यवस्थाओं के सरोकार के साथ पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो पंचायतों को संरक्षित करने की व्यवस्था है, उसको मजबूत कर सके। मैंने कोनी आई.टी.आई. की कार्ययोजना पर मांग की। मैंने कम्पनियों के कुशल प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिए मांग की। उनके योजना बने ताकि रोजगार के अवसर मिले। बिलासपुर में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है और वह सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसकी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में भवन, लैब और शिक्षक की प्रतिपूर्ति व्यवस्थित हो। हमारे बीच के एक विधायक वहां से शिक्षित भी हैं।

सभापति महोदय, एक विषय जो गृह विभाग का है कि बस्तर क्षेत्र के पुलिस कर्मचारियों को खासकर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा टर्म इंश्योरेंस के प्रावधान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। यह भी एक चिंता का विषय है। उनको टर्म इंश्योरेंस के प्रावधान उपलब्ध हो। बस्तर के पुलिस कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलता है। शिक्षा की गारंटी के तहत पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को भी कम से कम स्कूल मिले। पूर्ववर्ती समय में भी चर्चा के दौरान इसका विषय आया था। यह प्रावधान बने कि उनके बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा की व्यवस्था उनके साथ जुड़े और उनको स्कूल मिले।

सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि छत्तीसगढ़ अब भीषण गर्मी और गर्मी की चपेट में है। हमारे यहां सामान्य तौर पर दो ही मौसम आ गये हैं, गर्मी और भीषण गर्मी। पुलिस की

वर्दी में भी संशोधन होना चाहिए। खासकर टोपी और जूते में। यह ऐसे तौर पर बदले जाये, जिनमें उनको आराम हो। क्योंकि उनको लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है। यदि पैर गर्म होता है तो स्वाभाविक तौर पर मस्तिष्क गर्म होता है, उसके बाद कार्रवाई हो जाती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, आप टोपी और जूते को सुनने के लिये अकेले बैठे हैं, उधर आपके कोई अधिकारी नहीं है। यदि मंत्रिगण नोट नहीं करते हैं तो वह लोग तो नोट करते ही करते हैं। वहां नोट करने वाले गायब हैं। आधे बैठे हैं और आधे नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मोला ऐसे लागत हे कि छत्तीसगढ़ सरकार ला अधिकारी मन टोपी पहना देवत हवय।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- चन्द्राकर जी, धन्यवाद। आपने इस बात की ओर संज्ञान लिया। मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने हमारी ओर से बात रखी।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, बोलिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, वर्दी में संशोधन के तहत कम से कम जूते और टोपी बदलने चाहिए क्योंकि गर्मी भीषण तौर पर पड़ने लगी है। दुर्घटना में सबसे पहले पुलिस पहुंचती है परंतु उसके पास सहायता के लिये मशीनें नहीं होती है। जैसे उनके पास कटर और अन्य हाईड्रा जैसी सामग्री नहीं होती है, इसके लिये बजट में प्रावधान हो। पुलिस को कम से कम जिला मुख्यालय पर सुविधाएं उपलब्ध हो ताकि दुर्घटनाओं में सबसे पहले पहुंचने वाली पुलिस को लोगों की सहायता करने में आसानी हो। पुलिस कर्मियों के लिये स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था के लिये बजट में प्रावधान होना चाहिए। इसका प्रावधान भी होना चाहिए कि उनको समय-समय पर चिकित्सा लाभ मिले। स्थानांतरण नीति पर भी विषय आना चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप स्कूल और आवास के लिये भी बोल दीजियेगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- मैंने बोल दिया है। पुलिस विभाग में स्थानांतरण नीति प्रभावी हो ताकि मैदानी क्षेत्रों में राजनीतिक और प्रशासनिक लाभ लेकर वर्षों से डटे हुए अधिकारियों को बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में जाना चाहिए, ताकि वहां के लोग यहां पर आ सके और यहां के लोग वहां जा सके, जिससे उनको पारिवारिक मनोबल मिले। लंबे समय से बहुत पुलिसकर्मी बस्तर और सरगुजा में है और लोग प्रभावी तौर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मैदानी इलाकों में पोस्टिंग पाते रहते हैं।

सभापति महोदय :- सुशान्त जी, आप समाप्त करिये।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विषय है। पूर्व में वहां मोपका और मंगला में दो नये थाने स्वीकृत हुए थे मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि उन थानों की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन बल सेटअप की उपलब्धता नहीं दी गई है। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि उनको बल सेटअप की उपलब्धता मिले ताकि वहां थानें प्रभावी

तौर पर काम कर सकें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- श्री ब्यास कश्यप जी।

श्री रामकुमार यादव :- ओला देखव महाराज, कईसे दिखत हे।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, जिन्होंने यहां पर बार-बार टोका-टाकी की है, मैं उन सदस्यों को धन्यवाद् देता हूँ कि वे कम से कम प्रफुल्लित होते रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

रामकुमार यादव :- महाराज, ओ 8 रूपये ला बतिहौ बोली चलत हे तेला।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, बगल वाले जो बताईस ओ पहिली सौ रूपये लेवत रिहिस हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अब वर्तमान में आ जबे।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांग संख्या 3, 4, 5, 30, 80, 46 और 47 पर अपनी बात कहने के लिए आया हूँ। परन्तु सदन का मैं समय देख रहा हूँ कि यहां चर्चा इधर-उधर है तो मैं ज्यादा न लमाकर, कहकर अपने क्षेत्र के विषय पर ही मुख्य बिन्दुओं को रखूंगा।

सभापति महोदय :- माननीय ब्यास जी, आप अपने क्षेत्र की बातें और मागें रख लीजिए।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय,ठीक है। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। यहां पर मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातों को बताऊंगा।मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहूंगा कि जांजगीर-चांपा विधान सभा के अंतर्गत हमारे जिला मुख्यालय में साईबर थाना और महिला थाना की स्थापना के लिए इस बजट में स्वीकृति दी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद् देना चाहूंगा, पर कुछ विषय भी हैं, जिनको मैं उजागर भी करना चाहूंगा, जो हमारे जिले में पुलिस प्रशासन के नाकामी दर्शा रही है। जांजगीर-चांपा जिले में विगत एक वर्ष से चोरी, डकैती, लूट एवं चाकूबाजी की घटना बढ़ गई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रमुख रूप से जांजगीर एवं चांपा नगरीय क्षेत्रों में चाकूबाजी, लूट एवं चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। जांजगीर नैला का नगरीय क्षेत्र हमेशा से ही शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा है, लेकिन पुलिस की उदासीनता से अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में चांपा में चाकूबाजी की घटना से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। जांजगीर के यादव चौक में जांजगीर नैला नगर पालिका वार्ड नंबर 7 के पार्षद की पत्नी का चैन स्नैचिंग भी हो गई और जब मैंने इसका ध्यानाकर्षण लगाया तो पुलिस विभाग से यह सूचना आई कि उसमें रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। जब अभी मैं होली के समारोह में गया तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई, मैंने उसके एफ.आई.आर. की कॉपी रखी है तो वह कृपा करके गलत जानकारी न बतायें। ऐसी चीजों पर तत्काल

रोक लगनी चाहिए। सामान्यत: इन सब कामों में कम उम्र के लड़कें बहुतायत से संलग्न हैं। यहां बढ़ती नशाखोरी के कारण हमारे युवा वर्ग के लोग अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सी.टी. कोतवाली के सामने गांजा, शराब जैसे मादक पदार्थ, वहां थाने के सामने खुले तौर पर अवैध बिक्री हो रही है। महोदय, वहां जिले की पुलिस आंख मूंदे हुए हैं। उनका ध्यान अवैध उगाही में ज्यादा है। मैं इस विषय में कहना चाहूंगा कि चांपा में क्राईम ब्रांच के द्वारा एक घर में जाकर रेड किया जाता है जिसका सी.सी.टी.वी. का फुटेज भी है वहां जांच की कार्यवाही के कारण, पेटी से 4 लाख 30 हजार रूपये निकाल लिये जाते हैं और यह सट्टेबाज हैं ऐसा कहकर उनको अंदर कर देते हैं और मात्र एक लाख रूपये की उगाही की है, ऐसी जानकारी बताते हैं। वहां इन सभी चीजों की सी.सी.टी.वी. का फुटेज है। वह घर से 30 हजार रूपये लेकर गये हैं और जब अपराध दर्ज होता है तो उसको बताया जाता है कि हमने यह भालेराव मैदान से उठाया है। ऐसा क्यों हुआ? अगर पुलिस प्रशासन को अधिकार मिल गया है तो किसी भी निर्दोष व्यक्तियों को इस प्रकार से प्रताड़ित न करें। विगत दिनों हमारे जांजगीर नगर में सूदखोरी के कारण कुछ आत्महत्या के मामले बहुत बढ़ गये हैं। जिसमें हमारे भा.ज.पा. नेता के भाई श्री शेखर चंदेल जी, कांग्रेस नेता पंचराम यादव जी 4 लोगों के साथ आत्महत्या कर लेते हैं और अभी होली के तत्काल बाद एक इंजीनियर लड़का जो पी.एच.ई. विभाग में काम करता था। उसने भी रेल से कटकर आत्महत्या कर ली। उन्होंन बकायदा नाम बताया कि मैं इन-इन सूदखोरों के कारण आत्महत्या कर रहा हूँ। वहां पर लगातार आत्महत्या के प्रकरण बढ़ रहे हैं और उनको सुझलाया जाना आवश्यक है। प्रदेश में अपराधियों में पुलिसिया खौफ समाप्त हो चुका है। जिले में लॉ एण्ड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गई है। जिले में शराब भट्टी में बड़ी-बड़ी लूट की घटनाएं हो रही हैं। जिले के बाहर से लोग आकर, अपराध कर बड़ी आसानी से भाग रहे हैं, पुलिस उन्हें पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम है । जांजगीर-चांपा जिले के शराब भट्ठी खोखरा में 78 लाख रूपये की लूट हो गयी लेकिन वह लूट की घटना होने के बाद आजपर्यंत तक न तो पैसा बरामद हुआ है और न ही अपराधी पकड़े गये हैं । बढ़ती चोरी की घटनाओं से जांजगीर और चांपा के नगरवासी परेशान हैं, लोगों की शिकायत है कि थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिये भी पुलिस आना-कानी करती है इसी प्रकार से ठगी की शिकायतें भी लगातार बढ़ी हैं । फ्लोरा मैक्स कंपनी, सांई प्रकाश, कोलाकाता वॉयर ऐसी ठगी करके हमारे जिले के हजारों लोगों की राशि लूट ली गयी है, उनके धन वसूली की भी कार्रवाई होनी चाहिए । पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार के द्वारा लगभग 40 करोड़ रूपया, मैं जब पत्रिका में पढ़ रहा था तो उसमें था और अभी भी लगभग 43-45 करोड़ रूपये ऐसे लोगों को देना बकाया है वह भी कृपा करके जो अवैध वसूली करके ले गये हैं, उन सब हितग्राहियों को दें, मैं यह मांग करता हूं । छत्तीसगढ़ के निवेशकर्ताओं के अभी भी बाकी हैं, मैं बार-बार एस.पी. महोदय से आग्रह करता था कि नैला-जांजगीर शहरी क्षेत्र है । नैला का जो उप थाना है वह रेल्वे स्टेशन के उस तरफ है, किसी भी चीज की सूचना देने के लिये आधे-पौन घंटे लग

जाते हैं । हमने उनको स्थल भी बता दिया कि यहां पर कम से कम 2-4 पुलिसवालों को बैठा दीजिये तो मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि इसका भी संज्ञान लेकर नैला में चूंकि शासकीय स्थल बना-बनाया है, वहां पर नगरपालिका का भवन खाली है, कृपा करके कुछ व्यवस्था कर दें ताकि जो नवयुवक बदमाश हो रहे हैं, चोरी-डकैती-लूट की ऐसी घटनायें या हमारी माता-बहनों के साथ जो छेड़खानी की घटनायें बढ़ रही हैं उस पर रोक लगेगी इसलिये नैला में आवश्यक रूप से कुछ व्यवस्था हो जाये । जांजगीर-खोकसा का जो हमारा चूंकि अपराध बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से जेलों में अपराधियों को रखने के लिये चूंकि जेलों की संख्या कम हो रही है तो जिला जेल में बंदियों की संख्या अधिक है, वहां बैरक बढ़ाने की आवश्यकता है । मैं पुलिस प्रशासन से अपनी यह बात कहता हूं और अब मैं छत्तीसगढ़ के विषय में पंचायती राज पर आता हूं कि छत्तीसगढ़ की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो जाता, छत्तीसगढ़ का सम्पूर्ण विकास नहीं माना जायेगा । 25 वर्षों से प्रदेश की जनता विकास के लिये राह जोह रही है, सरकार आती है और अपने-अपने हिसाब से काम करती है परंतु ग्रामीण विकास अतिआवश्यक है इसमें अधिक राशि देने की जरूरत है । माननीय मंत्री महोदय, मैं विशेषकर आपके रोजगार गारंटी योजना का भी अध्ययन कर रहा था, अभी पूरे प्रदेश में सामग्री में 31 प्रतिशत खर्च हुआ है और मजदूरी में 69 प्रतिशत तो वास्तव में 60-40 का रेशियो यदि हम मनरेगा के अंदर तय कर दें ग्राम पंचायत को चूंकि जनरली यह होता है कि जिला पंचायत में, मैंने कहा कि अजय भैया फिर बोलेंगे कि तुम जिला पंचायत में कैसे थे तो मैं सांसद प्रतिनिधि के नाते यहां रहता था और मैंने जब वहां की बड़ी-बड़ी भ्रष्टाचार की घटनाओं को यहां पर उठाया तो माननीय ओ.पी. चौधरी साहब उस समय कलेक्टर थे और उसकी शिकायत हो गयी, टामन सिंह सोनवानी की भ्रष्टाचार की वहीं से शुरूआत हुई थी तो मनरेगा में यह होता आ रहा है कि कई ऐसे निरीह पंचायत जो सरपंच काम नहीं करना चाहते, सचिव से सेटिंग करके उनको 100 परसेंट मजदूरी का काम देंगे और जहां मलाई का काम देना है वहां 80 परसेंट और 90 परसेंट का काम सामग्री का देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए इसीलिये सरकार की जो बहुत सारी नरेगा की योजनाएं हैं यह महत्वपूर्ण योजना है कि हमको मजदूरों को लाभ देना है । 60-40 का रेशियो कम से कम जिला नहीं बल्कि ग्राम पंचायत स्तर पर हो जाये तो सरपंचों की रूचि भी बढ़ेगी और काम सही समय पर होगा और उनका भुगतान भी कृपा करके सही समय पर कराने की कृपा करें । यह 60-40 का रेशियो ग्राम पंचायत स्तर पर आ जाये तो बेहतर है और अभी मनरेगा के अंतर्गत कार्य कराना आवश्यक है चाहे वह जल संसाधन विभाग का हो, वन का हो, कृषि, रेशम, उद्यानिकी या मत्स्य का हो । यह सब ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग इसका लाभ अधिक उठाते हैं तो इनके लिये भी मनरेगा के अंतर्गत अधिक राशि दी जाये ताकि वहां के निवासी इसका लाभ पर्याप्त मात्रा में ले सकें । मैं पंचायत विभाग में अनुभव करता हूं कि सचिव के बहुत पद खाली हैं, 1-1 सचिव, 3-3, 4-4 ग्राम पंचायत के सचिव रहते हैं और सचिव के बगैर...।

श्री अजय चंद्राकर :- आप सरकार के विरोध में बेमन से क्यों बोलते हैं ?

श्री ब्यास कश्यप :- मैं बेमन से नहीं बोल रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बेमन से बोलते हो। दूसरा जल्दी बोलिए।

श्री ब्यास कश्यप :- मैं सुझाव दे रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- बेमन से बोलते हो।

श्री ब्यास कश्यप :- कहीं कोई बेमन से बात नहीं है। मैं मन की बात करता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मन से तो भाजपाई हो।

श्री अनुज शर्मा :- सुनिए न, मन की बात तो मोदी जी करते हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- मैं बोल रहा हूं न। मैं मन की बात कहता हूं। मैं गर्व से कह सकता हूं। कांग्रेस ने मुझे उम्मीदवार बनाया और आपके नेता प्रतिपक्ष को हरा कर यहां पर आया हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिए, जल्दी भोजन लग गया है।

श्री ब्यास कश्यप :- भैया, इसके बाद भोजन करूंगा, आप चिंता न करें। यहां थोड़ी ऊर्जा खपाने दीजिए। मैं जिस विषय के बारे में माननीय मंत्री जी को अवगत करा रहा था कि पंचायत स्तर पर जो सचिव हैं, उन सचिवों की संख्या बढ़ाइए, उनकी भी भर्ती कीजिए ताकि प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिव विहीन न रहे। बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं, जब तक इंजीनियर रहेंगे नहीं, उनकी मॉनीटरिंग करेंगे नहीं, उनके बिल नहीं बनाएंगे, बिल का भुगतान समय पर नहीं हो पाता। कार्य में लापरवाही भी हो जाती है। समय-सीमा पर उन पंचायतों को रकम नहीं मिल पाता। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपा करके आप पंचायतों में सचिव और इंजीनियर, सब इंजीनियर की भर्ती करने की कृपा करें ताकि छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था और सुदृढ़ हो। महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना तो बहुत अच्छी है, परंतु पिछले वर्ष से लंबे समय से कहीं पर कोई नई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं आ पाई है। पिछले बजट में भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं आ पायी थी। अभी भी चूंकि हमारा जांजगीर-चांपा जिला मुख्यालय जिला है और शहरी क्षेत्र तो धीरे-धीरे विकसित हो रहे हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पुलिया की और सड़क की कमी है। जितने बन गए हैं, उनका ठीक से संधारण हो जाए, क्योंकि नदी किनारे होने के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बड़े बड़े 16 चक्के की बड़ी-बड़ी हाइवा जोकि कोरबा और बिलासपुर की ओर जाती हैं, सड़क बनी है और एक तरफ बड़ी-बड़ी हाइवा से सड़क खराब हो रही हैं। उनका संधारण करना अति आवश्यक है। उस सड़क की मैं मांग करूंगा कि कांसा से कटोत, जो दोनों विधान सभा को या दो ब्लॉक को जोड़ने के लिए आवश्यक है, पुल के साथ साथ वहां सड़क का निर्माण हो। सेंधरी से घुटिया यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सड़क बनायी जाये और यहीं सेंधरी घुटिया में अभी माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय बैठे हैं, वहीं पर ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। आने वाले समय में भी उस सड़क की उपयोगिता बढ़ जाएगी। बुढ़ेना से

भैंसमुड़ी, खैरा खोकसा से सरखो और चोरभट्ठी से तेंदुआ और खैरा से खिसोरा सड़क बन जाए तो आसपास जैसे आपकी परियोजना भी आई है कि जिला से ब्लॉक और ब्लॉक से ग्राम पंचायत तो ऐसे करके ग्रामीण विस्तार भी होगा। अभी मैं अध्ययन कर रहा था, आपने मुख्यमंत्री गौरव ग्राम पथ हेतु 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। ये गौरव पथ की जो बात है, जब माननीय डॉ. रमन सिंह जी का शासन था तो उस समय छत्तीसगढ़ के वह गौरव पुरुष, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए योगदान दिया है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि गौरव ग्राम की जिनको-जिनको पात्रता सरकार ने दे रखी है, ये गौरव पथ का पैसा ईमानदारी से वहां दें। वहां पर न भा.ज.पा. विधायक, न कांग्रेस विधायक करे। जितने भी हमारे गौरव पुरुष रहे हैं, जिनके नाम से गौरव ग्राम का दर्जा ग्राम पंचायत को मिला है। सभी को समानता के साथ राशि वितरण करें। मैं यह बात कहना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास हेतु 200 करोड़ रूपये की योजना है। महोदय, मैंने प्रश्न भी लगाया था, धन्य है, आपके सचिव की तरफ से आया कि कुछ प्रस्ताव दे दें, मैं प्रस्ताव दूंगा, कृपा करके उन प्रस्तावों पर भी आप इस पर कहेंगे। आपने 50 करोड़ की महतारी सदन की बात कही है और हमारे माननीय नेता आदरणीय डॉ. चरणदास महंत जी ने भी इस बात की चिंता की। हमारे बहुत सारे सम्मानित सदस्य सब इस बात को बोल रहे थे कि महतारी सदन योजना बहुत अच्छी योजना है। परंतु महतारी सदन योजना का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ तो नहीं होगा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, परंतु प्रत्येक विधान सभा, प्रत्येक ब्लॉक में आप ऐसे लोगों को चयन करके सबको सहृदयता से समान रूप से दें, ये मैं आपसे मांग करता हूं। महोदय, मैं आपको कुछ प्रस्ताव आपको दूंगा।

सभापति महोदय :- ब्यास जी, 10 मिनट से ज्यादा हो गए।

श्री ब्यास कश्यप :- 2 मिनट महोदय। कभी कभार तो मौका मिलता है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8,500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। आपने 8,500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, आपकी पूरी योजना है और आप चाहते हैं कि हमें 18 लाख आवास देना है। परन्तु अभी प्रश्नोत्तरी में जवाब आया कि भूपेश बघेल जी की 5 साल के सरकार में 6,54,161 आवास हुए, जबकि अभी वर्तमान में आपकी सरकार के द्वारा माननीय मंत्री महोदय वर्ष 2023 में 79,771 और अभी वर्तमान वर्ष 2024 में 6,70,663 यानी कि कुल मिलाकर 18 लाख का जो लक्ष्य है, अभी भी पूरा है, समय-सीमा में कर दें, नये सिरे से और ताकि जिनके नाम नहीं आ पाए हैं, धीरे-धीरे परिवार बढ़ता जा रहा है, इनकी समीक्षा की जाए और समीक्षा के बाद इनके लिए भी बात होनी चाहिए । सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं विभाग की तरफ से इस बात का गर्व है कि देश का सातवां और प्रदेश का इकलौता भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिक संस्था मेरे विधान सभा क्षेत्र के लछनपुर में स्थित है । 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, 17 वर्ष पूर्ण हो गए हैं । वहां प्रभारी प्राचार्य के विरूद्ध लगातार लम्बी शिकायत है, वह ग्राम उद्योग विभाग बिलासपुर

में पदेन उप संचालक हैं और प्राचार्य का पद भी देख रहे हैं । उनकी रूचि इस प्रदेश की बेहतरीन संस्था के ऊपर नहीं है । देश का सातवां और प्रदेश का इकलौता संस्थान है किंतु उनकी रूचि इसमें नहीं है, इसके कारण केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना की जो बिल्डिंग है, वह जर्जर हो चुकी है, 2007 के बाद उसकी रंगाई-पुताई भी नहीं हुई है । वहां की संस्था में पढ़ने वाले लोग, अब एडमीशन नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर व्यवस्था खराब हो गई है । हमें उस व्यवस्था को सुधारना होगा । मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वहां जो कर्मचारी/अधिकारी हैं 2009 से संविदा नियुक्ति पर काम कर रहे हैं, वहां स्थायी कर्मचारी नहीं हैं । उनको अभी तक सही समय पर वेतन नहीं मिल पाता है, मैं आग्रह करूंगा कि इस देश और प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थान को संरक्षण देना पड़ेगा। चूंकि वहां पढ़ने वाले पूरे भारत देश में जाकर, अन्य प्रदेशों में कार्य करते हैं । कृपा करके उस संस्थान की देखभाल करें । सभापति महोदय, आई.टी.आई. की संख्या पर्याप्त है, मैंने उस संस्थान में देखा, हमारे नवागढ़ विकासखंड के अंतर्गत नवागढ़ विकासखंड मुख्यालय में आई.टी.आई. की स्थापना की मांग, मुझे याद है उस चुनाव में डॉ. रमन सिंह गए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम आने वाले समय में आई.टी.आई. की स्थापना करेंगे । कृपा करके नवागढ़ विकासखंड में नवीन आई.टी.आई. भवन की स्थापना की जाए । आप लोग कहते हैं कि मोदी जी की इच्छा है कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज, प्रत्येक जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए । प्रदेश में कुल 3 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बाकी प्रायवेट कॉलेज हैं । हमारा जांजगीर-चांपा कृषि प्रधान है, अब धीरे-धीरे उद्योग में भी बढ़ रहा है, वहां उद्योग स्थापित हो रहे हैं किंतु अभी भी हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए रायपुर, दुर्ग, भिलाई की तरफ आना पड़ता है । वहां इंजीनियरिंग कॉलेज की भी आवश्यकता है । पूर्व में डॉ. रमन सिंह जी की सरकार के समय ..।

सभापति महोदय :- ब्यास जी अब समाप्त करें । अनुज शर्मा जी ।

श्री ब्यास कश्यप :- मैं अंतिम विषय पर ही आ रहा हूं । वहां इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जगह तय हो चुकी है । सीएसआर मद से बनना था, कुछ करोड़ की राशि भी जमा हो चुकी थी परंतु वह अभी भी रूका हुआ है । मैं आपसे कृपापूर्वक आग्रह करूंगा कि जांजगीर में पिसौद जो 35 एकड़ जमीन उसके लिए संरक्षित है । वहां जांजगीर में एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करें । मैं यह प्रस्ताव अपनी ओर से माननीय मंत्री जी को देता हूं । सहृदयतापूर्वक सभी विचारों को आपने सुना और उन सब कामों को आपकी सरकार रहते रहते पूरा करने की कृपा करें । भविष्य में काम के आधार पर सरकार बनेगी । हमे भी विधायक के रूप में चुनकर जनता ने भेजा है । हमारा दायित्व है कि हम उनकी बातों को आपके समक्ष रखें । कृपया, सहृदयतापूर्वक सभी विचारों को पूर्ण करने की कृपा करें, धन्यवाद् ।

सभापति महोदय :- मैं, माननीय सदस्यों से, वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि इसके बाद वित्त विभाग की अनुदान मांगों पर भी चर्चा है और काफी वक्ता हैं । इसलिए आग्रह है कि सभी लोग संक्षेप में अपने क्षेत्र की मांगों के बारे में बात रखें ।

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदय, एक मिनट ।

सभापति महोदय :- आप अपने समय पर बोलिएगा ।

श्री जनक ध्रुव :- मेरा समय नहीं आएगा, मैं छोटी सी मांग करना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- इनके बाद आप बोल लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा समय दे दूंगा ।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति जी, वित्तीय वर्ष 2025-26 की मांग संख्या 3, 4, 5, 30, 80, 46, 47 के समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर दिया उसके लिए आपका आभार । सभापति जी, छत्तीसगढ़ निर्माण का यह 25वां वर्ष है । श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी की जन्मशति का का वर्ष है । एक युवा छत्तीसगढ़ का यह बजट आया है और जिन विभागों की मांगों की चर्चा हम कर रहे हैं वह अति महत्वपूर्ण विभाग हैं । चाहे वह गृह विभाग हो, चाहे वह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग हो, ये भविष्य में पूरी दुनिया को एक ऐसे छत्तीसगढ़ के स्वरूप को दिखाने वाला है। परम श्रद्धेय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की और जो सपना माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने देखा है, उसको साकार करने वाला सपना है। ऐसे सपने के लिए यह बजट आया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के बस इतना कहूंगा कि -

मन के जीते जीत है, मन के हारे हार,
हार गये जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार।
उन पर है धिक्कार जो देखे न सपना,
सपनों का अधिकार, असल अधिकार है अपना।।

सभापति महोदय, इस भाव के साथ मैं इस अनुदान मांग पर चर्चा कर रहा हूं। सर्वप्रथम हमारे प्रदेश में जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उनकी स्थिति और उनकी मांगों के हिसाब से उनके अपग्रेडेशन के लिए उनको समय के हिसाब से चलाने के लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान हुआ है, मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूं। आने वाले भविष्य को देखते हुए, आने वाले छत्तीसगढ़ को देखते हुए, ये कदम उठाया गया है। कस्तूरा तहसील दुलदुला जिला जशपुर में नये ITI के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ जो देश के आर्थिक विकास के लिए पांच क्षेत्र कृषि, उद्योग, शिक्षा, सेवाएं और प्रौद्योगिकी हैं। उसमें अधिक से अधिक युवाओं को तकनीकी शिक्षा मिले, उसके लिए जिला जशपुर, बस्तर, रायगढ़, कबीरधाम, रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी CGIT की स्थापना हेतु 9.90 करोड़ का बजट रखा गया है जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो सके, मैं इसके लिए भी माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। माननीय सभापति जी, ये ऐसा बजट है जिसमें हमने अपनी लखपति महिला पहल शुरू की है। वर्ष 2024-25 में 2 लाख महिलाओं को लक्ष्य में रखा गया था कि कृषि, वनोपज,

पशुधन, लघु उद्यम और कौशल प्रशिक्षण इत्यादि से इनको लखपति बनाया जाए। हमने जो लक्ष्य रखा था, उसमें दिनांक 21.01.2025 की स्थिति में लक्ष्य से अधिक 2 लाख 15 हजार 603 महिला हमारी स्व सहायता समूह की सदस्य लखपति दीदी बनी हैं, ये बहुत बड़ी पहल है। (मेजों की थपथपाहट) हमारी सरकार कहीं न कहीं नारी सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्पित है, उसका ये सर्टिफिकेट है। हमने जो टार्गेट रखा था उससे ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिला है। अगर मैं ग्रामीण विकास के विषय में बात करूं तो आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां बरसात के मौसम में आने जाने की व्यवस्था नही होती है, ऐसे पुलों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना हेतु 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। समग्र विकास योजना के लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान है। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हमारी सरकार ने लाई है और वह क्रियान्वित हो रहा है, ऐसे महतारी सदन के निर्माण के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। ग्राम पंचायतों में UPI पेमेंट व्यवस्था के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ये समय के हिसाब से चलने वाला छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ वो छत्तीसगढ़ है जो आज की जरूरतों के हिसाब से चलने वाला है। इस बात का संकेत इस बजट में दिखाई दे रहा है। एक समय था जब पूर्ववर्ती सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्यांश देने से मना कर दिया था लेकिन अब वही प्रधानमंत्री आवास के लिए 19 लाख 45 हजार 902 आवासों की स्वीकृति हुई है और बजट में 8 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। यह हर उस गरीब के सपने को पूरा करने वाला बजट है। यह हर उस गरीब को, जिसके सर पर पक्की छत नहीं है, उनके लिए पक्का मकान देने की व्यवस्था के लिए बहुत संवेदनशील तरीके से सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है। माननीय सभापति जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 9 हजार 253 सड़कें हैं, जिसकी लंबाई 44 हजार 967 किलोमीटर है एवं 458 वृहद पुल हेतु कुल 18 हजार 119 करोड़ रूपये की राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह बहुत बड़ी राशि है और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ को विकास की रफ्तार में पहुंचाने वाली राशि है। इससे राज्य की 11 हजार 701 पात्र बसाहटें लाभान्वित होंगी। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इस योजना के प्रारंभ से अब तक 8 हजार 304 सड़कें, जिसकी लंबाई 40 हजार 509 किलोमीटर हैं एवं 402 वृहद पुल पूर्ण कर 15 हजार 491 करोड़ रूपये की राशि का व्यय किया जा चुका है और पूर्ण सड़कों से 10 हजार 622 पात्र बसाहटें लाभान्वित हो चुकी हैं। जो थोड़े-बहुत परिवार बचे हैं, वह भी निश्चित रूप से इस योजना का पूरा लाभ लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण बात हमेशा होती रहती है कि जो निर्माण कार्य होते हैं, जो विकास के कार्य होते हैं, उनकी गुणवत्ता का परीक्षण होना चाहिए और उनकी गुणवत्ता के परीक्षण के लिए भी प्रथम स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु एक केन्द्रीय प्रयोगशाला, 2 क्षेत्रीय प्रयोगशाला, 32 परियोजना क्रियान्वयन इकाई स्तरीय प्रयोगशाला तथा 434 मैदानी

प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ-साथ कार्यों की आकस्मिक एवं गुणवत्ता की जांच हेतु 30 मोबाइल वेन संचालित हैं। जिससे लगातार गुणवत्ता के मापदण्डों की जांच हो सके और उनका परीक्षण हो सके। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों के द्वारा 158 सड़कों का निरीक्षण किया गया और संतोषप्रद श्रेणी का प्रतिशत 95.57 है एवं राज्य गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा 1465 सड़कों का निरीक्षण किया गया। जिसमें से 7 सड़कों को असंतोषप्रद श्रेणी में रखा गया। इस प्रकार संतोषप्रद श्रेणी का प्रतिशत 99.52 है, जो कि कहीं न कहीं गुणवत्ता इस सरकार की प्राथमिकता है। विकास कार्यों की गुणवत्ता विष्णुदेव साय जी की सरकार की प्राथमिकता है और यह इस बात की ओर संकेत करता है।

माननीय सभापति जी, हमारी सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ी संवेदनशील है। पूर्व में स्थापित 4 महिला थानों के अतिरिक्त हमारी सरकार ने 5 अन्य महिला थाना जिला-राजनांदगांव, कबीरधाम, रायगढ़, बस्तर एवं जशपुर में खोले जाने हेतु विभिन्न संवर्गों के कुल 300 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की है। इन्हें थानों के रूप में अधिसूचित किया जाना है और जहां महिलाएं नि:संकोच आकर पुलिस तक पहुंच सके और 553 पुलिस थानों एवं चौकियों में महिला हेल्प डेस्क को स्थापित किया गया है। यह हमारी सरकार की संवेदनशीलता है। हम जब प्रधानमंत्री आवास के विषय में बात कर रहे थे तो उसमें एक और महत्वपूर्ण विषय है कि जो प्रधानमंत्री आवास की पात्रता है, उसके दायरे को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जिनके पास दुपहिया वाहन है, जिनके पास ढाई एकड़ तक सिंचित जमीन है या 5 एकड़ तक असिंचित भूमि है, जिनकी आय 15 हजार रूपये प्रतिमाह है, अब उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल सकेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है।

सभापति महोदय :- अनुज जी, आप थोड़ा संक्षेप करियेगा और यदि आपकी कुछ मांग वगैरह होंगी तो वह सब रखियेगा।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदय, मैं अपनी मांग तो रख लूंगा। अभी तो मेरा समय शुरू हुआ है।

सभापति महोदय :- नहीं, अभी बहुत सारे वक्ता शेष हैं।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आपका आदेश सर आंखों पर, लेकिन मुझे थोड़ा समय लगेगा। अब मैं अपने मुख्य विषय में आता हूं कि पिछले बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि आर्थिक विकास के लिए बस्तर और सरगुजा की ओर देखो। माननीय सभापति जी, देश के गृह मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी ने एक लक्ष्य रखा है कि मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। मैं अभी विगत दिनों अबूझमाड़ मैराथन में गया था। उसके पहले भी आयोजन का हिस्सा था और अभी बस्तर में जिस वातावरण को देखा है, वहां जो भय का वातावरण होता था, वहां जो डर का वातावरण होता था, उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब वहां वातावरण ही अलग है। यदि बस्तर ओलंपिक की बात करें तो बस्तर ओलंपिक में 1 लाख 65 हजार लोगों ने हिस्सा

लिया। इसमें 3 सौ से अधिक खिलाड़ी ऐसे थे, जो आत्मसमर्पित नक्सली थे। इस बार के दौड़ में भी आत्मसमर्पित नक्सलियों ने दौड़ लगाई और उन्होंने पूरी दुनिया में इस बात का संदेश दिया है जहां एक नहीं कई देशों के धावक आये और उस अबूझमाड़ में मैराथन में दौड़ लगाई है, जहां लोग नाम लेने से जाने से डरा करते थे, उसके अंदर लोगों ने दौड़ लगाई है, वहां उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। यह वातावरण में परिवर्तन आया है। इस वातावरण में परिवर्तन आया है इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी के लिए दो पंक्तियां जरूर समर्पित करना चाहूंगा :-

'अपनों के खातिर करना है कुछ आज हमें,

अजर-अमर कर देना है स्वराज हमें।' (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को यह लाईन समर्पित कर रहा हूं। क्योंकि उन्होंने एक वातावरण बनाया है। वहां बड़ी संख्या में 305 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया है। वह समय हमें याद है जब टी.व्ही. और समाचार-पत्रों में हमारे जवानों की शहादत की खबरें आया करती थीं। अब नक्सलियों के सफाये की खबरें आती हैं और उनके समर्पण की खबरें आती हैं। (मेजों की थपथपाहट) न केवल उन्हें समर्पित कराया गया है बल्कि उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने इस बजट में भी यह सुनिश्चित किया है कि उनका जीवन आगे सुचारू रूप से चले, इसलिए समर्पण नीति मजबूत तरीके से बनाई गई है, ताकि उनका भी भविष्य सुरक्षित रहें। इसका सबसे बड़ा प्रमाण-पत्र इस बार के पंचायत चुनाव में देखने को मिला, जहां अंदरूनी गांवों के लोगों ने बढ़-चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लिया है।

माननीय सभापति जी, विषय तो बहुत हैं। जेलों की क्षमता को बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। पुलिस बलों के संसाधनों को बहुत बढिया अपडेट के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपने मुझे समय की मर्यादा में बांधा है, मैं अपने क्षेत्र से जुड़ी कुछ मांगों को रखना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं, वह एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश का एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि वहां एक भी आई.टी.आई. नहीं है। वहां के स्थानीय प्रतिभाओं के लिए सिलतरा या मांढर एक आई.टी.आई. की स्थापना हो, मैं माननीय मंत्री जी से ऐसी मांग करता हूं। बहुत लंबे दिनों से मांग रही है कि सिलियारी का जो पुलिस चौकी है, उसका उन्नयन थाने के रूप में हो। वहां सिलियारी में थाना शुरू हो जाए, इसको यथाशीघ्र कराने की कृपा करेंगे। सिलतरा में भी चौकी है, माननीय मंत्री जी उसको एक थाने के रूप में जल्दी से जल्दी प्रारंभ करा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सारागांव में एक नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की मांग माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इन पंक्तियों के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी को समर्पित करते हुए कि--

" तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं,
तू समय बदलकर रख देगा, इतिहास लिखेगा, भूल नहीं।"

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

समय :
3:00 बजे

श्रीमती चातुरी नंद (सराईपाली) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी के विभागों के मांग संख्या 3, 4, 5, 30, 80, 46 व 47 के विरोध में बोले बर खड़े होय हौं।

माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट सत्र मा मैं दो लाईन से अपन बात शुरू करे रहे हौं। मैं माननीय मंत्री महोदय जी ला बोले रहेओ कि मोर घर छितका कुरिया, तोर घर महा लटारी। यह बात मैं पहिली भी बोले रहेओ अऊ अभी भी बोल हौ कि मोर यानि अभी पुलिस विभाग। मैं पुलिस विभाग बर मोर कहत हौं। मोर घर छितका कुरिया, तोर घर महा लटारी। आज भी पुलिस विभाग के भाई मन ला आवास के सुविधा नई मिल पावत हे, न ओमन ला एच.आर.ए. मिलत हे, तेखर सेती मोर घर छितका कोरिया कहे हौं। मैं भी भूखा नई रहौ, आप भी भूखा नई रहौ। भूखा एखर सेती कहत हौ कि जेन राशन भत्ता सी.ए.एफ. के जवान मन ल मिलथे, ओमा मात्र ग्रामीण क्षेत्र के बल मन ल मिलथे अऊ शहर मा जो जवान कार्यरत हे, ओ मन ला राशन भत्ता नई दिये जात हे। पिछले समय आप मन पुलिस विभाग बर वर्ष 2024-2025 म 7096.99 करोड़ रूपये बजट म शामिल करे रहे हौ और अभी वर्तमान म वर्ष 2025-2026 बर 8381 करोड़ 95 लाख रूपये के बजट में प्रावधान रखे हौ। पिछले बजट सत्र म माननीय गृह मंत्री जी हर पुलिसकर्मी मन के वेतन भत्ता मा सुधार करे बर एक समिति गठन करे के बात करे रहीन हे, पर ओ समिति के गठन साल भर नई होइस। मैं हर जब ये दारी फेर सवाल लगाय, तभी माह भर पहले आनन-फानन में समिति के गठन होय हावय। गृह विभाग के अहम कड़ी पुलिस के जवान हर हे अऊ अगर ऊही मन ल पर्याप्त वेतन-भत्ता नई मिल पाही ता फेर विभाग मा बाकी सुधार के बात के कोनो मोल नई रह जाय। राज्य म अब पुलिसकर्मी मन के पोषक आहार भत्ता समेत अन्य भत्ता ल लेकर कई बार समिति गठित करे गइस, परन्तु नतीजा हमेशा शून्य रिहीस हे। एखर से माननीय गृह मंत्री जी से अऊ राज्य सरकार के नियत पता चलथे कि आखिर न तो साल भर म कमेटी बनिस अऊ न ही बढ़ोत्तरी के दिशा म कोनो निर्णय लिये गइस। मैं पिछले बजट सत्र म पोषक आहर भत्ता भर भी सवाल पूछ रहे हौ, ओमा पोषक आहार भत्ता बढ़ाय बर कमेटी बनाकर पोषाक आहार भत्ता बढ़ाय के निर्णय लिये गए रिहीस हे, जबकि मैं बताना चाहता हौं कि हमर छत्तीसगढ़ सीमा से मध्य प्रदेश राज्य लगे हुए हावय, ऊहां एक बार नहीं, बल्कि दो-दो पोषक भत्ता आहार के बढ़ोत्तरी करे

गिस हे। पहिली बार 650 रूपये के बढ़ोत्तरी होइस रिहीस हे अऊ दूसरा बार म 1000 रूपये कर दिये गइस हे। जबकि हमर छत्तीसगढ़ राज्य म पोषक आहार भत्ता मात्र 100 रूपये दिये जात हावय। आखिर कब तक पुलिसकर्मी मन ल ओमन के अधिकार मिल पाही, यह भी सोचनीय विषय हावय। जब हमर कांग्रेस पार्टी के सरकार रहीस हे तब सब्बो पुलिसकर्मी भाई मन ल साप्ताहिक अवकाश मिलत रिहीस हे, लेकिन साप्ताहिक अवकाश ल भी बंद कर दिये गे हे। साथ ही जेन महिला, बहिनी मन पुलिस विभाग म पदस्थ हे, ओ मन ल 6 महीना के मातृत्व अवकाश तो मिलत हावय, लेकिन हमन जेन बिहनी मन नगर सैनिक म, होम गार्ड म पदस्थ हे, ओ बहिनी मन ल मात्र 3 महीना के मातृत्व अवकाश मिलत हावय। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करत हौं कि ओ मन ल विशेष ध्यान देहे के आवश्यकता हे। साथ ही ऐसे महिला पुलिसकर्मी मन जेमन नौकरी करत हावय, ओ महिला बहिनी मन ल फिडिंग बर भी अवकाश मिलना चाहिए। काय हे कि हमन लइका मन के साथ 6 महीना तक साथ म रह सकत हे, ओखर बाद जब छोड़ के जाथन तब भी ओमन ल दूध के आवश्यकता पड़थे। एखर कारण ओ मन ला फिडिंग अवकाश बर एक घंटा के समय मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आप जानथव कि आज के समय म एक मजदूर भी अगर मजदूरी करे जाथे त वोखर पी.एफ. कटौती होथे, लेकिन पुलिस विभाग के अंतर्गत जो नगर सैनिक हें, होम गार्ड हें, नगर सैनिक के पी.एफ. के कटौती अब तक नई होवथे । एखर मन के वेतन भत्ता में भी बढ़ोतरी करे गे रिहिसे, वोमन ला पहिली 10 हजार मिलत रहाय, तेला बढ़ाके 13,200 रूपया करे गिस । ए हा अप्रैल से लागू होना रहिसे । आदेश के बीच में जो 16 महीना के अंतर हे, वोमन ला 16 महीना के एरियर्स नई मिलथे । पुलिस मुख्यालय ले एखर बर एक आदेश जारी होय हे, एमा लिखाय हे अऊ आदेश जारी होय हे, महानिदेशक नगर सेना छत्तीसगढ़, गिरधारी नायक के नाम ले । सभापति महोदय, जब वित्त विभाग से एमन ला वेतन भत्ता देके आदेश हो चुके हे त नगर सेना नागरिक सुरक्षा मुख्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर से एक आदेश जारी होथे कि एमन ला यानी नगर सैनिक मन ला शासन के आदेश द्वारा ओखर मन के मानदेय 10 हजार से बढ़ाके 13,200 हर महीना भुगतान करे जाये के स्वीकृति दिनांक 1.4.2016 से प्रदान करे जाथे । वो आदेश दिनांक से सबो जवान ला हर महीना बड़े हुये दर से केवल मानदेय के भुगतान होही अऊ आगामी आदेश तक एरियर्स राशि के बढ़े हुये भुगतान न करे जाये । ए आदेश ला आदरणीय गिरधारी नायक जी, महानिदेशक नगर सेना छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी करे गे हे । सभापति महोदय, नगर सैनिक बहुत ही अहम कड़ी हे, आप मन देखत हव हर जगह जहां भी मंत्री मन के कार्यक्रम होवथे, ऊंहा नगर सैनिक मन के ड्यूटी लगथे । एमन ला अतिक कम वेन मिलथे अऊ कम वेतन मिले के बावजूद एखर मन के एरियर्स राशि के भुगतान न करना बहुत ही विडम्बना के बात हे, बहुत ही शर्मनाक बात हे । सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदये जी से निवेदन करना चाहथंव कि नगर सैनिक मन के 16 महीना के एरियर्स राशि के भुगतान करे जाये ।

माननीय सभापति महोदय, हमर प्रदेश ह नक्सल समस्या से जूझत हवे अऊ नक्सल समस्या बर हमर सरकार ह एखर उन्मूलन बर बहुत सारा बजट जारी करे हे। मैं हा एमा कहना चाहथंव कि नक्सल उन्मूलन सहित अन्य कार्य बर हर साल अरबों रूपये फूंक देथे, परन्तु बहुत ही दुर्भाग्य के बात ए कि छत्तीसगढ़ राज्य म 9 साल के सेवा पूर्ण कर चुके सहायक आरक्षक मन ला डीएसएफ बनाय के कार्यवाही अब तक पूर्ण नइ करे गे हे । सभापति महोदय, ये वही सहायक आरक्षक हरै जेखर मार्गदर्शन म हमन नक्सली मन के ऊपर मा प्रहार करथन । यदि एमन हमन ला नइ बतातिन कि ए जगह बन लगे हे, ए जगह म असुरक्षा हावय, ए हमन ला नइ बतातिन त का हमन नक्सली उन्मूलन कर पातेन ? नइ कर पातेन । सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करथंव कि सहायक आरक्षक मन ला जेमन ला 9 साल हो चुके हे, एमन ला डीएसएफ बनाय के कार्यवाही पूर्ण करैं ।

सभापति महोदय :- चातुरी नंद जी, थोड़ा संक्षेप करियेगा ।

श्रीमती चातुरी नंद :- बिल्कुल, बिल्कुल । सर, अभी त चालू करे हंव ।

सभापति महोदय :- नहीं, संक्षेप करिये, और लोग भी वक्ता हैं ।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हा पुलिस कर्मी, नगर सैनिक अऊ सहायक आरक्षक मन के प्रमुख समस्या ला पहिले एखर सती बताथंव काबर कि ए सब विभाग हा पुलिस विभाग के रीढ़ के हड्डी हरै । अगर ए विभाग ही अधिकार अउ वेतन भत्ता से शोषित रहिही त विभाग हर आखिर आगे कइसे बढ़ही । एकर अलावा जब सुरक्षा व्यवस्था अउ कानून के जिम्मेदारी पुलिस विभाग ला दिए गे हे त मैं बताना चाहथौं कि अभी छत्तीसगढ़ मा जतका भी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी हवयं, ओ मन ला 7वां वेतनमान के तहत वेतन भत्ता दिए जात हे, लेकिन जो पुलिस विभाग हे, इही विभाग ला 6वां वेतनमान के तहत वेतन दिए जात हे । माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहथौं कि पुलिस विभाग ला भी 7वां वेतनमान के तहत वेतनभत्ता दिए जाए ।

सभापति महोदय, गांजा, तस्करी, दारू, लूटमार ये सब तो चलत हवय, आप जानत हवव । मैं जेन क्षेत्र से आथव, वह उड़ीसा से लगे हुए क्षेत्र हे, वनांचल क्षेत्र हे और उड़ीसा क्षेत्र से धड़ल्ले से गांजा, अफीम अउ दारू के तस्करी होवथे । ये क्षेत्र से गांजा समेत अन्य प्रकार के मादक पदार्थ के खेत बड़ मात्रा में आवथे। प्रतिदिन गांजा सहित नशीला पदार्थ के जखीरा यहां से पार होवथे, परन्तु एकर रोकथाम बर कोनो प्रकार के पहल नहीं करे गे हवय । एखर बर मैं माननीय मंत्री महोदय जी समेत जो अफसर मन हे, ए अफसर मन पास पत्राचार घलो करेंव, लेकिन एकर कोनो सुनवाई नहीं होईस । मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करथौं कि ए तरफ भी ध्यान दे के आवश्यकता हवय ।

माननीय सभापति महोदय, बिना सूचना तंत्र के संलिप्तता के बड़ मात्रा में या बहुत मात्रा में तस्करी रोकना असंभव होवथे । मुखबिरी और सूचना तंत्र मा जब तक सूचना तंत्र मजबूत नहीं होही, जब तक पुलिस ला मुखबिर नहीं बताही, तब तक कार्यवाही नहीं हो सकय तो मुखबिरी करइया मनखे मन भी

फोकट में काम थोड़े करहीं, ओ मन बर भी राशि के व्यवस्था करे जाए, ताकि हमर सूचना तंत्र मजबूत होवय और यह जो जखीरा पकड़ाथे, ये काम ह सरलता से हो पाए ।

सभापति महोदय :- चातुरी जी, समाप्त करें ।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, मोर क्षेत्र के मामला हे । मोला दो मिनट बोले के मौका देवव ।

सभापति महोदय :- बहुत सारे वक्ता हैं । यदि लगातार इस तरह से चलेगा, हम सब लोग अपने समय से ज्यादा ले रहे हैं, इसके बाद पुन: वित्त विभाग पर चर्चा है। रात के 10 बजेंगे इसलिए मेरा आग्रह है कि आप लोग जल्दी समाप्त करें ।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, मैं महिला सुरक्षा बर बोलके मैं समाप्त करथव । बजट में महिला सुरक्षा बर कोनो विशेष पहल नहीं करे गे हवय। मैं आपला बताना चाहथौं कि छत्तीसगढ़ के 41 बेटी मन बिहार में वेश्यावृत्ति करते हुए पकड़े गिन हवय, जेमन ला दलाल के माध्यम से बेचे गे रिहीसे । एक ओर सरकार महतारी वंदन के बात करथे अउ दूसर ओर जो बेटी मन सरे बाजार बिकथे, एमन के ऊपर कार्रवाई नहीं करथे । बहुत ही लज्जाजनक स्थिति हवय । सितम्बर, 2013 में UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) के रिपोर्ट आए रिहीसे, ओ समय भी बीजेपी के सरकार रहिसे । छत्तीसगढ़ मा मानव तस्करी ओ समय से चालू हो गे रिहीसे । दिल्ली-मुम्बई जईसे महानगर मन मा रेड लाइट एरिया मा जेन बेटी मन पकड़े गे रिहीन हे, ओ बेटी मन छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बेटी मन रिहीन हे । महिला अउ बेटी मन के तस्करी के आंकड़ा के मामला छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष 5 राज्य मा शामिल हवय । महिला डेस्क चालू करे हव, यह बहुत ही सराहनीय पहल हे, लेकिन महिला डेस्क केवल कागज में ही सिमट के झन रही जाये, अइसे मैं निवेदन करथौं । साथ ही मांग संख्या-30 में बस दो लाइन कहना चाहत हव। आप मन आवास 18 लाख आवास दे बर पहल करे हव, ये हर बहुत ही सराहनीय पहल हे लेकिन में हर माननीय मंत्री महोदय जी से पिछले समय भी निवेदन करे रेहेव अउ अभी-भी निवेदन करत हव कि आप मन आवास दे बर जो मापदण्ड बनाये हव, ये मापदण्ड में परिवर्तन करे बर आवश्यकता हरे। काबर कि गरीब मनखे मन बूता काम में चल देत हे। जब सर्वे करने वाला आत हे तो ऊ मन के घर में ताला देवाये रहत हे, एकर सेती गरीब मनखे मन के सर्वे सूची में नाम नइ जुड़े हे। तेखरे सेती ओ मन ला एकर लाभ नइ मिल पात हे। जेन ला आवास मिलत हे, तेखर घर ऑलरेडी पक्का मकान हावय, टाईल्स लगे हावय, ते मन ला दो-दो, तीन-तीन बार ओकर लाभ मिलत हे। लेकिन जेन मन झोपड़ी में रहिथे, जे मन दूसरे के आट पर्छी द्वार में रहिथे, ते मन ला नइ मिल पात हे। मैं हर निवेदन करना चाहत हव कि आप मन यह जो क्राईटेरिया बनाये हन, ए मन ला परिवर्तन करे के कृपा करे हव।

सभापति महोदय :- समाप्त करिये।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, मोर क्षेत्र के कुछ मांग हावय। मैं मंत्री महोदय जी से निम्न मांग ला बजट अनुमान मा शामिल करे के मांग करत हव। ग्राम बलौदा, जोगनीपाली, तोरेसिंघा, सिंघोड़ा, केंदूढार अउ भंवरपुर, ये क्षेत्र फुलझर क्षेत्र कहलात हे अउ फुलझर क्षेत्र खेल के नाम से जाने जात हे। में हर माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करत हव कि ये क्षेत्र मा मिनी स्टेडियम के मांग ला शामिल करे हव। में हर ग्राम पंचायत जोगनी पाली, कुसमीसरर, बरिहापाली, सिंघोड़ा, घाटकछार, चारभाठा, पतेरापाली, इच्छापुर, बिलाईगढ़, कसलबा, कुटेला, बड़े पंझी, सिरपुर, हड्डासरार, भालूकोन्हा, जमदरहा, हरदा मा सी.सी. रोड के मांग करत हव। में हर पचरी निर्माण के बारे में कहात हव काबर के ये तोरेसिंघा अउ हड्डासरार जो गांव है, यह गांव से नदी होकर गुजरत हे। वहां के मनखे मन नदी में जाकर नहाथे। में हर वहां पचरी निर्माण के मांग रखत हव। साथ ही सराईपाली मा कानून व्यवस्था ला सुचारू रूप से चलाये बर साईबर थाना और महिला थाना के घलो मांग करत हव। सराईपाली से लेकर महासमुंद की दूरी 110 कि.मी. होत हे। वहां से लेकर अपराधी मन ला जेल दाखिल कराये बर महासमुंद लाये जात हे। वह आरक्षक मन बर 110 कि.मी. की दूरी तय करना वाकई में दुर्लभ होत हे, मुश्किल होत हे, ता सराईपाली मा जेल के मांग करत हव। में हर छात्रावास के बारे में बोलना चाहत हव। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लइका मन पढ़े आत हे अउ चूंकि मोर क्षेत्र हर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हे। ये क्षेत्र के बेटी मन ला पढ़े बर मौका नइ मिलत हे। यदि ये मन ला ये सुविधा दिये जाये तो बेटी मन भी पढ़ लिखकर आगे बढ़ जाही, तेकर सेती में हर छात्रावास के घलो मांग करत हव। भंवरपुर में कॉलेज बन चुके हें लेकिन कॉलेज भवन निर्माण अभी तक नहीं हो पाये हे। में हर माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करे हव कि महाविद्यालय भवन निर्माण बर राशि उपलब्ध कराये के कष्ट करही। साथ ही में हर सराईपाली बर कन्या महाविद्यालय खोले के मांग भी रखत हव। सभापति महोदय, आप मन ला मोला बोले बर मौका देवय तेकर सेती धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री दीपेश साहू जी।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापित महोदय, मेरे क्षेत्र की मांग है। मैं एक मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा। चूंकि यह वर्ष 2002-2003 की मांग है। झाकरपारा जो देवभोग ब्लॉक के अंतिम छोर में पड़ता है। उस समय स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने वहां पर भूमि पूजन भी किया था। झाकरपारा में एक पुलिस स्टेशन की स्वीकृति हुई थी, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर इसी बजट में स्वीकृति दे दें। क्योंकि मैंने पिछले बजट में भी निवेदन किया था और इस बजट में भी निवेदन किया है। मैं समझता हूं कि यह अधिकारियों के ध्यान में नहीं आता। मैं मंत्री जी को तो अपनी मांग दे देता हूं लेकिन शायद अधिकारियों के ध्यान में नहीं आता। यही कारण है कि यह कार्य 20 सालों से लंबित पड़ा हुआ है।

सभापति महोदय :- चलिये हो गया।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मेरी एक और मांग है।

सभापति महोदय :- आप मंत्री जी को अपनी मांग लिखकर दे दीजियेगा।

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदय, यह दूसरा मामला है। चूंकि झाकरपारा, देवभोग उड़ीसा बॉर्डर है। वहां पर ढेर सारा स्मग्लिंग का काम होता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में और दूसरी समस्या शुरू हो गयी है। वहां लोग छीन रस में यूरिया मिलाकर पी रहे हैं, जिसके कारण वहां बहुत एक्सीडेंट और मौतें हो रही है। उस पर भी पुलिस प्रशासन को ब्रेक लगाने की जरूरत है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- कौन सा रस ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- आप कौन से रस के बारे में बता रहे हैं।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मैं छिन रस की बात कह रहा हूँ, जिससे घरों को छाते हैं। आप सल्फी रस जानते हैं, लेकिन आप लोग छिन रस नहीं जानते हैं।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत ही लम्बा और चौड़ा है और वहां विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग रहते हैं। वहां पर वनांचल क्षेत्र होने के कारण स्कूल के जो अहाते हैं, वह बिल्कुल नहीं के बराबर है। मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि कम से कम वहां पर मनरेगा के तहत स्वीकृति करा दें। वैसे भी हमारे क्षेत्र में बजट जाता ही नहीं है। यहां पर कई बार अपने क्षेत्र की मांगें रख चुके हैं। 15-20 सालों में तात्कालीन डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की गई थीं, जो पूरी नहीं हो पायी हैं। जिसके कारण से वहां विकास नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मेरे यह दो-तीन मुख्य मुद्दे हैं, यह पूरी हो जाएं तो मेरे क्षेत्र के लिए यह एक बड़ी उपलब्धी होगी । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री दीपेश साहू (बेमेतरा) :- माननीय सभापति महोदय, आज मैं उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांग संख्या 3 पुलिस, मांग संख्या 4 गृह, मांग संख्या 30 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय, मांग संख्या 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मांग संख्या 46 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं मांग संख्या 47 तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में तकनीकी शिक्षा ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे विधान सभा अध्यक्ष एवं तात्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में शिक्षा की दिशा में बढ़-चढ़ कर काम किया है। जब यह छत्तीसगढ़ राज्य बना तो इसे लोग नक्सली राज्य के रूप में जानते थे। तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि शिक्षा की दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश आगे बढ़ेगा। इस प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही भिलाई में

आई.आई.टी., एम्स, ट्रीपल आई.टी. जैसे अनेक संस्थान आये। आज छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रदेश का विशेष स्थान है। उसी दिशा में हमारे माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कर रही है और आज रायपुर में नालन्दा परिसर है उसी तर्ज पर बहुत सारे जिलों में नालन्दा परिसर का निर्माण किया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी ने कई केन्द्रीय विद्यालयों की घोषणा की है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी ने भी तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। देश में आर्थिक विकास के लिए इंजीनियरिंग एवं तकनीकी कौशल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक युवाओं को तकनीकी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है, जिसके चलते तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए पी.एस.सी. विभाग में 118 पदों के लिए आवेदन, विज्ञापन जारी किये हैं। आज छत्तीसगढ़ में 3 शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, 25 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 37 शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं 17 अन्य निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं को तकनीकी शिक्षा का लाभ मिल रहा है। इसमें मेरा एक छोटा सा सुझाव है। आज प्रदेश में 37 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, लेकिन वहां पर वर्तमान में छात्र-छात्राओं की संख्या में कमी आयी है तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ऐसे पाठ्यक्रम जैसे ए.आई., रोबोटिक्स, साईबर सिक्योरिटी डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करें। साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज से जो युवा पढ़ाई करके निकल रहे हैं उनको निजी एवं सरकारी उद्योगों में प्राथमिकता दी जाये। मैं स्वच्छ भारत मिशन पर कहना चाहूंगा। जिस ढंग से देश के किसी भी नेता ने यह सोचा नहीं था कि हमारे गांव भी स्वच्छ होंगे। उस दिशा में माननीय मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की। आज हम अपने घर, परिवार और आसपास को स्वच्छ रखने के लिए किसी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी पर निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि हम स्वप्रेरित होकर स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनते हैं। इसका ताजा उदाहरण है कि अभी प्रयागराज में 44 दिनों तक महाकुम्भ का आयोजन किया गया । 68 करोड़ लोग प्रयागराज में रूके, उन्होंने वहां स्नान किया लेकिन कहीं पर भी गंदगी नहीं हुई, कहीं कोई बीमारी नहीं हुई, कहीं कोई महामारी नहीं हुई । यह स्वच्छ भारत मिशन का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है । इसके साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन में बहुत सारी योजनाएं हैं, खासकर उन माताओं-बहनों का जो सम्मान किया है वह माननीय मोदी जी ने किया है जो घर-घर शौचालय बनाकर किया है । हमारे देश की माताओं-बहनों को रात में ही शौच के लिये जाना पड़ता था, हमारी माताएं-बहनें दिन ढ़लने का इंतजार करती थीं । यदि उनको वास्तव में सम्मान देने का काम किया गया है तो वह हमारे माननीय मोदी जी ने किया है । स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बहुत से कार्य किये जा रहे हैं चाहे वह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य हों, तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य हों, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के कार्य हों यह सारे कार्य हो रहे हैं लेकिन पिछले 5 साल में केवल एक कागज तक सीमित रहा है इसे कहीं भी व्यावहारिक रूप नहीं दिया

गया है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा और इसमें मेरा सुझाव है कि अगर हम गांव को भी स्वच्छ रखना चाहते हैं, शहर को स्वच्छ रखना चाहते हैं तो इसमें पानी पाउच है, प्लास्टिक है, डिस्पोजल, पॉलिथिन, चिप्स-कुरकुरे के पैकेट हैं इसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाये ।

सभापति महोदय :- दीपेश जी, आपके क्षेत्र की कुछ मांग वगैरह होंगी तो उसे रखिये ।

श्री दीपेश साहू :- जी । माननीय सभापति महोदय, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एक सरकारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आजीविका बढ़ाना है जिसके तहत् लखपति दीदी योजना शुरू की गयी है जिसमें दिनांक 21.01.2025 की स्थिति में लगभग 2 लाख 15,603 महिलायें लखपति दीदी बन चुकी हैं । इसमें मेरा सुझाव है कि चूंकि ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है अत: आजीविका को कृषि, बागवानी, उद्यानिकी से जोड़ा जाये और गांव के स्कूलों में कृषि, बागवानी, उद्यानिकी आधारित पाठ्यक्रम भी इसमें शुरू किया जाये । नरेगा के तहत् भी लगातार हमारी सरकार ने काम किया है, 37 लाख 26 हजार परिवारों को रोजगार कॉर्ड जारी कर चुके हैं । बेमेतरा जिले में जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना जैसे नाली-सड़कों का अभाव है, वहीं मनरेगा के अंतर्गत मटेरियल वर्क के तहत् नाली-सड़कों का निर्माण नहीं किया जाता । मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मनरेगा के तहत् अधिक से अधिक ग्रामों के अंदर नाली-सड़कों का निर्माण किया जाये ।

माननीय सभापति महोदय, हर गरीब को एक आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना यह योजना गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली एक क्रांतिकारी पहल है जिसने लाखों परिवारों को पक्के आवास का सुरक्षा कवच प्रदान किया है । छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कुल 19 लाख 45,902 आवासों की स्वीकृति दी गयी है जिसमें केवल 2 लाख 36,000 आवास पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गयी है । शेष 17 लाख गरीबों को पक्का आवास दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है ।

सभापति महोदय :- दीपेश जी, आप पढ़िए मत । जो मांगें होंगी उसको रखिए न ।

श्री दीपेश साहू :- जी । माननीय सभापति महोदय, ऐसे तो मुझे अवसर नहीं मिलता है ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, यह पहली बार बोल रहे हैं, इन्हें बोलने दीजिये ।

श्री दीपेश साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं, मुझे अवसर दिया जाये । माननीय सभापति महोदय, पहली बार जेल विभाग में भी कोई नवाचार करने का काम किया है तो वह हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने किया है । बेमेतरा में ही खुला जेल हेतु वर्ष 2025-26 में मद आया हुआ है और 48 के निर्माण हेतु 1 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है । प्रदेश के जेल में बढ़ रही बंदियों की संख्या की दृष्टिगत जहां एक ओर जेलों की क्षमता को बढ़ाने बैरकों का निर्माण, जेलों का विस्तारीकरण एवं नवीन जेलों का निर्माण किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर प्रदेश के समस्त जेलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग मीटिंग की स्थापना करायी जा रही है जिससे बंदियों को

माननीय न्यायालय के समक्ष नियत पेशी में उपस्थित कराया जा सके । जेलों एवं माननीय न्यायालय के मध्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम की स्थापना हो जाने से न केवल बंदियों को पेशी पर भेजे जाने के लिये पुलिस बल की उपलब्धता में कमी आयेगी बल्कि न्यायालयीन प्रकरणों के त्वरित निराकरण में सहायता मिलेगी । इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित नहीं होगी । हमारी सरकार ने अग्निशमन एवं आपातकाल सेवा में भी लगातार बहुत से कार्य किये हैं लेकिन मैं माननीय महोदय जी से आग्रह करूंगा कि बेमेतरा में भी कम से कम 5 अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराया जाए। पहली बार पुलिस विभाग की किसी ने चिंता की है तो हमारे प्रदेश की सरकार ने की है, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने की है। बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुलिस विभाग में 6085 नवीन पदों का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष हमारे नवीन थाना चौकी के अतिरिक्त संस्थागत रूप से उपलब्ध पुलिस इकाई में बल वृद्धि की गई है तथा नवीन संरचना पर भी ध्यान दिया गया है। हमने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुलिस विभाग को नवीन फर्नीचर, कम्प्यूटर, वाहन एवं अन्य उपकरणों के क्रय हेतु लगभग 65 करोड़ 80 लाख रूपये की राशि का बजट में प्रावधान किया है। इसमें मेरा एक सुझाव है कि पुलिस में जो कर्मचारी नक्सली क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनकी बहुत समय से वहां पर पोस्टिंग है, उनका सही समय में स्थानांतरण किया जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, पूरे बेमेतरा जिले में केवल एक निरीक्षक वहां पर काम कर रहा है और उप निरीक्षक भी बहुत कम संख्या में हैं। वैसे ही आरक्षक भी बहुत कम संख्या में हैं, जिसके कारण से आज लगातार कई प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। पिछले 5 साल में जो काम हुआ है, जिसके कारण सट्टा, जुआ, अवैध शराब भी बढ़ा है तो इस दिशा में आगे बढ़ कर इनको बंद करने के लिए कदम उठाना चाहिए। राका, कठिया सरदा दारगांव में पुलिस थाना व चौकी खोलने की कृपा करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण एवं सुधार करना है। राज्य सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक 9253 सड़कें, 44,967 किलोमीटर लंबाई एवं 458 वृहद पुल हेतु कुल राशि 18,119 करोड़ की स्वीकृति दी है। गुणवत्ता हेतु व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। प्रथम स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु एक केंद्रीय प्रयोगशाला, दो क्षेत्रीय प्रयोगशाला, 32 परियोजना क्रियान्वयन इकाई स्तरीय प्रयोगशाला तथा 434 मैदानी प्रयोगशाला की स्थापना के साथ-साथ कार्यों की गुणवत्ता जांच हेतु 30 मोबाइल वैन संचालित हैं, जिनमें लगातार कार्यों की गुणवत्ता मापदंडों के अनुरूप सामग्री एवं कार्यों का परीक्षण किया जा रहा है।

समय :

3.33 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, सड़कें तो बनी हैं, ये हमारी उपलब्धि है, लेकिन पिछले 5 साल में जो गुणवत्ताहीन सड़के हैं, उनकी गुणवत्ता पर कहीं ध्यान नहीं दिया गया। गुणवत्ता केवल नाम मात्र होती है तो इनकी जो प्रयोगशाला बनाई गई थी, वह केवल खानापूर्ति के लिए है। इस योजना के अंतर्गत बनी सड़कों से जब हम गुजरते हैं तो उसमें हमें गड्ढा दिखाई देता है। महीने दो महीने बाद फिर से हम वहां से गुजरते हैं तो जो गड्ढा है, वह और बड़ा गड्ढा बन जाता है। इसलिए तत्काल उन सड़कों का निर्माण किया जाए। जिस प्रकार से विभाग के बहुत से अधिकारी कर्मचारी पिछले 5 साल से ऊपर से नीचे तक कमीशनखोरी कर ठेकेदारों से गुणवत्ताहीन कार्य कराते हैं, इसका लाभ केवल अधिकारी और ठेकेदार तक होता है। माननीय सभापति महोदय, बेमेतरा विधानसभा में भी बहुत सारी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना की सड़कें हैं, जिनका निर्माण कार्य होना बाकी है तो आपसे निवेदन करूंगा कि जितने भी निर्माण कार्य होने हैं, उनको तत्काल पूरा किया जाए और माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री रामकुमार यादव।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, इस प्रदेश के आदरणीय गृह मंत्री एवं पंचायत मंत्री जी की अनुदान मांगों पर अपने विचार रखने के लिए खड़े हौं । सभापति जी, अगर गृह विभाग के बात किये जाए त कोई भी प्रदेश रहय या देश रहय । जब भी बात आथे या दुनिया के साधाराण बोलचाल के भासा हे कि कोई काकरो के मेहमान जाथे ता एक गांव से दूसरा गांव, एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश तो पहले हालचाल ला पूछते, तुंहर इहां बने बने हावव ? तुंहर गांव गोठ हा बने शांति हे ? अइसे पूछे जाथे । आज मैं उसी विषय मा बात करना चाहत हौं । गृह विभाग, वो विभाग होथे, जे प्रदेश में रोजी रोटी, व्यवसायिक, वो प्रदेश में रहने वाला ला शांति से जिंदगी जिये के वो विभाग के कर्तव्य रथे ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- कतको हमला तोर ऊपर हो सकथे ?

श्री रामकुमार यादव :- हमर स्वास्थ्य मंत्री जी मोर बड़े भइया हे । सूजी माटी वाला मंत्री उहू हा । मैं आज कहना चाहत हौं, ए प्रदेश में जब ले विष्णुदेव साय जी क सरकार बनिस, हमर साक्षात ईश्वर देखत हे। भइया, कथे ईश्वर देखते तइसे हमर ईश्वर भइया देखत हे । ए प्रदेश में डेढ़ साल में जो स्थिति बने हे, मैं गृहमंत्री जी ला एकर दोषी नइ बल्कि ए सरकार का जौन अदृश्य होकर चलात हे, ओला दोषी मानथौं। महोदय जी, आज रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ ऐसे ऐसे जगह हे जहां सबले बड़े हमर प्रदेश के चाहे उद्योग धंधा में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में सब रथन लेकिन आज वहां पर सब अपने आप ला असुरक्षित समझत हैं । संझा होवत हे तो आदमी डरावत हे कि कोनो चाकू मारके भाग जाही, कोनो पइसा लूट के भाग जाही, कोई बैग ला धरके भाग जाही । तो मैं विपक्ष के विधायक बोलत हे, अइसने बात नइ हे । आज प्रदेश में 3 करोड़ जनता हे, जाके पूछकर देखव, हृदय मा, छाती

मा हाथ रखकर, तो ए बात जा जरूर कही कि छत्तीसगढ़ में अपराध हा बढ़े हावय । सभापति महोदय, मैं कोई बुरई एखर खातिर नइ करते हौं कि मैं विपक्ष के हौं, छत्तीसगढ़ के जो परिस्थिति जा आज सामने रखत हौं । मोर गृहमंत्री जी सुनते हे, बहुत संवेदनशील हे, वो हर चीज ला बहुत बारीकी ले नोट करथे । मैं ए बात का कहना चाहत हौं कि छत्तीसगढ़ के पुलिस, ये वही पुलिस हे जे ए प्रदेश में कोई भी पुलिस में भर्ती होथे, चाहे ऑफिसर में हो या सिपाही में हो, वोहर अपने आप ला सोचथे कि मैं पुलिस में भर्ती होय हौं तो मैं कानून ला अंकुश करिहौं । वो सबके मनोबल काफी ऊंचा हे लेकिन मनोबल ला डाउन करे के काम कोई अदृश्य जो छत्तीसगढ़ ला चलाने वाला कहे जात हे । मैं आप से निवेदन करिहौं, पुलिस के बूट के धमक होथे, वर्दी के चमक होथे ओला आप धूमिल मत करौ । पुलिस ला कहि दौ के हम आपके साथ में हैं आप काम करो, चाहे गांव के गरीब रहय चाहे कतको बड़े नेता रहय, सब ला एक बरोबर भाव से पुलिस देखही तो मोला विश्वास हे के ए प्रदेश में कानून व्यवस्था बन जाही । आप ओला खुल्ला क्षमता के अनुसार काम करे के अवसर देवव ।

सभापति जी, पुलिस विभाग मा बहुत मन बोल चुके हे, मैं जानत हौं तेखर खातिर मैं ग्राम पंचायत विभाग मा आत हौं । जब ये देश 1947 मा आजाद होइस तो हमर पुरखा मन सपना देखिन कि गांव के अंतिम छोर ला पहिले सजाए के काम करबो । आज हम शहर में रहने वाला के सब चिंता करथन । मैं नया रायपुर मा रथौं, नया रायपुर मा रोड हा टूटेच नइ हे, हमन आथन तो रोड के डामर हिटेच नइ हे अउ ओला उखाड़ के फिर से रोड बनाए जात हे । लेकिन गांव में जाकर देखव, अभी भी रोड नइ बने हे, उंहा के लइका मन माड़ी भर चिखला मा जाथे अउ ओखर सुध लेवइया कोई नइ हे । आज ग्रामीण विकास मंत्री जी ले निवेदन करिहौं, छत्तीसगढ़ी मा कहावत हे - भरे ला भरे, जुच्छा ला ढरकाए । एक तरफ बनगे हे तेला कतका बनाबो, अगर गांव के गरीब लइका के लिए रोड बनाहा तो सरकार मा कोई रहे ओखर पीठ थपथपाही । मोला हमर आदरणीय महराज जी के उपर विश्वास हे कि ओ दलगत राजनीति से उपर उठ करके अइसे काम करही, गांव में पहली रोड बनही ता जे ओ रोड में चलही तेखर चेहरा में मुस्कान आ जही, अइसे मैं आपसे निवेदन करना चाहत हौं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना ऐ छोटे-छोटे गांव ला जोड़े के रास्ता रथे, PWD में तो बड़े-बड़े रोड जुड़थे, आप अइसे-अइसे गांव ला चिन्हांकित करिहा और चिन्हांकित करके चंद्रपुर में बड़े मन से काम करिहा तो चंद्रपुर भी आपके नक्शा में आही मोला भरोसा हे।

सभापति महोदय, मैं पी.एम. आवास में कहना चाहत हौं। पी.एम. आवास में, जब हमर सरकार रिहिस हे ता भारतीय जनता पार्टी के नेता मन कहिन कि पी.एम. आवास, इंदिरा आवास नई मिलत हे, हमन 18 लाख पी.एम. आवास देबो तो छत्तीसगढ़ के किसान गरीब मन कहिन कि 18 लाख मिलही, 18 लाख मिलही, हमर मंत्री जी मन के हंसते हुए बड़े-बड़े पोस्टर भी लगे हे, हम 18 लाख पी.एम. आवास देंगे। अब ओला खोजत हन कि कदे मेर 18 लाख हे, खोजे में पता चलिस, हमर नेता मन प्रश्न

भी लगाईन, डॉ. चरणदास महंत जी, भूपेश बघेल जी, हमर बड़े-बड़े बुद्धिमान नेता मन प्रश्न लगाईन, मैं कागज ला खोजत रेहेव ता पढ़ेंव, जवाब में दे रिहिस हे 1 लाख 65 हजार 20 आवास। महाज्ञानी जी, सुन लिहा, तूहूं बोलिहा ता ऐला जरूर बोलिहा। ओ कहां हाथी, मैं कहां चांटी बबा हो।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- सभापति जी, एक मिनट। हमारे पूर्व सदस्य बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी थे। एक बार ऐसी चल रहा था तो दो ज्ञानी आपस में बहस हो रहे थे तो उन्होंने कहा।

ज्ञानी से ज्ञानी मिले, होए ज्ञान की बात।
और गधे से गधा लड़े, तो होए दो दो लात।।

श्री रामकुमार यादव :- नहीं, ऐसे नहीं हे। ओखर अइसे उदाहरण हे।

ज्ञान मारे ज्ञानी ला, अउ ज्ञान गोला ठहराए हो,
अउ मुरूक मारे टेंपा तो मुड़ कान फूट जाए हो। (हंसी)

सभापति महोदय, मैं पढ़े लिखे ला भले नई जानिहा, गणित में फेल हों लेकिन मोर ददा दोहे पारे हे, महूं दोहा पारे हों। सभापति महोदय, मोला विशेष आशीर्वाद दिहा। आज मैं पी.एम. आवास के बारे में कहना चाहत हौं। सरकार काखरो रहाए, जनता पांच साल जनादेश दे हे, हम कुछु भी कइहां हमर चलने वाला थोड़ी हे, हमू मन गोठियात रथन कि कुछु हो जही करके। चलना तो तुहिंच मन के हे। लेकिन महराज कुछ करनी, कुछ करम गति, अउ कुछ पूर्वज के भार, अगर ए मेर कोई भी व्यक्ति विधायक बने हन ओ हमर अधिकारी दीर्घा में कोई IAS, IPS बने हे, मेहनत करके....।

श्री अजय चंद्राकर :- तोर करनी में तोला तो अतेक ऊंच ऊंच के दर्शन होए हे न, अईसन भाग्य सब के थोड़ी हे। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- भगवान देखत हे, तुमन लुका के धरे हो, सब कोयला हो जही। (हंसी)

सभापति महोदय :- आप बढ़िया बोल रहे हैं बोलिए।

श्री रामकुमार यादव :- भगवान देखत हे।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति जी, इतना ऊंचा-ऊंचा।

श्री रामकुमार यादव :- भगवान देखते हे, ए मन लुका के धरे हे, ऐखर पईसा हा कोयला हो जाए जा।

सभापति महोदय :- वे क्या पूछ रहे हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मैं कहत रेहेव, कुछ करनी कुछ करम गति, अउ कुछ पूर्वज के भाग। अगर हमन यहां पे पहुंचे हन।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, ये ऊंचा-ऊंचा क्या चीज है, उसका तात्पर्य क्या है ? आप बता पाओगे, ऊंचा-ऊंचा क्या है ?

श्री अजय चंद्राकर :- ऊंचा-ऊंचा, 500-500 नोट की गड्डी थी और क्या है। (हंसी) वे खुद उनको नहीं छिपाते।

श्री केदार कश्यप :- ये कर्मगति से है या पूर्वज की गति से है ?

श्री अजय चंद्राकर :- कर्मगति से है।

श्री रामकुमार यादव :- का हे, ए तुंहर करम ला हमन भुगतत हन। तुमन ऐला मंत्री नई बनाय हो, ऐखर रिस ला हमर उपर उतारथे। हमन काय करिहा बतावव तो। मैं वही कहना चाहत रेहेव, आज हम सब यहां पे कोई विधायक के रूप में कोई मंत्री के रूप में उपस्थित हन, किसी न किसी रूप से आपके कर्म भी हे, आपके पिता जी, आपके पुरखा मन कर्म करे हे ता आज अतके बड़े पद में आए हन। आप ओ क्षण ला ओ कलम के पावर ला बिना कपट के, बिना राग द्वेष के आप मन उपयोग करो, में ये आपसे निवेदन करना चाहत हौं। राजपाठ चलाना ए बार-बार मौका मिलने वाला नो ए। मैं कभी-कभी देखथव। जब बजट में आ जाथे तो पहिली पूछथे कि ओ क्षेत्र के विधायक कोन हे तो हमर जइसे कोई आदमी ला बता देथे कि चंद्रपुर में कांग्रेस के विधायक हे तो सरट ले देख देथे। अइसे नहीं होना चाहिए। एक समय अइसे भी रीहिस हे, जब ए देश में कांग्रेस के सरकार रीहिस हे अऊ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ला यही कांग्रेस पार्टी हा विदेश मंत्री बनाकर भेजे के काम करथे, ओ कांग्रेस पार्टी के मैं सदस्य हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहत हो कि आप ला अपन दिल ला बड़े बनाकर रखना चाहिए। सभापति महोदय जी, सबसे मेन बात हे कि अगर कोई आदमी ला आप पेटभर खाए बर दे दो, रोड, पानी, बिजली, बड़े से बड़े सुविधा दे दो अऊ कहीं पर कोई शराब पीकर आकर हंगामा कर देथे तो जम्मो हा बेकार हो जाथे। तेखर खातिर हमर शर्मा महाराज जी, मैं आप ला कोई दोष नहीं दो। आप ला अपन क्षमता के थोड़ा से अऊ उपयोग करे बर हे। आप आने के बात अऊ बहकावे में मत आहूं। हम जानत हन कि तुंहर में क्षमता हे, लेकिन आप अपन क्षमता ला उपयोग करो। सभापति महोदय जी, मैं आपके ईशारा ला समझ गे हो। अब मैं मोर क्षेत्र के मांग करहूं। बस दो मिनट में मैं मोर बात ला पूरा करत हो। आपके आशीर्वाद से मैं एक बात कहना चाहत हो कि टुण्ड्री हा पहले के बजट में उप पुलिस थाना के रूप में जुड़ चुके हे, चूंकि वहां पर आर.के.एम.डी.बी. एथेना पॉवर प्लांट हे अऊ वहां पर कोई भी घटना घटते रहिथे तो आप टुण्ड्री में थाना ला चालू करवा दो ताकि ओ क्षेत्र में अपराध ला कंट्रोल करे में सहुलियत पड़तीस। दूसरा, मालखरौदा। कोई भी जगह यदि अनुभाग हे तो वहां एस.डी.एम. बइठथे, तिहां पुलिस भी कॉमन हे। जइसे जहां एस.पी. बइठथे, तिहां कलेक्टर बइठही अऊ कलेक्टर बइठही, तिहां एस.पी. बइठही। तो मालखरौदा में अनुभाग राजस्व है अऊ वहां एस.डी.एम. बइठथे, लेकिन अभी वहां पुलिस अनुभाग अधिकारी नहीं हे तो मोर आपसे निवेदन हे कि जब वहां पर अनुभाग राजस्व हे तो एस.डी.ओ.पी. भी बइठ जाही तो अच्छा रहही। दोनों एक-दूसरा के पूरक हे। मैं आपसे निवेदन करत हो। सकर्रा ला तो आप बोल चुके हो, बस ओला चालू भर कराए के देरी हे। मैं ज्यादा का कहो। मैं सौ बात के एक बात कहहूं

कि कोई भी प्रदेश में कानून के अगर कंट्रोल हे तो कानून के कंट्रोल में ओ प्रदेश आगे बढ़थे। मैं आपसे निवेदन करिहूं अऊ अंत में मोर चरणदास महंत जी के क्षेत्र के बात कहहूं। चूंकि ओ मोर नेता हे।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त कीजिये। आपको 15 मिनट हो गये।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, एक मिनट। मोर आपसे निवेदन हे कि उहा के जनपद पंचायत के चुनाव ला दो बार निरस्त करे गेहे। चाहे कोई भी अधिकारी हो। जनप्रतिनिधि चुनकर जाथे तो ओखर सम्मान होना चाहिए। इसी प्रकार से कोई वोट ला डाले बर जात हे तहन कहात हो कि अचानक ओला पेचिस होगिस। अइसे नहीं होना चाहिए। मोर आपसे निवेदन हे। आप तो बड़े दिल के हो तो चार इंजन होइच गेहे, अब पांचवां इंजन ला भी झन जोड़ो, ए उद्देश्य से आप मन ऐला करो। सभापति महोदय, आप मोला बोले के मौका देहो अऊ गंभीरता से मोर बात सुने हो, तेखर लिए आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद अऊ महाज्ञानी ला भी धन्यवाद।

सभापति महोदय :- चलिये, हो गया। आप समाप्त कीजिये। सुश्री लता उसेण्डी जी। नहीं हैं। श्री धरमलाल कौशिक। श्री अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत छोटी-छोटी संक्षेप बात कहूंगा। माननीय मंत्री जी, आप जितने विभाग देख रहे हैं, इन सभी विभागों में मैं मंत्री था। मैं केवल 3 महीने के लिए गृहमंत्री था। आप समझ रहे हैं न? मैं अपने विभाग की आलोचना तो कर नहीं सकता हूं। आप बहुत तेजी से आगे बढ़ें और बहुत अच्छे से इसको संभाले और प्रदेश को व्यवस्थित करें। माननीय सभापति महोदय, एक प्रतिज्ञा हुई थी। महाभारत में आगे-पीछे बहुत सी कहानियां हैं कि सूरज डूबन से पहले जयद्रथ मरेगा और जयद्रथ मरा। उसके आगे-पीछे की और बहुत सारी कहानियां हैं। वह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। वह epic है। ऐसी घनघोर प्रतिज्ञा हुई कि दिनांक 31 मार्च 2026 को इस देश को नक्सली मुक्त कर दिया जोयगा और यह वृहत्तरदायित्व और गुरूत्तरदायित्व को हमारे नवजवान मंत्री विजय शर्मा जी छत्तीसगढ़ में उठायेंगे और पूरा करेंगे। यह जिस गति से चल रहे हैं, जिस तरीके से चल रहे हैं और जिस योजना से चल रहे हैं तो यह सन् 1980 के पहले का छत्तीसगढ़ बन जायेगा। जब बस्तर पृथ्वी का स्वर्ग था। वहां पर ऐसी कौन सी चीजें नहीं थीं, जो देखने-सुनने और समझने लायक नहीं थीं। लता जी नहीं हैं क्या? कोण्डागांव को शिल्पनगरी ही कहेंगे। जब संस्कृति, पर्यटन विभाग की चर्चा होगी तब इस विषय में बात करूंगा। लेकिन बस्तर में ऐसी कौन सी चीजें नहीं थीं और आज पूरी दुनिया में बस्तर का रक्तरंजित फोटो छपता है। लेकिन हम फिर से वहीं बस्तर बनायेंगे, फिर से वही छत्तीसगढ़ बनायेंगे, यह जो एक प्रतीज्ञा हुई है, उसमें जो कार्यवाही चल रही है, उसमें आप सफल होंगे, मैं पूरे सदन की ओर से, पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से ऐसी सद्भावना पालता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे 2-3 चीजों के लिए आग्रह करूंगा। आपने कहा कि धर्मान्तरण के लिए कानून लायेंगे। धर्मान्तरण में एक कानून सन् 2011 में बना था

श्री केदार कश्यप :- धर्मान्तरण या अवैध धर्मान्तरण ?

श्री अजय चन्द्राकर :- धर्मान्तरण, अवैध धर्मान्तरण रोकने के लिए, ठीक है। आप शायद उसको जल्दी करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं, जिसको हर बार अलग-अलग तरीके से उठाता रहा हूं। कल ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 4 लोग मरे हैं। सड़क दुर्घटना रोकने के लिए कितने विभाग हैं, जो इसमें इन्वाल्व हैं और यह कैसे रूकेगा ? आप पेपर पढ़े होंगे, होली के दूसरे दिन अलग-अलग दुर्घटनाओं में, अलग-अलग जगह 12 लोग मरे हैं। हम बोलते हैं कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनने जा रहे हैं तो इसके लिए कोई समन्वित रणनीति बननी चाहिए। इस सदन में नियम 139 के तहत बड़ी चर्चा हुई है, लेकिन हम इससे आगे नहीं बढ़ पाये। विजय शर्मा जी, आप क्षमतावान हैं, मैं सोचता हूं। मैं एक विषय को लगाता हूं, वह चर्चा में नहीं आता। आपके पास वह कागज पहुंचता होगा। पुलिस का एक मानवीय चेहरा भी है। जितनी ड्यूटी पुलिस करती है, विविध प्रकार के काम करती है, शायद दूसरा विभाग करता होगा। समाज उसके दूसरे पक्ष को देखता है, उसके मानवीय पक्ष को नहीं देखता है कि वह किन परिस्थितियों में, किस प्रकार के तनाव में, किस तरह की स्थितियों, परिस्थितियों में जवान काम करते हैं। आज भी पेपर में छपा है कि एक जवान ने अपने अफसर को 20 गोली मार दी। 10 गोली की पूरी मैगजीन खाली कर दी। आत्महत्या या हत्या क्यों होती है ? प्रदेश में कितनी ऐसी घटनाएं हुईं ? जिन कठिन परिस्थितियों में, वह चाहे भौगोलिक परिस्थिति हो, चाहे नक्सल जनित हो या दूसरी चीजें हों, जिसमें वे काम करते हैं, आप इस समस्या के निराकरण के लिए काउसलिंग करें, सेल बनायें, मनोवैज्ञानिकों की भर्ती करें। हमारा सेन्दरी है, वहां से करें, उनकी काउसलिंग होगी, उनके ट्रांसफर की नीति बनाये। यदि कोई सिपाही बस्तर चला गया तो वह वहां ऊसुर ब्लाक से निकल पायेगा या नहीं निकल पायेगा ? क्या उसकी जिन्दगी वहीं कट जायेगी ? क्या उसका पॉलीटिकल एप्रोच होगा तभी होगा ? क्या किसी गलत तरीके का इस्तेमाल करेगा तभी ट्रांसफर होगा ? वह अपने घर, परिवार, बच्चों से दूर है तो निश्चित रूप से कई तरह के तनाव में रहते हैं। तो ह काउसलिंग से पुलिस की ये सारी चीजें उभरती हैं, आप उसको ठीक कीजिये।

माननीय सभापति महोदय, आपसे एक चीज की चर्चा हुई है। दुनिया में नये तरीके का अपराध है। चूंकि चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा और वह विषय साइबर क्राइम का है। आपने साइबर योद्धा बनाने की बात कर दिया। साइबर योद्धा के प्रशिक्षण की क्षमता है या नहीं है ? विशेषज्ञ हैं या नहीं हैं ? आप किसी संस्था से टाइअप करके, लोगों से बातचीत करके नये तरीके के अपराध को रोकने के लिए कोई न कोई तरीका अपनाईये और निकालिये।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस को जो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छे काम में आपदा प्रबंधन का काम है। आपदा प्रबंधन में छत्तीसगढ़ पुलिस सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, वह नगर सेना को मिलाकर हो, चाहे आप अलग बनाये, लेकिन उसके लिए हो। लेकिन यह एक सर्वश्रेष्ठ हो। उसमें उनके शिक्षण-

प्रशिक्षण, वेतन, आवास, उनकी सारी चीजें हों। आपने दो चीजें एन.आई.ए. की तर्ज पर की है। वह मुझे औपचारिक दिखती है। जो एस.आई.ए. बनाई है, उसको क्या अधिकार और दायित्व दिया गया है, वह कौन से प्रकरणों की जांच कर सकता है, इसकी थोड़ी स्पष्टता होनी चाहिए। जब आपने घोषणा-पत्र में कहा है तो यह एक स्पष्टता आये कि इस तरह के अपराध के अन्वेषण की जिम्मेदारी दी जायेगी, वह इस तरह के काम को करेगा।

श्री राम कुमार यादव :- भईया, घोषणा मा हे, ओला नइ करे हा, ओला कर देवा, कहत ए।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि लगभग सभी वक्ताओं ने बाकी चीजों पर अपनी बातचीत की है। आपके विभाग का बजट बढ़ा है, आप बजट अच्छा खर्च कीजिये। बजट में विनियोग विधेयक के दिन बात करेंगे। एक रूरल डेव्हलमेंट का विषय है। मैं रूरल डेव्हलमेंट में तीन-चार चीजें ही कहूंगा। मैंने कहा न कि मैं इन विभागों में न प्रश्न लगाता हूं और न ही बोलता हूं। सबसे पहली बात यह है कि डेढ़ साल बाद पंचायती राज के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? एक्टिविटी मैपिंग में यह स्थिति है कि आज स्थिति और बदतर हो गई है। माननीय मंत्री जी, पहले पंचायत अविवादित बंटवारा को संपादित कर लेते थे, लेकिन अब वह भी संपादित नहीं कर पाते हैं। आप 29 विषयों में फंड, फंक्शन, फंक्शनरी कितना देंगे, क्या देंगे, यह मेरे कहने से मत दीजिये। समय रोज बदलता है। आप पंचायती राज में एक दृष्टिकोण विकसित कीजिये कि हम यह अधिकार देंगे। मैं इसमें एक सुझाव दे देता हूं, आप मुझे पूछ सकते हैं कि यह आपने क्यों नहीं किया है। मैं उसका उत्तर अकेले में दे दूंगा, यहां पर उसका उत्तर नहीं दे सकता। आप जितने लोगों की केन्द्र सरकार ने यदि डी.आर.डी.ए. बनाया तो ब्लॉक पहले से थी, ग्राम पंचायतें पहले से थी। अभी वित्त आयोग वाले आये थे, मैंने उनसे बातचीत की तो मैंने उनसे कहा कि जनपद और जिला पंचायत, दोनों अपेक्स बाडी है। ग्राम पंचायत क्रियान्वयन की इकाई है। ग्राम पंचायत के पास क्या है? ग्राम पंचायत के पास एक चपरासी है, एक अकाउंटेंट है या डाटा एंट्री ऑपरेटर है? यदि आप चेक किये होंगे तो मुझको कभी बता सकते हैं कि पंचायत में कितनी पासबुक रहती है? उसका प्रबंध कौन करता है? यदि आपके पास राशि का अभाव है तो आप जिन विभागों का काम करते हैं, उन विभागों से कमीशन लेकर आप कम से कम उनको एक डाटा एंट्री ऑपरेटर दे सकते हैं, एक अकाउंटेंट दे सकते हैं या सेटअप मंजूर कर दीजिये और आप सिर्फ और सिर्फ उसको काम सौंप दीजिये कि यह काम पंचायतें करेंगी। 29 विभाग नहीं, बल्कि उससे और ज्यादा विभाग होंगे, जिसको जो काम करना है, वह पंचायत करेंगी। पंचायतें किसी भी विभाग का जो भी काम करेंगी, उसको फ्री में मत करें। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप सेटअप बनाकर आपके पास जो पैसे आते हैं उस पैसे से उसका खर्च कीजिये या नहीं तो आप वित्त विभाग में Representation देंगे तो राज्य वित्त आयोग से वह पैसे दीजिये। राज्य वित्त आयोग के पैसे क्या काम देते हैं, यह आप सवा साल में अच्छे से जानते होंगे? दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं।

वैसे में ऐसा संबोधन नहीं करता हूं, लेकिन आज जनबूझकर ऐसा संबोधन कर रहा हूं। मैं केदार कश्यप जी कभी आदिवासी नेता नहीं बोलता हूं, न ही विक्रम उसेण्डी को आदिवासी नेता नहीं बोलता हूं। वह प्रदेश के नेता हैं।

श्री रामकुमार यादव :- भले ही ओ मन आदिवासी सीट के चुनाव लड़ही, लेकिन ओ मन आदिवासी नेता नई हे?

सभापति महोदय :- बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- तैं हर बड़े सोच ल नई पकड़ पास न कि काबर मैं हर नई बोलव। साहब, आप पेसा अधिनियम पर क्या करने जा रहे हैं? पेसा अधिनियम में आपका क्या दृष्टिकोण है? मैंने कभी नहीं सुना कि आपने उसका कोई सम्मेलन किया होगा। पेसा अधिनियम के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण होगा? आप किस तरह से अनुसूचित क्षेत्रों के संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न करना चाहते है? पंचायत की समानांतर संस्थाएं चलेगी या नहीं चलेगी? क्या आप उसको बंद करेंगे? कौन सी चीजें हैं, आप किसमें सहमति देंगे? आप इसमें मुझसे यह बात पूछ सकते हैं, उसको मैं कभी अकेले में बोल दूंगा। एक बार केदार जी एक साथ शिक्षा मंत्री और आदिम जाति कल्याण मंत्री थे। उनसे बात हुई कि आदिम जाति कल्याण विभाग स्कूल शिक्षा में ट्रांसफर हो गई कि आश्रम शालाएं या कुछ तरह की चीजें बाकी हैं। छत्तीसगढ़ भर में और एकाध राज्य और होगा, मध्य प्रदेश राज्य होगा, उससे ज्यादा दूसरा राज्य नहीं है, उसमें 85 विकासखण्ड ट्राइबल ब्लॉक हैं। आपके 61 ब्लॉक हैं। आपका बजट कितना बड़ा है, आपके पास कितनी सारी योजनाएं हैं, उस पर आपका कितना नियंत्रण है? क्रांतिकारी कदम तब होगा जब आप पूरे 85 ब्लॉक को अपने अंडर में रखिये। मैंने उसको यहां तक नहीं बोल पाऊंगा कि मैं इसमें कहां तक गया था, लेकिन आज यह समय की मांग है कि जब आप सुशासन और अभिसरण का विभाग बना रहे हैं तो अच्छा करने का यह पहला कदम है। सभापति महोदय, अभी बड़ी संख्या में पंचातय प्रतिनिधि चुनकर आये हैं। एक सप्ताह, पन्द्रह, बीस दिन हुआ है, आपसे एक आग्रह है कि महीने भर का अभियान चलाकर स्पेशल आडिट करवाईये, जितने पुराने सरपंच या जनप्रतिनिधि हैं, वह कितना पइसा कैश इन हैंड रख सकते हैं साहब, सचिव कितना पइसा कैश इन हैण्ड रख सकता है, कितना पइसा अभी उनके पास है, वह कब तक जमा करेंगे, कितने दिन में जमा करेंगे और नहीं करेंगे तो उसकी वसूली के लिये एक अभियान चलाईये, पार्टी बाजी छोड़ दीजिए ? सभापति महोदय, मैं कल एक पेपर में पढ़ रहा था, पंचायत में अरबों रूपये इस तरह से फंसे हुये हैं, दूसरी बात आपके पास प्रशिक्षण की बहुत सारी संस्थायें हैं । एस.आई.आर.डी और 6 ईटीसी है, डी.आर.सी., बी.आर.सी. आप एकाध बार घूमें होंगे, कवर्धा के डी.आर.सी को देखें, उसकी क्या हालत है, कवर्धा ब्लॉक के बी.आर.सी. देखिये, क्या हालत है या बोड़ला चल दीजिएगा ? सभापति महोदय, पंच से लेकर जिला पंचायत के जो नये लोग चुनकर आये हैं, जानें तो पंचायती राज क्या है, 73 वां संशोधन क्या है, ग्यारहवीं अनुसूची क्या है, छत्तीसगढ़ में

किस स्वरूप में लागू है, कर्त्तव्य दायित्व क्या है, जिस दिन आप मिलोगे तो हमारा तन्ख्वाह बढ़ाओ, यही बोलेंगे ? लेकिन दायित्वों के लिये बाकी विषय में वह जागरूक बनें, 3 महीने कम से कम जो फण्ड रिलीज होता है, इसे आपके अधिकारी भी सुन रहे हैं, 1.5-2 लाख जो चुनकर आये हैं, उनको एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बी.आर.सी से लेकर एस.आई.आर.डी और 6 ई.टी.सी. है, ऐसे विषय में यह प्रशिक्षण होगा, पंचायती राज के अनुकूल बनाने के लिये फ्रेम होगा । सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई कि इधर सुनने वाले नहीं है,आंकड़ों में पढ़ते हैं कि इस साल का इतना स्वीकृत हुआ, इस साल का इतना स्वीकृत हुआ, इस साल का इतना स्वीकृत हुआ, कितना प्रधानमंत्री आवास बना, कितना नहीं बना, सवाल इस बात का है मैम, आप सुन रही है । आपने चुनाव साल में 49 हजार की स्वीकृति दी है, यह राजनीतिक कारणों से दी है, सरकार का प्रतिवेदन है, आपके समय का प्रतिवेदन है कि कितनी स्वीकृति हुई, कितने नहीं हुये हैं । यह गरीब विरोधी सरकार है...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणी सभापति महोदय जी, हम लोगों ने भी केन्द्र सरकार को डिमांड भेजा था, लेकिन जितना भेजे थे, आपके केन्द्र के लोग दिये ही नहीं है ? आपने 18 लाख आवास देने की घोषणा की है, उसमें से 1.65 लाख ही हुआ है । अगर 15 महीने में 1.65 लाख हुआ है तो 4 साल में 18 लाख कहां से होगा ? आप हिसाब लगा कर देख लीजिए । चन्द्राकर जी, आप आवास की बात न करें तो अच्छा है । लोग आवास के लिये तरस रहे हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- एती वेती के बात ला छोड़व, तुमन मंत्री बनथव कि नई ए ला बतावव ? हक खवा देव, वोमन नइ बनाथे त हमन काय करबो ?

सभापति महोदय :- आप थोड़ा चुप रहिये । रामकुमार जी । चन्द्राकर जी, एक मिनट । आप थोड़ा सा इधर देखिये । कोई भी खड़े होकर बीच में बोलेगा, आपको तो बोलने का टाईम मिला था ना ? आप बोल लिये, अब उनको बोलने दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह परिकल्पना की गई कि यह देश 2047 तक उन्नत हो जायेगा, लेकिन हमारी छोटी-छोटी चीजें अगर बीमारू है तो उस उन्नति का भी कोई मतलब नहीं होगा ? इस सदन में, इस विभाग में, मैं आपके विभाग में बोल देता हूँ साहब, मुझे भी थोड़े दिन स्वच्छता में काम करने का अवसर मिला । अभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुये, देश का पहला कानून पंचायती राज प्रतिनिधियों के अहर्ता में स्वच्छता शामिल हो । लेट्रिन बनेगी, तब आप चुनाव लड़ पायेंगे । साक्षरता शामिल हो, इसी विधान सभा से खाद्य सुरक्षा गारंटी निकली कि पंचायत में 1 क्विंटल अनाज रखना है, जो निर्देश था उसको कानून बनाया गया, इसका बीजारोपण इसी विधान सभा में किया गया । सभापति महोदय, जिनके पास इन्क्रोचमेंट है, वह एक सामाजिक कानून था कि चुनाव नहीं लड़ सकता । दूसरा विभाग है, तकनीकी कौशल । आपने वर्ष 2013 में कानून बनाया कि कौशल उन्नयन मेरा अधिकार है । इसी विधान सभा से यह पहला कानून निकला, यह देश के पहले

कानून थे । जब माननीय राष्ट्रपति जी के आने का कार्यक्रम बना तो मैंने सचिवालय से आग्रह किया था कि जो-जो कानून पहली बार छत्तीसगढ़ में बनें, उनको बताईए । जब वे अपने मुंह से बोलेंगी तो देश भर में सुना जाएगा कि छत्तीसगढ़ की विधान सभा में इस तरह से बात की गई । जब हमारे पास फंड कम थे तो इस तरह के अभियान को एक साफ्ट कानून बनाकर हमने गारंटी दी थी कि हम इसमें कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनको बनाना पड़ेगा । आज बड़ी प्रसन्नता होती हैं कि मेरी बातों को इधर की 4-5 महिलाएं इसको सुन रही हैं, मेरे पीछे भी गोमती जी बैठी हैं । छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सामर्थ्य स्वच्छता से मिला तो वह महिलाओं को मिला और आज मोदी जी का जो सबसे अच्छा कदम है, मैं दुनिया भर की बात नहीं करता, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, लेकिन समाज को मजबूत करने वाला कानून, समाज में परिवर्तन लाने वाला कानून और उसके लिए फंडिंग और जिसका इम्पैक्ट दिखता है, उनमें से एक स्वच्छता है, उसमें भी आप काम कर रहे हैं, यह आपके प्रतिवेदन में है, वेसे मैंने पढ़ा नहीं है, आपको बता दूं, लेकिन आपको बधाई । आप इसे प्रभावशाली ढंग से लागू कीजिए ।

माननीय सभापति जी, दूसरी बात यह है कि बहुत लोग इस विभाग का महत्व ही नहीं जानते कि इसका उद्देश्य क्या है ? ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज मिलकर असली काम तो हमारा पावर्टी एलीवेशन का है, निर्माण काम हमारे विषय नहीं हैं । आप पावर्टी एलीवेशन में जो काम कर रहे हैं, आपने एकाध आरसीटी देखी है क्या ? प्रदेश में कितनी बनी है, अब तक कितनी नहीं बन पाई है, कौन बैंक बनाया है, किस बैंक ने नहीं बनाया है । यह इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बैंक जिसको प्रशिक्षण देती है, उसी को फाईनेंस नहीं करती है । आप कभी आरसीटी का दौरा कीजिए और उसको देखिए । आप उद्योग के लिए एक कार फाईनेंस करवा लीजिए, लेकिन 10 संस्थाओं में 10 बार बोलने के बावजूद इन गरीबों को बैंक लींकेज करना बहुत कठिन काम है, वह एक एपीओ लेवल का काम नहीं है । मैं इसको 100 बोला, लेकिन इसके स्ट्रक्चर के बारे में कहा कि मैं अकेले में बोल दूंगा, लेकिन यह भगवान की सेवा है । जो राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन है, वह भगवान की सेवा है । आप गरीबों, वंचित और शोषित के लिए कोई काम करते हैं तो ये काम सफलतापूर्वक कर दोगे तो आपकी दूसरी जो बंदूक की लड़ाई है, वह अपने आप आगे निकल जाएगी तो इसको आप देखिए ।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, अब आप समाप्त करें ।

श्री अजय चनद्राकर :- मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा । एक विभाग में एक लाईन और बोलूंगा । क्या एक जिला, एक उत्पाद हम कर सकते हैं ? प्रधानमंत्री जी ने नार्थ ईस्ट में शायद एक जिला, एक उत्पाद को तय किया है । अभी मैंने कोण्डागांव का उदाहरण दिया, बेलमेटल की नगरी । मैं आपके जिला का एक उदाहरण बता देता हूं । किसी समय बोल-बोलकर, कह-कहकर मेरे प्राण छूट गए । वे आईएएस लोग थे, आईएएस लोग सुनेंगे कि मेरी आलोचना हो रही है करके । डोंगरगढ़ की माता जी

चुनरी बाहर से क्यों आती है ? उसको स्व सहायता समूह यहीं बनाए । स्व सहायता समूह से प्रसाद यहीं बने, स्व सहायता समूह से फूलों की खेती यहीं पर हो, उनको दुकान दिया जाए, कितने लोगों को ट्रेनिंग दी, कितने लोगों को क्या दिया गया ? जब भी मैं उधर जाता था, तब पूछता था । रतनपुर में वही पूछता था कि आपने अगरबत्ती बनाना शुरू किया ये या नहीं किया ? मैं दंतेवाड़ा जाता था तो यही बात पूछता था। इनके लिए कुछ तो करो, कुछ तो करो । मैं उस समय की अपनी असफलता स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन अब इसमें एपीओ से ऊपर प्रोफेसनल को शामिल कीजिए चाहे आपको उसके लिए बजट मांगना पड़े, जो करना पड़े, जैसा करना पड़े । मार्केटिंग, बैंक लींकेज, ब्रांडिंग से सब एपीओ लेवल का काम नहीं है, इसके लिए प्रोफेशनल लाईए, बिल्कुल नवाचार करिए, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाईए।

सभापति महोदय, अब मोदी जी की सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है, जिसका सम्मेलन अभी उन्होंने गुजरात में किया - लखपति दीदी । मैं एक विभाग को बंद कर रहा हूं, एक लाईन और बोलूंगा । लखपति दीदी की जो परिकल्पना है, उसके लिए आपने अपने डीआरडीए में काम तो किया है तो उसको गति दें । छत्तीसगढ़ में आपके पास तकनीकी विश्वविद्यालय हैं । traditional subjects को कम से कम यू.टी.डी. में लाइए। एक बार मैंने nanotechnology की कार्यशाला करवाई थी, उस समय वह बड़ा चलन में था। AI जैसे विषय में यू.टी.डी. में काम तो शुरू करें। वित्त मंत्री जी सदन में आ गए हैं। ऐसे जो नए विषय हैं, वह टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आने चाहिए। मेरा एक प्रश्न है, वह लगेगा या नहीं, मैं नहीं जानता, उसमें है कि प्रदेश में 9 राजकीय विश्वविद्यालय खुले हैं, तो उनमें से कितने में यू.टी.डी. हैं और कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कितने में क्या है यह पूछा है। आपकी तकनीकी शिक्षा को यह पता होना चाहिए कि रायगढ़ में किस तरह के उद्योग हैं और वहां की आई.टी.आई. में कौन से ट्रेड होने चाहिए रायपुर और भिलाई की आई.टी.आई. में कौन से विषय होने चाहिए, कौन से ऐसे कॉमन विषय हैं जिन्हें सभी आई.टी.आईज. में खोला जा सकता है। क्या उसकी मैपिंग हो सकती है और क्या वैसा खोला जा सकता है? इसलिए उसकी मैपिंग हो और वैसे ट्रेड को उस जगह में खोलें जहां उद्योगों में उसकी डिमांड हो ताकि उनका नियोजन हो सके। दूसरा कौशल उन्नयन कानून के लिए तो मैं आपको बधाई देता हूं लेकिन जो VTP (vocational training provider) हैं, वे कितने दिनों के लिए नियोजित करवाते हैं? उसे देखने का आपके पास कोई सिस्टम या मैकेनिज्म है या हम सिर्फ उसे ट्रेनिंग का पैसा देते हैं? आप एकाध बार किसी प्रायवेट VTP का विजिट कीजिए। जितने प्रायवेट VTP आपके पास रजिस्टर्ड हैं, वहां आप विजिट कीजिए और देखिए कि उनकी क्या स्थिति है और वे कितने दिन नियोजित करवाते हैं। आप इसका अध्ययन कीजिए और यह सिस्टम हो ताकि छत्तीसगढ़ के लड़के, छत्तीसगढ़ की बच्चियां यदि कौशल वाली मेनपॉवर बनती हैं, तो यहां की economy बदल जाएगी। कई देश और कई प्रांत ऐसे हैं, जिन लोगों ने अपनी शिक्षा और कौशल के दम पर अपनी basic economy बदल ली। इसलिए इन कामों को आप करें।

सभापति महोदय, व्यापम की परीक्षाएं और व्यापम को business देना आजकल बंद हो गया है। मैं नहीं जानता कि सालभर में व्यापम ने कोई परीक्षाएं ली हैं। वे छोटी-छोटी नौकरी के लिए प्रक्रिया करते हैं। आप उसे देखिए।

सभापति महोदय, आपके पास science and technology है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप regional science centre में भी कुछ खोलने जा रहे हैं। हमने सड्डू में जितनी भी जमीन ली थी, ये महोदय लोग (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर इशारा) तो वहां पर regional science centre में मछली पालन और गौठान बनाने चले थे।

श्री रामकुमार यादव :- महाज्ञानी जी, भर्तीच नई होवथे त व्यापम परीक्षा कहां से लिहि? कुछु वैकेंसी निकालिह त।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, वहां उतनी जमीन इसलिए ली गई थी कि उसे science centre बनायेंगे। उस समय सबसे बड़ा science centre अहमदाबाद था। अब उससे बड़ा बन गया होगा, तो मुझे नहीं मालूम लेकिन हम अहमदाबाद से भी बड़ा सेंटर छत्तीसगढ़ में बनायेंगे इसलिए हमने वहां पर 40-45 एकड़ जमीन ली थी। ये आलतू-फालतू चीज़ जो ये लोग वहां पर बनवाये हैं ना, कब्जा किए हैं, उस सबको खाली करवाइए और उसे regional science centre के लिए रखिए और वहां जो बना रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इसी प्रकार से science and technology में जितने पद रिक्त हैं, कोई research, innovation आदि होता नहीं, तो उसमें ठीक-ठाक लोगों को लाइए, भरिए, अच्छा करिए। आपमें संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर मैं ऐसे ही बोल दिया। आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद जी। निषाद जी, बहुत से लोग बोलने वाले हैं, आप आसंदी को थोड़ा सहयोग कीजिएगा और 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिएगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, मेरे नेता जी ने मुझे बोलने का अवसर दिया है, तो मैं समझता हूं कि सदन में विपक्ष के नाते सरकार के कार्यों का एक आईना दिखाने का काम आपके माध्यम से मैं कर सकूं। कुछ सुझाव भी दूंगा और कुछ बातें भी रखूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस महत्वपूर्ण विभाग की अनुदान मांग 3, 4, 5, 30, 80, 46 और 47 पर बोलने का मुझे अवसर मिला है और मैं इसके विरोध में बोल रहा हूं। इसमें बोलने से पहले मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात प्रारंभ करना चाहूंगा।

"जिंदगी सबकी संवारने वालो
बस इतनी-सी दुआ तुम सब के लिये
मेरे मालिक अगर सुन ले मेरी

तो तुम्हें भी जिंदगी सीख जिंदगी मिले"।।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग का इस वर्ष का बजट 8,381 करोड़ रूपये से अधिक है और जिस गति से बजट की राशि में वृद्धि हो रही है, उसी गति से पूरे प्रदेश में अपराधों में भी वृद्धि हो रही है। मैं गृहमंत्री जी के एक महत्वपूर्ण विभाग की साल भर की उपलब्धियों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर मैं उसे क्रमांक दूं तो मैं यह कहूंगा कि उपलब्धि क्रमांक-1, प्रदेश के सभी थानों में 15 मार्च, 2025 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले एक वर्ष में प्रदेश की 15,484 युवतियां एवं महिलाएं लापता हैं। यह हमारे प्रदेश के लिये बहुत ही लज्जाजनक बात है कि हमारे प्रदेश की लगभग 15,484 महिलाएं एवं युवतियां लापता हैं। इस एक साल में इस प्रदेश की सरकार की यह उपलब्धि है। इसमें विभाग ने केवल औपचारिकता निभा दी है, केवल खानापूर्ति कर दी है और उन्होंने केवल नाम और पता लिख दिया है। इसके आगे क्या कार्रवाई हुई, यह माननीय गृहमंत्री जी जरूर अपने उद्बोधन में बतायेंगे ? हमारा तो केवल इतना ही सुझाव है कि यह जो महिलाएं गायब हुई हैं, इनके पीछे जो रैकेट काम कर रहे हैं, उस रैकेट का पर्दाफाश होना चाहिए क्योंकि यह प्रदेश का बहुत बड़ा मामला है। माननीय सभापति महोदय, मैं उपलब्धि क्रमांक 2 के बारे में बोलने से पहले आपके माध्यम से सदन में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं अगर केवल कबीरधाम जिले में गुमशुदगी की जानकारी देना चाहूं तो मेरे पास उन तमाम परिवार से लेकर उन सदस्यों की जानकारी है, जो गुमशुदा हो गये हैं। वर्ष 2024 में 391 और वर्ष 2025 में 61 गुमशुदगी के प्रकरण केवल एक जिले के हैं। वैसे ही अगर मैं जशपुर का आंकड़ा देना चाहूं तो वर्ष 2024 में 282 और वर्ष 2025 में 39 गुमशुदगी के प्रकरण केवल जशपुर के आंकड़े हैं। यह प्रकरण नाम पता सहित है और यह आपके विभाग के आंकड़े हैं, जो प्रमाणित है। मैं जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक प्रदेश की कानून व्यवस्था में आपका आंकड़ा, मतलब आपकी सरकार का आंकड़ा सदन में प्रस्तुत कर देता हूं। इस एक साल में प्रदेश में हत्या के 1154 मामले, बलात्कार के 3360 मामले, अपहरण के 3644 मामले, लूट के 4580 मामले, डकैती के 56 मामले और चोरी के 7960 मामले दर्ज हुए हैं। यदि कुल मिलाकर कहा जाये तो 20,754 अपराध ऑन रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपके रिकॉर्ड कह रहे हैं। सभापति महोदय, अब हम कहते हैं तो वह सीधे पलट के हमारी तरफ आ जाते हैं और बोलते हैं कि पिछली सरकार के यह आंकड़े हैं, वह आंकड़े हैं। सरकार के आंकड़े मिलाने का नहीं है, बल्कि हम अपराध कैसे कम करें, अपराधों में कैसे नियंत्रण करें, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। और यदि मैं सबसे बड़ी बात कहूं तो पुलिस हिरासत में मौतें होना, यह एक बड़ा गंभीर और संगिन मामला है। अभी इस एक वर्ष में पुलिस की हिरासत में मौत के 4 मामले दर्ज हो चुके हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अब पुलिस थानों में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। आखिर प्रदेश के लोग जायें तो कहां जायें। यहां हम किससे फरियाद करें? यदि हम इस प्रकार देखें तो इस शांतिप्रिय प्रदेश छत्तीसगढ़ में जिस गति से अपराधों की संख्या बढ़ी है । मैं

आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यहां पर जितने भी अपराध और अपराधों की प्रवृत्तियां हैं, हम उनको कैसे रोकें? हम उस पर कैसे नियंत्रण पायें? हम कैसे उन अपराधों पर काबू पा सकें, यह हमारी सोच होनी चाहिए। पहले जब हम शहर में पढ़ते थे तो Norcotics के विषय में पढ़ते थे। गांव के लोग Norcotics के बारे में जानते नहीं थे कि यह Narcotics क्या होता है ? लेकिन अब गांवों में जो अपराध की प्रवृत्ति बढ़ी है जिसे सामान्य भाषा में हम लोग सूखा नशा बोलते हैं। अब गांवों में भी गांजा और सूलेशन का नशा कर रहे हैं। अब यह नशा गांवों तक पहुंच गया है। अब क्या-क्या नशे के टेबलेट भी आ गये हैं। वह मेडिकल स्टोर्स में जाते हैं और वहां खुले आम उस नशे के टेबलेट का पत्ता दे देते हैं, उन्हें अपनी टेबलेट बेचने से मतलब होता है। आज जिस हिसाब से गांवों में गांजा, शराब, गोलियों का नशा हो रहा है, यह खुले रूप में मार्केट में या सप्लायर के माध्यम से मिल रहा है। यह एक सोचनीय विषय है क्योंकि इस उम्र के नवयुवक जो केवल तरूणाई पर पहुंचे हैं वह 14-15 सालों में ही नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। हमें उसका एक भयावह मंजर देखने को मिलता है। जब वह नशे की गिरफ्त में रहते हैं तो उस समय कोई चीज स्पष्ट नहीं दिखती है। यदि वह किसी वाहन से कहीं जा रहे होते हैं चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, फिर वह दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसा ही एक रैकेट काम कर रहा है। यहां की लड़कियों, बेटियों को डांस के नाम पर उठाकर ले जाते हैं। यहां से सबसे ज्यादा मानव तस्करी होती है तो बिहार और उत्तर प्रदेश में होती है। यह आपके आंकड़ें कह रहे हैं। वर्ष 2024-2025 में एन.सी.आर.बी. के आंकड़े है जिसमें लगभग 41 युवतियां रेड लाईट एरिया से पकड़ी गयी हैं, यह जो 41 युवतियां हैं, जो मजबूर थीं। यहां उनको सपने और सब्जबाग दिखाये गये कि आपको दूसरे प्रदेश में काम मिलेगा और उस काम की आड़ में उनसे देह व्यापार करवाया जाता था। जब वहां पुलिस की रेड पड़ती है तब यह पता चलता है कि जो 11 जिलों से लायी गयी लड़कियां थीं, वह बिलासपुर, मारो, पिलोंदा, पोरवा, खमीर, रायपुर, सारागांव, मुंगेली, राजनांदगांव और दुर्ग, बेमेतरा जिलों की है। वहां पर 11 लड़कियां पकड़ी गईं। उसमें एक तो रायपुर की 4 लड़कियां थीं जिनके पिता ने उन्हें 50 हजार रूपये में सौदा करके बेच दिया था। आप यह सोचिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं ? एक बाप अपनी 4-4 बेटियों को उन सौदागरों को केवल 50 हजार रूपये में बेच देता है। आप यह सोचिए कि जिन लड़कियों को खाने-कमाने के लिए ले जा रहे हैं जब उन्हें यह पता चलता है कि उसे देह व्यापार में ढकेला जा रहा है तब उन्हें यह एहसास होता है कि हम किस दलदल में आकर फंस चुके हैं। यहां पर ऐसे सौदागर सक्रिय हैं जो यहां की लड़कियों को डांस और संस्था के नाम पर ले जाकर, वहां धंधा करवा रहे हैं, सैक्स रैकेट चलवा रहे हैं, उस पर भी अंकुश लगना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपने गृह विभाग में एक बड़ा परिवर्तन किया। आपने केन्द्र सरकार की एन.आई.ए. की तर्ज पर एस.आई.ए. (राज्य जांच एजेंसी) का गठन किया। आपने उसके लिए पृथक से सेटअप बनाकर, लगभग 556 नवीन पदों का सृजन भी किया है, लेकिन यदि उसके बाद भी हम देखें तो अपराध बढते गये, कम नहीं हुए। एक वर्ष में 20 हजार से ज्यादा अपराध के आंकड़े हैं फिर किस हिसाब से एस.आई.ए. का गठन हुआ? किस उद्देश्य को लेकर गठन हुआ? उसमें हम क्यों सफल नहीं हुए? मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जरूर जानना चाहूंगा कि राज्य एजेंसी ने कितनी जांच की? गांव में बहुत सी वित्तीय अनियमित कंपनियां जिसको हम लोग अपनी भाषा में चिट-फंड कंपनी बोलते हैं, प्रदेश में जहां भी संचालित हैं, उस थाने के थानेदार को चिट-फंड कंपनी की सारी गतिविधियों की जानकारी है। फिर भी गरीबों की जेब से पैसा लूटकर अपने ऑफिस का ताला बंद कर वह चिट-फंड कपंनी वाले फरार हो जाते हैं। पिछले सदन में यह बातें आई थीं और इसमें लगातार चर्चा भी हुई। हमारे बालोद जिला में लगभग 60 से 70 करोड़ रुपये की ठगी हुई। एक-एक महिलाओं को 7 से 11 बैकों से लोन मिला है, यह समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी तक कितनी कार्रवाई हुई हैं और कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है?

माननीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की सुरक्षा की जवाबदारी सरकार की होती है, जिसके तहत विभाग के कर्मचारियों के लिये सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो बुलेट प्रूफ जैकेट एवं अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित रहना अनिवार्य होना चाहिए। अगर इस विभाग के बजट में देखें सुरक्षा के उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट का भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि हमारे जवान सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैदानी के साथ-साथ, बीहड़ में भी ड्यूटी करने जाते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो उन्हें कई आंदोलनों में सुरक्षा के लिये जाना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। हमें एक बड़ी कमी देखनी को मिलती है कि पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों की सबसे बड़ी समस्या साप्ताहिक अवकाश की है। हालांकि पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र में जरूर लिखा है कि साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान किया गया है, परंतु यह परिपत्र मात्र एक कागज का टुकड़ा है। क्योंकि इस परिपत्र का पालन सही मायने में नहीं हो पा रहा है। अत: उस परिपत्र का पालन करते हुए विभाग में साप्ताहिक अवकाश को अनिवार्य किया जाना चाहिए। ताकि उक्त अवकाश के मिलने से अपने राज्य के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभा सकें। पुलिस विभाग में काम करते-करते कर्मचारी, अधिकारी की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या होती है।

सभापति महोदय :- निषाद जी, आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गये हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी नेता प्रतिपक्ष जी का है।

सभापति महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी का है, इसका मतलब आप एक घंटे नहीं बोलेंगे न। 15 मिनट पर्याप्त है, अब आप समाप्त करिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, कम से कम पूरी बातें तो रख दूं।

सभापति महोदय :- आप पूरी बातें नहीं रखिये, संक्षिप्त करिये। अभी कई लोगों को बोलना है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग के कर्मचारियों को अक्सर लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है जिसके कारण उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैं समझता हूं कि इसके लिए प्रत्येक चौकी में जहां-जहां पुलिस विभाग के कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर हम यदि योग, जिम की व्यवस्था कर दें तो मैं यह समझता हूं कि वह शारीरिक, मानसिक रूप से मजबूत होंगे। यदि हम उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुलिस विभाग में जितने भी अधिकारी, कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी विभाग को लेनी चाहिए, उनके परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाना चाहिए । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उनके परिवार को कम से कम राशि में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिल सके और इसके साथ ही यदि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा लेना चाहें तो उन्हें भी शासन स्तर पर फीस में 50 प्रतिशत तक की छूट की मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं जिससे उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके । अब बात उनके आवास की आती है तो कर्मचारियों के लिये आवास एक बड़ी समस्या है । सरकार को आवास बनाकर...।

सभापति महोदय :- अब आप अपनी कुछ मांग वगैरह करना है तो कर लीजिये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं बस थोड़ी सी बात रख देता हूं फिर उसमें आता हूं । अभी हम देखते हैं कि आवास के संबंध में बहुत सी परेशानियां हो रही हैं लेकिन इस ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे, बजट में आपने जो प्रावधान किया तो जितना अच्छा हो सके, हम आवास की सुविधा उनको दें और यदि वे स्वयं बनाना चाहें तो उसमें ऋण की सुविधा प्रदान करें, उनको भी कम ब्याज पर विभागीय रूप से ऋण प्रदान करें । जिस हिसाब से उनको भत्ता मिलता है, उपरोक्त सारे भत्ते छठवें वेतनमान की दर से आज भी मिल रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उन्हें सातवें वेतनमान की दर से प्रदान किये जायें और जिस हिसाब से बस्तर में पदस्थ पुलिस विभाग के कर्मचारियों को 2000 रूपये राशन भत्ता मिलता है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पूरे राज्य में पदस्थ सभी पुलिस कर्मचारियों के लिये अनिवार्य कर देना चाहिए, यह 2000 रूपये का राशन भत्ता मिले ताकि उन पुलिस विभाग के समस्त कर्मचारियों को उसका लाभ मिल सके ।

सभापति महोदय :- चलिये, अब समाप्त करिये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, अब समाप्त करिये । बहुत ज्यादा ही हो गया है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, कुछ गंभीर बातें भी हैं ।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं । गंभीर तो सभी हैं लेकिन अभी आप थोड़ा जल्दी करिये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी-जी, मैं करता हूं । माननीय सभापति महोदय, वह जवान जो 24 घंटे देश प्रेम का जज्बा लिये हम सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके सिर पर है लेकिन अभी हम देखते हैं कि [xx] न उनके बैठने के लिये, न उनके पानी के लिये, न ही उनके शौचालय के लिये और न उसके प्रसाधन के लिये इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है ।

सभापति महोदय :- निषाद जी, यह पी.एस.ओ. वगैरह की बात यहां मत करिये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी । लेकिन सुरक्षा की...।

सभापति महोदय :- आप तो समाप्त कर दीजिये, आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त करता हूं । पंचायत का भी बचा है ।

सभापति महोदय :- नहीं, अभी वह बचे रहने दीजिये । अभी और किसी को बोलवा दीजिये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, पंचायत का बचा है ।

सभापति महोदय :- अभी आपके एक और साथी को बोलना है, इधर से भी बोलना है, मंत्री जी को बोलना है । दूसरे मंत्री जी को फिर पेश करना है, आप आसंदी की तकलीफ को समझिए न ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं उन जवानों के प्रति अपनी एक बात...।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सदस्य अब पंचायती करने कहां जायेंगे ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं अभी उसमें भी आउंगा न ।

श्री केदार कश्यप :- आप थोड़ा संस्कृति देखिये, यह आपकी संस्कृति नहीं है ।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं । आप बाद में किसी अवसर पर बोलिएगा । अब तो आप समाप्त करिये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आपने मेरी शक्ति देखी कहां है ।

श्री केदार कश्यप :- मैंने संस्कृति कहा ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नहीं, आपने मेरी संस्कृति भी नहीं देखी होगी । मैं संस्कृति से बचपन से जुड़ा हूं, आप लोग तो अभी जुड़े हैं ।

श्री केदार कश्यप :- आप पंचायती में मत जाओ, है न ।

सभापति महोदय :- आप ऐसी बात मत करिए न ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं संस्कृति से बचपन से जुड़ा हुआ हूं । मेरे रग-रग में संस्कृति है, मेरे खून में संस्कृति, मेरे बाल में संस्कृति, आप मेरे तन-मन में संस्कृति देखेंगे । आप मुझे संस्कृति नहीं सीखा सकते, यदि संस्कृति के बारे में बहस करना होगा तब मैं आपको सीखा दूंगा कि संस्कृति क्या होती है ।

सभापति महोदय :- अरे, आप ऐसी बात मत करिए न । मैं बोल रहा हूं कि आप अपना भाषण एक मिनट के अंदर खत्म करिये । मैं इसके बाद दूसरे को बुलाउंगा ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं उन जवानों के प्रति अपनी भावनाएं दो पंक्ति के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि-

फर्ज के दिल में भी कुछ अरमान मिले,
फर्ज के दिल में भी कुछ अरमान मिले,
खाली कमरों में मानो बस खाली सामान मिले,
जो देते हैं दूसरों की खातिर अपनी कुर्बानी
साहब, उनको भी तो कुछ सुखों के सामान मिले ।

सभापति महोदय :- धन्यवाद । श्री धरमलाल कौशिक जी ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट पंचायती राज के बारे में बोल देता हूं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं...।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं । रहने दीजिये, समय बहुत कम है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट बोल देता हूं। मैं केवल दो मिनट बोल देता हूं ।

सभापति महोदय :- साहब, दो मिनट सुन लीजिये । अभी रूकिये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी, मैं दो मिनट बोल देता हूं । माननीय धरम भैया आप लोग तो बोलने वाले लोग हैं, हमको भी बोलने के लिये कम से कम...।

सभापति महोदय :- लेकिन क्या है कि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं । आपको अकेले बोलते हुए 20-22 मिनट हो गये हैं ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी, कर रहा हूं । ये इधर से बोलें मत न, मैं अपनी बात बढ़िया बोल रहा था ।

सभापति महोदय :- यह तो रात के 7 बजे तक यही फैसला नहीं हो पायेगा ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मनरेगा मजदूर की बात आयी थी..।

सभापति महोदय :- आप आवास का बोल रहे थे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप 18 लाख आवास की बात बोलते हैं। आपके ही प्रतिवेदन में आया था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के प्रश्न में आया था। अगर हम देखें तो केवल 1 लाख 65 हजार 620 आवास स्वीकृत हुए हैं। तो ये 18 लाख आवास की बात करते हैं तो ये असत्य बोलने का काम छोड़ दें। रही बात मनरेगा मजदूर की तो आपने लगभग 14 लाख मनरेगा मजदूरों के नाम सूची से हटाये हैं। ये किस अपराध की श्रेणी में आते हैं? क्यों हटाया गया? रोजगार छिनने वाले आप कौन होते हैं? आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को कुछ मांगें दे दूंगा।

सभापति महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं कि अभी-अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हुआ है और उसकी जो जानकारी है, उसके अनुसार 31 जिले में जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित होकर आये हैं, मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट) 125 से ऊपर ब्लॉक में हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष चुन कर आए हैं। (मेजों की थपथपाहट) 80 प्रतिशत से ऊपर हमारे सरपंच चुनकर आये हैं, जो हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के हैं। मुख्यमंत्री जी का सवा साल का जो कार्यकाल है और हमारे उप मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल है, उसमें उन्होंने गांवों में आम लोगों की चिंता की, जो कार्य हुए और कार्य होने के बाद में चाहे हम किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, महिलाओं की बात करें, ये पंचायती राज चुनाव का जो नतीजा है, वह यह बता रहा है और दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सवा साल का जो कार्यकाल है, उसका मापदंड है कि सर्वाधिक जनप्रतिनिधि चुनकर आयें और यह बात करें कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, विजय शर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री आवास की लगातार बात कर रहे हैं, 1 लाख की बात करते हैं, 2 लाख की बात करते हैं। आप भी उस समय प्रश्न उठा रहे थे, हम लोग भी प्रश्न उठा रहे थे। यदि गरीबों को 12 लाख आवास से वंचित करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार और भूपेश बघेल की सरकार ने किया। प्रधानमंत्री जी ने तो वहां से स्वीकृत कर दिया था। ये बताते हैं कि हम पत्र लिखें, हमारा लैप्स हो गया, लैप्स नहीं हुआ। पंचायत मंत्री जी के द्वारा वहां पत्र लिखा गया, छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार को, कांग्रेस की सरकार को, उसके बाद में वहां के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा पत्र लिखा गया और उसके बाद तीन-तीन पत्र आने के बाद जो राज्यांश की राशि जमा होनी चाहिए, यहां से जो लेटर पहुंचना चाहिए, कांग्रेस की सरकार असल में जान-बूझकर चाहती ही नहीं थी कि गरीबों को आवास मिले और इसके कारण यदि वह 12 लाख गरीबों का आवास नहीं मिला तो उसके लिए पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की सरकार दोषी है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नए सिरे से

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास की योजना को क्रियान्वित किया और शुरू किया और उसके बाद में 18 लाख आवास की हम लोगों ने जो बात कही और प्रथम कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। प्रथम कैबिनेट में लाया गया कि यहां के जो वंचित लोग हैं, उनको 18 लाख प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। ये प्रथम कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा स्वीकृति दी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2024-25 में केवल 6 आवास स्वीकृत हुए, केवल 6 बने।

श्री धरमलाल कौशिक :- ये 6 आवास की बात करते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, पहली कैबिनेट में 33 हजार शिक्षकों की भर्ती भी थी।

सभापति महोदय :- अभी तो आपको बोलना है। बोल लीजिएगा न।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 33 हजार शिक्षकों की भर्ती भी थी, वह अभी तक नहीं हुई है।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न। अभी आपको मौका मिलेगा तो बोल लीजिएगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- पूरे 5 साल में 14,500 शिक्षकों की भर्ती पिछली सरकार नहीं कर पायी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने किया?

श्री धरमलाल कौशिक :- हम तो उससे ज्यादा कर दिये। मेरे पास में आंकड़ा है। मैं पढ़कर बताउंगा तो समय लगेगा। मैं उसमें समय नहीं लगाना चाहता।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। न ही पुलिस की भर्ती हुई और न ही शिक्षकों की भर्ती हुई है।

सभापति महोदय :- संगीता जी, यह ठीक नहीं है । किसी भी सदस्य के भाषण में यदि बीच बीच में टोकेंगे तो उनका भाषण ठीक से नहीं हो पाएगा, वे अपनी बात नहीं कह पाएंगे । आपको अवसर मिलेगा तो आप बोल लीजिएगा, अभी उनको बोलने दीजिए । हर बात में टोकेंगे तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी ?

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैं तो आपको केवल पुलिस की भर्ती बता सकता हूं । पुलिस की कितनी भर्ती की है । पांच साल में 14000 शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाए । महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य । यदि हम प्रतिवेदन को देखेंगे ।

समय
4.40 बजे

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, प्रतिवेदन में आपको मिलेगा कि मनरेगा के कार्य हुए हैं तो मनरेगा के कार्य की उपलब्धि की बात करें तो उसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं का योगदान है। जिसके कारण हमने जो मानव दिवस अर्जित किए हैं उनमें सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की है । सभापति महोदय, आजीविका मिशन में यहां जिस प्रकार से काम हुए हैं । आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति बनाने के लिए 2 लाख महिलाओं का लक्ष्य रखा गया था और इसके विरूद्ध 2 लाख 15 हजार, 603 स्व-सहायता समूह सदस्य लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुके हैं । इससे यह बात प्रमाणित हो रही है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं की आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो स्थिति है, इस प्रदेश के विकास में उनकी क्या भूमिका है, क्या योगदान है । जितने लक्ष्य निर्धारित थे उनसे आगे जाकर लक्ष्य प्राप्ति में सफल हुए हैं ।

सभापति महोदय, यदि हम स्वच्छ भारत की बात करें तो निश्चित रूप से स्वच्छ भारत में जिस प्रकार से यहां पर छत्तीसगढ़ में उपलब्धि हासिल हुई है । मैं कहना चाहता हूं कि आज भी हम किसी गांव में जाते हैं तो चर्चा होती है कि शहरों के अनुरूप गांव को कैसे सुंदर बना सकते हैं, गांव को उस दिशा में कैसे ले जा सकते हैं ? हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि जिस तरह से हमने शहर के लिए तय किया है, उसी प्रकार से गांव के लिए भी प्राथमिकताएं तय करें । आने वाले समय में उस गांव के विकास, वहां की बुनियादी समस्याएं, वहां की पानी की समस्या है, वहां की बिजली की समस्या है, इन सबका समाधान करने के लिए शहरों की तरह की गांवों को भी रेखांकित करेंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में गांवों में भी अच्छे काम देखने को मिलेंगे । सभापति जी, जब हम आजीविका मिशन की बात कर रहे थे कि आजीविका मिशन में हमारे यहां बड़े कार्य भी हुए हैं । इस आजीविका मिशन के अंतर्गत जो कार्य हुए उनमें बहुत सारे कार्य समूह बनाकर उनका लोन स्वीकृत करके जो काम किया गया, उसका लाभ यह हुआ कि उन्हें बिलो पावर्टी लाईन से ऊपर उठाने में इस मिशन का बहुत योगदान रहा है । आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारे पंचायत मंत्री जी के द्वारा कार्ययोजना बनाकर जो पहल की जा रही है निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है ।

सभापति महोदय, बहुत से लोग जेल के विषय में बात कर रहे थे । बहुत से लोग जेल में बंदी हैं और उनके अनुपात में वहां व्यवस्थाएं कम हैं । लेकिन जिस प्रकार से बजट में शमिल करके 54 बैरकों का निर्माण किया गया और इसके बाद करीब करीब 18000 है तो उस 18000 के पास हम पहुंच गए हैं । इतनी हमारी व्यवस्था हो जाएगी । लेकिन पता नहीं क्यों हमारे मित्र बहुत चिंतित थे कि अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए । उस दिशा में ही सरकार काम कर रही है और इसके लिए बजट आवंटन दिया गया, बैरकों का निर्माण भी शुरू हुआ । हम करीब-करीब 18 हजार के आस-पास पहुंच रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद की है। एक समय नक्सल की जो समस्या थी, उसकी भयावह विकराल स्थिति हम सबको देखने को मिला। लेकिन भारतीय

जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी द्वारा नक्सल प्रभावित राज्यों की संयुक्त बैठक की, उसके बाद उनकी कार्ययोजना बनी, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार लगातार उस दिशा में प्रयास कर रही है, मैं तो कई घटनाओं में बता सकता हूं कि सरकार की क्या भूमिका रही है। बड़ी घटना घट जाती थी, आप बीजापुर, सुकमा जाने की बात छोड़ दीजिए, हमारे गृह मंत्री जी जगदलपुर में जाकर बैठक नहीं ले सकते थे। मैं युवा उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि वहां घटना घटने के बाद न केवल सुकमा और बीजापुर बल्कि जहां घटना घटित हुई थी, वहां लगातार जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है उसके कारण नक्सलियों का मनोबल गिरा हुआ है। 2026 मार्च लक्ष्य निर्धारित है, वास्तव में यह दिखाई देने लगा है कि हम तेजी से नक्सलवाद की चपेट में आ रहे हैं लेकिन आने वाले समय में ये रेखांकित हो रही है कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होने वाली है, उसके कारण नक्सली छत्तीसगढ़ से पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाकर आश्रय ले रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में इस प्रदेश में नक्सलवाद मुक्त होगा, यह कहने की बात नहीं है, बल्कि हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं। आज वह दिखने लगा है और सबको विश्वास होने लगा है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, टी.व्ही. में लगातार साइबर क्राईम के बारे में प्रसारित हो रहा है। मोबाईल में कॉल कर रहे हैं तो साइबर क्राईम आ रहा है। साइबर क्राईम की तेजी के साथ वृद्धि हो रही है, हम इस प्रदेश को उससे कैसे बचा सकें। उस दिशा में काम करने की जरूरत है। यहां भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। छत्तीसगढ़ में साइबर क्राईम की कितनी घटनाएं हुई हैं, एक जवाब में आया है। बड़ी तादाद में लोग उससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन उस दिशा में काम करने के लिए सरकार द्वारा पहल की गई है। जैसे टास्क फोर्स बनाना, प्रशिक्षण देना, जन जागरूकता फैलाना, जन जागरूकता के साथ-साथ, स्कूल, कॉलेज, अलग-अलग संस्थानों में, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार काम कर रही है जिससे लोग ये समझ सके कि साइबर क्राईम क्या है। यदि साइबर क्राईम से किसी को फोन आ रहा है तो हमको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हम उसकी रिपोर्ट कहां दर्ज कराएं, इन सारी बातों की जागरूकता और उनको प्रशिक्षित करने का काम सरकार द्वारा की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में साइबर अपराध जो में वृद्धि हो रही है, उसमें लगाम लगेगी, नियंत्रित होगी। हम उसमें ये नहीं कह सकते कि पढ़े-लिखे लोग नहीं है या गांव के भोले-भाले लोग हैं, बल्कि जो जीवनभर नौकरी की है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वे लोग भी ठगे जा रहे हैं। सरकार द्वारा उनको इससे बचाने का प्रयास जारी है, उसमें कामयाबी मिलेगी और साइबर अपराध में कमी आएगी। हमारे बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के जो अपराध घटित होते हैं, चाहे वह महिलाओं से जुड़े हुए हों, चाहे बच्चों से जुड़े हुए अपराध हों, चाहे हमारे

नारकोटिक्स के मामले हों। इस प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं तो उस दिशा में भी सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है। इस प्रयास करने के कारण अपराधों में कमी आ रही है तो मैं समझता हूं कि उस कमी आने के कारण इसका लाभ हम सबको मिलेगा और अपराध नियंत्रित होगा। मैं सामाजिक अंकेक्षण को पढ़ रहा था कि हमारे सामाजिक अंकेक्षण के दौरान जो मुद्दे चिन्हांकित किये गये हैं, इनको हम कैसे नियंत्रित करेंगे? प्रतिवेदन में दिया है-वित्तीय गबन, वित्तीय अनियमितता, प्रक्रिया का उल्लंघन और शिकायत। इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। मैं इसको देख रहा था कि वर्ष 2023-2024 में 3 हजार 954 प्रकरण हैं, जो 12 करोड़ 12 लाख 57 हजार 881 रूपये के हैं। यह 26 दिसम्बर तक का है। वर्ष 2024-2025 में 14 हजार 18 प्रकरण हैं, जो 3 लाख 68 हजार।

श्री रामकुमार यादव :- आने-ताने लिखा गेहे का? आप बने देख के पढ़हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, जो 3 करोड़ 64 लाख 47 हजार 422 रूपये के हैं।

सभापति महोदय :- आपको 20 मिनट हो गये। आप समाप्त करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं केवल इसको पढ़कर समाप्त करूंगा। वित्तीय अनियमितता। अनियमितता की श्रेणी में जो लाया गया है और इसमें गबन की श्रेणी में फर्जी उपस्थिति, फर्जी कार्य, फर्जी नाम, फर्जी सामग्री बिल जैसे बहुत सारे मामलों को रखा गया है। अनियमितता में इसमें दस्तावेज की अनुपलब्धता है, बिना मूल्यांकन के भुगतान है, अपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है, कार्य क्षतिग्रस्त हुआ है, पौधारोपण को रखा गया है । ऐसे बहुत सारे कार्यों को लिया गया है कि क्या-क्या अनियमितताएं हुई हैं। वर्ष 2023-2024 में 4 हजार 89 प्रकरण हैं, जो 85 करोड़ 64 लाख 19 हजार 322 रूपये के हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, आप समाप्त कीजिये। 10 मिनट का समय था।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। इसमें जो सामाजिक अंकेक्षण है तो उसके अनुसार से उसको नियंत्रित भी किया जाना चाहिए। हम केवल उसको शिकायत के आधार पर लेंगे और शिकायत के आधार पर लेकर उसका परीक्षण करेंगे तो ये जो जिस प्रकार से बातें आती हैं, चाहे वह गबन का मामला हो, करप्शन का मामला हो, अनियमितता का मामला हो या हम प्रक्रिया की बात करें तो निश्चित रूप से इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास जारी है तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इसमें कैसे कमी आयेगी।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त कीजिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि एक समय डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सड़क योजना लागू की गई थी। लेकिन एक बार बनने के

बाद में उस मुख्यमंत्री सड़क योजना में कोई काम नहीं हुआ। काम नहीं होने के कारण से लगभग सड़कें उखड़ गई हैं। अभी बजट में कुछ प्रावधान किये गये हैं। कुछ नयी सड़कें बनाने के लिए हैं और कुछ पुरानी सड़कों के अनुरक्षण और संरक्षण के लिए हैं कि उसको हम कैसे बना सकते हैं। उप मुख्यमंत्री जी, इस पर आपको चिंता करने की आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए पी.डब्ल्यू.डी. में भी कोई नया बजट प्रावधान नहीं किया गया है और न ही प्रधानमंत्री सड़क योजना में प्रावधान है। इसलिए बजट की राशि में कैसे वृद्धि की जा सकती है और यदि आप उस सड़क को नहीं बनायेंगे तो मुझे लगता है कि वह सारे गांव आपकी बारहमासी सड़कों से कट जायेंगे। उसके पीछे जो मूल उद्देश्य रहा है, वह यह है कि हम उनको बारहमासी सड़कों से जोड़ें। जो सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, यदि हम ऐसी सड़कों को उसमें लेंगे तो मुझे लगता है कि इस दिशा में हमको प्रयास करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त कीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, 4 इंजन हैं तो पइसा के कमी तो नहीं होना चाहिए। इंजन-इंजन जुड़त हे, लेकिन विकास के डब्बा गोल है।

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अनुदान की मांगें रखी गई हैं और उसके लिए जो राशि का प्रावधान किया गया है तो मैं उप मुख्यमंत्री जी के सभी विभागों के अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। साथ ही उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा अनुदान मांग प्रस्तुत किया है इसलिए इस अनुदान मांग को सर्वसम्मति से पारित करें, मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय सभापति महोदया जी, मैं मांग संख्या 3, 4, 5, 30, 80, 46 एवं 47 के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं अपनी बात की शुरूआत एक घटना से करती हूं। मैं जब एक बार न्यूरो फिजिशियन के यहां अस्पताल गई थी, मैं अस्पताल में बैठी थी तो वहां पर एक मां, 28 साल के अपने युवा बेटे को लेकर आई। वह मां अपने बेटे को लेकर अंदर गई। हम वेटिंग में बैठे थे, तो मैंने उसकी मां से पूछा कि क्या समस्या है ? बातों ही बातों में पता चला कि उनका बेटा पुलिस विभाग की भर्ती की, एस.आई. भर्ती की तैयारी कर रहा था। इस तैयारी के दरम्यान उसके साथ बहुत सारी समस्याएं आ गईं, उसको बी.पी. का बीमारी हो गया, क्योंकि उसने उसी साल रिटन भी पास किया था।

सभापति महोदय :- विषय में आईये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जी सभापति महोदय, मैं विषय में ही आ रही हूं। मैं बताना चाह रही हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- पंचायत और गृह विभाग से स्वास्थ्य विभाग में आ गई हैं। थोड़ा देखिये।

श्री रामकुमार यादव :- किंदर के कान ल धरथे, ओसनहे ऐसे किंदर के धरत हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं उसी बात पर आ रही हूं। एक युवक पुलिस भर्ती के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वह रिटन भी पास कर चुका है। रिटन पास करने के बाद वह टेंशन में है क्योंकि यहां पर भर्ती प्रक्रिया 10 साल बाद होती है। चाहे एस.आई. भर्ती की बात हो चाहे सिपाही की भर्ती की बात हो।

समय
4.57 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय जी, आप आये हैं तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। आप मुझे बोलने का मौका देंगे।

श्री राम कुमार यादव :- इही हा असली सभापति ए।(हंसी)

श्री अमर अग्रवाल :- संगीता जी, पहले तो आप यह बताओ कि न्यूरो फिजिशियन के पास क्यों गये थे, जो आपसे मुलाकात हो गई ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, पड़ोस के बच्चें की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे लेकर गये थे तो मैं वहां मिलने चली गई थीं और वहां हम लोग बैठे थे।

सभापति महोदय :- आपकी तो तबीयत ठीक है न ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जी, जी, बहुत अच्छा है।

श्री राम कुमार यादव :- सभापति जी, हमन सुने रहेन कि जेन जुन्ना, जुन्ना मन जीते हे, ते मन मंत्री नइ बने हे, तेमन डिप्रेशन मा हे। (हंसी) हमन ओकरे बर देखे गय रहेन, लेकिन ओ मन मिल गइस।

सभापति महोदय :- आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब राम कुमार यादव जी कर रहे हैं। वह नहीं चाहते हैं कि आप बोले। मैं चाहता हूं कि आप बोलिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, उस बच्चे को देखकर मेरे मन में बात आई, जिसको मैं यहां पर रखीं। वह 28 साल का युवक था, जो पुलिस विभाग में भर्ती होने के लिए तैयारी किया था, वह डिप्रेशन में चला गया। क्योंकि पुलिस की भर्ती 10 बाद हो रहा है। हमारे यहां पुलिस की भर्ती हर साल होनी चाहिए, भले उसकी संख्या कम कर दीजिये, भले ही 100 लोगों की भर्ती करें, लेकिन हर

साल युवकों की भर्ती होनी चाहिए। जब 10 साल बाद भर्ती होता है तो यदि वह युवक 28 साल का है तो 10 साल बाद वह भर्ती के लायक नहीं रहता है। यह मैंने अस्पताल की बात की। मेरे ही परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं, जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उनकी भर्ती नहीं हुई है। अभी राजनांदगांव में बड़ा-बड़ा घोटाला हुआ था। 10 साल बाद भर्ती होने के कारण इतना बड़ा अंतराल आ जाता है, उसको कम किया जाये। अगर 10 साल बाद 1 हजार जवानों की भर्ती होगी तो उनको ट्रेनिंग देने वाले भी नहीं रहेंगे। यदि आप ट्रेनिंग देने के लिए जा रहे हैं तो आधे जवानों को चन्द्रखुरी में रख रहे है और आधे जवानों, 500 लोगों को माना में पुलिस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वे लोग वहां पर भेड़-बकरी जैसे रहते हैं, वहां पर बड़े-बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बड़े-बड़े काण्ड हो रहे हैं, उसी कारण के उनको सही समय में सही जानकारी नहीं हो पाता। 10 साल बाद भर्ती होता है इसलिए बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन कर रही हूं कि भर्ती प्रक्रिया में थोड़ी सरलता लाईये। हर साल भर्ती करवाईये, ज्यादा नहीं तो कम से कम 100 लोगों की हर साल भर्ती करने का निवेदन कर रही हूं। ताकि बहुत अधिक लोगों को ट्रेनिंग देने में भी समस्या होती है, सब तरफ से समस्या होती है।

समय :
5:00 बजे

श्री प्रबोध मिंज :- संगीता जी, आपकी सरकार ने पिछले कार्यकाल में कितनी भर्तियां की है?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमने पुलिस विभाग को बहुत सुविधा प्रदान किया था।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन तो डेढ़ साल ले भर्ती कर ही नई हौ। मोला तो अइसे लागत हे कि तुमन डेढ़ साल से सिर्फ आलू छिलत हौ। तुमन एको ठन भर्ती करे हौ ता बतावव तो?

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, अगर मैं वर्ष 2007 की करूं तो एस.आई. की बैच बनाकर उनको 3 साल तक ट्रनिंग दिया गया था। उनको भाग-भाग में ट्रेनिंग दिया गया था। मैं इस बार निवेदन कर रही हूं, चूंकि आपकी सरकार है, आपको जनता ने चुना है तो आप हमारे युवा साथियों पर उद्धार कर दीजिये कि आप हर साल पुलिस की भर्ती करवाईये। बस्तर में पुलिस विभाग के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वे लोग वहां 10-15 सालों से नौकरी में हैं। उनको यहां पर लाने का प्रावधान नहीं है। जब वे वहां पर रहते हैं, उनके लिए योजना है। वर्ष 2001 में जोगी सरकार ने उनको दो साल बाद वापस करने का नियम था। मैं वर्ष 2001 की बात कर रही हूं कि जब वर्ष 2001 में जोगी जी की सरकार थी उस समय हमारे बस्तर में जो नौकरी करते थे, जो टी.आई. बनकर जाते थे, उन लोगों को रिटर्न आने का नियम था, लेकिन आज इस सरकार में यह प्रावधान नहीं है। वे लोग वहां नौकरी करते हैं, वे नक्सलाईट लोगों से लड़ते हैं, लेकिन उनकी पत्नी व बच्चे अपने गांव में रहते हैं। उन लोग अपना आधा दिमाग नक्सली लोगों से लड़ाई लड़ने में लगाते हैं और आधा दिमाग उनका घर के

तरफ रहता है। मैं उसमें भी निवेदन कर रही हूं कि अगर वहां कार्य करने के लिए समय-सीमा निर्धारण कर दिया जाये, क्योंकि आंध्रप्रदेश में एक नियम है, वहां ग्रेहाउण्ड फोर्स है। ग्रेहाउण्ड फोर्स में नियम है कि वह दो साल तक फोर्स में रहते हैं, उसके दो साल बाद उनको वापस ला लिया जाता है। यह नियम हमारे बस्तर के लिए बहुत आवश्यक है। वहां हमारे टी.आई. लोग फंसे हैं तो फंसे ही हैं। यहां वाले कर्मचारी वहां जाने को तैयार नहीं होते हैं और वहां के कर्मचारियों को यहां आने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती है, वे पापड़ बेलते हैं तब भी उनको यहां नहीं बुलाया जाता है। मैं चाहती हूं कि हमारे यहां के पुलिस विभाग बस्तर में काम कर रही है, बस्तर में पुलिस, टी.आई. या एस.पी. कार्यरत हैं तो यहां उनके परिवार को पूरी सुरक्षा देनी चाहिए, यहां उनके फैमिली के लिए पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, यहां हॉस्पिटल की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि वह बिंदास होकर वहां पर नौकरी कर सकें और उनको यहां लाने के लिए दो साल की अवधि निर्धारण करना चाहिए। मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन कर रही हूं कि जिस नियम को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू किया था, वह नियम अब लागू करना चाहिए। साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आप ट्रेनिंग देते हैं तो मैं कहती हूं कि साइबर क्राइम का पार्टिकुलर एक-दो लोगों को ट्रेनिंग न देकर पूरे पुलिस को यह ट्रेनिंग देना चाहिए। साइबर क्राइम बहुत बढ़ चुका है। अगर हम एक दिन में 100 कॉल अटेंड करते हैं, उसमें 5 कॉल साइबर क्राइम का ही रहते हैं। मैं सेंट्रल जेल के बैरल की बात करूंगी। अभी रायपुर सेंट्रल जेल में बैरक का निर्माण हो रहा था तो यह एक डिप्टी सी.एम. का है, यह दूसरे डिप्टी सी.एम. के पी.डब्ल्यू.डी. विभाग का काम था। मुझे पता नहीं कि आपसी में क्या प्राब्लम है कि वह बैरक ही टूट गया। अब इन दोनों में क्या सामंजस्य है? यह दोनों डिप्टी सी.एम. हैं। मैं चाहती हूं कि कम से कम जेल में कहीं पर गड़बड़ी न हो, वहां पर अच्छे से स्वच्छ मन से निर्माण हो। सभापति महोदय, आपने मुझे पांच मिनट बस बोलने का मौका दिया है तो मैं सिर्फ माइक्रो फाइनेंस घोटाला के संबंध में कहना चाहूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र संजारी बालोद में, पूरे जिले में या मैं कहूं तो छत्तीसगढ़ राज्य में माइक्रो फाइनेंस घोटाला हुआ है। जो गरीब महिलाएं हैं, उनको लगभग 10 से 14 बैंक के लोगों ने लोन दिया, उसके बाद उनसे वसूली के लिए घर बैठ गये। वे बहुत गरीब परिस्थिति की महिलाएं हैं, वे स्व-सहायता समूह की महिलाएं हैं, वे बिहान की महिलाएं हैं और जो बिहान का पैसा होता है, उसको भी उन्होंने उसमें लगा दिया। उनको यह कहा गया है कि हम लोन निकाल लेते हैं, हम पैसा पेमेंट करेंगे, आप सिर्फ अपना सिग्नेचर कर दो। एक-एक महिला से पीछे तीन से पांच लाख तक की राशि है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रही हूं कि इसको संज्ञान में लेवें और उसमें कुछ हल निकालें ताकि वे महिलाएं उससे निजात पा सकें। सभापति महोदय जी, यहां पर कौशल विकास योजना के बारे में कहना चाहूंगी कि इस विभाग का बजट देख रही थी, इसके लिये मात्र 25 करोड़ का प्रावधान है । सभापति महोदय, हमारे यहां 27 जिला है, 27 जिले लें 25 करोड़ को अगर बांटेंगे तो 1-1 करोड़ भी नहीं होगा ।

सभापति महोदय :- आपका 10 मिनट हो गया है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, मेरा निवेदन है कि कौशल विकास योजना में राशि को बढ़ाया जाये । मेरे क्षेत्र में जो पुलिस विभाग के लोग रहते हैं, उनका मकान बहुत जर्जर है, चाहे बालोद की बात करूँ या गुरूर की बात करूँ, सभी जगह पुलिस क्वार्टर की बहुत जरूरत है । मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन कर रही हूँ कि उनको पुलिस आवास प्रदान करने का कष्ट करेंगे । सभापति महोदय जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री पुन्नूलाल मोहिले जी । कृपा करके थोड़ा...।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुंगेली में तो सब हो गया है, इनके पास बोलने के लिये कुछ नहीं है । सभापति महोदय, आप सीधे मंत्री जी को बुलाईये । वहां सिर्फ हवाई अड्डा भर बनना बाकी है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- चलो बैठ जाता हूँ, ठीक है ।

सभापति महोदय :- नहीं, नहीं । आप बोलिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हवाई अड्डा भर बनना है, जिसको कल विमानन विभाग में बोलूँगा ।

सभापति महोदय :- बोलिये, बोलिये ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री, जेल मंत्री, पंचायत मंत्री जी के सभी विभागों की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ । माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री जी ने पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले समय भी जब हमारी सरकार थी और अभी भी, ओ.डी.एफ. से पूरे पंचायतों में शौचालय बनाकर महिलाओं को सम्मान देने की जो प्रथा चलाई है, मैं इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 917 गांव को छोड़कर सभी ओ.डी.एफ. घोषित हुये हैं, मैं इसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ । मैं मंत्री जी को सुझाव देता हूँ कि कहीं, कहीं, शौचालय खराब हो चुके हैं, इसके लिये भी अतिरिक्त राशि का प्रावधान करें, इसकी मरम्मत की व्यवस्था हो, गरीब आदमी 12 हजार खर्च नहीं कर सकते हैं । सभापति महोदय, कई लोग ओ.डी.एफ. होने के बाद बाहर कमाने खाने अन्य गांवों मे चले गये थे, उनके यहां शौचालय नहीं बन पाया है, उसे बनाने के लिये भी अतिरिक्त राशि की व्यवस्था है । वैसे नरेगा में जिले से होता है, उसको भी करायेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ । सभापति महोदय, यदि मैं नरेगा की बात करूँ तो केन्द्र सरकार भी पैसा देती है, राज्य सरकार कुछ हिस्सा देती है, नरेगा के अंतर्गत 150 दिनों का काम देने की ...।

सदन की सूचना

सभापति महोदय :- मोहले जी, एक मिनट रूकेंगे । श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये स्वल्पाहार की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में और पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गई है, कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें ।

वित्तीय वर्ष 2025 - 2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, नरेगा के अंतर्गत 50 दिन राज्य सरकार द्वारा और 100 दिन केन्द्र सरकार द्वारा कुल 150 दिनों के लिये काम देने का प्रावधान है । पंचायत में जॉब कार्ड रखा जाता है, जॉब कार्ड के आधार पर परिवार के एक आदमी को 150 दिन काम देना है, अगर हम 100 दिनों की बात करें और 300 रूपये मजदूरी है तो 30 हजार होता है और 150 दिनों में 45 हजार होता है । माननीय सभापति महोदय, इसमें कार्य नहीं मिलता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद पंचायत में आवेदन देते हैं और स्वीकृति नही होती है । सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ध्यान दें कि अगर मजदूरों को काम देना है तो नरेगा का जा नियम है, उसके अनुसार करें । सभापति महोदय, अगर पंचायत की बात करूँ तो आंगनबाड़ी भवन है, पंचायत भवन है, नाली निर्माण है, पक्का नाली है, पचरी है, अन्य पक्के काम है, जिस काम को 60:40 के रेशो में दिया जाता है, उसमें सी.सी. गली का भी प्रावधान है । सभापति महोदय, उन प्रावधानों को पिछली सरकार ने रोक दिया है । मैं आशा करता हूँ कि गांवों में अधिकतर सी.सी. गली की मांग होती है, आप इसमें ध्यान देंगे। यदि आप इन कामों को प्राथमिकता देंगे तो लोगों को मजदूरी मिलेगी । सभापति महोदय, मैं अगर दूसरी बात कहूँ तो आवास योजना में आपने 18 लाख आवास को पास कर दिया है, वह रेग्यूलर चल रहा है, पर कुछ लोग जिसके नाम से आवास नहीं है, आवासविहीन हैं या सर्वे लिस्ट में उनका नाम नहीं है, आपने पिछली सरकार के 40 हजार से ज्यादा आवास को स्वीकृत कर दिया है, पर आपने जिनके सर्वे का आदेश दिया है तो सर्वे का काम कब तक पूरा करेंगे ? बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनके घर नहीं हैं, झिल्ली में रहते हैं, बाहर में रहते हैं, दूसरे के घर में सोते हैं, ऐसे लोगों को प्राथमिकता पर लें । पिछले समय शासन की योजना थी, कलेक्टर को या पंचायत को, जिला पंचायत को आदेश दिया गया था, वह कम से कम 50 लोगों को वहीं से स्वीकृति दें। आप रायपुर से पास करेंगे तो उनको नहीं मिलेगा । अगर पंचायती राज व्यवस्था में है तो आप जिलों को अधिकार दें, जिससे जिले में उनका आवास पास हो सके, उनको इधर-उधर झांकना न पड़े । क्योंकि जो सही में जरूरतमंद हैं, ऐसे लोगों को आवास मिलना चाहिए, ऐसा मैं आशा करता हूं । इन बातों की ओर भी आप ध्यान देंगे, मैं आपसे ऐसा आशा करता हूं । पंचायत में मजबूती लाने के

लिए सरपंचों के लिए अतिरिक्त फंड जैसा उनको 2 लाख, 4लाख मात्र देने का नियम है, उनका वेतन और मानदेय भी कम है, उस मानदेय को जिला से लेकर, जनपद एवं ग्राम पंचायत में बढ़ाएंगे, जब तक वे स्वयं ही अपने पैर में खड़े नहीं होंगे, पंचायती राज व्यवस्था में अधिकतर जिला पंचायत का पैसा हो तो जिला पंचायत पास करता है, जनपद पंचायत पास करता है। आखिर पंचायत के द्वारा कार्य किया जाता है, उस पंचायत का मनोबल बढ़ाने के लिए ये काम करेंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं ।

सभापति महोदय, नक्सलवाद की समस्या आखिरी सॉस ले रही है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और बधाई के बाद मैं आपको बहुत धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा कि पिछले समय अगर हम बस्तर क्षेत्र के जिले में कहें तो वहां से सकारात्मक परिणाम आये हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ से अब नक्सली का मोहभंग हो गया है, वे बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं या वे स्वयं आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा । वर्षों बाद कई मार्ग ऐसे हैं, बीजापुर के मार्ग हैं, बेचापाल है, बीजापुर से बेदरे है, बीजापुर से सिगलेर है, बीजापुर से गंगमन है, बीजापुर से गंगालूर है, जिसमें उस रोड़ में कई लोग जाते थे, कई बार मारे गए । पिछले समय हम लोग चुनाव में भी गए थे तो पुलिस बल की सहायता से हम लोग वहां जा पाते थे, ऐसे गांव में दंतेवाड़ा हो, जगरगुण्डा से जिला दंतेवाड़ा, नारायणपुर से बैलाडीला, बैलाडीला से नारायणपुर मार्ग में सुरक्षा कैम्प की स्थापना की जाकर आपने एक अच्छा काम किया है, आपने बस सेवा भी प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं । भूसा, कोंटा, जगरगुण्डा इत्यादि पहुंचविहीन क्षेत्रों में आपने बस सेवा प्रारंभ की है और वहां निवासरत लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का आपने काम किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं ।

सभापति महोदय, मैं जेल की बात करूं तो आपने अच्छी व्यवस्था की है। जेल में जो कैदी रहते हैं, उनके लिए आपने प्रशिक्षण की व्यवस्था की है । जैसे बढ़ईगिरी, कुटीर उद्योग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, महिलाओं को सिलाई, बुनाई कताई या अन्य कामों के लिए कुटीर उद्योग के रूप में आपने प्रशिक्षण की व्यवस्था की है । चूंकि वे जेल में हैं, कुछ नहीं कर पाते, वे मेहनत करते हैं, सामान बनाते हैं तो आप पुरूष को 70 रूपए प्रतिदिन और महिला को 60 रूपए को देते हैं, दोनों को मिलाकर आप पारिश्रमिक भी देते हैं, वे अपने पैर में खड़े होते हैं और जेल से बाहर आने के बाद वे अपना घर चला सकें, उनका परिवार कई वर्षों तक जेल में रहते हैं, जेल में रहने के कारण उनका परिवार अलग-थलग हो जाता है, वे परिवार में आकर स्वत: अपने पैर में खड़ा होंगे, इसके लिए आपने अच्छी व्यवस्था की है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं ।

सभापति महोदय, आपने पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम की है और डॉयल 112 नम्बर योजना प्रारंभ की है । समय पर आम जनता के लिए पुलिस फायर और एम्बुलेंस से संबंधित समस्याओं में तत्काल राहत पहुंचाने के लिए राज्य में आपातकालीन सेवा डॉयल 112 प्रारंभ की गई है । एक फोन

कर देने मात्र से पुलिस की सहायता कम से कम समय में उपलब्ध हो जाती है । इसके अतिरिक्त महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभिव्यक्ति ा एप एवं महिला हैल्प लाईन नम्बर 181 आपने दिया, चाईल्ड हैल्प लाईन नम्बर 1098, रेल मदद हेल्पलाईन नम्बर 139, और आपदा प्रबंधन हेल्प लाईन नम्बर 1070 तथा सीनियर सिटीजन पोर्टल का भी समन्वय डॉयल-112 की व्यवस्था आपने की है । इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2024 में किसानों की धान खरीदी संबंधी 21 प्रकरणों, महिलाओं को असुरक्षित महसूस होने पर 258 महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा अपने परिवार से भटके बच्चे को सुरक्षित उनके परिजनों तक पहुंचाने का काम भी इस आपातकालीन सेवा में बखूबी निभाया है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं । वर्ष 2024 में road accident के 63844 मामलों में आपने सहायता उपलब्ध कराई, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी और आपको धन्यवाद देता हूं। प्रसव पीड़ा से पीड़ित 24204 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया, साथ ही 71 नवजातों की किलकारियां भी डॉयल 112 की गाड़ियों में गूंजी हैं। आगजनी के 8666 प्रकरणों में आपने तत्काल सहायता प्रदान की। आत्महत्या के 7637 प्रकरणों में व्यक्तियों को सहायता पहुंचाई गई, जिन्हें आत्महत्या करने से रोका गया। इसके लिए आप बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। इसमें टॉवर पर चढ़े, पेंड़ पर चढ़े, नदी में कूदे एवं कुएं में कूदे व्यक्ति शामिल थे। इसी प्रकार बच्चों से संबंधित 2561 प्रकरणों में आपातकालीन सहायता प्रदान की गई।

सभापति महोदय :- अब समाप्त कीजिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, घर पर एवं अन्य संस्थाओं में सांप निकलने की सूचना संबंधी 6435 प्रकरणों में सहायता भेजी गई और सर्प को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं और आपके इन विभागों की अनुदानों का समर्थन करते हुए मैं आपके आदेशानुसार खुद ही बैठता हूं।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। श्री लखेश्वर बघेल जी, आप पांच मिनट में बोलकर समाप्त कीजिए।

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- सभापति महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के पास महत्वपूर्ण विभाग गृह, जेल, पंचायत तथा ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि हैं। मैं सारे विषयों पर न बोलते हुए कर्मचारियों, बस्तर जिले, पूरे छत्तीसगढ़ की जो मांग है, उस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। जिला पंचायत में डी.आर.डी.ए. हुआ करता था, उनके कुछ कर्मचारियों का तीन सालों से नगदीकरण, ग्रेज्युटी आदि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। बस्तर जनपद के कर्मचारी, जैसे बस्तर, दरभा, बास्तानार के कर्मचारियों को चार-पांच महीने का वेतन नहीं मिल पा रहा है, इस पर थोड़ा

ध्यान देंगे। जिला पंचायत में डी.आर.डी.ए. में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए पर्याप्त राशि नहीं दी जा रही है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। भारत सरकार से गाईडलाईन जारी करने के बावजूद भी जिला पंचायत डी.आर.डी.ए. के कर्मचारियों को अन्य विभागों में मर्ज नहीं किया जा रहा है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। जिला पंचायत बस्तर में पंचायत सचिव के लगभग 100 पद रिक्त हैं, उसकी भी भर्ती करने पर ध्यान देंगे। जिला पंचायत, जनपद पंचायत के कर्मचारियों द्वारा शासकीय कर्मचारियों की भांति पेंशन आदि की मांग लंबे अरसे से की जा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार इस पर भी गंभीरतापूर्वक ध्यान दे।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से गृह/पुलिस विभाग में सहायक आरक्षक से सी.पी.एस. पद तक के जवानों को नक्सली भत्ता छठवें वेतनमान के हिसाब से दिया जा रहा है। उसे सातवें वेतनमान के हिसाब से दिए जाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। जिला बस्तर के मुख्यालय बस्तर के सेन्ट्रल जेल में संचालित कैंटीन को व्यवस्थित रूप दिए जाने हेतु, पर्याप्त बैठक व्यवस्था सहित भवन निर्माण की आवश्यकता है। इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। मेरी एक सोच है कि पुलिस विभाग के लिए स्वयं की पृथक से एक निर्माण एजेंसी होनी चाहिए। ये दूसरों को सुरक्षा देते हैं लेकिन इनके पास खुद की एजेंसी की व्यवस्था हो, तो बहुत अच्छा रहता कि अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में भी सभी काम अच्छे होते, भवनों का निर्माण होता। इसी प्रकार चाहे जेल विभाग हो या पंचायत विभाग हो लगभग हजार-हजार पद रिक्त हैं। इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, मैं शौचालय की स्थिति पर कहना चाहता हूं कि बस्तर में एक प्रकार से इसकी जीरो स्थिति है। उसमें भी थोड़ा मरम्मत की व्यवस्था हो, उसके लिए थोड़ा देख लेते, तो ठीक रहता। हमारे बस्तर जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में 1% भी शौचालय नहीं हैं। वहां जैसे ही शौचालय बने, वैसे ही खराब हो गये। मंत्री जी, इस पर भी ध्यान देते तो अच्छा होता। नवीन पंचायत का गठन हुआ है और करीब 1 साल हो गया है परंतु पंचायत 15वे वित्त आयोग का पैसा आहरण नहीं कर पा रहा है, उसमें भी थोड़ा ध्यान देते तो अच्छा रहता। वे कम से कम पैसे का उपयोग कर लेते। पंचायत सचिवों के हड़ताल के संबंध में भी समाचार पत्र में आया था, उसमें भी उनकी कुछ मांगें हैं, उस पर भी विचार कर लेते। मुझे इतना ही कहना था। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये आपको धन्यवाद।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं विभागों के बजट संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में अनुदान मांगों में चर्चा के उपरांत अपना विषय रखने के लिये प्रस्तुत हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, विशेष रूप से सबने गृह विभाग की चर्चा प्रारंभिक रूप से की है। मैं भी इसी विषय से अपना प्रारंभ करता हूं और इसमें बहुत संक्षिप्त और बहुत तीव्रता से इस विषय को आगे बढ़ाता हूं। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय वित्त मंत्री महोदय को उनकी सहृदया के लिये बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे विभाग के बजट में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। (मेजों

की थपथपाहट) यह वृद्धि बहुप्रतिक्षित थी। हमने विभाग में विशेष रूप से जब से कार्य करना प्रारंभ किया है तो इस बात की चर्चा हुआ करती थी कि प्राय: बजट में गृह विभाग पिछड़ जाता है लेकिन इस बार गृह विभाग के बजट में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं आपसे उसमें विशेष बात यह कहना चाहता हूं कि पूंजीगत व्यय जितना हुआ है, वह पिछले वर्ष 2024-25 में 406 करोड़ था और इस बार यह 829 करोड़ रूपये हैं। पूंजीगत व्यय में 104 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। मैं सोचता हूं कि पूंजीगत व्यय के लिये 104 प्रतिशत की वृद्धि बहुत पर्याप्त है। अब तो चैलेंज विभाग के सामने है कि हम कितनी जल्दी इसका उपयोग कर लेते हैं। अधोसंरचना के लिये 518 करोड़ रूपये है, जबकि पिछले बजट में हमारे पास सिर्फ 200 करोड़ हुआ करते थे। इसका मतलब यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी ने विभाग को पर्याप्त बजट दिया हुआ है। इसमें माननीय बहुत सारे सदस्यों ने विभिन्न बातों की चिंता की और विशेष रूप से इस बात की चिंता की कि लोगों के आवास गृह नहीं होते हैं। यह आवास गृह बनने चाहिए, जल्दी बनने चाहिए। उस संबंध में मैं आपको और पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि राजपत्रित अधिकारियों, अराजपत्रित अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये हमने पिछली बार लगभग 1,000 मकानों का प्रावधान किया था, इस बार इससे आगे बढ़कर 2,884 आवासों का प्रावधान इस बजट में किया गया है। दूसरी ओर आपके समक्ष एक विशेष बात बताना चाहता हूं, जो पूरे छत्तीसगढ़ के आज तक इतिहास में पहली बार हुआ है। इस बार बजट में पहली बार एक हेड खुला है और वह यह है कि गृह विभाग के पूर्व निर्मित जितने भी आवास थे, उन आवासों के रिपेयरिंग के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी और इस बार इसमें एक नया मद प्रारंभ करके इसमें 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) इस विभाग के लिये यह बड़ा हर्ष का विषय है। जैसी चिंता की जा रही थी और माननीय सदस्यों ने भी चिंता की कि विवेचक एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उस समय उनको रूकने की व्यवस्था नहीं मिल पाती है। यह बहुत आश्चर्य का विषय है और यह बहत सुखद विषय भी है। उन्होंने बजट में इसका अध्ययन किया या नहीं किया परंतु हम सब की चिंताएं एक जैसी हैं। इस सदन में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, हम सब इस बात की चिंता करते हैं कि हम फील्ड पर काम करने वाले लोग हैं, हमको इस बात का भी ध्यान है कि परेशानी कैसी है और साथ-साथ सभी के मन की चिंता भी ऐसी ही है कि इसका हल क्या हो सकता है। इसके लिये विवेचकों के आवासीय बैरक के लिये 1 कमरा, 1 किचन और लेट्रिन, बाथरूम की व्यवस्था होगी। यह नया मॉडल इस बार प्रस्तुत हुआ है। इस बजट में विवेचकों के आवासीय बैरक के लिये 16.6 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिये भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को हृदय से बधाइयां। यह जो बैरक बनाये जायेंगे वह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये जायेंगे। प्राय: जब ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिये अधिकारी-कर्मचारी जाते हैं तो उनको किराये पर भी आवास उपलब्ध नहीं हो पाता है। जब किराये पर आवास उपलब्ध नहीं हो पाता है तो फिर बड़ी परेशानी होती है, वे कहां

रूके, यह उनके लिये बड़ी चिंता का विषय होता है। उनको अप डाऊन करना पड़ता है। यह प्रारंभिक तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये जायेंगे। आरक्षकों के लिये मल्टी स्टोरी बैरक 7 नग बनाने के लिये 7 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। राजपत्रित अधिकारियों के लिए 8 स्थानों पर ट्रांजिट हॉस्टल बनाये जायेंगे और इसके लिये भी हर एक स्थान के लिये 1 करोड़ रूपये के आधार पर कुल 8 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 9 स्थानों पर 9 करोड़ रूपये का प्रावधान अराजपत्रित अधिकारियों के ट्रांजिट हॉस्टल जो है, उसके लिए पुन: प्रावधान किया गया है। आरक्षकों और प्रधान आरक्षकों के ट्रांजिट हॉस्टल के लिए भी 8 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस बार इसमें निर्माण कार्यों के लिए बहुत अधिक प्रावधान किये गये हैं। उसके साथ ही महिला थाना दो नग, पुलिस थाना भवन 18 नग, पुलिस चौकी 14 नग, पुलिस अधीक्षक कार्यालय 04 नग, नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय या उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय 05 नग,सशस्त्र वाहिनी हेतु प्रशासनिक भवन एक नग, रक्षित निरीक्षक कार्यालय भवन दो नग, नये फायरिंग रेंज दो नग, जो चंदखुरी में प्रशिक्षण संस्थान हैं उसमें एक स्पोर्टस् कॉम्पलेक्स और पी.टी.एस. माना में एक ऑडिटोरियम, इस तरीके से सारे प्रावधान किये गये हैं। यह सारे छोटे-छोटे प्रावधान है, मैं आपको इन सब को एक साथ बताना चाहता हूँ। यहां इन सारी बातों के साथ बहुत सारी चिंताएं हो रही थी और मैं बहुत आश्चर्यपूर्वक एक बात सुन भी रहा था । हमारे विपक्ष के माननीय साथी कुछ बात कह रहे थे और वह चिंता कर रहे थे कि पुलिस विभाग में भर्ती नहीं होती है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह समझ नहीं सकता हूँ। पूर्व में 6 सालों तक 927 पदों में एस.आई. की भर्ती नहीं हो पायी। (शेम-शेम की आवाज) अभी जाकर माननीय विष्णु देव जी की सरकार में वह काम पूरा हुआ है और वह प्रशिक्षण ले रहे हैं। मैं विपक्ष के अपने साथियों से निवेदन करता हूँ कि एक बार चंदखुरी पहुंचे और उनसे जरूर मिल लें। पूर्ववर्ती सरकार के लोग जिनकी नियुक्ति नहीं कर पाये, केवल वह नियुक्ति ही नहीं, पुलिस विभाग में कोई दूसरी नियुक्ति नहीं कर पाये। माननीय सभापति महोदय, अभी मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि उन नियुक्तियों को देने के उपरान्त 341 नये प्लाटून कमाण्डर और सब इंस्पैक्टर की भर्ती की परीक्षा की प्रक्रिया पुन: प्रारंभ हो गई है। वह भर्ती निकल गई है, यहां लोग फार्म भर रहे है, अब उसकी भी परीक्षाएं हो जाएंगी। वह भी वित्त विभाग से स्वीकृत हो गया है।(मेजों की थपथपाहट) पूरे प्रदेश में कॉन्सटेबल की भर्ती के लिए 5 हजार 967 पदों पर भर्ती की प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिसमें कॉन्सटेबल के 5 हजार 967 पद हैं। (मेजों की थपथपाहट) इसी के संदर्भ में बात हो रही थी कि अब बिलासपुर में यह हो गया, राजनांदगांव में यह हो गया। मैंने पहले भी इस बात को बताया है और मैं पुन: इस बात को कहना चाहता हूँ कि जहां-जहां भी कोई परेशानी दिखी है, हमने पूरी संजिदगी और चेतना के साथ उस बात को Rectified किया गया है। जब आप देखेंगे कि राजनांदगांव में भी जितनी बड़ी कार्यवाही हुई, उस पूरी प्रक्रिया, सलेक्शन के प्रोसेस को खत्म कर दिया गया। उस पूरे प्रोसेस को राजनांदगांव जिले से उठाकर, उसको खैरागढ़ और छुईखदान जिले में किया गया। वहां पर जो घटना

हुई, उसकी जांच उस जिले के अधिकारियों से नहीं, दूसरे जिले के अधिकारियों से जांच करायी जा रही है। उसमें 5 सदस्यीय टीम बनाकर, जांच करायी जा रही है। ऐसे ही बिलासपुर में उसमें 2 युवाओं ने अपना आवेदन दिया और उन्होंने उस आवेदन पर जो कुछ लिखा, हमने उस पर पूरी चिंता की। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुझे अधिकारियों से पूरी जानकारी मिली। वहां पर ऐसे 129 प्रकरण मिले हैं, जिनमें खामियां हैं। इसको छुपाया नहीं गया। इसको कहीं कुछ रोका नहीं गया। वहां हाईकोर्ट में लगे हुए प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। जब हाईकोर्ट के प्रकरण में कुछ प्रस्तुत होता है तो उसकी एक प्रति जो Applicants हैं, उनके वकील को भी दिया जाता है। वह पब्लिक दस्तावेज होता है। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। वहां ऐसे 129 प्रकरण हुए हैं और इन 129 प्रकरणों को पकड़ने के लिए, आपको यह आश्चर्य होगा कि 95 हजार वीडियो फुटेज देखे गये। उन 95 हजार वीडियो फुटेज को देखकर, 129 प्रकरण निकाले गये। माननीय विष्णु देव जी की सरकार में इतनी सूक्षमता और शुद्धता के साथ नियुक्तियों की प्रक्रिया हो रही है। मैं, आपको उसके साथ-साथ और बताना चाहता हूँ। होमगार्डस् के लिए 1715 महिलाओं के पद, वह भी प्रक्रिया ...।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- एक मिनट। आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूँ कि सभा सहमत है?

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

वित्तीय वर्ष 2025 - 2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, होमगार्डस् में 1715 महिलाओं के पद निकाल कर उसमें भी अभी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। यह अंतिम में है। ऐसे ही महिलाओं के सिवाए होमगार्डस् में 500 अन्य पद, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह 341 पद हैं, 927 एस.आई. और प्लाटून कमाण्डर के वह पद हैं जिनकी नियुक्ति दी गई हैं। 5 हजार 967 कॉन्सटेबल के पद हैं, 1715 महिलाओं के होमगार्डस् के पद हैं तथा 500 और होमगार्डस् के पद हैं, इनकी प्रक्रिया चल रही है और इसके अतिरिक्त, मैं आपको पुन: बताना चाहता हूं कि इस बार कितने नये पदों का सृजन विभाग में किया गया है। 6 हजार थाने खोले जा रहे हैं ताकि पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर आजाक थाने हो जायें। अब किसी जगह को जिला बना दिया जाये और भूल जाया जाये कि जिले में क्या-क्या होना चाहिए? वह भूले हुए काम को भी माननीय विष्णु देव साय जी की पालनहारी सरकार अवश्य पूरा करती

है और उन नवगठित 6 जिलो में आजाक थाने बनाये जा रहे हैं और उसके लिए 90 नवीन पदों की स्वीकृति विभाग को मिली है। मैं इसके लिए हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्तमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। 2 नये थाने की विशेष आवश्यकता थी, सुकमा जिले में ग्राम एलामागुंडा तथा डब्बाकोंटा में 2 नये थाने की घोषणा हुई है, उसके लिए भी 130 नये पदों का सृजन हुआ है। 5 पुलिस चौकी जिसमें जिला बिलासपुर में सकर्रा, ट्रांसपोर्ट नगर, महासमुंद में नर्रा, रायगढ़ में महापल्ली, बलौदाबाजार में दामाखेड़ा, इन 5 स्थानों पर 5 पुलिस चौकी खोले जाने हेतु बजट में प्रावधानित किया गया है, इसके लिए फिर से 165 नये पद सृजित हुए हैं। देवभोग, पत्थलगांव, विश्रामपुर, सूरजपुर जिलों में 3 थानों में पदों की वृद्धि की गई है और इसके लिए 90 नये पद पुन: सृजित किये गये हैं। कोरबा, जांजगीर, सूरजपुर में 3 नवीन महिला थाना खोले जाने हेतु बजट में प्रावधानित किया गया है। सभापति महोदय, महिलाओं के संदर्भ में चिंता सदैव जायज है। मैं नि:संदेह इस बात को कहना चाहता हूं कि जितनी चिंता महिलाओं के लिए माननीय नरेन्द्र मोदी जी, माननीय विष्णु देव साय जी ने की है, ऐसी सानी आपको भारत के राजनीतिक इतिहास में और नहीं देखने को मिलेगी। (मेजों की थपथपाहट) कहां से लेकर कहां तक, देश की आजादी के उपरांत भी स्वच्छता के विषय को लेकर कभी चिंता नहीं की गई। देश में प्रधानमंत्री बनने के वर्ष 2014 में लाल किले की प्राचीर से जब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात की घोषणा करते हैं तो उसमें आलोचना करने वाले लोग भी मिल गये। उन्होंने आलोचना भी कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से शौचालय की बात कर रहे हैं। उनके मन में बात थी। उन्होंने इस बात की चिंता की कि माताओं, बहनों के स्वाभिमान के लिये जो चीज आवश्यक है, वह सबसे पहले देश में करना चाहिए और इस बात को हमारे देश में लागू किया गया। मैं आपको पुन: कहना चाहता हूं कि महतारी वंदन या महतारी सदन हो। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से आज मैंने एक ठिठोली भी की। मैंने कहा कि आप ऐसा प्रश्न लगाये हैं जिसमें आपने पूछा है कि महतारी सदन का औचित्य क्या है ? महतारी सदन का औचित्य पूछना, मैं सोचता हूं कि यह कहीं से तर्कसंगत नहीं है। महतारी सदन हो या महतारी वंदन योजना हो, इन सारी योजनाओं के साथ काम करने के साथ-साथ माताओं, बहनों की सुरक्षा के लिये जितने पहले महिला थाने खोले गये, उसके अतिरिक्त फिर कोरबा, जांजगीर और सूरजपुर में 3 नवीन महिला थानों की घोषणा की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में 5 महिला थाने प्रारंभ किये गये थे जिसमें कबीरधाम, जशपुर, रायगढ़ भी था। इस तरीके से इन 3 नवीन महिला थानों के लिये फिर से 180 नये पदों की स्वीकृति हुई है। इसमें भर्ती की प्रक्रिया नहीं, नये पदों का सृजन हो रहा है। मैं इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ इस बात को बताना चाहता हूं कि नये पदों का सृजन हो रहा है। 5 चौकियों को थाने में उन्नयन किया गया, जिसमें रामनगर, रामपुर, कबीरधाम, दशरंगपुर, मुंगेली में डिंडौरी, सक्ती में अड़वार, बेमेतरा में कंडराधार, इन 5 चौकियों को थाने में बदलने के लिये फिर से 180 नवीन पदों का सृजन किया गया है और विशेष रूप से 10 जिलो में, मैं

फिर से आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि समूचे छत्तीसगढ़ के आपने 25 साल के कामों में यह सबसे पहली बार हो रहा है कि रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा 10 जिलों में एंटी नॉरकोटिक्स टॉस्क फोर्स का गठन किया जा रहा है और इन 10 जिलों में एंटी नॉरकोटिक्स टॉस्क फोर्स के लिये 100 पदों की स्वीकृति मिली है। (मेजों की थपथपाहट) पुलिस दूरसंचार शाखा के लिये 50 नये पदों का सृजन किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर की सुरक्षा के लिये 50 नये पदों का सृजन है। बिलासपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिये 10 नये पदों का सृजन है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के लिये 50 नये पदों का सृजन है। विशेष आसूचना शाखा, हमारी स्पेशल ब्रांच की माननीय सदस्य महोदया चातुरी नंद जी चिंता कर रही थीं कि किस तरीके से हमारा सूचना तंत्र मजबूत होना चाहिए। यह आसूचना शाखा के लिये भी 100 नये पदों का सृजन किया गया है। मैं इन सारी बातों को आपसे कह रहा हूं कि नये पदों के सृजन हुए हैं। नवीन भारत रक्षित वाहिनी आई.आर. बटालियन (India reserve battalion) है। केन्द्र से अनुमति के उपरांत इसमें 1007 पदों की स्वीकृति मिली है। यह नयी बटालियन बनकर हमारे प्रदेश में खड़ी होगी, 1007 नये पद इसके लिए मिले हैं । मैं आपसे एक और विशेष बात कहना चाहता हूं कि यह भी छत्तीसगढ़ में 25 वर्षों के हमारे कार्यकाल में पहला है, नवीन है, सबसे अच्छा है और वह यह है कि जिस तरीके से Central Government की एक Agency होती है और वह Industrial Security प्रदान करती है और उसके ऐवज में Industries वालों से वह राशि ले लेते हैं और इस तरीके से उनका Industrial security force चलता है । यह National level है, वैसा ही हमने State level में बनाने के लिए निर्णय किया, इसके लिए हमारे सारे काम पूरे हो चुके हैं । (मेजों की थपथपाहट) SISF है, State Industrial Security force और इसके लिए मैं ह्रदय से आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं । 500 नये पदों का प्रावधान बजट में किया गया है, हमें इसमें 500 नये पद मिले हैं । (मेजों की थपथपाहट) मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि NSG जैसे National Security Guard है जो first responder होते हैं, कहीं कई ऐसी स्थिति आ जाती है, आपात स्थिति आ जाती है तो first responder होते हैं उसी तर्ज पर हम SOG का गठन करने जा रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) यह Special operation group है और इसके लिए भी 44 नए पदों की भर्ती हमको मिली है, यह सारे कमांडो ट्रेनिंग वाले होंगे । एक स्थान पर उपलब्ध होंगे और कभी भी यह स्विच ओवर करके दूसरे स्थान पर जा सकते हैं । जहां पर भी हमारे प्रदेश में कोई ऐसी आपदा की स्थिति, आपात स्थिति होती है तो यह एक और नया प्रावधान है ।

माननीय सभापति महोदय, 25 साल के कार्यकाल में यह भी छत्तीसगढ़ में आज तक नहीं हुआ था, यह पहली बार हो रहा है वह भी मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं । Cyber अपराध की चिंता सबको थी, Cyber अपराध की चिंता इसलिए भी है क्योंकि Cyber crime बढ़ा है, Cyber crime

इसलिए बढ़ा है क्योंकि digital लेन-देन बढ़ा है और digital लेन-देन इसलिए बढ़ा है क्योंकि मोदी जी ने इसको promote किया है । समूचे भाजपा की जो सरकारें हैं, केंद्र की सरकार हैं उन्होंने promote किया है और जब इसका डिबेट चल रहा था तो मैंने पिछली बार भी इसका उल्लेख किया था । मुझे अच्छे से ध्यान है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने वहां पर खड़े होकर कहा था, उन्होंने तो पूछा भी था कि Is there Wi Fi ? Is there ATM ? What the poor women will do over there ? एक गांव में एक आलू की दुकान में अगर जाएंगे तो किस तरीके से यह काम हो पाएगा ? आज गांव में आलू की दुकान में वह महिला digitally payment लेने के लिए तैयार है और digitally payment देने के लिए तैयार है । (मेजों की थपथपाहट) इस तरह Cyber अपराध, जो digital भुगतान है, वह पूरी दुनिया का लगभग 40 प्रतिशत सिर्फ भारत में हो रहा है इसलिए हमको यह हमको परेशानी आ भी रही है परंतु परेशानियों से भागना कोई विषय नहीं है और इसलिए नए 5 Cyber थाने बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर, जशपुर इसके लिए 120 नए पदों का सृजन हुआ है । मैं आपसे बार-बार यह कहना चाह रहा हूं कि यह नए पदों का सृजन है, पूर्व में जो Cyber थाने खुले थे वह अलग हैं और वर्तमान में यह अलग Cyber थाने हैं और इसी तरीके से Cyber क्षेत्र में काम करते हुए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं । बहुत सारे काम हैं, एक Cyber भवन जो हमारे रायपुर में बनकर तैयार है । यहां पर फारेंसिक लेब बनकर तैयार है । सभी रेंजों में Cyber थाने अलग से हैं । उनको भी सुदृढ़ किया जा रहा है उनके लिये भी करोड़ों के साफ्टवेयर-हार्डवेयर खरीदे जा रहे हैं ताकि हम उसमें पूरी दक्षता के साथ काम कर सकें । इसके साथ ही साथ यहां पर 1930 ऐसा एक नंबर है जिसमें कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो तुरंत लोग call करके बता सकते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन भी इस विषय पर है कि एक-बार आपके Social media handle पर यह 1930 आना चाहिए, यह नंबर मेरा नहीं है । (मेजों की थपथपाहट) यह नंबर आपका या किसी का नहीं है, यह जनता का नंबर है और जनता का नंबर 1930 एक-बार आप सबके Social media पर ज़रूर आ जाए । माननीय विधायकगण, माननीय इस सदन के सदस्य सभी अगर इसको देते हैं तो यह बहुत दूर तक नीचे पहुंच जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष 01 जनवरी 2024 से 01 जनवरी 2025 तक 1930 में 23 लाख 42 हज़ार 992 कॉल हमने receive किए । 23 लाख 42 हज़ार 992 कॉल और उनमें जो सहायता करने योग्य थे वह 7 लाख 19928 विभिन्न प्रकार की सहायता हैं । (मेजों की थपथपाहट) वह सहायता इसमें की गयी हैं ।

माननीय सभापति महोदय, इतनी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम यह सब काम कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त NFSU नेशनल फॉरेंसिक साईंस यूनिवर्सिटी का एक सेंटर, एक केंद्र रायपुर में प्रारंभ हो रहा है । हम सबको ध्यान है कि किस तरीके से इंगलेण्ड के संसद में पारित कानूनों के आधार पर पूरा भारत चलता था और अभी जाकर के हमारे भारत में भारत के संसद में पारित कानून BNS है, भारतीय

न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन 3 नए कानूनों के प्रावधान के उपरांत हमको forensic science की तरफ बहुत काम करने की ज़रूरत पड़ रही है और इसको देखते हुए NFSU राष्ट्रीय स्तर की जो संस्था है उसका एक यूनिट छत्तीसगढ़ में प्रारंभ करके इसमें पी.जी. और ग्रेजुएशन स्तर की कक्षाएं लगाकर और इतनी टीम छत्तीसगढ़ में तैयार करेंगे कि आने वाले समय में हम उन पूरे कानूनी प्रावधानों का पालन कर सकें, उन कानूनी प्रावधानों के साथ आगे बढ़ सकें। (मेजों की थपथपाहट) मैं इस तरीके से आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत सारे जो पद के निर्माण हुए हैं, उसमें एक और विशेष पद है। बस्तर में सबकी चिंता थी। बस्तर में काम करने वाले बस्तर के लोग ही हैं। चाहे वह सहायक आरक्षक के रूप में कहे जाएं, चाहे कोई कहे जाएं, इस तरीके से बस्तर में जो काम कर रहे हैं, बस्तर के सात जिलों के लिए बस्तर फाइटर के लिए 3,202 पदों की स्वीकृति मिली है। (मेजों की थपथपाहट) इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 3,202 पद बस्तर फाइटर्स के लिए भी किया गया है। इस तरीके से इस बजट में हमारे विभाग के लिए जो नए पद सृजित हुए हैं, वह 6,085 है। अभूतपूर्व है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो स्वीकृत पद है, उसमें भर्ती की बात नहीं कह रहा हूं, वह तो मैंने पहले आपसे कही, लेकिन नए पदों का सृजन हुआ है, वह 6,085 नए पद हैं। यह बहुत बड़ी बात है। (मेजों की थपथपाहट) मैंने आपसे बस्तर फाइटर की बात तो कही। बस्तर फाइटर के लिए 3,202 पदों का प्रावधान हमारे बजट में हुआ है। इसके साथ ही साथ मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ आपके सामने विषय रखना चाहता हूं। नारायणपुर के गारपा में 25 साल पहले जब कोई गया होगा तो उन्होंने बाजार देखा होगा। माननीय केदार जी हैं। अभी 25 साल बाद वहां बाजार लगना प्रारंभ हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) ये देश के दूसरे लौह पुरुष हैं। देश के दूसरे लौह पुरुष माननीय अमित शाह जी का संकल्प है और यह संकल्प इस तरह से है जैसे नॉर्थ ईस्ट की insurgency समाप्त कर दी गई। जिस तरीके से देश में अब बम नहीं फूटते, क्योंकि बम फोड़ने वालों को पता है कि अब दिल्ली में जाकर बिरयानी खिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा, अब दिल्ली में तो फोड़ डालेंगे। इस तरीके से अब कोई बम नहीं फोड़ता है।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, ओला मणिपुर भी भेज दिहौ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए। मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री विजय शर्मा :- का कहिथे?

श्री रामकुमार यादव :- मैं कहेव हव महाराज, ओ गृह मंत्री जी ला मणिपुर घलो भेज दे रहिथौ। मैं कहात रहो।

श्री सुशांत शुक्ला :- ओहा कोचके ला बोलथे। ओहा ओइसने कोचकथे।

श्री विजय शर्मा :- हां-हां, बिल्कुल। आप इस बात की चिंता मत करिए। मैं इस बात को पहुंचाउंगा और रामकुमार भैया, मेरी बात याद रखना, गृह मंत्री जी वहां पर जाकर वह भी ठीक करके

आएंगे, जो आपने 70 सालों में नहीं किया, वह भी ठीक हुआ है। वह भी ठीक होगा, जो शेष रह गया, उसकी भी चिंता न करें। (मेजों की थपथपाहट) उनका ही यह संकल्प है कि अनुच्छेद 370 के अधिकतम प्रावधानों को समाप्त कर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाना और जम्मू कश्मीर से 370 हटा देना, इस तरह के प्रावधान करने का उन्होंने ही संकल्प लिया है कि किस तरीके से मार्च, 2026 में जाकर हम बस्तर ही नहीं, समूचे भारतवर्ष से सशस्त्र naxalism का समापन करेंगे, (मेजों की थपथपाहट) इस बात का निर्णय किया हुआ है और उसी के अंतर्गत काम करते हुए माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि न सिर्फ वहां वरन् बीजापुर में है, मंडावी जी हैं नहीं, बीजापुर में कोंडापल्ली में और पुजारी कांकेर में वहां काम करने वाले जानते हैं, जिन्होंने बस्तर में काम किया होगा, वे जानते हैं। जो बस्तर के नेता हैं, वे जानते हैं कि पुजारी कांकेर मतलब क्या होता हैं? पुजारी कांकेर मतलब जिस तरीके से हिडमा के गांव को हम काउंट करते हैं, वैसे ही पुजारी कांकेर को काउंट किया जाता है। तो पुजारी कांकेर हो या कोंडापल्ली हो, 25 वर्षों के बाद वे बाजार भी रौनक हुए हैं। आज मैं आपको सदन में इस बात को बताना चाहता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नारायणपुर में मसपुर में बीजापुर से पामेड़ पहले तेलंगाना होकर जाया करते थे, उस दिन मैंने उनके जवाब में कहा, अब बीजापुर से पामेड़ सीधा बस प्रारंभ हुआ है। यह भी 25 वर्षों के बाद प्रारंभ हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) दंतेवाड़ा से अरनपुर जगरगुंडा, यह बस सेवा भी प्रारंभ हुई है और इतना ही नहीं हमारे पूरे बस्तर क्षेत्र में 577 नए मोबाइल के टावर लगे हैं। (मेजों की थपथपाहट) इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं उन सारी चीजों के बारे में नहीं जा रहा हूं। मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि अभी 55 नए कैंप लगे हैं। कुल 440 कैंप में से 55 अभी नए कैंप लगे हैं। उसमें से सिर्फ बस्तर क्षेत्र के जो कैंप हैं, उन कैंपों को लेकर हमने नियद नेल्लानार योजना बनाई हैं। आज जो सदन में ऊपर बैठकर इस सदन की कार्यवाही देख रहे थे, मैं उनसे बाहर मिला। सभापति महोदय, मैंने उनसे पूछा कि कितने लोग पहली बार रायपुर आए तो 90 प्रतिशत लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि पहली बार रायपुर आये हैं। (मेजों की थपथपाहट) मैंने उनसे पूछा कि कितने लोग पहली बार जगदलपुर आये तो 70-80 प्रतिशत लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि जगदलपुर पहली बार आए। मैंने उनसे पूछा कि आपके गांव में बिजली है या नहीं है? 90 प्रतिशत लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि बिजली नहीं है, क्रेडा की बिजली अभी गई है लेकिन लाईन वाली बिजली चाहिए, इस बात की डिमांड है । उन लोगों ने आकर हमारा सदन देखा है, उन्होंने आकर हमारी रायपुर राजधानी को देखा है, वे आज विमानतल जाने वाले हैं, वे रेल्वे स्टेशन जाने वाले हैं, जंगल सफारी जाने वाले हैं, ऐसी तमाम जगहों का अवलोकन वे करेंगे । ये सभी ऐसे स्थानों से हैं जिन्हें हम पहले सोचते थे कि ऐसे क्षेत्र हैं जहां सामान्य लोगों का जाना मुश्किल है । ये नियद नेल्लानार गांव के नवजवान हैं जो आज आकर हमारे समने खड़े हैं (मेजो की थपथपाहट) । ऐसा नहीं है कि आज ही 100 आए हैं, कल भी 100 आएंगे, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर से एक-एक दिन में 100-100

लोग आएंगे । योजना बनाकर नियद नेल्लानार गांव के सारे नवजवानों को रायपुर लाकर दो दिन अपने साथ रखकर पूरी स्थिति को दिखाना और समझाना है । सभापति महोदय, मैंने उनसे पूछा कि अभी किसने-किसने वोट डाला है तो उनमें से 80 परसेंट लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि हम वोट डालकर आए हैं, लोकतंत्र पर अपनी आस्था जताकर आए हैं (मेजो की थपथपाहट) । उन्होंने पहली बार वोट डाला है इससे पहले वे बालिग नहीं थे और अभी उन्होंने पहली बार वोट डाला है । पहली बार वोट डालने की स्थिति भी पहली बार बनी है । नक्सल ऑपरेशन्स के इन विषयों को लेकर बनी है ।

सभापति महोदय, मैं नि:संदेह इस बात को बताना चाहता हूं कि एक तरह का ग्रुप होता है और वह ग्रुप हमेशा इस तरह क कार्यवाहियां करता है, इस तरह की बातें करता है कि बस्तर में पुलिस आदिवासियों को पीड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। इस तरह की बातें बोलने वाले लोग बहुत हुआ करते थे । दिल्ली में हल्ला मचाया करते थे, रायपुर में आकर हल्ला मचाया करते थे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर हल्ला मचाया करते थे । इस बार पहली बार हुआ 55 लोग, जो नक्सलियों की बंदूक की गोलियों से अपंग हो गए अथवा जो आई.ई.डी. ब्लास्ट से दिव्यांग हो गए ऐसे 55 लोगों की टीम दिल्ली गई थी । मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वे 55 लोग जो प्रतिरूप थे, पूरे बस्तर में जो नक्सल की पीड़ा झेल रहे हैं, वे लोग जो नक्सलवाद का दंश झेल रहे हैं । उनके प्रतिरूप के रूप में वे दिल्ली गए थे तो माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने घर के आंगन में पंडाल बिछाकर उनका स्वागत् नाश्ता चाय के साथ किया (मेजो की थपथपाहट) । मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे सब मार्च करके राष्ट्रपति महोदया के यहां पहुंचे । राष्ट्रपति महोदया ने सबका स्वागत किया और उनके साथ फोटो खिंचवाया उनके साथ नाश्ता किया । मैं यह भी बताना चाहता हूं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, दुनिया का अनूठा, कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में एक ऐसा प्रेस कांफ्रेंस हुआ जिसमें कोई नेता नहीं था, उसमें बस्तर के पीड़ित लोग बैठे थे और दुनिया की मीडिया सामने बैठी थी, उनसे प्रश्न कर रही थी (मेजो की थपथपाहट) और बस्तर के पीड़ित उनको जवाब दे रहे थे । वे बस्तर के पीड़ित उसके बाद जे.एन.यू. में भी गए और अन्य स्थानों में भी गए उसके बाद विभिन्न नारे लगे । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि वह जन्तर-मन्तर में अपने पक्ष से धरना देकर आए हैं । उन्होंने अमित शाह जी से मिलकर आग्रह किया कि हमारे बस्तर से नक्सलिज्म को खत्म होना चाहिए जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी । उसमें 14 साल की एक बच्ची है, उसकी कथा ऐसी है कि दो ढाई साल के साल के थे, आंगनबाड़ी के पास से जब वे जा रहे थे तो जाते जाते उसने और उसके भाई ने देखा कि कोई चमकीली चीज पड़ी है, वे जाकर जब उठाने लगे तब ब्लास्ट हो गया, वह एक टिफिन बम था। वह बच्ची एक आंख से देख नहीं पाती है, दूसरी आंख से भी उसको कम दिखता है, उसके बावजूद वह यहां से लेकर दिल्ली तक पहुंची, राष्ट्रपति महोदया तक पहुंची वहां जाकर अपनी पीड़ा बताई है कि बस्तर से नक्सलिज्म हर हाल में समाप्त होना चाहिए । यह स्थिति वहां पर हुई है । नई सरकार बनने के बाद जितने कैम्प हुए, नियद नेल्लानार के

अंतर्गत 125 गांव लेकर हम काम कर रहे हैं, ये दूरस्थ अंचल के क्षेत्र हैं । सभापति महोदय, मैं निवेदन पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि आज तक बस्तर के उन क्षेत्र के लोगों को बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल टावर इन सारी चीजों से वंचित रखा गया था । अभी जाकर वहां बिजली के तार खींचे जा रहे हैं, अभी जाकर वहां पर क्रेडा के माध्यम से या अन्य सोलर लाईट लगाए जा रहे हैं, अभी जाकर वहां आंगनबाड़ी और अस्पताल खुल रहे हैं, अभी जाकर उनका आधार बन रहा है, अभी जाकर वहां राशन कार्ड बन रहे हैं, ये सारी स्थितियां अभी वहां हैं। मुझे इस बात का बहुत हर्ष है । मैं आपसे निवेदनपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि नवीन पुनर्वास नीति के संदर्भ में चर्चा हुई । नवीन पुनर्वास नीति के संदर्भ में क्या कर रहे हैं, कैसा हो रहा है, क्या स्थिति बन रही है ? पुरानी पुनर्वास नीति गलत थी, कोई नहीं कह रहा है, अच्छा था और अच्छा किया गया और अच्छा करने से किसी को पीड़ा नहीं होना चाहिए और अच्छा करके उसमें ये किया गया कि अब जब वे सरेंडर करेंगे तो 5 जिलों में स्थान तय किये गये हैं, स्कील डेवलपमेंट के सेंटर बनाये जा रहे हैं, जब वे सरेंडर करेंगे तो वे वहां तीन वर्षों तक रहेंगे, वह फ्री होगा, वहां भोजन करेंगे, वह फ्री होगा, उनको प्रधानमंत्री आवास भी दिया जाएगा, उनको हर महीना दस हजार रूपए दिया जाएगा, सरेंडर करने वालों के उपर जो ईनाम घोषित होगा, वह ईनाम भी दिया जाएगा, वे जो हथियार लेकर आएंगे, उसकी राशि भी उनको दे दी जाएगी, ये सारे प्रावधान नये सरेंडर नीति में की गई है। इसके साथ-साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, जो सामूहिक आत्मसमर्पण करेंगे, उस सामूहिक आत्मसमर्पण में उनकी ईनाम की राशि दोगुनी हो जाएगी, यह भी नये नीति में प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, चूंकि मैं पंचायत विभाग का भी काम देखता हूं, मेरे मन में दोनों ही बातें एक साथ चलती हैं कि पंचायत विभाग क्या कर सकता है या पुलिस विभाग क्या कर सकता है। अभी बीजापुर में भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है। जिला पंचायत में जो सदस्य सभापति बने हैं, जनपद में सदस्य बने हैं, सरपंच बने हैं, मैंने उन सबसे चर्चा की, मैंने कहा कि पंचायत क्या कर सकता है? मैं सदन को और आप सभी को बहुत प्रसन्नता के साथ इस बात को बताना चाहता हूं कि हम इलवद पंचायत अभियान चलाने जा रहे हैं। इलवद गोंडी शब्द है, इसका अर्थ मुक्त है, मुक्त पंचायत अभियान चलाने जा रहे हैं। हमारे पास पंचायत की सूची है, नाम है, किस पंचायत में कौन है, वे उनको सरेंडर करवायेंगे, सरेंडर करवाने के बाद अपने पंचायत में प्रस्ताव करेंगे कि हमारा पंचायत माओवाद मुक्त हुआ, पंचायत में ऐसा प्रस्ताव करेंगे तो पंचायत को एक करोड़ का काम तुरंत स्वीकृत किया जाएगा। (मेजों की थपथपाहट) साथ ही साथ उस पंचायत तक पहले सोलर लाईट और बाद में तार वाली जो रेगुलर लाईट है, वहां विद्युत ले जाने का काम किया जाएगा। उस गांव को मोबाईल टावर से जोड़ा जाएगा, चाहे वहीं पर आवश्यकता हो या आस-पास कहीं पर हो, उस गांव को नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा। मैंने कहा कि अगर आपके लिए ये सब किया जाएगा तो क्या आप लोग पंचायत में

प्रस्ताव करेंगे ? उन लोगों ने सर्व सम्मति से कहा कि हम ऐसा प्रस्ताव करना चाहते हैं, हम अपने पंचायत में इस काम को जरूर करेंगे, अब पंचायत और पुलिस विभाग दोनों साथ-साथ कदम ताल मिलाते हुए एक-एक गांव को स्पष्टता के साथ आगे बढ़ाते हुए इस काम को पूरा करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, करसाय ता बस्तर, बरसाए ता बस्तर। ये जो नारा है, ये सबको ध्यान होगा, बस्तर ओलंपिक से पहले ये विषय आया था, बस्तर ओलंपिक जिसकी चर्चा माननीय मोदी जी ने अपने मन की बात में भी की। बस्तर ओलंपिक में 1 लाख 65 हजार युवाओं ने भाग लिया। बस्तर ओलंपिक में उन लोगों ने भाग लिया जो नक्सलवाद की पीड़ा झेल रहे हैं, जो नक्सलवाद के कारण जीवनभर के लिए अपंग और दिव्यांग हो गए हैं, वे लोग भी उसमें भाग लिए और वे भी उसमें भाग लिए जिन्होंने नक्सलवाद के उस रास्ते को छोड़ करके मुख्यधारा में आना स्वीकारा है, वे लोग भी उसमें भाग ले करके बस्तर ओलंपिक को पूर्ण किया है। माननीय अमित शाह जी इस कार्यक्रम में आए थे, हम सबको ध्यान है। मैं बस्तर ओलंपिक के संबंध में आपको एक बात और बताना चाहता हूं, उड़ीसा, झारखंड, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, असम ऐसे पांच राज्यों से वे सारे लोग आए जिन्होंने पहले जंगलों में बंदूक लेकर बहुत लंबा समय बिताया, आतंकवादी थे अथवा उग्रवादी की तरह काम करते थे, नक्सली थे, उन लोगों ने सरेंडर करके मुख्यधारा को अपनाया था और मुख्यधारा को अपनाने वाली सारी टीमें वहां आकर तीन दिनों तक बस्तर के गांव-गांव में घूमकर इस बात को बताते रहे कि हम पहले इस क्षेत्र में थे, अब हम मुख्यधारा में हैं और आपकी भी अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आप मुख्यधारा में आ जाएं। बस्तर ओलंपिक के समय इन पांच राज्यों के लोग वहां आकर समझाते रहे। मैं आप सबको बड़ी प्रसन्नता के साथ सूचित करना चाहता हूं, वैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में ये आ भी जाएगा, बस्तर पंडुम हो रहा है। यानी बस्तर के नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्ययंत्र, परिधान, आभूषण, पेय, व्यंजन, गोदना, चित्रकला आदि सभी विषयों को लेकर बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है, ये 1, 2 और 3 अप्रैल को दंतेवाड़ा में संपन्न होगा। मैं पूरे सदन से आग्रह करता हूं कि आप सब जरूर पहुंचे। ये सारी चीजें हमको बस्तर की कला संस्कृति सब कुछ एक स्थान पर देखने को मिलेंगी। इसको देखने के लिए देशभर से लोग आने वाले हैं। मैं सबको यह विषय बताना चाहता हूं। अमर बलिदानी, एक बहुत बड़ा विषय है। हम यह स्मारक बना रहे हैं। इसके लिए पहले समग्र की राशि से 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है और यह राशि बस्तर के गांव-गांव के नवजवानों के लिए है। जिन्होंने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी है। उनकी मूर्ति उनके गांव में लग जायें। (मेजो की थपथपाहट) इस काम को करने के लिए पहले 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है और अभी भी इसके लिए प्रावधान किये जा रहे हैं और अब अप्रैल-मई महीने से ये मूर्तियां लगनी शुरू हो जाएंगी। मैं एक-एक करके आप सभी से आग्रह करूंगा कि हम उनके गांव तक जाएंगे और उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे और दो फूल

चढ़ायेंगे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया है, प्राणोत्सर्ग कर दिया है। यह अब तक नहीं हुआ था। इसकी चिंता भी नहीं हुई थी। जब शहीद परिवारों के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तब उन्होंने यह बात कही और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस पर काम कैसे नहीं हुआ है। पिछली सरकार में भी लोग घूमते रहे, परंतु इस बार इस बात की चिंता की गई है। इसमें सबसे बड़ी परेशानी यह आती है कि जब मूर्ति बनकर तैयार होती है तो उनके घर वालों को लगभग यह लगता है कि वह ऐसे दिखते थे या वह ऐसे नहीं दिखते थे। यह बड़ा मसला आता है। इसलिए यह तय किया गया कि मूर्ति बनाने वालों का प्रक्रिया के अनुरूप चिन्हांकन हो जाये और फिर मूर्ति बनाने वाले घर वालों की satisfaction के आधार पर मूर्ति बना दे और फिर वह मूर्ति वहां लगाई जाएं। ऐसी प्रक्रिया का निर्धारण करके इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- पिछली बार तो इनकी सरकार थी और इन्होंने झीरम का जो स्मारक बनवाया, एक बार आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है और किस तरीके से अपने शहीदों का ही अपमान किया जाता है। आप वह देखियेगा। (शेम-शेम की आवाज)

श्री रामकुमार यादव :- आप हमर पहिली पंक्ति के नेता मन के रक्षा नहीं कर सकेव। शर्मा जी, आप बहुत अच्छा बोलत रहे हव, मैं आप ला सुनत रहे हव। आप बोलत रहे हव कि 25 साल-25 साल। ओमा 16 साल तक इहुं हा मंत्री रीहिस हवे तो ओ समय 16 साल के ला घोल के खाए रहे हव। वह 25 साल उही मा जुड़े हे। आप 16 साल ला घलो घोल के खाए हो। (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं। माननीय वहां के जिला के प्रभारी भी हैं, वह वहां पर जाकर देखेंगे तो उनको समझ आएगा कि कैसे हुआ है।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिये। हो गया, आपने बोल लिया।

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ के 25 साल में 16 साल तक तुमन मंत्री रहे हव। पहला महाज्ञानी में तुमन भी ओमा रहे हव। (व्यवधान)

श्री विजय शर्मा :- रामकुमार भैया, मैं 25 साल कहात रहे हव, तेन मा ए कहात रहे हव। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय मंत्री जी, यह अच्छी बात है कि आप बस्तर के लिए सब कुछ कर रहे हैं और हम सब लोग खुश भी हैं, परंतु सरगुजा भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तो आखिर आपका concentration केवल बस्तर की तरफ क्यों है? उसके पीछे कोई और एजेण्डा तो नहीं है? क्या सरगुजा में आदिवासी नहीं रहते हैं? वहां के लिए तो कोई बात नहीं हो रही है। केवल बस्तर के लिए सब चीजों में concentration क्यों हो रहा है?

सभापति महोदय :- ठीक है। आप बैठिये। आप बोलिये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं जिस चिंता।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। मैं भी सरगुजा से आता हूं। शायद आपने बजट भाषण को सुना नहीं था। सरगुजा के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने हजारों-करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा की थी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- ओ जहाज ला करे हो अऊ कभू-कभू जावत हो 10।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप हर बात में उठ जाते हैं। यह ठीक नहीं है। आप बैठिये। मंत्री जी, आप अपनी कुर्सी संभालिये। (हंसी) (व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- सभापति महोदय, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी स्वास्थ्य विभाग को देखते थे और स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए 5 सालों तक उनके अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए पैसे स्वीकृत नहीं हो पाये थे। (शेम-शेम की आवाज) हमारी सरकार आने के बाद पहले ही साल उसके लिए 109 करोड़ रूपये जारी किये गये हैं और आज स्वास्थ्य विभाग ने हमारे पास फाइल भेजी थी और जो पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति है, उसके तहत आज अंबिकापुर के लिए 98 करोड़ रूपये और स्वीकृत किये गये हैं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- आप बैठिये। यह डिबेट नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी केवल अंबिकापुर के लिए नहीं सोच रहे थे, वह पूरे प्रदेश के लिए सोच रहे थे। यदि आज आप मेकाहारा में वेंटिलेटर की सुविधा देख रहे हैं तो माननीय टी.एस. सिंहदेव जी की वजह से देख रहे हैं। आप भूल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, आप सुन लीजिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप तो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हैं। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के साथी टी.एस. सिंहदेव जी के लिए भी नहीं सोचे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिये। मंत्री जी, एक मिनट।

श्री रामकुमार यादव :- यह सरकार जो करेगा। (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- उस समय स्वास्थ्य विभाग और सी.एम. साहब के बीच का रास्ता कैसा था? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- ऐसा नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप मेकाहारा में जो सुविधा देख रहे हैं और कोविड के समय जो सुविधाएं माननीय टी.एस. सिंहदेव जी ने दी थीं, उन सुविधाओं का लाभ आज आप लोग ले रहे हैं।

सभापति महोदय :- देखिये, सामान्यतया मंत्री जी के जवाब में इस तरह से मैं पहली बार देख रहा हूं कि 8-10 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापित महोदय, शुरूआत तो वही से हुई है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, ओती ले तो होथे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, वह खड़े मत होए, फिर हम लोग भी बोलना बंद कर देंगे।

सभापति महोदय :- मैं दोनों पक्षों को बोल रहा हूं। मैं केवल आपको नहीं बोल रहा हूं। मैं उनको भी बैठा रहा हूं। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि मंत्री जी के पास बहुत से विभाग हैं। आप उनको बोलने दीजिए। उसके बाद अभी आगे की कार्यवाही बाकी है। इसलिए आप बीच-बीच में कम से कम न खड़े होइयेगा। रामकुमार जी, आप तो बहुत ज्यादा ही खड़े हो रहे हैं। आप मत खड़े होइयेगा।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी चीजें हैं, परन्तु मैं डिटेल में जाने के स्थान पर आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के बजट में भी एक महत्वपूर्ण विषय है। एक बड़ी बख्तरबंद गाड़ी आती है, उसके लिए भी हमारे बजट में 14 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वह गाड़ी 14 करोड़ रूपए में आती है, वह वहां पर काम आता है, उसका भी प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, नक्सल आसूचना हेतु निर्मित भवन के उपकरण के लिए 2 करोड़ 74 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। वहां के लिए जनरेटर लिए जा रहे हैं। आज सुबह security related expenditure की बात हो रही थी, उसके लिए भी 328 करोड़ रूपए का प्रावधान है। special infrastructure scheme के लिए 75 करोड़ रूपये का प्रावधान है। special central assistance में 220 करोड़ रूपए का प्रावधान है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान इस अनुदान मांग में हैं।

माननीय सभापति महोदय, बस्तर के उस क्षेत्र में नक्सलवाद समाप्त हो, इसके पीछे किसी की दुष्चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं प्रार्थनापूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं। मैं ऐसे युवाओं से मिला हूं, वे कल फिर आयेंगे, आप उनसे मिल लीजिए, मिलने के बाद उनसे पूछ लीजिए कि उन्होंने जिन्दगी में टी.व्ही. किस उम्र में देखा है ? आप अपने बच्चे के लिए जिन्दगी में सोच नहीं सकेंगे कि एक 25 साल का नवजवान टी.व्ही. न देखा हो। वहां लोग ऐसी स्थिति में हैं। वहां बिजली नहीं है। मैं सिलगेर गया हूं, मैं पुवरती गया हूं, मेरे साथ आप भी चलिये। जब हम लोग पुवरती गये तो वहां खेती करने वाले किसानों के साथ बैठकर बात की तो पता चला कि वहां बिजली नहीं है, जिससे पंप लगाकर खेती करें। वहां कोई नहर नहीं बना है, जहां पंप से सिंचाई करें। सामान्य बारिश आ जाती है, कहीं से थोड़ा सा पानी ढुलकर आ गया, उससे वहां अपनी खेती कर लेते हैं, यह स्थिति है। वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर पानी नहीं है, वहां पर सड़क नहीं है, आंगनबाड़ी केन्द्र, अस्पताल नहीं है, मोबाइल के टावर नहीं हैं,

किसी ने टी.व्ही. नहीं देखा है, अगर लोग उस स्थिति में रह रहे हैं और उन स्थितियों को ठीक करने की कोशिश की जाये तो कोई चिंता करें कि सरगुजा क्यों नहीं हो रहा है, बस्तर क्यों हो रहा है, उसके पीछे कोई बात है क्या ? हर क्षण दिमाग में वही बात लेकर चलना, मैं नहीं समझ सकता हूं कि ऐसी दुष्चिंता होनी चाहिए। मैं एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी..।

सभापति महोदय :- आप ऐसा मत करिये न।

श्री अटल श्रीवास्तव :- 16 साल आपकी ही सरकार थी, क्या रमन सिंह ने, किसी ने कुछ नहीं किया ? बिजल नहीं दिया क्या, पानी नहीं दिया क्या ? 16 साल आपकी सरकार रही है।

श्री राम कुमार यादव :- सभापति महोदय, ये महाज्ञानी लोग मंत्री थे।

सभापति महोदय :- आप लोगों को बोलने का अवसर मिला, आप लोगों ने बोल लिया। अब उनको बोलने दीजिये। प्लीज बैठिये, बैठिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, एक निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी, आप बस्तर के लिए बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन इस सदन में जो बातें हो रही हैं, बच्चें टी.व्ही. देखेंगे, ये सब बातें अच्छी हैं। लेकिन इसमें काफी समय तो नहीं लगेगा न ? जल्दी होगा या नहीं, मैं यही पूछ रहा हूं ? मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप जितनी बातें अपनी भाषण में कह रहे हैं, या नीति में कह रहे है, निश्चित रूप से बस्तरवासियों के हित में है, वहां के बच्चों के लिए जल्दी से जल्दी हो, यही निवेदन है।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, मैंने अपने भाषण में ऐसी कोई बात नहीं लाई है, जिसको मैं कहूंगा कि मैं करने वाला हूं।

सभापति महोदय :- बैठ जाईये, सुन लीजिये। मंत्री जी, मैं सभी से आग्रह कर रहा हूं कि बात-बात में उठकर प्रश्न मत पूछिये। मंत्री जी ने धैर्य पूर्वक आपकी, पक्ष-विपक्ष की बातों को सुना है। अब उनको जवाब देने का अवसर आया है, जवाब देने दीजिये और कार्यवाही को आगे बढ़ाने में सहयोग करिये।

श्री विजय शर्मा :- जी, माननीय सभापति महोदय। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह कर देंगे। जो हो चुका है, वह मैं बता रहा हूं। (मेजों की थपथपाहट) मैं जो बता रहा हूं, वह वहां हो चुका है। जो परिवर्तन आ चुके हैं, उसको बता रहा हूं। विशेष रूप से बस्तर में मार्च, 2026 तक का विषय कहा गया है, सशस्त्र नक्सलिजम के समाप्त करने का माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार है, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर कहता हूं कि न सिर्फ पक्ष, परन्तु पूरा सदन ही मिलकर बस्तर को इस लाल आंतक से मुक्ति दिलाने का काम जरूर कर लेंगे, मुझे कहीं कोई रत्ती भर संशय इस विषय को लेकर मेरे हृदय में नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 3 नये कानून आये हैं। यह हमारे देश के सदन में पारित कानून हैं, उन कानूनों को लागू करने के लिए भी हमारे प्रदेश में पहली बार witness protection Act में witness protection का प्रावधान दिया गया है, उसके लिए भी नया मद प्रारंभ हुआ है, हमारे बजट में नया हेड खुला है। यह भी बहुत बड़ी बात है।(मेजों की थपथपाहट) मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नये कानून में प्रावधान है कि जो आरक्षक सीनियर हो गए हैं तो उनको विवेचक का अधिकार दिया जाए। तो जो आरक्षक सीनियर हो गए हैं, उनको विवेचक बनाने का काम भी प्रदेश में किया जा रहा है। अब यह भी पहली बार है। मैं जो पहली बार कह रहा हूं, इस बजट में पहली बार आया है, मैं उसको कह रहा हूं। इसका कतई यह अर्थ पिछले 5 साल या उससे पहले 15 सालों से हरगिज नहीं है। जीवन में हमेशा ऐसा होता रहेगा, कई काम ऐसे होंगे, जो पहली बार होंगे, तो उनको पहली बार कहकर बताया जायेगा। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। एक विशेषज्ञों की टीम विशेष रूप से गठित करके चाहे वह एन.डी.पी.एस. के केस हो, उसमें जो फंड फ्लो हो रहा है, चाहे वह गौवंश परिवहन का विषय हो, उसमें जो फंड फ्लो हो रहा है या नक्सल के विषयों का जो फंड फ्लो है, उसमें जो पैसा आ-जा रहा है, उसके लिए वशेषज्ञों की टीम बनाकर उस टीम का उपयोग इन सारे विषयों पर करने के लिए यह प्रावधान किया गया है और हमारे प्रदेश में पहली बार इस बजट में इसमें एक करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विषय बहुत सारे हैं, परंतु मैं सोचता हूं कि समय की अपनी मर्यादा है। एन.डी.पी.एस. के विषय में विशेष रूप से सिंथेटिक ड्रग्स का विषय हो, पिट एन.डी.पी.एस. मतलब preventive action लेते हुए जो एन.डी.पी.एस. के अभियुक्त हैं, उन पर preventive action लेते हुए उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करना और उनको जेल में निरूद्ध कर देना, इसके लिए प्रदेश में पिट एन.डी.पी.एस. में पहली बार 184 प्रकरण बनाया गया है और 47 प्रकरणों में आदेश भी हुआ है। ड्रग्स डिस्पोजल का काम किया गया है। मैं पुन: कहूंगा कि यह प्रदेश में पहली बार हुआ है कि अगर किसी ने मादक पदार्थों से संपत्ति बनाई है, उस प्रकरण के साथ उस व्यक्ति की संपत्ति को जोड़ना, उसकी संपत्ति को फ्रीज करना, बाद में उसको कुर्क कर देना जिससे उस व्यक्ति को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचे ताकि वह यह न सोंचे मैं जेल जाऊंगा, फिर जेल से छूटकर वापस आ जाऊंगा और पूरी संपित्त मेरी। जिसने नारकोटिक्स का काम करके, जिसने नशे के व्यापार से संपत्ति कमाई है, उस संपत्ति को पूरा समाप्त करने का काम भी पहली बार प्रदेश में हुआ है। S.A.F.E.M.A. (smugglers and foreign exchange manipulators act), 1976 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। बिलासपुर में तीन, दुर्ग में एक, ऐसे चार कार्यवाहियां करके चार करोड़ इक्कीस लाख की संपत्ति को फ्रीज किया गया है। यह काम भी हमारे द्वारा किया गया है। 24 वाहनों को राजसात किया गया है। इसके अतिरिक्त डिजिटाईजेशन के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए गए हैं। मोबाईल समाधान एप्प है, इसमें किरायेदारों की जानकारी ली जा रही है। पहले यह होता था कि कोई गांव में या कोई शहर में किसी के घर आता था तो थाने में

मुसाफिरी लिखवाने जाते थे और मुसाफिरी लिखवाकर आते थे। अब इतना समय न थाने के पास रह गया है, न लागों के पास रह गया है इसलिए इसके लिए एप्लीकेशन बनाया गया है। जो किरायेदार हैं, चाहे वह गाड़ी किराये पर देते हैं, चाहे वह दुकान किराये पर देते हैं, वह मकान किराये पर देते हैं, वह गोदाम किराये पर देते हैं, वह जमीन किराये पर देते हैं या जो भी किराये पर देते हैं, उनको इस एप्लीकेशन में अपना डाटा डाल देना है, ताकि वह चीज पुलिस की जानकारी में रहे और जब कहीं कोई inspection की जरूरत पड़े तो वह चीज काम आ जाये। इस तरीके से इसको digitize करने की कोशिश की गई। I.O. Mitan investigation officer के लिए एक एप्लीकेशन है, वह भी यही काम कर रहा है। C.C.T.N.S. की पूरी एक टीम काम कर रही है। Crime and Criminal Tracking Network & Systems, यह एक सिस्टम है यानि digitization की एक यूनिट बनाकर इसमें भी काम कर रहे हैं। एक अभिव्यक्ति एप्प है। यह अभिव्यक्ति एप्प विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। उसमें S.O.S. एक बटन है, जिसको कॉल करके महिलाएं अर्जेन्ट सुविधा ले सकती हैं, उसमें शिकायत भी कर सकती हैं, उसके लिए थाना जाने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को अभिव्यक्ति एप्प के माध्यम से महिलाएं शिकायत भी दर्ज करा सकती हैं, यह भी प्रावधान किया गया है। सशक्त एप्प में जो गाड़ियां चोरी होती है, उन गाड़ियों की पूरी डिटेल उसमें होती है, ताकि कहीं पर भी वह गाड़ी रहे तो पूछने व बताने की जरूरत न हो। उस एप्प से चेक किया जा सकता है कि यह गाड़ी चोरी की है। यह भी इसमें प्रावधान किया गया है। ऐसे विभिन्न विषयों पर काम करते हुए छत्तीसगढ़ का पुलिस विभाग आगे बढ़ा है। गौवंश के संदर्भ में कठोर प्रावधानों के साथ S.O.P. जारी किए गए हैं, नशे के विरूद्ध काम करने के लिए top to bottom approach कैसा हो, इसके लिए S.O.P. जारी किए हैं और लॉयन ऑर्डर के लिए भी S.O.P. जारी किए गए हैं। जब बलौदाबाजार की घटना हो गई थी, उसके बाद S.O.P. जारी किए गए हैं कि सरकार और पुलिस प्रशासन को किन-किन विषयों पर ध्यान देकर काम करना है। अब चाहे बलौदाबाजार की घटना हो जाये, चाहे बीजापुर की घटना हो जाये, पखांजूर की एक घटना की चर्चा माननीय केदार कश्यप जी कर रहे थे, चाहे यह सूरजपूर की घटना हो जाये, तार जाकर एक ही जगह जुड़ जाते हैं तो कोई क्या करेगा? वह तो स्पष्ट है कि वह दिखता है और जब वह दिख रहा है तो इस बात को कहा जाता है। मैं जेल विभाग के संदर्भ में भी संक्षिप्त में अपनी बात रखकर समाप्त करूंगा। हमारे यहां जेल विभाग में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, पुनर्वास और विधिक सहायता का केन्द्र हो, इसके लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। पूरे सभी 33 जेल, जिसमें 5 केन्द्रीय जेल, जिला जेल व उप जेलों में कुल क्षमता के संदर्भ में बात हो रही थी । हमारे अनेक सदस्यों ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है । हमारे पास जेल की क्षमता 14,733 लोगों की है और वहां 18,525 लोग परिरूद्ध हैं, यह इस महीने की रिपोर्ट के आधार पर है । सभापति महोदय, मैं पूरे सदन की चिंता के आधार पर बताना चाहता हूँ कि 64 बैरक हमारे निर्माणाधीन हैं, पक्ष और विपक्ष के लोग मिलकर उसका उद्घाटन करके

आयेंगे । अब बैरक का उद्घाटन यानी ऐसा नहीं है, मैं तो हो आया हूँ और कुछ लोगों को जाना है, चिंता भी की जा रही थी कि जेल में व्यवस्थायें ठीक होनी चाहिये ।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, मोला झन भेजिहव । (हंसी) मोला डर लागथे।

श्री विजय शर्मा :- तैं चन्द्राकर जी संग एन.ओ.सी. ले ले, मैं नइ जानव । बड़े-बड़े म एक ठन ए बार कर दे, काम खत्म हो जाही । (हंसी)

सभापति महोदय :- वह किसी को नहीं भेजेंगे । बैरक का उद्घाटन करने बोल रहे हैं । (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- एके ठन बांचही महाराज ।

श्री विजय शर्मा :- नई बांचय, उही ए । बांचथे थोरे, वोखरे करे जाय ले । माननीय सभापति महोदय, 64 बैरक निर्माणाधीन है । इसमें 3907 नये बंदियों के रहने की व्यवस्था बन जायेगी । माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस बार के बजट में हमको 31 बैरक की और अनुमति मिली है तथा 31 करोड़ 65 लाख का और प्रावधान हुआ है । इसमें 2650 बंदी और आ जायेंगे । मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुलमिलाकर हम 20 हजार से अधिक व्यवस्था में जायेंगे, जबकि परिरूद्ध लोगों की संख्या आज 18,525 है । इससे व्यवस्था ठीक हो जायेगी, अब इंतजाम देख लो । (हंसी) सभापति महोदय, वहां पर बहुत तकलीफ होती है । (हंसी) वहां पर प्रेजेंट कॉलिंग सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है, सी.सी.टी.वी. कैमरे के माध्यम से क्षेत्र के स्थानों की रक्षा तथा सभी जेलों को कम्प्यूटर देने का काम, यह सब कुछ किया जा रहा है । सभापति महोदय, गोढ़ी में 4 हजार क्षमता वाला बंदी आवास बनाया जा रहा है, जिसके लिये हमारे बजट में 5 करोड़ का प्रावधान है । 170 जेल अदालत लगाकर 83 बंदियों को रिहा किया गया है, लीगल एड क्लीनिक कहते हैं, लीगल एड के लिये वहां उपस्थित जिज्ञासा के आधार पर 1086 लोगों को जानकारी दी गई है । सभापति महोदय, ऐसे ही 286 बंदियों को आजीवन कारावास था, इस प्रावधान के तहत इन्हें रिहा किया गया है । सभापति महोदय, जेल के अंदर 1000 से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाये गये हैं, यहां प्राथमिक शाला से स्नातकोत्तर तक की कक्षायें जेल के भीतर लगाना प्रारंभ किये हैं । इसके साथ ही 1900 से अधिक लोग जेल में साक्षर हुये हैं । सभापति महोदय, मैं एक वर्ष का हिसाब बता रहा हूँ कि 1900 से ज्यादा लोग साक्षर हुये हैं, योग का शिविर भी लगा रहे हैं, हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि जेलों में बड़ा गौशाला होना चाहिये। सभापति महोदय, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि जेल में अच्छे गौशाला हों और जेलों से निकला हुआ दूध सभी के काम आ सके । मैं इसक लिये पूरी कोशिश करूँगा । सभापति महोदय, इन सारी बातों के साथ एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग महाकुंभ में स्नान करने गये थे, मुझे वहां ध्यान आया कि हम तो यहां स्नान कर रहे हैं, लेकिन जेल में जो बंदी हैं, उनको शुद्धिकरण की और आवश्यकता है, मैं वहीं से जल लेकर आया और सभी

जेलों तक पहुंचाये । छत्तीसगढ़ के सभी जेलों में महाकुंभ के अंतिम दिवस पर गंगा स्नान का कार्यक्रम जेलों में रखा गया और लोगों ने जेल के भीतर गंगा स्नान करके अपने मन की तृप्ति की है ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, एक घण्टे हो गये हैं ।

श्री विजय शर्मा :- अभी नहीं हुआ है ।

सभापति महोदय :- नहीं, नहीं । आप बोलिये ना । सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि एक घण्टे हो चुका है, बाकी विभाग को भी देख लेंगे ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, नगर सेना का विषय है, मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया है कि नगर सेना में किस तरह से काम कर रहे हैं ? सभापति महोदय, मैं आपको अग्नि शमन और आपातकालीन सेवाओं के बारे में भी एक बात बता देता हूँ । सभापति महोदय, मैं इन बातों पर नहीं जाना चाहता हूँ कि कितने लोगों को डूबने से बचाया गया, कितने बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचाया गया, लेकिन आपको एक बात जरूर बता देता हूं कि हमें इस बार स्टेशन आफिसर के 8 नये पद मिले हैं । यह बड़ा पद होता है और इसकी बड़ी आवश्यकता होती है । इसको प्रशिक्षित कराकर बनाना होता है तो वह हम इस बार कर रहे हैं, ताकि अगली बार से हम इस पर व्यवस्थित काम कर सकें।

सभापति महोदय, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉस फोर्स (एसडीआरएफ) को एनडीआरएफ, नागपुर में प्रशिक्षण के लिए हम भेज रहे हैं, ताकि वहां से प्रशिक्षित होकर आएं और दक्षता के साथ हम सबके बीच में काम कर सकें । विशेष बात यह है कि अग्निशमन वाहन, वाटर टेण्डर, फोम टेण्डर, वाटर बाऊजर की खरीदी की गई। इसके लिए प्रावधानित राशि 27 करोड़, 80 लाख थी और उतनी की संख्या उसी गुणवत्ता की चीजें खरीदी गईं और 15 करोड़, 58 लाख रूपए में खरीदी गई । इसमें शासन की लगभग 10 करोड़ राशि बचाई गई है और वित्त विभाग ने बड़ी सहृदयतापूर्वक वह राशि पुन: वापस दी है कि इसमें से और खरीदा जा सकता है तो खरीद लिया जाये, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उन्हीं गुणवत्ता के साथ इतनी चीजों की खरीदी हमारे यहां हुई है । विभिन्न पावर स्टेशन बनाने के लिए हमें 44 करोड़ रूपए का प्रावधान मिला है । 2 करोड़ रूपए सिलतरा के लिए और बिलासपुर में भवन बनाना है, जिसकी मांग सुशांत जी कर रहे थे, उसके लिए भी 1 करोड़, 41 लाख रूपए की स्वीकृति हमें मिली है । एफएसएल (फ़ोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) बहुत महत्वपूर्ण है । नये कानूनों के आधार पर यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है तो हमारे एफएसएल की यूनिट जो रायपुर में है, उसको और स्ट्रेंथिंग कर रहे हैं, इसके बाद डीएनए टेस्ट, वाईस एनालीसिस, वीडियो एनालीसिस, साईबर फारेंसिक एनालीसिस, बैलिस्टिक एनालीसिस, नारको एनालीसिस के लिए और पालीग्राफ टेस्ट आदि के लिए हमारी संस्था दूरूस्त हो जाएगी और इस संस्था के माध्यम से हम काम कर पाएंगे, इसके लिए 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

सभापति महोदय, इन सारी बातों को छोड़कर मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि गृह विभाग के माध्यम से जितने काम जैसे अभी नक्सलीजम के विषय में या हमारे पुलिस को स्ट्रेथिंग करने के विषय में, आधुनिकीकरण करने के विषय में, नये कानून और प्रावधानों को लागू करने के विषय में काम करना है, वह सब विषय मैंने आपके समक्ष रखा है और इसमें हमें पर्याप्त बजट का प्रावधान मिला है । सभापति महोदय, मैं आपको एक विषय और बता देना चाहता हूं । माननीय अजय चन्द्राकर जी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जब वे टेक्निकल एजुकेशन मंत्री थे तो यहां पर जो साइंस सेन्टर बना हुआ है, वह साइंस सेन्टर चन्द्राकर जी ने बनाया था, उन्होंने सीएसवीटीयू बनाया था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी, आपने एक घंटे से ज्यादा गृह विभाग में जवाब दिया है तो ऐसा लगता है कि आप गृह विभाग से ज्यादा आतंकित हो ।

श्री विजय शर्मा :- आप लोग उसमें ज्यादा ध्यानाकर्षण करा देते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप गृह विभाग से ज्यादा आतंकित तो नहीं हो न ।

श्री विजय शर्मा :- नहीं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी खुद की पहचान है न ?

श्री विजय शर्मा :- मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उसमें ज्यादा ध्यानाकर्षण करा देते हैं इसलिए मैंने आपको ज्यादा उत्तर दिया है ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मैं एक चीज कहना चाहता हूं । मंत्री जी, फायरिंग रेंज में जिसकी दुर्घटना हुई है, उसके कारण आपने फायरिंग रेंज को समाप्त कर दिया तो उस गरीब आदमी का भी भला कर दीजिए, जिनकी फायरिंग रेंज में दुर्घटना हुई है, ऐसा मैं चाहता हूं ।

श्री विजय शर्मा :- बात करते हैं ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप बोलिए ।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, मैं इस विभाग में सिर्फ एक बात बताकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं और वह यह है कि हमने नया रायपुर, अटल नगर के सेक्टर 13 में 29.47 एकड़ भूमि ली है, जिसके लिए हमने 36 करोड़ रूपए का भुगतान नया रायपुर को भी कर दिया गया है, यह जमीन ले ली गई है और लगभग 250 करोड़ में हम वहां साइंस सिटी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए वहां पर प्रावधान पूरा हो चुका है । (मेजों की थपथपाहट) इसकी प्रारंभिक बैठक होनी है, वह भी हो गई है । एनसीएसएम (राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद) के माध्यम से यह निर्माण होना होता है, वह भी हो गया है । हम इसका भवन बनाने जा रहे हैं । पिछली बार मैंने इस विषय को आपके समक्ष रखा था । इसके अतिरिक्त एक विषय में मैं जरूर कहना चाहता हूं कि पॉलीटेक्निक और टेक्निकल कालेजेस के संदर्भ में कितने आईटीआई हैं, सीएसवीटीयू में भवन निर्माण के लिए 46 करोड़ का प्रावधान है, IIIT नवा रायपुर के लिए 15 करोड़ है, व्यापम के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं आपको ये सब बताते हुए

इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि हम लोग student startup innovation policy पर काम कर रहे हैं कि startup होने पर कैसा करना है। माननीय मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में 16 अक्टूबर, 2024 को हमारा i-Hub Gujarat के साथ एम.ओ.यू. हुआ है और इसके लिए वर्तमान में 5 करोड़ रुपए का पर्याप्त प्रावधान हमें मिला है। इंजीनियरिंग कालेज रायपुर के 02 बड़े हॉल में यह सेंटर शुरु किया जा रहा है। i-Hub का अभिप्राय ही यही है और इसमें लगभग 100 प्रकरण आ भी चुके हैं। इसमें कान्सेप्ट आता है। यदि किसी भी बच्चे, युवा के मन में गांव में कोई विषय आया, तो वह उस विषय को लेकर कहां जाएगा? वह कोई नया device बनाना चाहता है, उसके मन में कोई नई तकनीक आई है. वह कोई नई innovative चीज करना चाह रहा है, तो वह i-Hub आ सकता है। i-Hub में आकर वह अपना विषय बताएगा, फोरम उसे सुन लेगा, सुनने के बाद feasibility के आधार पर उसको पंजीकृत कर लिया जाएगा। जैसे ही वह कान्सेप्ट पंजीकृत होता है, उस बच्चे को कुछ अनुदान भी मिल सकता है, उस बच्चे के विषय को लोन भी मिल सकता है, उसको prototype बनाने के लिए जगह भी मिल जाएगी और उसके बाद हमारे रायपुर के ही जितने CIIs (confederation of Indian industrialists) हैं, जो कि रायपुर के नौजवान industrialists हैं, वह सब भी इसमें हमारे साथ MOUs किए हुए हैं, associate हैं, तो यदि prototype बनेगा, तो वे industrialists उसका commercial production शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से वे हम सबके साथ इसमें जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो अपना डॉट काम कंपनी है, रेनॉउल्ड कंपनी है, इसके साथ बिना पैसे का जुड़ाव किया गया है। न तो इनको पैसा देना है और न ही कुछ करना है। ये कंपनी अपना database बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ी है कि उसमें कोई query करे, कोई उसकी site पर जाए। तो हमारे यहां के लोगों को इसमें जोड़ा गया है। अपना डॉट कॉम में जितने ITIS के लोग हैं, उन्हें जोड़ा गया है। उनका specification ये है कि किस स्थान पर कैसी आवश्यकता है, वह database उनके पास है, तो हमारे लोग उस तरीके से वहां पर जा पायेंगे। तो जो चिंता माननीय चन्द्राकर जी कर रहे थे कि कहां पर किस तरह के ट्रेड की आवश्यकता है, उसे शुरु किया जाए, तो उसके लिए उस कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है। इसी प्रकार से एक CSR box भी है, जिसके माध्यम से IBM certification का काम हो रहा है। उसे भी हम लोग कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इन विभागों के साथ-साथ मैं बहुत शिद्दत के साथ स्वयं ही इस बात की आवश्यकता बड़ी देर से महसूस कर रहा था कि कैसे जल्दी से पंचायत विभाग में आया जाए और एक ही और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन भी जब माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने इस विषय को पूछा, मैं चिल्ला-चिल्लाकर कहता रह गया कि जब विष्णु देव जी की सरकार बनी, उस समय जो निर्मित आवास थे, यह 18 लाख आवास उससे अलग हैं-अलग हैं-अलग हैं। यह 18 लाख आवास उस आवास से अलग हैं, जो आवास निर्मित हो चुके थे, जब माननीय विष्णु देव साय जी की

सरकार बनी थी। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं। कोई मुझसे 18 लाख आवास के बारे में पूछता है, भईया मैं बता देता हूं, मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। और कृपया कृपया गरीबों के इस आवास का इतना उपहास पुरानी सरकार ने उड़ाया है, हम लोग 'मोर आवास मोर अधिकार' आंदोलन में इस विधान सभा के घेराव के लिए सामने आए थे। हमको ध्यान था, हम बलौदा बाजार की घटना करने वाले नहीं थे। हम घुसकर यहां तोड़फोड़ नही मचाना चाहते थे। हम वहां गेट के सामने खड़े रहे, आधे घंटे खड़े रहे, हम भी रुके रहे और लोगों को भी रोका कि अब इसके आगे हमें नहीं जाना है। लोकतंत्र में घेराव का अर्थ यही होता है कि हमने आपको निकलने से परिरुद्ध कर दिया, थोड़ी देर रोक दिया। बस, यही हमारा घेराव है। माननीय सभापति महोदय, हमारे ऊपर बम फेंके गए थे। 'मोर आवास मोर अधिकार' आंदोलन को लेकर जनता जिस तरीके से आगे बढ़ी थी, भाजपा के कार्यकर्ता जिस तरीके से आगे बढ़े थे, कोई हमसे यह पूछता है कि कैसे हुआ, क्या हुआ? ध्यान करें जरा उस विषय को, जिसमें टी.एस. सिंहदेव जी ने स्वयं ही मंत्री होते हुए यह कहते हुए अपने उस विभाग को छोड़ दिया था कि मैंने मुख्य मंत्री जी से बार-बार कहा कि गरीबों के आवास के लिए राज्य का राज्यांश दे दिया जाए, परंतु मुख्य मंत्री जी ने नहीं दिया और इसलिए मैं अपने इस विभाग को छोड़ता हूं। (शेम-शेम की आवाज) ये माननीय टी.एस. सिंहदेव जी ने कहा था। क्या किसी को यह बात याद नहीं है? प्रधान मंत्री आवास के लिए इस तरह की बात करते हैं, क्या ये बात उनको याद नहीं है? ये बात इसीलिए हुई थी क्योंकि गरीबों का आवास नहीं दिया जा रहा था। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जब भाजपा ने आंदोलन किया था, तब माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय श्री अरुण साव जी हमारे भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष थे। इनके नेतृत्व में हम सबने मिलकर आंदोलन किया था और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि उस समय हम लोगों ने इस बात का आकलन करके एलान किया था कि 18 लाख आवास हैं और जब भी हमारे मुख्य मंत्री बनेंगे, अगर भाजपा की सरकार आती है, पहले केबिनेट का पहला प्रस्ताव होगा कि गरीबों को 18 लाख आवास दिए जायेंगे और वह प्रस्ताव हम लोगों ने किया। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, प्रस्ताव में क्या था । माननीय सभापति महोदय, प्रस्ताव में क्या था यह मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास कैसे मिलता है ? आप किसी को कह देंगे तो नहीं मिलेगा, मैं कह दूंगा तो नहीं मिलेगा, माननीय नरेन्द्र मोदी जी भी कह देंगे तो नहीं मिलेगा, वह उसी को मिलेगा जिसका नाम वर्ष 2011 की सर्वे सूची में है, आवासहीन की सूची में है। वह उसी को मिलेगा जिसका नाम आवास प्लस की सूची में है। उसी को प्रधानमंत्री आवास मिलना है। यह जो 2011 की सर्वे सूची थी और जब चुनाव हुआ तब 6,99,439 लोग शेष रह गये थे। शेष रह गये थे इसलिए आपसे कह रहा हूं कि यह छत्तीसगढ़ में शेष रहे थे, अभी जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी तो 32,50,000 आवास बांटे गये और यह आवास देश के 17 राज्यों को बांटे गये जो मैं उस दिन दिखा रहा था। उन 17 राज्यों में 16 राज्यों को 2011 की सर्वे सूची के आधार पर कोई आवास देने की

जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ छत्तीसगढ़ को 6,99,000 आवास देने की जरूरत पड़ी। वह 16 राज्य, जिसमें कांग्रेस शासित राज्य भी थे, जिसमें अन्य दलों के शासित राज्य भी थे और भाजपा के राज्य भी थे, उन 16 राज्यों ने 2011 की सर्वे सूची पूर्ण कर ली थी। यह छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था और इसलिए यह हुआ है। यह मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री आवास की पी.एम.ए.वाय. वेबसाइट है, आप जाकर इसको देख सकते हैं। मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। पहला, 2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6,99,000 अधिक आवास, दूसरा, जो आवास प्लस प्रतीक्षा सूची थी, उसके 8,19,999 आवास, उसके बाद जो अर्ध निर्मित आवास थे, यह सब प्रस्ताव में है। जो पहला बजट का प्रस्ताव हुआ, उस प्रस्ताव में यह लिखा है कि जो अर्ध निर्मित आवास थे, जिनकी 1 किस्त, 2 किस्त देकर छोड़ दिया गया था, वह 2,46,215 आवास थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता के लिए एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जो मुख्यमंत्री आवास के नाम से पिछला प्रोपेगेंडा किया गया, मैं इसे प्रोपेगेंडा कहूंगा। मैं इस बात को बताऊंगा कि मैं इसे प्रोपेगेंडा क्यों कह रहा हूं। मुख्यमंत्री आवास के नाम से 47,090 आवास भी दिये गये और यह आवास, कुल मिलाकर 18,12,743 आवास होते हैं। (मेजों की थपथपाहट) इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कौन इस बात को कहता है कि 18 लाख आवास कहां से आये हैं, 1 लाख आवास बनाये, 2 लाख आवास बनाये ? आप पूरी बात सुन ले, समझ ले और उसके बाद बताये। मैं आपसे निवेदनपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि इसके बावजूद 25,000 से अधिक आवास जो पी.एम. जन मन में अभी छत्तीसढ़ को मिल रहे हैं, मैं अभी इसमें उसको नहीं जोड़ा हूं। इसके बावजूद जो नक्सली सरेण्डर करेंगे, जो नक्सल प्रभावित होंगे, उन लोगों को 15,000 आवास दिये जाने के लिये छत्तीसगढ़ को स्पेशल पैकेज दिया गया है, मैं वह भी नहीं जोड़ रहा हूं। इन सारी बातों के साथ एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि नये आवासों के लिये सर्वे का काम प्रांरभ हो चुका है फिर भी आपको लगता है कि कहीं आवास नहीं बना है तो आप नये आवासों के लिये सर्वे करा ले। (मेजों की थपथपाहट) इन आवासों का सर्वे माननीय मुख्यमंत्री या मंत्रिमण्डल करने वाला है, ऐसा नहीं है। आवास का सर्वे आपके क्षेत्र में आपके पंचायत के जो सचिव हैं, लगभग सब पंचायतों में उनको ही मुकर्रर किया गया है। वहीं आवास प्लस 2024 नामक एप्लीकेशन उसके मोबाईल पर है। वह उसमें सर्वे कर रहा है। आप भी अपना फीडबैक जरूर दें। यदि आपको भी पता चलता है कि फलां का नाम होना चाहिए तो उसका नाम जरूर दे और उसका नाम उसमें जोड़वाये। मैं पूरे सदन से इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि आवास प्लस के तहत जो अभी नया सर्वे हो रहा है, उसमें आप सहयोग दे। इसका अप्रैल महीना आखिरी है। अब तक मार्च ही आखिरी था परंतु आग्रह और निवेदन करने पर अप्रैल हुआ है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, आप बोल रहे हैं कि अप्रैल महीना आखिरी है परंतु सभी सचिव तो हड़ताल पर हैं।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, यह मजाक का विषय नहीं है। उनको हड़ताल में गये दो दिन हुए हैं। यह सर्वे दो महीने से चल रहा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभी सचिव हड़ताल पर है। आप लोग उनको वापस करवाईये तो हम लोग उनसे करवा लेंगे।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप बैठिये।

श्री विजय शर्मा :- संगीता जी, आप जरा बात को समझिये। यह सर्वे दो महीने से चल रहा है। आगे आने वाले एक महीने और चलेगा। यदि सचिवों के हड़ताल के आधार पर आपको अपने क्षेत्र में काम नहीं कराना है तो यह आपका निर्णय है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता।

सभापति महोदय :- आप बोलिये।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे यह भी कहना चाह रहा हूं कि जो पहले प्रावधान थे कि मोबाईल होता था तो वह अयोग्य हो जाता था, जिसके पास मोटर साईकिल होती थी तो वह अयोग्य हो जाता था, जिसकी आय 10,000 रूपये होती थी तो वह अयोग्य हो जाता था परंतु अब मोबाईल वाले का भी सर्वे होगा, अब मोटर साईकिल वाले का भी सर्वे होगा, अब 15,000 रूपये आय तक सर्वे होगा। पहले थोड़ी जमीन पर भी लोग अयोग्य हो जाते थे परंतु अब जिसकी ढाई एकड़ सिंचित और 5 एकड़ असिंचित जमीन है, वह भी प्रधानमंत्री आवास के लिये योग्य होगा। (मेजों की थपथपाहट)

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मुझे थोड़ा सा बोलना है। सिर्फ एक शब्द बोलना है।

सभापति महोदय :- नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बैठिये। मंत्री जी, आप बोलिये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इसमें सिर्फ एक बात है कि जिसका पक्का मकान होगा, बस उसको नहीं मिलेगा। कोई कहेगा कि इसको मकान मिल रहा है, उसको मकान नहीं मिल रहा है, जरूरतमंद को नहीं मिल रहा है। मैं लिस्ट बनाने नहीं गया था और न ही आप गये थे । मैं आपको भी नहीं कह रहा हूँ। उस समय से यह लिस्ट बनी हुई है। यह उसी लिस्ट के आधार पर मिल रही है और उसी लिस्ट के आधार पर ही मिलेगी। यह कोई मुख्यमंत्री आवास योजना वाला, पूरे प्रदेश में 47 हजार नाम निकाल कर ले आये, ऐसा विषय नहीं है। इसलिए मैं बहुत स्पष्टत: के साथ ...।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय :- दलेश्वर साहू जी, आप बैठिए। ऐसा नहीं होता है। 1 लाख 45 हजार आवासों की स्वीकृति दी। आप थोड़ा बजट के प्रावधान के बारे में भी थोड़ा उल्लेख कर दीजिए।

श्री विजय शर्मा :- माननीय दलेश्वर साहू भईया, मुझे इसमें कंफर्म कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिये। अभी आवास की कथा पूरी नहीं हुई है। भईया, पहले आप पूरी बात सुन लीजिये।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप अपना भाषण दीजिए। किसी माननीय सदस्य का जवाब मत दीजिए।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह पिछली सरकार की बजटों की तरह नहीं है। पिछली बार बजट में 8 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था। (मेजों की थपथपाहट) आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि इन 8 हजार करोड़ रूपये में से अब तक 7 लाख 69 हजार आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है। (मेजों की थपथपाहट) आप मेरी बात सुन लीजिए। यहां 7 लाख 69 हजार आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है। हमने भी अपनी जगह में बनाया, किसने मना किया कि आपने आवास नहीं बनायें। यहां किसी ने यह कहा कि आपने आवास नहीं बनायें। आपने जरूर आवास बनाये हैं, परन्तु जितनी आवश्यकता थी, उतने आवास नहीं बनाये । आपके अड़ोस-पड़ोस के सारे राज्य बनाते रहे। वर्ष 2011 की सूची समाप्त हो गई, परन्तु आपने उसको पूरा नहीं किया। मैं ही इसका प्रमाण नहीं हूँ। उस समय टी.एस. सिंहदेव जी ने इस्तीफा दिया है। (शेम-शेम की आवाज) आप वह बात समझ रहे हैं। पूर्व की सरकार में उनके ही मंत्री थे और उन्होंने ही इस्तीफा दिया। यह कहकर इस्तीफा दिया । अभी भी मेरे पास उस इस्तीफा का कागज है। उन्होंने यह कहकर इस्तीफा दिया कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बार-बार आग्रह किया कि गरीबों के आवास का राज्यांश जारी करें, वह नहीं करते हैं, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। इस बात को कोई असत्य कह सकता है। इसमें कोई नहीं कहेंगा। (शेम-शेम की आवाज) मैं आपसे निवेदनपूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि पिछली बार 8 हजार करोड़ रूपये और इसमें वर्ष 2025-2026 के इस बजट में पुन: 8 हजार 500 करोड़ रूपये का प्रावधान हुआ है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, इसमें आपको 69 हजार करोड़ रूपये की जरूरत है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय दलेश्वर साहू, भईया आपका गणना गलत है। मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा। अभी मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा।

श्री सुनील सोनी :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं। यह ठीक नहीं है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आप पहले करोड़ ... ।

सभापति महोदय :- यह बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ऐसे हर बात को खण्डन करने के लिए मत खड़े होईए। माननीय मंत्री जी भाषण दे रहे हैं उसको आपको सुनना पड़ेगा। आप उनकी बात सुन लीजिए। उन्होंने आपके भाषण को सुना है।

श्री सुनील सोनी :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, उस समय टी.एस. बाबा जी ने इस्तीफा इसलिए दिया था। मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूँ कि जब केन्द्र का 11 हजार करोड़ रूपये वापस मांगा गया तो राज्य ने अंश नहीं दिया।

सभापति महोदय :- अब हो गया। आप 6 बार उठ चुके हैं।

श्री सुनील सोनी :- माननीय सभापति महोदय, मैंने लोकसभा में भी इस बात को कहा। केवल बंगाल और छत्तीसगढ़ दो ही राज्य ऐसे थे जहां से पैसा लौटा है।

सभापति महोदय :- माननीय सुनील सोनी जी, आप बैठिए। मंत्री जी के भाषण में कोई भी खड़े होकर टोक रहा है। तो यह उचित व्यवस्था और परम्परा नहीं है। सदन में अधिकांश होता यह है कि मंत्री जी के भाषण में कम से कम टोका-टाकी होती है। कभी-कभी भले नेता प्रतिपक्ष बोल लेते हैं। अगर हर कोई खड़े होकर बोलेगा तो वह क्या बोल पायेंगे। इसलिए माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए और आप उनकी बात सुनिये। उन्होंने आपका भाषण सुना है। इसलिए उनको बोलने दीजिए।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इसमें एक भी विषय राजनीतिक नहीं कह रहा हूँ। मुझे सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है, मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ। जो घटनाक्रम हुए हैं मैं, आपसे उन घटनाक्रमों को ही कहना चाह रहा हूँ। कोई यह कहते हैं कि हमने तो कहा कि हमें केन्द्र से दे दिया जाना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। भईया, इसमें ऐसा नहीं हुआ है। केन्द्र की वह चिट्ठियां हैं जिसमें बार-बार केन्द्र ने कहा कि आप इसका उपयोग करें, अन्यथा दूसरे राज्यों को दिया जायेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार से चिट्ठी गई है कि आपने 7 लाख आवास दिया। हम 1 लाख 51 हजार ही बना सकते हैं, इससे ऊपर नहीं बना सकते हैं। मेरे पास वह चिट्ठी भी है। जिसको यह चिट्ठी चाहिए, वह मुझसे ले लें और यदि आप कहें तो मैं इसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता हूँ, आप उसको ले लीजिए। उसमें 1 लाख 51 हजार आवास ही लिया गया और बाकी आवास को छोड़ दिया गया। उस समय नरेन्द्र सिंह तोमर जी केन्द्रीय पंचायत मंत्री थे, उन्होंने भूपेश बघेल जी को एक अर्द्ध शासकीय पत्र लिखा जिसमें यह आग्रह किया गया कि आप यह आवास ले लीजिए। अन्यथा दूसरे राज्यों को दिये जाने की आवश्ययकता है। उसमें कोई जवाब नहीं दिया गया और कुछ नहीं किया गया। उसके बाद हमारे केन्द्र में पंचायत मंत्री श्री गिरीराज सिंह जी बने। उनका भी लिखा हुआ पत्र है। उन्होंने भी यह आग्रह किया कि इसको ले लिया जाये, लेकिन इसे नहीं लिया गया। इस पर कार्यालयीन पत्र तो जाने कितने हैं। उसके बाद जाकर जो निर्णय हुआ, उसके संदर्भ में आपको ध्यान है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि जो हुआ है वह हुआ है, पूर्व के कार्यकाल में टी.एस.सिंहदेव जी का इस्तीफा हुआ है, वह हुआ है, उतने पत्र उधर से आये हैं वह आये हैं, आपके यहां से जो पत्र गया है, वह गया है। आपने उसको स्वीकार नहीं किया है, वह भी है। पिछली सरकार की आखिरी सितम्बर महीने में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें यह कहा गया कि अभी हम पूरे आवास स्वीकृत कर देते हैं, जब तक केन्द्र से स्वीकृति नहीं थी। केन्द्र से स्वीकृत हो या न हो, हम पूरा स्वीकृत करते हैं, इसकी किश्त जारी कर दी जाये। कुछ नहीं किया जा सका। लगभग 1 लाख से कुछ अधिक लोगों की पहली किश्त जारी की जा सकी और वह भी अवैधानिक था। (शेम-शेम की आवाज) वैसा भी नहीं किया जा सकता था। यहां तक

हुआ है कि केन्द्र से जो राशि आई है, उस राशि को जो आवास के मद की राशि थी, उसको निकाल करके दूसरे मद मुख्यमंत्री आवास में खर्च कर दिया गया। यह भी हुआ है, इसके भी प्रमाण हैं। मैं उसमें नहीं पढना चाहता हूं। उस सब चीजों में कौन मन लगायेगा, आगे बढ़ना है, बहुत सारे दूसरे काम हैं। मैं आपसे निवेदनपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि नया सर्वे प्रारंभ हो चुका है, आप उस नये सर्वे का जरूर लाभ उठायें। अपने यहां नया सर्वे करवायें। 18 लाख गरीबों के आवास बनने वाले हैं। यह माननीय विष्णु देव साय जी की सहृदयता है, यह पूरे 18 लाख आवास गिन-गिन कर बनेंगे। इसमें कहीं कोई कमी नहीं आयेगी। उससे अधिक आवास बनेंगे। (मेजों की थपथपाहट) किसके कार्यकाल में कितना आवास बना, यह महत्वपूर्ण है। यह आप सब भी सोचते हैं और जानना भी चाह रहे होंगे। मैं आपसे निवेदनपूर्वक यह कहना चाह रहा हूं कि इस सरकार को बने हुए जितना समय हुआ है तो आप उस समय को लेंगे तो यह 3 महीना और 1 महीना वो, इस तरीके से 4 महीना और एक साल पूरा, इस पूरे साल में कितना आवास बन गया है, लगभग ढाई लाख से अधिक आवास पूर्ण किये गये और मैंने पिछले जवाब में माननीय भूपेश बघेल जी को आंकड़ा दिया हुआ है। और किसी को उसकी प्रति चाहिए तो मैं बिल्कुल उपलब्ध कराने के लिये तैयार हूं। मैं यह निवेदनपूर्वक और कहना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी की सरकार में काम नहीं हुआ, कोई नहीं बोलता है। उस समय भी काम हुए हैं, उस समय भी आवास बने हैं। लगभग 4 लाख आवास उस समय भी बने हैं। लेकिन 22 लाख आवास बनने थे और 4 लाख आवास बने हैं, जनता का विरोध इस विषय पर था। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट के प्रावधान में पिछले साल 8 हजार करोड़ रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये मिले और इस बार 8500 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये मिले हैं। हम लोग उस आंदोलन मे थे, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले थे। मैं हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी का हृदय से बार-बार धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पूर्ण सहृदयता के साथ छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ खड़े होकर पूरा बजट इसमें स्वीकृत किया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, मैं आपको टोक नहीं रहा हूं, निवेदन के लिये खड़ा हूं। गरीब शहर में और गांव में भी निवास करते हैं। प्रधानमंत्री आवास दोनों जगह बन रहे हैं। अगर आप सामग्री की दर आकलन करें तो आज गावों में ज्यादा पड़ रही है। शहर के आवास में ज्यादा और गांव के आवास में कम पड़ रहा है। दूसरी बात यह जो प्रधानमंत्री आवास का रेट तय हुआ था, वह काफी पहले का है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि उसको कुछ न कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाये।

श्री विजय शर्मा :- द्वारिकाधीश भैया, यह विषय अभी चर्चा का नहीं है।

सभापति महोदय :- यह कोई समय तो नहीं है, आप यह निवेदन मिल कर लेना। आप बैठिये, आप मिलकर कर निवेदन कर लीजियेगा। अभी सलाह मत दीजिए। आप बोलिये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इस तरह की बात होती है। 1 लाख 20 हजार

रुपये मा का होहै, ओमा अउ नरेगा के जोड़ लेबे तो डेढ़ लाख मा का हो जाही, डेढ़ लाख मा आवास बन जाही। अरे भैया तोला खबाय बर नई बैठारे हय, तोला सहयोग बर करत हन। तहूं ला कुछ करना हय भाई। सभापति महोदय, मैं बतावत हवं। तहूं ला कुछ करना हय, तहूं ला अपन लगाना हय और लगा के अपन घर ला बनाना हय। तोर घर हे रे भाई, तहुं बनाबे। सरकार इतना करत हवय, तेन हवय। मैं ग्रामीण का मंत्री हूं, अभी ग्रामीण की बात कर रहा हूं। शहरी विभाग में भी ये काम है, उसको बाद में बात कर लेंगे। सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री आवास के बारे में आपके समक्ष जो विषय रखना चाहता था, वह बहुत महत्वपूर्ण था। इस विषय पर किसी को भी कोई शंका हो तो आपकी सेवा में सदैव उपस्थित रहूंगा। आपको निवेदनपूर्वक यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बड़ी चिंतायें हुई हैं। मैं प्रसन्नता के साथ बहुत जानकारी वाली चीज फिर से आपके सामने रख रहा हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक, दो, तीन हो गया, अब चौथा शुरू होने वाला है। मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाह रहा हूं कि 24 दिसंबर 2024 को इसके दिशा निर्देश भी जारी हो गये हैं। चौथा दोनों में फर्क क्या है, पुरानी तीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और इसमें फर्क क्या है? पुराने तीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2001 को जनसंख्या का आधार माना गया था। 500 से अधिक जनसंख्या पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें पहुंचती हैं। अब इसमें 2011 को आधार बनाया गया है। इस तरीके से हमारे प्रदेश में लगभग 3100 बसाहटें और उसमें सामने आई हैं जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बन सकती हैं। फाईनल नहीं हुआ है, दिशा निर्देश जारी हुए हैं। दिशा-निर्देश जारी होने के बाद इसमें काम प्रारम्भ होगा, वहां से अंतिम स्वीकृति आएगी तब काम प्रारम्भ होगा । हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, विष्णुदेव जी की सरकार 4 साल के लिए अभी है और इसलिए इसमें आराम से यह काम हो जाएगा । इसमें किसी को ऐसे भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमारा 2390 जगह सर्वे भी हुआ है, 2390 जगह सर्वे करके काम खड़ा है । कुछ और बचा है जिसको अभी पूरा कर लिया जाएगा तो 3100 नए बसाहटों की सूची जारी हो गई है, हमने बना ली है जिसमें वर्ष 2011 की सर्वे सूची के आधार पर 500 से अधिक जनसंख्या है, यह 500 से अधिक जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों के लिए है । अगर यह आदिवासी बसाहट हैं तो यह ढाई सौ से ऊपर की जनसंख्या वाले स्थान होंगे और नक्सल क्षेत्र है तो यह 100 से अधिक जनसंख्या वाले बसाहट होंगे वहां तक सड़कें जाएंगी । आपको ध्यान है कि अभी पी.एम. जनमन में किस तरीके से अंतिम व्यक्ति तक जो अंत्योदय की भावना है, अंतिम व्यक्ति तक किस तरीके से प्रधानमंत्री सड़कें पहुंची हैं और एल.डब्ल्यू.ई. में जो नक्सल प्रभावित जिले हैं उसमें 16 जिले हैं, कुल -मिलाकर 16 जिले हैं मतलब बहुत सारा आधा छत्तीसगढ़ उसमें कव्हर होगा जिसमें 100 की जनसंख्या तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें पहुंचेंगी । हमारे बहुत सारे सड़कों के काम इसमें आगे बढ़ेंगे और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बहुत काम किए गए हैं, मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि पी.एम. जनमन के माध्यम से लगभग 775 बसाहटों को जोड़ा गया है और 715 सड़कें

बैगा या फिर वह कोरवा जनजाति है इनके लिए primitive tribes के लिए 715 सड़कें बनाई गईं ।

माननीय सभापति महोदय, मतलब मुझे इस बात का इतना सुकून है । यह बात मुझे इतनी अच्छी लगती है कि अंत्योदय का जो विषय है यह वहां तक विषय पहुंचा है । सबसे पीछे रहनेवालों तक, उनके घर के दरवाज़े तक अगर पक्की सड़क पहुंच रही है तो पी.एम. जनमन के माध्यम से यह हुआ है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदनपूर्वक यह कहना चाह रहा हूं कि एक घटना हुई जो पिछली बार पी.एम. जनमन की सड़कें थीं तो 4800 किलोमीटर पूरे देश में दिया गया और उसमें से 2400 किलोमीटर सिर्फ छत्तीसगढ़ का था यानी पूरे देश का 51 प्रतिशत सिर्फ छत्तीसगढ़ में था । (मेजों की थपथपाहट) पी.एम. जनमन में पूरे देश का 51 प्रतिशत सिर्फ छत्तीसगढ़ को मिला है । मैं ऐसे ही आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास में मोदी जी की सरकार बनने के बाद 32 लाख 50 हज़ार आवास 17 राज्यों को बांटे गए उसमें 8 लाख 47 हजार आवास सिर्फ छत्तीसगढ़ को मिले । (मेजों की थपथपाहट) वह पूरे देश का 26 प्रतिशत है, follow up किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गये हैं, मैं तो कई बार गया हूं, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी चल दिए और 8 लाख 47 हजार एक-बार में स्वीकृत हुआ है और उसके बाद दुर्ग जिले में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का आना था तो उन्होंने 3 लाख 3 हजार आवास और दिए और यह भी कहा है कि अप्रेल- मई में 3 लाख 3 हजार आवास और दे देंगे इस तरीके से हम पूरे आवास पूरा करेंगे । माननीय सभापति महोदय, primitive tribes के लिए बहुत बड़ा काम किया गया है और इसके लिए वर्ष 2024-25 में 300 करोड़ का बजट था और मैं धन्यवाद देता हूं कि इस बार 500 करोड़ रूपये का बजट का प्रावधान पी.एम. जनमन के लिए हमारे बजट में है । इसमें मेंटेनेंस के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए, नक्सल क्षेत्र के पुल - पुलिया के लिए, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए, पी.एम. जनमन आदि के लिए मैं एक-साथ कह देता हूं कि पिछली बार यह वर्ष 2024-25 में 1400 करोड़ रुपए का था और इस वर्ष 2025-26 में यह 1655 करोड़ 99 लाख का है । माननीय सभापति महोदय, इसमें हमको 18 प्रतिशत का हाईक मिला है और मैं सोचता हूं कि हमारे बजट के लिए इस-बार यह प्रावधान पर्याप्त है । माननीय सभापति महोदय, महतारी सदन है, ग्राम पंचायत के भवन का निर्माण है, ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर प्रदाय करना है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- एक मिनट, माननीय मंत्री जी आपसे अनुरोध है कि आपने जो प्रधानमंत्री रोड की बात की है । मुख्यमंत्री रोड का जो मरम्मत योग्य है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, बता दीजिए । चूंकि वह बहुत जर्जर हो चुकी हैं ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय धरम भैया ने भी इस बात के लिए कहा है कि मुख्यमंत्री सड़क जो बनी हैं वह पहले बन चुकी थीं फिर उसके रिपेयरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है तो मुझे बिल्कुल ध्यान आया है, वह बिल्कुल ध्यान है । उसके रिपेयरिंग का प्रावधान अभी इस बजट में जरूर लेकर के आगे बढ़ेंगे । (मेजों की थपथपाहट) जो पुरानी मुख्यमंत्री सड़क बनी हुई हैं उसके रिपेयरिंग का काम इसमें

करेंगे । माननीय सभापति महोदय, अब प्रशिक्षण का कार्यक्रम है बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मैं उस दिशा में नहीं जाता हूं परंतु माननीय अजय चन्द्राकर जी की चिंता थी, मैं इस चिंता के संदर्भ में एक बात जरूर कह देना चाहता हूं कि अप्रेल 2025 से जनप्रतिनिधियों के पंचायती राज के प्रशिक्षण प्रारंभ होंगे और सितंबर 2025 तक उसको पूर्ण किया जाएगा । इसमें 1018 जिला स्तर के लोग होंगे, 3048 जनपद स्तर के होंगे और 1,71,496 ग्राम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि होंगे। माननीय सभापति महोदय, ये प्रशिक्षण का काम भी इसमें पूरा किया जाएगा। मैं आपको निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूं। ग्राम पंचायतों में भुगतान का विषय बहुत आया है। ग्राम पंचायतों में भुगतान के विषय को आगे बढ़ाना भी आवश्यक है। मतलब जो पेंशन की राशि होती है, वह वहीं निकल जाए, उसके लिए आगे न जाना पड़े। कुछ बड़े ग्राम पंचायत जो मुख्यालय होते हैं या जो मुख्य मार्ग पर होते हैं, वहां आसपास तो संभव हो जाता है, परंतु अंदर की ग्राम पंचायतों में संभव नहीं हो पाता है। इसलिए ग्राम पंचायतों में आहरण पंचायतों से ही हो जाए, इसके लिए थ्री डी मॉडल पर काम कर रहे हैं। एक है पहला हमारा डिजिटल अधोसंरचना का निर्माण, जिसके लिए 652 पंचायतों में 5 लाख और 1 लाख, 5 लाख भवन के लिए, उसमें अटल डिजिटल सुविधा केंद्र इस तरीके से भवन बनाकर और 1 लाख में उसके कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था कर उस पंचायत में डिजिटली भुगतान हम करवा सकें, इसकी व्यवस्था करेंगे। उसमें प्रोत्साहन के लिए जिसमें 5 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है, उस प्रोत्साहन के लिए भी एक बार हम उसमें कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उसमें डिजिटल पेमेंट शुरूआत कराएंगे। आने वाले 24 अप्रैल को सैकड़ों पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने स्क्रीन लगाकर ग्राम पंचायतों में भुगतान का काम सैकड़ों ग्राम पंचायत में आने वाले 24 अप्रैल पंचायत दिवस के दिन एक साथ शुरू करवाएंगे। नरेगा के लिए बहुत चिंता हो रही थी। नरेगा के लिए बहुत बड़ा प्रावधान है। 11 करोड़ मानव दिवस है, उसमें 2 करोड़ 50 लाख तो सिर्फ पी.एम.वाय.के लिए है। बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको उस दिशा में न जाकर के सिर्फ इतना यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मोबाइल मॉनीटरिंग सिस्टम में श्रमिकों के कार्यस्थल पर हाजिरी के लिए इस वर्ष 99 प्रतिशत हाजिरी लेकर छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर आया है। नरेगा में हम लोगों ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। बहुत सारा काम इस पर कर रहे हैं। मैं उस दिशा में और आगे अभी नहीं जाना चाहता हूं। समग्र योजना है, विवेकानंद प्रोत्साहन योजना है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है, जिसके अंतर्गत धमतरी के हरदीभाटा पंचायत को अभी न्याय संगत एवं सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत के रूप में चिन्हांकित करके राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। अभी ये सोच रहे हैं कि पंचायत विभाग की तरफ से भी जिला पंचायत सदस्यों लिए भी और जनपद के सदस्यों के लिए भी एक योजना चला कर और वे अपना फीडबैक देंगे। एक पुरस्कार की योजना, इसकी और थोड़ी कार्य योजना बनाकर इसकी शुरुआत करेंगे ताकि पंचायती राज के जनप्रतिनिधि भी प्रदेश स्तर पर भी सम्मानित हों, जिस तरीके से पंचायतें और अन्य संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होती हैं। आजीविका मिशन पर

बहुत सारे काम हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं इन सारे विषयों पर न जाकर मैं आपसे निवेदनपूर्वक इतना ही कहना कहना चाहता हूं कि सारे सदस्यों ने इसमें सहभागिता निभाई है। मैं विशेष रूप से माननीय धरमलाल कौशिक जी, माननीय धर्मजीत सिंह जी, माननीय अजय चंद्राकर जी, माननीय पुन्नूलाल मोहले जी, माननीय रोहित साहू जी, माननीय विक्रम मंडावी जी, माननीय गजेन्द्र यादव जी, माननीय दलेश्वर साहू जी, माननीय सुशांत शुक्ला जी, माननीय ब्यास कश्यप जी, माननीय अनुज शर्मा जी, माननीय श्रीमती चातुरी नंद जी, माननीय दीपेश साहू जी, माननीय रामकुमार यादव जी, माननीय कुंवर सिंह निषाद जी, माननीय श्रीमती संगीता सिन्हा जी, माननीय बघेल लखेश्वर जी आदि सभी साथियों ने बहुत मूल्यवान सुझाव दिए हैं और बहुत सारी बातें भी कही हैं। मैं उसमें से कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूं और वह संक्षिप्त में कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर लेता हूं और वह यह है कि माननीय हमारे धर्मजीत भैया ने चर्चा की शुरुआत करते साथ ही कहा था कि उनको कुछ गांव में ग्राम पंचायत भवन होना चाहिए, ग्राम पंचायत तखतपुर का भवन होना चाहिए, मिनी स्टेडियम होना चाहिए आदि में तो ये सब कुछ जो आपने कहा उसको जरूर पूरा करेंगे। उसमें प्रावधान लेकर उस काम को तुरंत ही आगे बढ़ाएंगे। ग्राम गौरव पथ के लिए रोहित जी ने कहा कि तर्रा, बेलटुकड़ी आदि में उस ग्राम गौरव पथ के लिए भी आगे बढ़ेंगे। ऐसी विभिन्न चीजें हुई हैं, जिनमें अब मैं सारी चीजों पर नहीं जा रहा हूं, परंतु जो-जो चीजें कही गई हैं, मैंने उसको नोट किया है, मैं रखकर उसको जरूर पूरा करूंगा। आप उसमें एकदम निश्चिंत रहें। जो बजट के प्रावधान के अंतर्गत है, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा और शीघ्रता के साथ पूरा करूंगा। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाह रहा हूं कि हमारे सदस्य साथी कुंवर सिंह निषाद जी ने एक बात कही, मैं तब से सोच रहा था कि क्या है? उन्होंने कहा कि 15 मार्च, 2025 तक मिलाकर इतने 15,484 युवतियां लापता हैं। मैं नहीं समझा कि वे कौन सा आंकड़ा कह रहे हैं? मैं तब से थोड़ा परेशान था, सोच रहा था कि जब 2000 में छत्तीसगढ़ बना तब से आज तक मिला दें तो भी वह आंकड़ा नहीं आता है । मैं नहीं समझ सकता कि वह कौन सा आंकड़ा है ? जिसकी वजह से हम सब चिंतित हो जाएं, सदन चिंतित हो जाए और हम सब उस पर ध्यान दें, यह मैं नहीं समझ पाया । श्री दीपेश साहू जी ने जो विषय कहा वहां उन्हें फायर टेंडर की आवश्यकता है । मैं उनको बताना चाहता हूं कि बेमेतरा में 2, थानखम्हरिया, नवागढ़, साजा, परपोडी, बेरला में एक-एक फायर टेंडर्स हैं और विक्रम मंडावी जी का विषय था कि इतने जॉब कार्ड्स डिलिट हो गए हैं, 4 लाख 15 हजार जॉब कार्ड्स डिलिड हो गए हैं तो अगर जॉब कार्ड्स डिलिट हो गए हैं तो 2 लाख 70 हजार जॉब कार्डस बने भी हैं । परंतु जॉब कार्ड्स डिलिट हो गए हैं यह बहुत बड़ा विषय नहीं है, होना भी चाहिए, हमारे लोगों को सक्षम होना भी चाहिए, कब तक आप मनरेगा में काम करते रहेंगे, लोगों को सक्षम होकर आगे बढ़ना चाहिए । नये लोग आएंगे, वैसे डिलिट होने के बहुत से कारण हैं, बच्चे की शादी हो जा रही है या कोई दूसरी जगह चले जा रहे हैं, मृत्यु हो जा रही है, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं । लेकिन उसके साथ साथ आपसे

कहना चाहता हूं कि 2 लाख 70 हजार नए कार्ड्स बने भी हैं । सुशांत जी का एक विषय मोपका और मंगला थाने का था । थाने तो उसमें अधिसूचित हैं परंतु अधिसूचना अभी लंबित है । शायद इसमें स्वीकृति प्राप्त हुई है । देखकर अगर स्वीकृति के आधार पर संभव होगा तो वहां भवन बनाने के लिए तुरंत आगे बढ़ेंगे । लखेश्वर जी ने हत्या का आंकड़ा बताया, अन्य आंकड़े भी बताए, मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूं । यह बजट पर चर्चा है अन्यथा मैं 2024-25 के आंकड़े भी गिना दूंगा, 2023-24 के आंकड़े भी गिना दूंगा और 2022-23 के भी गिना दूंगा । उन आंकड़ों में कोई फर्क नहीं है, कहीं उसमें जयादा है और कहीं एकाध जगह इसमें ज्यादा है । यह स्थिति है इसलिए उसमें उस विषय पर बजट की चर्चा में जाने पर नहीं सोचता हूं कि कुछ और रहा हो । मैं निवेदन पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि मैंने काफी लम्बा समय लिया और आपने भी समय दिया । मैं सदन का आभार व्यक्त करता हूं और आग्रह करता हूं कि इस बजट को स्वीकृति प्रदान करें । बहुत बहुत धन्यवाद् (मेजो की थपथपाहट) ।

सभापति महोदय :- चूंकि कटौती प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे । उनके कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होने के कारण अब मैं, कटौती प्रस्ताव पर मत न लेते हुए सीधे मांगों पर मत लूंगा ।

प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

मांग संख्या	-	3	पुलिस के लिये आठ हजार दो सौ सैंतीस करोड़, तेरह लाख, सोलह हजार रूपये,
मांग संख्या	-	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिये एक सौ इकतालीस करोड़, चौंसठ लाख, पच्चीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	5	जेल के लिये दो सौ अठहत्तर करोड़, निन्यानबे लाख, नब्बे हजार रूपये,
मांग संख्या	-	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय के लिये- आठ हजार पचपन करोड़, पैंसठ लाख, सन्तानबे हजार रूपये.
मांग संख्या	-	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये- चार हजार पच्चीस करोड़, छिहत्तर लाख, उनहत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या	-	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिये चौंसठ करोड़ तथा
मांग संख्या	-	47	कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिये - चार सौ चौहत्तर करोड़, आठ लाख, चार हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(मेजो की थपथपाहट)

बजट पुस्तिका में संशोधन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पुस्तिका क्रमांक 25 में संशोधन

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट पुस्तिका क्रमांक 25 में संशोधन है, जो इस प्रकार है :-

पृष्ठ क्रमांक-76 के मांग संख्या-64 मुख्य शीर्ष 4225, मद् क्रमांक-6 अंतर्गत उल्लेखित "भण्डारपुरी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में गुरुद्वारा (मोती महल) निर्माण हेतु रूपये 17.80 लाख का व्यय संभावित है" को संशोधित करते हुए "भण्डारपुरी, जिला रायपुर में गुरूद्वारा (मोती महल) निर्माण हेतु रूपये 17.80 लाख का व्यय संभावित है" पढ़ा जाये।

(2) **मांग संख्या 6 वित्त विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या 31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या 7 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (राज्य कर एवं स्टाम्प पंजीयन)

सभापति महोदय :- वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में स्वीकृत राशि के अनुदान की मांगों के बारे में प्रस्ताव करेंगे। श्री ओ.पी. चौधरी।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 6 वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिये- ग्यारह हजार एक सौ नौ करोड़, तिरालीस लाख, पच्चीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय के लिये - एक हजार दो सौ आठ करोड़, छत्तीस लाख, बहत्तर हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिये - इकहत्तर करोड़, उनचास लाख, साठ हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची

पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या - 6

वित्त विभाग से संबंधित व्यय

1. श्री द्वारिकाधीश यादव 2

मांग संख्या - 21

आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

निरंक

मांग संख्या - 31

योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

निरंक

मांग संख्या - 7

वाणिज्यिक कर (राज्य कर एवं स्टाम्प पंजीयन) विभाग से संबंधित व्यय

निरंक

सभापति महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

सभापति महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं मांग संख्या 6, 21, 31 और 7 के विरोध में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं योजना आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन देख रहा था। इसमें नीति आयोग की जो जिम्मेदारियां हैं, नीति आयोग जिस तरह काम कर रहा है, मैं उनकी जिम्मेदारियों के बारे में पढ़ रहा था। चाहे उसमें सुझाव देना, डिसेंट्रलाईज करना, इवैलुऐशन करना, राज्य में बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करना, पॉलिसी लीड प्रदाय करना और मैं सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ अंजोर देख रहा था जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 है, उसके

प्रिपरेशन का भार भी योजनाओं का था। सभापति महोदय, किसी भी देश में, राज्य में, जिला में, ब्लॉक में, ग्राम में, अगर हमें उसको आगे बढ़ाना है तो योजनाओं को सही तरीके से बनाना होगा तभी हम आगे जाकर उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हम लोग हर योजना को अलग तरीके से नहीं देख सकते, हर योजना एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, हसदेव के बारे में एक व्यापक चर्चा हो गई है तो मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूंगा। सभापति महोदय, हम लोग उसमें आपका भी भाषण कई बार पढ़ते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि आपने कितना डिटेल भाषण दिया था। कैसे एक दूसरे से योजनाएं जुड़ी होती हैं। अगर हम कोयला एक्सट्रेक्ट करने की एक योजना बना रहे हैं, हम उसमें पेड़ कांटते हैं, वही योजना हमें फिर बनानी पड़ती है क्योंकि वहां पर सिंचाई बाधित होने लगती है, जंगल खत्म होने लगते हैं। अगर मैं वाईल्ड लाईफ रिपोर्ट की बात करूं तो 100 से अधिक प्रजाति के प्राणी, वन्य जीवन से लेकर पेड़ पौधे और कीड़े मकौड़े भी हैं, हसदेव अरण्य कटने की वजह से विलुप्त हो जाएंगी। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, वाईल्ड लाईफ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। जब हम योजनाओं की बात करते हैं तो हमें ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट और सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट की बात करनी होगी।

समय :

7.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, जब हम योजना बनाते हैं तो हम लोग किसी एक तरफ नहीं भाग सकते हैं। हम एक mineral rich state हैं। हमें इस बात का गर्व है। हम खुश होते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और हमारे यहां इस तरह के mineral पाये जाते हैं। लेकिन उसको हमको उगाही के तौर पर भी नहीं देखना है। हमारे राज्य में लगभग 44 प्रतिशत फॉरेस्ट कव्हर होने के बाद मुझे बहुत दु:ख के साथ कहना पड़ता है। किसकी सरकार थी, नहीं थी। मैं कभी उसमें नहीं जाता हूं। लेकिन मुझे यह बात दु:ख के साथ कहनी पड़ती है कि 44 प्रतिशत फॉरेस्ट कव्हर होने के बाद फॉरेस्ट टूरिजम और इको टूरिजम में छत्तीसगढ़ उस पटल पर नहीं है, जहां पर हमको होना चाहिए था। आज हम चीते लाने की बात करते हैं तो वहां पर शिवपुरी की बात होती है। आखिर हमारी policies में ऐसा क्या रह गया कि हम अचानकमार के ब्लैक पैंथर को पूरे देश में प्रेजेंट नहीं कर पाये। नवभारत में देखकर हम लोग आपस में खुश हो जाते हैं कि वहां ब्लैक पैंथर दिख रहा है। हम लोग टूरिजम की policies की बात क्यों नहीं करते हैं? हम लोग सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं? यदि हम राजस्थान की तरफ देखे, मध्य प्रदेश की तरफ देखे, उत्तर प्रदेश की तरफ देखे तो उनके पास बड़े palaces व महल हैं। उनके पास एक टूरिजम सर्किट है। लेकिन हमारे पास mud forts हैं, हमारे पास religious tourism की साइट हैं। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे एक मित्र हैं, वह इग्लैण्ड से आये थे। वह रामनामियों पर रिसर्च कर रहे थे। वह वी.वी.सी. डॉक्यूमेन्ट्री का पार्ट थे। वह बस्तर घूमने गये। बरसात का समय था। वह एक अंग्रेज हैं और ब्रिटेन के रहने वाले हैं। वह वापस आये

और उन्होंने मुझसे कहा कि if you can open bastar to the world north india tourism will run for each money. यह उनका स्टेटमेंट है। बारिश के समय बस्तर की खूबसूरती का क्या कोई जवाब है? नहीं है। लेकिन हमारी policies कहीं हम शायद लैक कर जा रहे हैं। जब हम एक बात कहते हैं और जब हम वित्त की बात करते हैं, योजनाओं में पैसे देते हैं तो हमें प्रोडक्टीविटी की बात करनी होगी। महतारी वंदन हमारी फ्लैगशिप योजना है। उसको हमारा समर्थन है। वह बहुत अच्छी योजना है। उस पर हम यह जरूर ऐड करते हैं कि अभी बहुत समय से पोर्टल बंद चल रहा है तो उस पोर्टल को हम लोगों को जल्दी खोलना चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद जिन महिलाओं की शादी हुई है, आखिर उनके नाम नहीं जुड़ पाये हैं। सभापति महोदय, इसमें एक और बात है कि बहुत कम संख्या में दिव्यांग महिलाएं हैं। आदरणीय मंत्री जी, इस विषय पर मैं आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहूंगा। दिव्यांग महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है और न उससे राज्य पर बहुत ज्यादा भार आयेगा। हम लोग दिव्यांग महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देने की बात क्यों नहीं करते हैं? हम लोग उनको 1 हजार रूपये महीना दे रहे हैं। 12 हजार रूपये की सालभर की किटी होती है। जब हमारी सालभर की किटी 12 हजार रूपये की है तो उन महिलाओं को डेढ़-दो लाख रूपये का लोन मिल सकता है क्योंकि उनका गैरेंटर स्टेट है और इससे बड़ा गैरेंटर और क्या होगा? हम लोग इसकी प्रोडक्टीविटी बढ़ाने के लिए क्यों न इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ दे। यदि हम इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ देते हैं तो लोन चुकाने की गारंटी तो स्टेट की है ही। वहां पर वह और काम कर सकती हैं और डेढ़-दो लाख रूपये की राशि से जब वह काम करना शुरू करेंगी तो वह पैसा मार्केट में फ्लश होगा और रूरल इकोनॉमी में फ्लश होगा और रॉ मटेरियल्स की डिमाण्ड बढ़ेगी। हमें मार्केटिंग policies की योजना बनाने की जरूरत है। बस्तर आर्ट आज पूरे देश में जाना जाता है। हम लोग बाहर जाते हैं तो वहां पर बस्तर आर्ट की बात होती है, कोसा की पूरी बात होती है। लेकिन हमारे यहां कई ऐसे हैण्डीग्राफ्स हैं, जिसको आज भी हम देश के पटल पर नहीं पहुंचा पाये हैं। इसके लिए policies बननी चाहिए, जिससे हम इनको बाहर लेकर जाएं। कॉफी, चाय के बारे में भी एक वरिष्ठ सदस्य बात कर रहे थे कि हम लोगों को कॉफी, चाय और जो हमारे जगदलपुर व बस्तर में पैदा में हो रहे हैं, उसकी हमें मार्केटिंग करनी चाहिए। आज नॉर्थ ईस्ट से सबसे ज्यादा मार्केटिंग ऊद की दुबई में हो रही है। जिससे परफ्यूम बनता है। लोग इसको नहीं जानते हैं। लेकिन यदि हम छत्तीसगढ़ में इस तरह की चीजें कर सके तो इसके बारे में हमें policies बनानी होंगी।

समय :

7.04 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

आदरणीय सभापति महोदय, conflict of interest. जब मैं हेल्थ पर बोल रहा था, तब मैंने conflict of interest की बात कही थी। अभी मैंने न्यूज पेपर में देखा कि कुछ शराब दुकानों को भी हम

लोग खोलना चाहते हैं। रेवेन्यू की बात है, वित्त की बात है। उसमें हमें पैसा आना चाहिए। साथ में हम एक नशामुक्ति केन्द्र की भी बात करते हैं। दोनों बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन हमें इस बारे में भी सोचना होगा कि आखिर हम कितनी मात्रा में उसको पब्लिक को उपलब्ध करा रहे हैं कि वह abuse न हो। आज substance chemical की गिरफ्त में हमारा युवा वर्ग व युवा पीढ़ी जा रही है। हम लोगों के यहां जितने विभत्स तरीके से कहीं रेप की घटनाएं हो जा रहे हैं, कहीं मर्डर की घटनाएं हो जा रहे हैं, इसमें in substance and chemical abuse का बहुत बड़ा हाथ है। हमें इस बात को समझना होगा। आखिर यह लोगों के पास कैसे पहुंच रहा है ? हमें अपनी पॉलिसी पर काम करना होगा। overall हम क्या availability दे रहे हैं, हमें इसके बारे में सोचना होगा। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पॉलिसी को industry centric मत बनाईये। छत्तीसगढ़ की हर महिला के लिए, हर बच्चें के लिए, हर छत्तीसगढ़ियां के लिए है, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की भी बात होनी चाहिए।

आदरणीय सभापति महोदय, जब बजट आया था तो G.D.P., G.S.T., excise के बारे में चर्चा शुरू हुई थी। हम लोग उस समय नंबर के बारे में काफी बातें कर चुके हैं। मैं एक बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब हम लोग एक विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं, विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। अ्रगर हमें दूसरों से कुछ अच्छा सीखने को मिले तो उसमें बिलकुल संकोच नहीं करना चाहिए। मैं आपका ध्यान भूटान की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उनका G.D.P. के साथ-साथ happiness index होता है। हमें happiness index की तरफ भी देखना होगा। वे अपनी ग्रीनरी को नहीं छूते हैं। वे अभी भी एक सुन्दर नेचुरल रिसोर्स में रह रहे हैं। हम लोग विजन 2047 की बात करते हैं, हम सबको उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हम सभी विधायकों को आपकी चिट्ठी मिली थी कि आप लोग अपना-अपना सुझाव दें। हम लोग लगातार सुझाव देते भी रहते हैं। आपसे बहुत सीखने को भी मिलता है। लेकिन मंत्री जी, जब जिले की योजनाओं की बात आती है तो आपसे थोड़ी सी शिकायत भी रहती है। आप आते हैं, हम विधायकों को तो नहीं पूछते हैं, अपने जिलाध्यक्षों के साथ बैठक ले लेते हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग आलोचना करें या ना करें, लेकिन आपको उनसे बेहतर सुझाव देंगे, मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं। हम लोग जिले को बहुत अच्छे से समझेंगे, हमें जनता ने चुनकर भेजा है, उस विभागीय बैठक में हम आपको जो बतायेंगे, शायद आपके बैठे अधिकारी वहां पर नहीं बतायेंगे। क्योंकि जब आप अपने अधिकारियों से पूछते हैं कि आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो अधिकारी अपनी पीठ थपथपाते हैं, साहब हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साहब को बता दिया कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद पार्टी के लोग उस पर बता देते हैं कि हां सब सही चल रहा है।

श्री राकुमार यादव :- ओसनेहे हमू मन ला थपथपाय हे तो हमू मन निपट गय हन। ओसनहे तूहु मन झन निपटइहा। ओसनहे हमू मन के पीठ थपथपावय। मैं देखत हव कि आप मन ओही मा चलत हा।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रतिवेदन में पढ़ रहा था कि हमें जिला स्तर पर भी योजनाओं की आवश्यकता है। हमारा राज्य ऐसा है जहां जिले के पास डी.एम.एफ. फण्ड और बाकी फंड्स की availability है। हम उसका क्यों उपयोग नहीं कर सकत हैं ? अभी मैं एक बात देख रहा था कि हमारे जांजगीर जिले के cases की pendency है। हमारे यहां हम चौथे या पांचवे नम्बर में हैं। एक वरिष्ठ सदस्य ने प्रश्न लगाया हुआ है। अगर हम लोग स्कूल की बात करें, अगर हम वहां पर योजनाएं बनायें, जहां पर बिल्डिंग नहीं है, वहां पर हम लोग शेड निर्माण कर रहे हैं। बच्चियों के लिए टायलेट्स नहीं है और हम वहां पर साइकल स्टैण्ड का निर्माण कर रहे हैं। हमें प्रायरारिटी देखनी होगी कि हमारी प्रायरारिटी क्या है? यह प्रायरारिटी तभी आयेगी, जब हम उस योजना पर काम करेंगे। सी.एस.आर. मद का जो पैसा वहां जाना चाहिए, वह न जाकर अकलतरा का सी.एस.आर. मद का पैसा जांजगीर नगर में चला जाता है और ग्राम पंचायत को एजेंसी बना दिया जाता है। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है। यह जवाब यहां पटल में आया है कि उन्होंने निवेदन किया तो हमने बना दिया। अगर आप बैठेंगे, अगर आप इन योजनाओं के लिए आयेंगे तो हम आपको बतायेंगे कि कहां गलत हो रहा है। हम सिर्फ आलोचक नहीं हैं, सिस्टम को भी सुधारने की आवश्यकता है। योजनाओं को बनाने से ज्यादा उसको executive करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, जब हम लोग आवास एवं पर्यावरण की बात करते हैं, तो हम सबके लिए यह पंक्तियां है, किसी एक के लिए नहीं है-

'नदियां मुझसे कह रहीं चुभता एक सवाल,
कहां गया पर्यावरण, जीना हुआ मुहाल,
टांग कुल्हाड़ी है खड़ा, मानव जंगल खोर,
मिटा रहा पर्यावरण, चोर मचाए शोर।'

सभापति महोदय, इसके हम सब जिम्मेदार हैं। पिछली बार इसी सदन में रेत की बात हुई थी, आज नदियों की हालत क्या है ? हम water pollution की बात करते हैं, हम जाकर चेक करते हैं कि पानी में pollution की मात्रा सही है या नहीं, हम सबको पता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कितना चेक होता है और वहां पर water pollution की मात्रा क्या है, अधिकारी क्या रिपोर्ट देते हैं, सच्चाई क्या है, यह मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस सदन में लगातार बात हो रही है, लेकिन अवैध खुदाई हर जगह चालू है। अगर मैं अपने यहां की बात करूं तो मेरे जिले में लगातार अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है। बार-बार शिकायतें होती हैं तो अधिकारी जाते हैं और वापस आकर बता दिया जाता है कि अब

कल से नहीं होगा। लेकिन फिर कल से दोबारा वही गाड़ियां वहां पर खड़ी हो जाती है, यह सर्वविदित है मैं कोई नई चीज नहीं कह रहा हूं। हमारे प्रदेश में Industries हैं। यहां large scale industries हैं, medium scale industries व small scale industries हैं। अगर आप कोरबा, रायगढ़ और रायपुर की भी बात करें तो यहां के जो प्रदूषण का इंडेक्स है, वह दिन-ब-दिन बहुत बदतर होता जा रहा है। मैं यह बात कहने से बिल्कुल नहीं संकोच रहा हूं कि पर्यावरण संरक्षण मण्डल इसे नियंत्रित करने में असफल हो रहा है। जहां-जहां पावर प्लांट्स हैं, आप सबको पता है कि वहां फ्लाई ऐश की डंपिंग किस तरह से चल रही है। कभी आप अकलतरा से रायगढ़ की तरफ चले जाये तो रात में सड़क नहीं दिखती है, उस स्थिति में ट्रकें चल रही हैं। अगर सवाल लगाया जाये तो यह जवाब आता है कि नहीं, हम चेक रहे हैं और सारी चीजें अच्छी चल रही है। इसे रोकने में हम असक्षम नहीं हैं, हमें कोशिश करनी होगी कि हम इसको रोके क्योंकि इसका बहुत बड़ा impact आ रहा है। सभापति महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं एक स्कूल से क्रॉस कर रहा था, उस स्कूल के बगल में एक छोटा सा तालाब था, उससे लगा हुआ एक हैण्ड पंप था, वहां पर उसको राखड़ से पाटा जा रहा था। यह बात हम सबको पता है कि यह cancerous है। इसमें आर्सेनिक है, कैडमियम है, सिलिका है, इसके बावजूद अगर हम इस पर आंख बंद करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि स्थिति कोई बहुत अच्छी होगी। अगर मैं वायु प्रदूषण की बात करूं तो air quality का जो index है, वह PM 2.5 के नीचे रहना चाहिए। लेकिन वह मशीनें कहां पर लगी हुई हैं, कौन से उद्योग के बाहर सड़क पर air quality मापने के लिए मशीनें लगाई गई है? वह मशीन सिर्फ दो-चार जगहों में लगी हुई हैं। आदरणीय मंत्री जी, मैंने पिछली बार भी आपसे निवेदन किया था कि हम लोगों को हर उद्योग को यह अनिवार्य कर दें कि आप अपने उद्योग के बाहर air quality मापने की मशीन लगा दें , जिससे हमें air quality index का पता लगे कि हम अपने अंदर कितना कंकड़ डाल रहे हैं। जानबूझकर इसको मापने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। क्यों नहीं आप एक सी.एस.आर. की standing instruction दीजिये कि जो-जो उद्योग हैं, चाहे medium industrie हो या large industrie हो, वह अपने गेट के बाहर इस मशीन को लगाये। अगर वह अपने गेट के बाहर इस मशीन को लगायेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी air quality क्या है? आदरणीय सभापति महोदय, कारखानों में जो S.T.P., E.T.P. और E.S.P. के कानून हैं, उसे लगाये जाने चाहिए। हम सबको पता है कि निरीक्षण अधिकारी उसको Okk कर देते हैं कि लेकिन उसको रात में बंद करने की प्रक्रिया उतनी ही बार होती है। हम स्थापित कर देते हैं कि उस पर जो व्यय आ रहा है, वह बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको बंद कर रहे हैं, उससे हमको नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मंत्री जी युवा हैं, हमेशा यह बात होती है और मैं भी युवा हूं इसलिए मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि क्यों नहीं इन प्रदूषणों को मापने के लिए और S.T.P., E.T.P. और E.S.P. यह सारे सिस्टम चल रहे हैं, इसको जिले में या प्रदेश में मॉनिटरिंग सिस्टम पर डाल दिया जाये। यदि वह वहां बंद करें तो हमारे पास यह खबर

पहुंच जाये कि वह क्यों बंद है? वह क्यों बंद है, इसका उसको जवाब देना पड़ेगा। यह कोई बहुत लागत का विषय नहीं है, यह बुहत आसानी से कर सकते हैं। यदि हम अपने घर में सी.सी.टी.व्ही. कैमरा को मॉनिटर कर सकते हैं तो इसको भी मॉनिटर किया जा सकता है तो क्यों नहीं यह सिस्टम बनाया जाये कि रायपुर में उसका जवाबदेही हो कि उसने प्रदूषण फैलाने का काम क्यों किया है? एस.जी.डी. लगाने की बात एन.जी.टी. से लेकर सुप्रीम कोर्ट, सभी ने यह बात कही है कि जो फ्लू गैस डिसल्फराईजेशन होना है, यह बात किसी से नहीं छुपी है कि इसको कितने उद्योग ने लगाया है। एन.जी.टी. ने कहा है कि इसको सबको लगाना है, लेकिन हम लोगों ने इसको लगाने का काम नहीं किया है। मेरा आदरणीय मंत्री जी से राखड़, एयर पॉल्यूशन व अन्य पॉल्यूशन के बारे में कई बार चर्चा होती है। हमें कुछ सख्त कदम लेने पड़ेंगे। वर्ष 2012 में हमारे क्षेत्र में एक रोगदा डैम था, जिसको पाट दिया गया था। वहां विधायक दल की टीम गई, विधायक दल की टीम ने जांच की और कहा कि यह गलत है। वहां विधायक दल द्वारा निर्णय हुआ कि आपको हमें नई जगह खोदकर देना होगा। आज हम वर्ष 2024-25 में बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक वहां तालाब का नामो-निशान नहीं है, वहां आज तक तालाब नहीं बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह निर्देश है कि अगर आप वाटर बॉडी को पाटते हैं तो आपको उसको दोबारा उसी स्वरूप में लाकर देना होगा। अगर हम लोग सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो यह काम नहीं हो सकता है। मैंने उस दिन एक ध्यानाकर्षण उठाया था कि हमारे यहां एक तालाब पाट दिया गया है, उसको प्रशासन ने संज्ञान लिया और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आदरणीय मंत्री जी ने भी कहा कि तीन महीने में हम विभागीय कार्रवाई कर देंगे। आप बड़े हैं, आप पढ़े-लिखे हैं, मैं आपकी बात नहीं काटना चाहता हूं। आपने कहा है कि एस.डी.एम. का एक ज्यूडिशियल प्रोसेस है, जिसकी वजह से यह Delay हो रहा है। ज्यूडिशियल प्रोसेस डेढ़-दो साल से Delay नहीं कर सकता। उसके अलावा जब पेंडेंसी राजस्व विभाग की होती है, आखिर यह सरकार देखती है । सभापति महोदय, लोग यह देखते हैं, वहां पर जुडिशियल पेंडेंसी क्यों है, फावती उठना भी तो जुडिशियल पेंडेंसी है ? वह भी एक केस रजिस्टर होता है, मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है कि वॉटर बॉडीस को हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली देखें, उस पर बेजा कब्जा न होने दें, अगर वह हो रहा है तो उस पर त्वरित कार्यवाही हम लोग करें । सभापति महोदय, मैं किसी भी पार्टी की दलगत राजनीति से ऊपर हटकर यह बात कहना चाहूँगा कि अगर हम कार्यवाही करते हैं, इन लोगों के हौसले आने वाले समय में टूटेंगे । सभापति महोदय, चूँकि समय कम है, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि नवा रायपुर अटल विकास प्राधिकरण के लिये जो परियोजना बनाई गई थी, उसके अनुसार विकास उस तेजी से नहीं हो पा रहा है, हम जिसकी उम्मीद कर रहे हैं । सभापति महोदय, उस पर कहीं न कहीं एक बड़ी राशि खर्च की जा चुकी है, यह पूँजीगत व्यय हम कर चुके हैं, अनुपूरक बजट में भी प्रावधान करके ऋण खातों को बंद किये जा रहे हैं, अगर हम इतनी बड़ी राशि खर्च किये हैं तो जनता को इसका जल्दी

ही लाभ मिले, यह मेरा आपसे सुझाव भी है और निवेदन भी है । माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण, बिना पास कराये जो हम निर्माण कर रहे हैं, इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है । इसके अलावा जो शहर से लगे हुये गांव हैं, ग्रामों की बात इसलिये नहीं करूंगा कि आपका विभाग नहीं है, लेकिन कंट्री एण्ड टाऊन प्लॉनिंग में जो गांव शहर से लगे हुये हैं, जुड़े हुये हैं, उनमें भी अवैध प्लॉटिंग बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है । यह सभी को पता है कि किसी न किसी समय वह शहर से आकर जुड़ जायेगा । वहां अवैध प्लॉटिंग बहुत ज्यादा हो रही है । सभापति महोदय, अवैध प्लॉटिंग के अलावा जिस तरह से वहां पानी का दोहन किया जा रहा है, वहां सड़कें नहीं है, बोर नहीं हैं, वहां पर बना दिया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है, हमें इसको संभालना होगा । चाहे वह अवैध प्लॉटिंग हो या पर्यावरण के कानूनों का उल्लंघन करने वाले हों, सामान्य कार्यवाही करके उनको छोड़ देना, थोड़े से पैसे दे देना, यह उपाय नहीं है । सभापति महोदय, हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा और जब तक हम लोग नहीं लेंगे, उस राशि को नहीं लेंगे, अपने वॉटर बॉडीज को वापस नहीं लायेंगे, तब तक यह चलता रहेगा और हमको समस्या देता ही रहेगा । माननीय सभापति महोदय, हमें अब कार्यवाहियों की जरूरत है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ या पिछले पांच को या उसके पन्द्रह को नहीं कह रहा हूँ । अब कलम चलानी पड़ेगी, जब कलम चलेग, उसके बाद प्रदूषण का मामला गांव-गांव जो चल रहा है, यह जाकर बंद होगा । सभापति महोदय, मैं आज बैठा हुआ था तो जी.एस.टी. के बारे में किसी ने कहा कि आज आप फिर जी.एस.टी. में बोलेंगे क्या तो मैंने कहा कि नहीं मैं आज जी.एस.टी. पर नहीं बोलूँगा । हमने पिछली बार काफी वृहत में जी.एस.टी. नंबर, जी.एस.टी. रिसीट, फिजिकल डेफिसिट, सभी की बात की है । सभापति महोदय, मैं जी.एस.टी. के बारे में कुछ बातें आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, ऐसी बातें हैं कि आप सहमत भी होंगे । सभापति महोदय, हम लोग एक मैनुफैक्चरिंग स्टेट है, हमारे पास नेचुरल सोर्सेस हैं, मिनरल रिच हैं, हम लोग आइरन ओर करीब 15.90 देते हैं, कोल में हमारी भागीदारी 19 प्रतिशत के आसपास है, हम सीमेंट 20 प्रतिशत दे रहे हैं, बाक्सॉईट करीब 4 से 5 प्रतिशत है और टिन तो पूरा हमारा छत्तीसगढ़ का है । सभापति जी, सरिया से लेकर सारी चीजें जो हम बना रहे हैं, यह सारा सामान बाहर जा रहा है, लेकिन आई.जी.एस.टी. से हमारा जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है, रेवेन्यू जो है वह सेंट्रल को ज्यादा जा रहा है, यह दूसरे स्टेट पर जा रहा है । सभापति महोदय, हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, बीमारी हम लोग झेल रहे हैं, प्रदूषण हम लोग झेल रहे हैं, राखड़ हम लोग झेल रहे हैं, रोड हमारी टूट रही है, एक्सीडेंट में हमारे बच्चे मर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू उधर जा रहा है । सभापति महोदय, आज जब जी.एस.टी. काउँसिल में जायें तो मेरा सनम्र निवेदन है, आदरणीय पूर्व मंत्री जी भी बैठे हुये हैं, वह इस बात से भी सहमत होंगे, हालॉकि हॉ या ना कहें, लेकिन इस बारे में हमें बात करनी होगी कि मैनुफैक्चरिंग स्टेट को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है और दोनों नुकसान है रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है और उसके अलावा प्राकृतिक लॉस भी है, हमें इसका कोई

कंपनसेशन भी नहीं मिल रहा है । सभापति महोदय, हमें यह मॉरल ग्राऊंड लेना होगा और इसी जगह में आपको दोबारा इंट्रोड्यूस करूंगा, मैंने पिछले बजट में ग्रीन जी.डी.पी. में किया था । Green Grass Domestic Product an economic indicator that just additional G.D.P. to account for environmental cast like resource depletion and environment degration providing a more holistic views of nations economic and environment being. सभापति महोदय, हमें इसके बारे में बात करनी होगी, ताकि जो हमारा इन्वायर्नमेंट का लॉस हो रहा है, उसका भी तो इवायलेशन हो जाये । हम कब तक दूसरी जगह रेवेन्यू देते रहेंगे, हमें इसके बारे में सोचना होगा ।

सभापति महोदय, VAT के बारे में एक *settlement of* arrears *and tax interest* वाली जो आपकी penalty की जो 2023 की Scheme थी, उसको आपने Extend किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । चलिए, कहीं तो लगा कि जो हमने शुरू किया था, जो अच्छा था और अभी तक चल रहा है । सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा, अगर ये हो जाएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा । जितने छोटे व्यापारी हैं, इनके लिए Paper work Burdon हैं । जो बहुत छोटा व्यापारी है, जो GST पटा रहा है, इनके लिए Paper work Burdon हैं । बैंक, चालान, सी.ए. के चक्कर से छोड़कर अगर एक छोटी एमाउन्ट का GST हम UPI के through pay कर पाएं, अगर हम उसमें UPI का Introduction कर दें, अगर यह Possible हो तो आप बिल्कुल करें क्योंकि हम जब *Digitization* और Ease of Doing Business कहते हैं तो यह सबसे छोटे वर्ग का व्यापारी है, उसके लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । दूसरा, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि दो-तीन व्यापारियों के बीच, चूंकि GST एक Chain है, जब कई लोगों के बीच Transaction होता है तो जो पहला व्यक्ति होता है, हमको ऐसा लगता है कि वह अपना R-1 जमा कर चुका होगा, लेकिन कभी-कभी वह अपना व्यापार बेचकर या व्यापार बंद करके एक, दो महीने में वे चले जाते हैं तो हम आखिरी व्यक्ति को बताते हैं कि आपका R-1 जमा नहीं है और यह बिल फर्जी है । मैं समझ रहा हूं कि फर्जी बिल भी आते हैं । आदरणीय वरिष्ठ सदस्य मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वे इस बात से वाकिफ होंगे, लेकिन हर वह बिल फर्जी नहीं होता है, कभी-कभी यह monitoring करनी चाहिए कि 1st cellar जो है, वह कहां से गड़बड़ होगा । अगर हम यह कर लेंगे तो जो छोटे व्यापारी हैं, उनको बहुत बड़ा Relief मिल जाएगा ।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात के लिए कौंसिल में आपको सुझाव भी देना चाहता हूं । हम Pre school, Primary to secondary education तो GST से छूट है, लेकिन Higher education, Private tuition, Vocational Training पर 18 प्रतिशत GST लगा रहे हैं और सोने पर सिर्फ 3 प्रतिशत GST है तो यह Vocational Training, जितने Private tuition हैं, इसका एक मापदण्ड होना चाहिए कि अगर छोटे हैं तो उन पर कम GST लगे, शायद बड़ा Intuition है तो हम लोग

उस पर बात कर सकते हैं। लग्ज़री सामान पर 3 प्रतिशत को बढ़ाना चाहिए क्योंकि सोना सबसे Related है, लेकिन जो Heavy Investment है, उस पर हम 3 प्रतिशत से ऊपर GST लगा सकते हैं ।

सभापति महोदय, आदरणीय मंत्री जी, हर गांव का मामला है, चूंकि अकलतरा का भी मामला है । इस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा । disparity in prices हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा । जैसे यदि आप टुकड़े में 10 Dismil जमीन की Registry करना चाहते हैं तो उसका खर्च 25 से 30 लाख रूपए के आसपास जा रहा है और वहीं जमीन अगर एकड़ में कर रहे हैं तो भी 30 से 35 लाख रूपए जा रहा है । मैं समझता हूं कि एक समय पर औसतन लिया गया होगा, जिसके बाद ये आया हो, लेकिन जहां *industrialized area* है, वहां यह हुआ है, सीसी लिमिट बढ़ाने के लिए मैं बहुत खुलकर बोल रहा हूं, सीसी लिमिट बढ़ाने के लिए उसको Higher Transaction दिखाया गया था । एक बार अगर आपको सही लगे तो मेरा सुझाव है कि ऐसी जगह यदि कहीं disparity आ रही है कि 10 डिसमिल और एक एकड़ का रेट एक हो जा रहा है, उसकी वजह से अगर यह disparity है तो इसको हमें Correct करा लेना चाहिए क्योंकि उस पर Capital Gain में भी लोगों को जो छोटा किसान है, उसको Capital Gain में भी समस्या आ रही है तो यह चिंता का विषय है । बाकी हम लोगों ने पहले बात की हुई है । जितना लोन लिया जा रहा है । चूंकि समय कम है, मैं इसके बारे में ज्यादा न बोलते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कोविड के पहले हमारा राज्य कुछ साल Revenue Surplus में भी था । आने वाले समय में चाहे हमारे FRBM Targets हों, चाहे fiscal deficit के targets हों, अगर हम इसको सही ले आते हैं और हम Revenue Surplus में आते हैं, यह हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी जीत होगी ।

सभापति महोदय, आदरणीय मंत्री जी, मैं Revenue के लिए आपको एक Suggestion और देना चाहूंगा । Mining के अलावा हमें कुछ और Sectors खोलने की जरूरत है। चाहे वह Eco Tourism हो या Tourism हो या कोई और हों, ऐसे आयाम जिससे in fracture के साथ-साथ हमारा revenue बढ़ सके क्योंकि हम सिर्फ Minerals पर नहीं रिलाई कर सकते हैं । हमें दूसरी ओर भी जाना होगा, चाहे वह मैन्यूफैक्चरिंग की ओर हो । आप बेहतर समझेंगे और मेरा सुझाव है कि आने वाले समय में इसको हम लोग कर लें ।

सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की दो मुख्य मांग आपसे करना चाहूंगा । हमारे यहां ईएसआईसी का हॉस्पिटल है, वह सेन्ट्रल की स्कीम है इसलिए आपसे कह रहा हूं । वह किराए की बिल्डिंग में चल रही है, हमारे पास जमीन भी उपलब्ध है । यदि आपको ठीक लगे और आपसे निवेदन है कि इसमें हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हमें सिर्फ बिल्डिंग की आवश्यकता है । अगर आप ये कर दें क्योंकि हमारे पास जमीन भी है, तो यह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसी प्रकार से बलौदा में एक रजिस्ट्री कार्यालय की अत्यंत आवश्यकता है। अगर यह वहां आ जाता है, तो बहुत अच्छा होगा। आखिरी में मैं

आपसे सिर्फ यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम साथ मिलकर छत्तीसगढ़ को एक ऐसा खुशहाल राज्य बनायें, जहां हर बच्चा, महिला, पुरुष, पेड़-पौधे, जानवर, हम सब एक खुशहाल और स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। कहीं-कहीं शायद पार्टीगत आपके हाथ बंध जाते होंगे, इसलिए मैं आपके लिए दो पंक्ति कहना चाहूंगा कि -

भँवर से लड़ो, तुंद लहरों से उलझो।
कहां तक चलोगे, किनारे-किनारे।।

बस, इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जितने भी विभाग हैं, वित्त, योजना, जी.एस.टी., पंजीयन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, तो अभी तक जितनी अनुदान मांगों की चर्चा हुई है, मेरे ख्याल से सबसे कम अनुदान मांगों की डिमांड्स यहां की गई है, क्योंकि ये जो सारे विभाग हैं, ये खर्च करने वाले नहीं बल्कि नियंत्रक विभाग हैं। सरकार को दिशा देने वाले, परिणाम देने वाले विभाग हैं। यदि हम अधिकांश खर्च देंखें, तो वह वेतन, पेंशन, repayments, insurance यही हैं।

माननीय सभापति महोदय, वित्त विभाग की डिमांड मात्र 11109 करोड़ है। इसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे यहां के कृषकों को बिना ब्याज के लोन मिलता है। मुझे याद है कि वर्ष 2003 में जब हमारी सरकार आई, उस समय किसानों को लोन पर जो इन्ट्रेस्ट देना पड़ता था, वह लगभग 14% था। हमारी सरकार बनी, तो पहले हमने उसे 9% किया, फिर 6% किया और उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार देश की पहली सरकार थी, जिसने किसानों के इन्ट्रेस्ट पर कमी की और छत्तीसगढ़ रोल मॉडल बना। जब शुरूआत हमारे यहां से हुई तो कुछ राज्यों ने हमारा अनुसरण किया। मुझे तो इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब हमारा अनुसरण कई भाजपा शासित राज्यों ने किया, तो केन्द्र की सरकार ने भी जो कि उस समय यू.पी.ए. की सरकार थी, ने चुनाव से पहले उन्होंने भी ब्याज में रियायत दी। लेकिन इसका उदाहरण अगर किसी ने पेश किया है, तो वह छत्तीसगढ़ ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें सबसे बड़ी जो 11 हजार करोड़ की डिमांड है, पेंशन का पोर्सन है। पेंशन का विषय बहुत नाजुक विषय है। हमारे देश में जब राज्यों की वित्तीय स्थिति बिगड़ने लग गई, तो उसके क्या-क्या रिफार्म्स हो सकते हैं, कैसे राज्य मजबूत हो सकते हैं, तो उसमें एक हिस्सा पेंशन का आया। यह आंकलन है कि आज से 10 साल के बाद जो हमारा वेतन है, जो हमारे establish expenses हैं, उससे ज्यादा पेंशन का खर्च होगा। यह आकलन है और इसकी पूरी एक रिपोर्ट आई, उसके बाद रिफार्म्स हुए। एफ.आर.बी.एम. एक्ट आया, रेवेन्यू सर्कुलर्स आए, बहुत से रिफार्म्स आए, मैं इनके बारे में विनियोग में बात करुंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं पेंशन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जब 1 नवंबर, 2004 को न्यू पेंशन आई थी, उस समय वित्त मंत्री के रूप में मैंने ही इस योजना

को लागू किया था। माननीय सभापति महोदय, मैं नहीं समझता कि अपने राज्य में इस न्यू पेंशन स्कीम का कोई विरोध हुआ था। यह आज भी पूरे देश के सामने एक ज्वलंत विषय है। केंद्र की सरकार में भी यह विषय है, उनके भी एम्प्लॉयी हैं, लेकिन इस 13 साल की सरकार में तमाम राजनीतिक प्रितरोध को झेलने के बाद भी केंद्र की सरकार सहमत नहीं हुई, उसमें कुछ रिफॉर्म्स किये। लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि राजनीतिक लाभ के लिये यहां ओ.पी.एस. को लागू करने की कोशिश की गयी और हिमाचल प्रदेश से उसका मॉडल उठाया गया। सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश में हर घर में एक एम्प्लॉयी है। हमारे यहां के जो पूर्व सी.एम. थे, वह उस समय हिमाचल के प्रभारी बन गये और वहां के मेनिफेस्टो में आया तो उन्हें लगा कि चलो इस बहाने उनकी बैतरनी भी पार हो जाये। यहां निजी बातों का जिक्र करना नहीं चाहिए1 लेकिन उस समय मेरी तात्कालीक सी.एम. से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत चली और बात हिमाचल से प्रारंभ हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं हम वहां चुनाव जीत जायेंगे, वहां एन.पी.एस. का बड़ा विरोध है और हमने ओ.पी.एस. लागू करने के लिये कहा है। मैंने कहा कि वहां तो ठीक है लेकिन आप इसे छत्तीसगढ़ में क्यों चालू कर रहे हैं ? इससे आगे छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति का क्या होगा ? वह बोले कि आप तो समझते हैं कि हमको भी तो राजनीति करनी है। मतलब आपको राजनीति करनी है, आपको सत्ता चाहिए, उसके लिये भावी पीढ़ी का भविष्य दाव पर लगा दो। इस सोच के साथ इस सरकार ने काम किया और इस प्रदेश में ओ.पी.एस. फिर से लागू किया गया। लेकिन आज भी इस देश के बहुत से राज्यों में ओ.पी.एस. लागू नहीं हुआ, वहां एन.पी.एस. है। क्या वहां सरकारें दोबारा रिपीट नहीं हो रही है ? केंद्र सरकार में आज भी एन.पी.एस. है, क्या वह सरकार रिपीट नहीं कर रही है ? लेकिन एक सस्ती लोकप्रियता के कारण किसी भी राज्य के जो रिफॉर्म्स हैं, उसमें बहुत कम अवसर में यह देखने को मिलेगा कि आदमी आगे बढ़ने की अपेक्षा पीछे जाता है। जिसके बारे में अध्ययन हो चुका, जिसके बारे में स्टडी हो चुकी, जिसके कारण आगे सारे राज्यों को सफर करना पड़ेगा, उसमें हमारे प्रदेश को झोंक दिया गया। माननीय सभापति महोदय, यहां ओ.पी.एस. लागू हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैं उन 4,805 कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने ओ.पी.एस. होने के बाद भी एन.पी.एस. को ही चुना और उनके नियोक्ता दान के लिये 14 करोड़ रूपये का इस बजट में प्रावधान है। वे आज भी एन.पी.एस. में हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी की दूरदर्शिता की प्रशंसा करना चाहूंगा। स्वाभाविक है कि पिछली सरकार ने जो भी किया, अब बार-बार बोलने से उनको खराब लगता है। लेकिन आप एक बात जरूर समझ लीजिये कि आपको खराब जरूर लगता होगा कि पुरानी पांच साल की बात क्यों होती है, हमारे क्रियाकलाप की बात क्यों होती है। लेकिन आप एक बात याद रखियेगा कि जो पुराने उदाहरण है, वह कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। यदि आपने अच्छे काम किये हैं तो वह भी साथ चलेंगे और यदि आपने बुरे काम किये हैं तो वह भी आपके साथ चलेंगे क्योंकि पुरानी बातें कभी धुल नहीं सकती। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी

की दूरदर्शिता को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने इस बात का जिक्र इसलिए लंबा किया है क्योंकि यह पेंशन का विषय केवल छत्तीसगढ़ का नहीं है, यह पूरे देश का विषय है। इसके अध्ययन हो चुके हैं। इसके जो घातक परिणाम होंगे, उसके बारे में राज्यों को अर्थशास्त्रियों ने पहले ही सचेत कर दिया है। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी दूरदर्शिता के साथ ही छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने पेंशन फण्ड में 456 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। हम आज से उसकी व्यवस्था करें ताकि कल राज्य न भोगे। (मेजों की थपथपाहट) हमको जो भोगना है, जो कटौती करनी है, हम उसे आज कर ले ताकि कल कम से कम जो भावी पीढ़ी है, इस राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर सके। मैं इसके लिये उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, आज लगभग 1 लाख 40 हजार पेंशनधारी हैं। कल कितने होंगे ? यह दिनोंदिन बढ़ना है, यह घटना नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि competitive index एक नई व्यवस्था चालू की गई है कि आपस में जिलों में जो बेस्ट प्रैक्टिस हो, अच्छा काम करें, उनकी प्रशंसा हो, यह स्वाभाविक है जब प्रतिस्पर्धा होती है और अगर अच्छे कामों में प्रतिस्पर्धा होती है तो उससे राज्य ऊपर जाता है। उसके लिए जो 5 करोड़ रूपये दिया, यह एक नई योजना है। छत्तीसगढ़ ग्रोथ एण्ड Stability फण्ड एक 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिससे हमारे छत्तीसगढ़ में हम कैसे प्रगति कर सकते हैं, हम छत्तीसगढ़ को कैसे आगे ले जा सकते हैं, हम छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं, उसके लिए जो एक फण्ड बनाया, मैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूँ। दूसरा विषय इसमें बैंक का विस्तार है। जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना तो मात्र 2000 बैंक ग्रामीण से लेकर, शहरों तक कोऑपरेटिव (cooperative) बैंक थे। लेकिन आज हमारे यहां लगभग-लगभग साढ़े 3 हजार बैंकों का विस्तार हुआ। आज उन बैंकों में लगभग-लगभग 3 लाख करोड़ रूपये जमा हैं । यह हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति का यह एक बहुत अच्छा सूचक है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त योजना पर कहना चाहूंगा। इसके बाद योजना विभाग भी है। इस योजना विभाग का काम यह है कि प्रदेश के विस्तार, योजनाओं और सारे गैप के लिए विचार-विमर्श करना होता है। यह आगे कैसे बढ़े, उस पर बड़ा विचार-विमर्श करना होता है। जैसे केन्द्र में नीति आयोग हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं, माननीय मंत्री जी का ध्यान इसमें दो-तीन चीजें पर आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे यह कहना चाहिए कि हमारे यहां योजना आयोग का जो एक उद्देश्य है कि राज्य के संसाधनों का आंकलन करना और किस सेक्टर में ज्यादा खर्च करना, उसका एक मुख्य काम होता है। लेकिन आम तौर पर यह देखा जाता है कि जो आंकलन होना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि इसको सशक्त करने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी ने बजट भाषण में एक बात का जिक्र किया था। हर जिले का जो जी.एस.डी.पी. है, उसका आंकलन अलग-अलग करेंगे। यह बात सही है कि जी.एस.डी.पी. का भी आंकलन होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से देश में केन्द्र के नीति आयोग ने हमारे केन्द्र की सरकार ने

आकांक्षी जिलों का चयन किया कि यहां कहां पर हेल्थ के Indicator क्या हैं, शिक्षा के Indicator क्या हैं, इसके अलावा वहां की शिक्षा का स्तर क्या है? यह सारे स्तर जो हैं वहां की Lifespan क्या है, डेथ रेश्यों क्या हैं? वहां के Requirement क्या हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे आकांक्षी जिले का सारा आंकलन किया गया, वैसा आंकलन योजना आयोग से बनवाकर, जिलों के अनुसार फण्ड का Allocation करेंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारी चारों तरफ समावेशी विकास की कल्पना है, हम उसको पूरा कर पायेंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी, उस पर जरूर ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर माननीय राघवेन्द्र जी ने जी.एस.टी. के बारे में बातचीत की। मैं उसके बहुत विस्तृत में नहीं जाऊंगा। यहां पर वह बहुत सी मांगें रख रहे थे। मैं ऐसा समझता हूँ कि उनको थोड़ा सा जी.एस.टी. के बारे में अध्ययन करने की जरूरत है। यहां पर वह जिस मांग को रख रहे हैं, कांग्रेस शासन के वित्त मंत्री उस जी.एस.टी. कौंसिल के सदस्य हैं और उस जी.एस.टी. कौंसिल में सारे निर्णय सर्वानुमति से होते हैं। वहां पर बात रखने के अलावा, कोई भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह कम कर सकें, ज्यादा कर सकें। यहां पर जिन विषयों पर वह बोल रहे थे कि यहां से निर्यात होता है, हमारा लॉस होता है, यह बात सही है। इसके लिए विरोध किया था। मैं, आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ क्योंकि मैं जी.एस.टी. कौंसिल का मेम्बर था। पहले Empowered Committee थी हम अमित जी जो बंगाल के वित्त मंत्री थे, हम सब मिटिंग में थे और वहां से निकले थे। उस समय मनमोहन सिंह जी कोई मिटिंग से जा रहे थे और अमित जी उनके इकानॉमिक्स के विद्यार्थी रहे हैं, वह रूक गये, वहां पर हम सब खड़े हुए थे। तो उन्होंने बैठकर परिचय करवाया। तो उन्होंने कहा कि आज क्या बात है ? आज आप लोग यहां कैसे ? उन्होंने कहा कि आज Empowered Committee की बैठक थी। उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं। इस देश में जी.एस.टी. बहुत जरूरी है और उसके लिए आप लोगों को जल्दी काम करना चाहिए। वास्तव में जो यह जी.एस.टी. आया है, ठीक है आज आप लोगों को ऐसा लगता है कि किसी के मन में थोडी-बहुत कुछ बातें हैं, उन बातों को उठाकर राजनीतिक लाभ मिल जाये। यह सब कर-करके आप लोगों का पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो हाल हो गया है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जो नियम, विधि, संविधान में है, सरकारें उसके हिसाब से चलती हैं। सभापति महोदय, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि रेट तो राज्य सरकारों के हाथ में नहीं है, बहुत से नियम भी राज्य सरकारों के हाथ में नहीं हैं, लेकिन राज्य सरकार के हाथ में जो था, स्टेट के अंदर जो रहता है कि एक जगह से दूसरी जगह माल जाता है, E-WayBill जनरेट करना रहता है, उसकी सीमा 50,000 रुपये थी, उसको 1 लाख रुपये किया। मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसमें लगभग-लगभग बहुत से जो छोटे व्यवसायी हैं, उनको प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा। दूसरी एक अच्छी स्कीम लाई। वर्षों से बहुत से केस पड़े हुए हैं, रिकवरी कभी नहीं होती, नोटिस जाती है। तो उसके लिए 25,000 रुपये तक का जो

टैक्स माफ किया है, इसमें 65,000 व्यापारी लाभान्वित होंगे। यह बहुत अच्छा काम है। मैं ऐसा समझता हूं कि धीरे-धीरे जो जरूरी नहीं है, हम जितनी चीजों को हटातें जायें, उतनी efficiency दूसरी जगह लगाकर हम उससे ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। सभापति महोदय, जो राज्य के हाथ में था, क्योंकि पेट्रोल अभी जी.एस.टी. के अंदर में नहीं आता है। इसका निर्णय राज्य सरकार के अधीन है। जो हमारे हाथ में था, बिना आप लोगों की मांग के हमने 1 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल में कम किया। अब आप दूसरी बात करोगे कि कांग्रेस के समय में क्या था, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा कि क्यों मंहगाई आई है? लेकिन न बोलूं तो ज्यादा अच्छा है क्योकि समय ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा डीजल जो उद्योगों में उपयोग होता है, उसमें 23 प्रतिशत वैट था, उसको घटाकर 17 प्रतिशत किया। क्योंकि टैक्स के रेट हमारे राज्य में ज्यादा हैं दूसरे राज्यों में कम हैं तो वहां के लोग बुलवा लेते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, निवेदन है कि आपने यह बोला है कि मंहगाई कैसे आई है, वह मैं बताऊंगा। प्लीज, हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं, मंहगाई कैसे आई, वह बता दीजिए। मोदी जी के आने से मंहगाई आई है।

श्री रामकुमार यादव :- आप अलग से आ जाना, आपको अर्थशास्त्र पढ़ा दूंगा।

श्री रामकुमार यादव :- नेता जी, आप बहुत अच्छा बोलत हव, लेकिन मैं बस यही कहत हवं।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, यह अनुदान मांगों पर चर्चा है। आप बीच में मत टोकिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप सुनिये ना, येहा इतना टेढ़ा विभाग है, हमन चुप बैठे सुनत हन, तहूं चुप बैठ के सुन ना।

श्री रामकुमार यादव :- मैं सब ला समझत हवं। लेकिन वो मंहगाई के बारे में कहिस हावय। जब नरेन्द्र मोदी जी ला कहिस कि मैं मंहगाई ला कम कर देहौं तो पहली ला ये कहथिस जो जो टैक्स है, मोला मटेरियल सस्ता मिलही तो कहू कहे रहथिस।

श्री धर्मजीत सिंह :- येहा वित्त विभाग है।

श्री रामकुमार यादव :- वित्त विभाग है, कैसा विभाग है, मैं सब जानत हवं।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिये।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि अगर डीजल में दूसरे राज्यों में रेट कम होंगे तो वहां से आता है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल interrupt नहीं करना चाहता हूं। आपसे हमेशा सीखने को मिलता है। आप अभी एक बात कर रहे थे कि जो हम औद्योगिक क्षेत्र को डीजल दे रहे हैं, जिसमें हमने वैट कम किया है। उसमें यदि वह 12 हजार लीटर के आसपास डीजल खरीदते हैं तो उनको कितना फायदा प्रति लीटर मिल रहा है और हम लोगों को कितना फायदा मिल रहा है, उस पर

बता दीजिए तो हम उसको सीख जायेंगे।

श्री अमर अग्रवाल :- मैं बता देता हूं। अभी वही बता रहा था। आपको थोड़ी जल्दबाजी है। आप सुन लीजिए। इससे दूसरे राज्य का डीजल कम आयेगा, हमारे राज्य का ज्यादा आयेगा। लगभग-लगभग 227 करोड़ रुपये का राज्य शासन के खजाने में पैसा जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) ठीक है। सभापति महोदय, दूसरा विभाग रजिस्ट्रेशन है। इसकी जो मांग है, मैं तो ऐसा समझता हूं कि इसमें तो कोई चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, खाली तनख्वाह की मांग है। अगर मैं जी.एस.टी. की बातचीत करूं तो पूरे स्टेट की जो हमारी टैक्सेबल इनकम है, उसका 50 प्रतिशत जी.एस.टी. से आता है। 5, 6 प्रतिशत भी उसका कलेक्शन चार्ज नहीं है तो उसके बारे में मैं ऐसा समझता हूं कि कोई चर्चा का विषय भी नहीं होना चाहिए। दूसरा रजिस्ट्रेशन विभाग है। जहां तक डिमांड का सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि खाली सैलरी के विषय हैं। लेकिन इसमें बहुत से जो reforms हैं, क्योंकि यह कहना चाहिए कि जान और माल किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होता है, यह माल से जुड़ा हुआ विषय है, उसकी संपत्ति से जुड़ा हुआ विषय है ।

माननीय सभापति महोदय, स्टाम्प में डिजिटाईजेशन का काम चल रहा है, अच्छी बात है लेकिन अब फिर बार-बार उनको खराब लगेगा, मैं पुरानी बात करूंगा लेकिन चूंकि मेरे क्षेत्र का विषय है और लगातार लोग आते हैं । माननीय सभापति महोदय, 61 की रजिस्ट्री, वहां पर चले गए और उसको 60 में दूसरे के नाम से एक सफेदा लगाए और 60 में दूसरे के नाम से चढ़ा दिए कि 60 में मेरे नाम में थी फिर उसके बाद तहसीलदार के यहां गए कि इसकी रजिस्ट्री को शून्य किया जाए, वैसे नामांतरण हो गए । माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे बहुत से केस बिलासपुर में हैं जिसमें पुरानी रजिस्ट्री 60, 61, 71 उसके रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई है और गरीबों की और यह विवादित कर-करके अब भू-माफिया कौन हैं ? क्या है बिलासपुर के मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है तो उस प्रकार से जितनी जल्दी अगर आप डिजिटाईजेशन करा दें क्योंकि आज तो चलो अच्छे-भले लोगों की सरकार है, कुछ होगा नहीं लेकिन बीच-बीच में समय का चक्र घूमता है, अच्छों के साथ बुरे भी आते हैं तो अगर हम एडवांस में लोगों की माल की सुरक्षा कर लें क्योंकि अगर उस समय हम वर्ष 2018 में जल्दी-जल्दी कर लिये रहते तो यह जो वर्ष 2018 से 2023 में लोगों की जमीन को सफेदा लगा-लगाकर लूट- मार कर लिए, दूसरे के नाम में चढ़ा दिए । उड़ा रहे थे, वह तो खसरा की बात है, वह तो राजस्व विभाग का है । मैं रजिस्ट्रेशन विभाग की बात कर रहा हूं तो मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे प्रकरण प्रदेश में हैं और मैं तो यही चाहूंगा कि एक-दो प्रकरण की रिपोर्ट मंगवाकर चूंकि यह criminal case है, जेल भी जाना चाहिए जिससे भविष्य में नजीर बने और यह कोई हिम्मत न कर पाए । मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप एक-दो केस पर जरूर कार्रवाई करें ।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वास्तव में देखिए भारत वर्ष की परंपरा, हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा संयुक्त परिवार की है । संयुक्त परिवार के नाम से संपत्तियां होती हैं लेकिन स्वाभाविक है कि संयुक्त परिवार हैं । परिवार बड़ा होता है, विभाजन भी होता है, बंटवारा भी होता है और संयुक्त नाम की जो property होती थी उसका हक त्याग करना, बंटवारा करना या किसी परिवार के सदस्य को दान देना उस पर पहले रजिस्ट्री जैसा शुल्क लगता था और उसके एवज में परिवारों में कभी समझौता हो ही नहीं पाता था, वर्षों से झगड़े चलते थे । मुझे उस विभाग का भी कार्य करने का अवसर मिला, मैंने इन सारी बातों को देखकर पाईंट एट परसेंट किया था लेकिन मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस काम को हमने थोड़े से कम में किया उसको एकदम से आगे बढ़ाते हुए सारे झंझट खत्म हो जाएं, मात्र 500 रुपए में हक त्याग, बंटवारा और परिवार दान का माननीय मंत्री जी ने किया है इसके लिये मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, पेंशन का विषय आया था । मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे तो नियम है कि रिटायर से 2 साल पहले उनको एस.एम.एस. जाता है और वह अपनी प्रक्रिया कर ले लेकिन आज भी कई लोग आते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं लेकिन 2-2 साल तक उनके पेंशन के काम नहीं होते तो कृपा करके सारे विभागों से मैं आग्रह करूंगा कि उसकी सूची मंगवा लें, लोग भटकते हैं । सी.आर. का विषय आता है, सी.आर. नहीं होती, उनका पेंशन रूक जाती है और कई लोग इसमें भटकते हैं तो जितने भी पेंशन के प्रकरण हैं उतने सारे प्रकरण भले ही आपकी प्रक्रिया है, डिजिटाईजेशन एस.एम.एस. करते हैं लेकिन आज भी सारे जनप्रतिनिधियों के पास हर महीने 2-4 केस आते हैं इसके लिए कोई अच्छी सी एक व्यवस्था बन जाए क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अगर 5-6 महीने में उनकी पेंशन प्रारंभ हो जाए तो उसके लिए अच्छा होता है इसके ऊपर जरूर ध्यान दें । माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के पास आवास एवं पर्यावरण विभाग भी है । मैं बहुत संक्षेप में कुछ सुझाव दूंगा । हमारे यहां बहुत से शहरों का मास्टर प्लान बना है । नगर-निगम का भी है । कुछ नगरपालिका स्तर पर भी है । माननीय सभापति महोदय, जो प्लान एरिया है, वह नगर निगम सीमा नगर पालिका की सीमा के आगे भी जाता है। अभी तक के जो अनुभव हैं, हमारा मास्टर प्लान बनता है और 20 साल के बाद जब हम रिवाइज करते हैं, 30 साल के बाद जब उसका नवीनीकरण होता है तो जो 40 फीट की सड़क है, उसमें कब्जा हो जाता है, लोग बना लेते हैं फिर हम उसको वेरिफाई करके उसको 20 फीट सड़क मान लेते हैं। मास्टर प्लान का जो प्लान एरिया है, उसमें बहुत सी सड़कें रहती हैं, बहुत सी चीजें रहती हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे स्टेट में ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं है, जो उस मास्टर प्लान के कंस्ट्रक्शन का आगे के हिसाब से तैयार कर सके। बहुत से राज्यों में स्टेट लेवल पर एक एजेंसी है। हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, सब जगह है। जब हमारी सरकार थी, हमने सड़क प्रस्तावित की। अगर मैं आज बिलासपुर की बात

करूं 20-20 किलोमीटर आगे बहुत से बायपास हैं। आमतौर पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अगर कोई एजेंसी रहेगी, हम पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से अन्य माध्यम से उस मास्टर प्लान को execute कराएंगे, जिससे हमको बढ़ा हुआ एक व्यवस्थित शहर मिले तो माननीय मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि स्टेट लेवल पर उसकी एक एजेंसी बनाएं जो सारे मास्टर प्लान का execution जो बाहर का है, निगम सीमा में तो निगम कर लेगी, नगर पालिका में वह कर लेगी, लेकिन उसका जो बाहर का प्लान एरिया है, वह कभी डेवलप नहीं हो पाता। उस समय हमारी सरकार के समय भी हमने कोशिश की थी, लेकिन चलिए संयोग की बात है। छत्तीसगढ़ का 5 साल अनाड़ियों के हाथ में चला गया, 20 साल छत्तीसगढ़ पीछे चला गया, अब उसके लिए क्या रोना? उनकी भी जो कमियां हैं, वह भी हमको ठीक करना है और जनता भी उसी से उम्मीद करती है, जो ठीक कर सकता है । माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए स्टेट लेवल की एजेंसी जरूर बनाएं।

सभापति महोदय :- अमर जी, थोड़ा संक्षेप करिए।

श्री अमर अग्रवाल :- मैं बस 10 मिनट में पूरा करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। हमारे कई शहर ऐसे हैं, जिनके बीच से नदी गुजरती है और माननीय मंत्री जी का जो रायगढ़ क्षेत्र है, वहां भी शहर के बीच से केलो नदी प्रवाहित होती है। जब मैं वहां का प्रभारी मंत्री था, मैंने उस केलो नदी के किनारे-किनारे जिंदल वालों से लेकर सी.एस.आर. फण्ड में सड़क बनवाया था। आज लोग वहां वॉक करते हैं। वहां की कीमत बढ़ गई। पर्यटन के हिसाब से है तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा और बिलासपुर के अरपा विकास प्राधिकरण का उदाहरण देना चाहूंगा। हमने विकास प्राधिकरण बनाया, हमारी सरकार ने बनाया, लेकिन उस 5 साल में उस प्राधिकरण को डिफंग कर दिया गया। बिना पैसे के अगर उसकी योजना बनाई जाए, साबरमती है, हमारे देश के सामने उदाहरण है । अहमदाबाद में बना। मोदी जी जब सी.एम. थे, तब बना। आज दुर्ग है, आज बिलासपुर है, आज चांपा है, बहुत से हमारे ऐसे शहर हैं, जो नदी के बीच से आते हैं। उनका एक अलग से प्राधिकरण बनाकर पी.पी.पी. मॉडल पर अगर हम काम करें तो उससे हम नदियों का प्रदूषण भी ठीक कर सकते हैं और उससे हम सौंदर्यीकरण भी कर सकते हैं और पर्यटन के हिसाब से डेवलप भी कर सकते हैं। हमने बिलासपुर भी अरपा विकास प्राधिकरण बनाया है। हमने 2500 करोड़ रुपए का उसका पूरा सर्वे कराकर मास्टर प्लान बनवाया, मास्टर प्लान में उसका लैंड यूज प्रकाशित करवाया। लेकिन यह सरकार आई, उस अरपा विकास प्राधिकरण को बंद तो नहीं किया, लेकिन उसको डिफंग कर दिया। उसके बाद अपने मन से काम करने लग गए। आज सारी योजना चौपट हो गई, क्योंकि वह पी.पी.पी. मॉडल पर क्योंकि गवर्नमेंट की लैंड है। हम लैंड कूलिंग के माध्यम से सरकार के बिना खर्च के हम चार-पांच शहरों के काम करेंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि पर्यटन के क्षेत्र की जो हमारी कल्पना है कि हम नदी रिवर फ्रंट हम करेंगे, उससे अच्छा होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारे बहुत

से साडा हैं। सिरपुर का साडा है, सीपत का साडा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद लैलूंगा के पास पास भी एक साडा बना हुआ था, एक बार आप उसकी समीक्षा करिए। हमने केवल अथॉरिटी बना दिया, लेकिन वह अथॉरिटी बनाने के बाद वह काम क्या कर रही है? किस उद्देश्य के साथ हमने बनाया था? कोई काम नहीं हो रहा है। मैं पहले ही कह रहा हूं, ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपने नहीं किया, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन लोगों ने नहीं किया तो उनका तो जो स्थान जाना था, चले गए, लेकिन अब हमारी जवाबदारी है, हमारा कर्तव्य है। छत्तीसगढ़ की जनता हमारी तरफ देख रही है, हम इसकी समीक्षा करके सारे साडा ठीक से काम करें इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । सभापति महोदय, मैं चूंकि यह बहुत संवेदनशील विषय है । हमारा मास्टर प्लान बनता है और उस मास्टर प्लान का उल्लंघन होता है और इतने लार्ज स्केल पर उल्लंघन होता है कि बाद में हम ही लोग एक एक्ट लाते हैं और उसका नियमितीकरण करते हैं । सभापति महोदय, जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना पहली बार 2001 में नियमितीकरण आया, उस समय कहा गया कि यह उदाहरण नहीं बनेगा । मैं किसी को दोष नहीं देता, उसके बाद फिर हमारी सरकार में आया, चलिए वह समय भी निकल गया फिर इनकी सरकार ने ले आया और आज तक उसके केस पेंडिंग हैं । सभापति जी, जरूरत है कि हम शुरूआती दौर में ही कड़ाई कर लें तो इस नियमितीकरण कानून लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी । अगर हम यह नियमितीकरण करते रहे तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस मास्टर प्लान का कोई औचित्य नहीं है और आगे छत्तीसगढ़ के शहरों की समस्या बहुत वृहद रूप में सामने आएगी । इस पर कड़ाई कैसे हो और डेमोक्रेसी है और बहुत सी बातें हैं पॉलिटिकल विषय रहते हैं । लेकिन इस पर कड़ाई होनी चाहिए अन्यथा 10 साल बाद जिसकी सरकार आएगी तो उल्लंघन करो, फिर नियमितीकरण करो और शहर को बर्बाद करो, यही चलता रहेगा। इसकी जो एजेंसी है, इसकी जो समीक्षा है, इसका जो उल्लंघन है यह किसी भी तरह से पूरी तरह से पालन हो सके, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी है, बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़ है । यदि हमने शहरों को अभी से व्यवस्थित नहीं किया तो आगे चलकर भावी पीढ़ी को इसके परिणाम भोगने पड़ेंगे । सभापति महोदय, एक विषय की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाउंगा जो कि इस बजट में है । हाऊसिंग बोर्ड का 729 करोड़ का ऋण सरकार ने चुकाया है, जिससे वह मुक्त हो गया । यह स्थिति क्यों आती है ? सभापति महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं या जितने हाऊसिंग बोर्ड हैं ये कामधेनु गाय हैं, इनमें घाटा कहां से आ सकता है ? लेकिन उसके बाद भी घाटा होता है । आज एक प्रायवेट बिल्डर काम करता है, जब तक एडवांस में 25 परसेंट बुकिंग नहीं हो जाती, वह काम चालू नहीं करता लेकिन हमारे यहां क्या हो रहा है कि कहीं भी मकान बना दो, बिके या न बिके, जर्जर हो और उसके बाद बैंक का लोन चढ़ जाए । यही आरडीए के साथ हुआ है और यही हाऊसिंग बोर्ड के साथ हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी बातों पर विचार करके, अभी जो कर्ज पटा दिया तो पटा दिया, चलिए कितने दिनों तक पांच साल वालों पर रोते

रहेंगे ? आगे करना तो हमको ही है, जो पटा दिया, पटा दिया ऋण मुक्त कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, जो भी हमारा साडा हैं या बोर्ड्स हैं वे जब तक उसका पूरा फायनेंशियल आंकलन न कर लें, केवल कंस्ट्रक्शन करना है, प्लॉट की बुकिंग नहीं हुई और सड़क बना दो और उसके लिए लोन ले लो, ब्याज में संस्थाएं डूबती रहें । वह देखना हम सबका काम है । मैं ऐसा मानता हूं कि इन सारे विषयों पर अगर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर मैं पहले ही कहता हूं कि हाऊसिंग बोर्ड हो या आरडीए हो या जितनी साडा हों ये कामधेनु गाय हैं । इसको तरीके से चलाया जाए तो सरकार का पैसा नहीं बल्कि उस पैसे से उस इलाके का बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया जा सकता है । जरूरत है तो केवल देखने की और मुझे पूरा विश्वास है माननीय मंत्री जी विद्वान हैं, काम करने की इच्छा है, दूरदर्शी हैं, 2047 का विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का काम भी उन्होंने विज़न डॉक्यूमेंट बनाया कि हम कर सकते हैं और इसलिए मैं आग्रह करूंगा मैंने कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है । मैं ध्यान आकर्षित ही बोलूंगा क्योंकि उन लोगों को लगेगा कि हमारी तरफ बोल रहे हैं । ये सारी नौबत उन्हीं लोगों के कारण आई है और चूंकि सरकार हमारी है और हम इसको कैसे अच्छे से करें । कुछ बातों की ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है, मुझे विश्वास है हमारी सरकार इन सब बातों पर ध्यान देते हुए छत्तीसगढ़ 2047 का जो विकसित छत्तीसगढ़ है, उसको हम संकल्प से सिद्धि, प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह हमारा संकल्प है उसको सिद्धि के परिणाम तक हम सब मिलकर पहुंचाएंगे । आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद् ।

समय :

8.00 बजे

सभापति महोदय :- मेरा माननीय शेष वक्ताओं से आग्रह रहेगा...।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। मुझे भाषण नहीं देना है, मैं वित्त वगैरह के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं, मैं माननीय आवास पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। तखतपुर का जो नेशनल हाईवे है, वहां पर फ्लाई ऐश की पचासों गाड़ियां सड़क पर दो-दो, तीन-तीन घंटे खड़ी रहती हैं, दुर्घटना होने का अंदेशा भी है, वह फ्लाई ऐश गिरकर तखतपुर और मुंगेली शहर को धूल धूसरित कर रहा है। आप प्रशासन को आदेश करके उसको रूकवाईए, उस रास्ते से गाड़ी नहीं जाना चाहिए। वह और कोई दूसरे रास्ते से जाए, वह जबलपुर वगैरह जाता है तो हमारा ही शहर थोड़ी मिला है, वह धूल देते हुए जाता है। दूसरा, जैसे अमर अग्रवाल जी ने कहा, बिलासपुर शहर के मास्टर प्लान के बाहर सकरी तहसील, गनियारी में, तखतपुर में गांव-गांव में प्लाटिंग हो रही है, अधिकारियों को बोलने के बाद भी कोई कंट्रोल नहीं है, सब तानाशाह सरीखे कर रहे हैं, एक-एक का नाम लेना भी उचित नहीं है। आप जरा एक बार बिलासपुर आएंगे तो हम लोग बैठ जाएंगे, हम लोग बता देंगे, ये सब रूकना चाहिए, कई लोग फार्म हाउस बनाकर रखे हैं। 30 एकड़ का फार्म हाउस है, 60 एकड़

में कब्जा है। उसको धीरे से प्लाटिंग के लिए रेरा और TNC वगैरह होता है, वहां से जाकर ले आते हैं। हम क्या बोलेंगे ? मेरे प्रश्न के जवाब में दो-दो उत्तर इतना बड़ा-बड़ा है, रेरा से मंजूर, रेरा से मंजूर लिखा है। भैया, आप उनको क्यों देते हो ? कुछ लोग रेरा से कानन पेंडारी के किनारे लगे हैं, वहां 700 प्रकार के वन्य प्राणी रहते हैं। अगर वहां कॉलोनी बनाने के लिए कोई परमिशन लेगा और रेरा से परमिशन ले लिया मतलब वह ब्रम्हा जी का आदमी हो गया, आप उनको कुछ कर ही नहीं सकते। साहब, ये मत हो। आप एक दिन बैठकर हम लोगों की समस्या सुन लीजिए, आप रहोगे तो समस्या का हल होगा। किसी भी किसान की जमीन औने-पौने में लेकर उल्टा सीधा प्लाट कांट दिए। अंग्रेजी का गोल्डन कॉलोनी ऐसा कुछ था, मैं उसको देखने गया, चलो भाई गोल्डन कॉलोनी है, पता चला वह गोल्डन गोल्डन नर्क है, उससे भी ज्यादा बद्तर था, न सड़क थी, न पानी, न बिजली थी, पर प्लाट कांट दिया गया। साहब, आप हमको उससे बचाईए, ये ज्यादा मत हो। आप हम लोगों की बैठक में एक दिन आकर बैठ जाईए, हम लोग बता देंगे, यहां कितने लोगों की दुख बताते रहे। अमर अग्रवाल जी कहना है कि शहर का लगा हुआ बाहर एरिया में बढ़ाव हो रहा है, इसमें थोड़ा नियंत्रण रखने से हो जाएगा। हमको किसी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है, एक जनरल बात ये है कि वहां पर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए। मैं तखतपुर में रोज दौरे में जाता हूं, वहां 50 गाड़ियां फ्लाई ऐश रखे खड़ी रहती हैं, वह गंदा करते हुए जाती हैं, फिर चुनाव में लोग बोलते हैं, आपने धूल मुक्त कहा था, वह धूल युक्त हो गया, मैं आपसे मुक्त कराने के लिए निवेदन कर रहा हूं, उसको धूल मुक्त करा दीजिए। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- मेरा माननीय वक्ताओं से अनुरोध है कि समय को देखते हुए संक्षेप में 10-10 मिनट में अपनी बात रखेंगे। श्रीमती शेषराज हरवंश जी।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं मांग संख्या 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग के बारे में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। आवास एवं पर्यावरण विषय बहुत व्यापक है एवं हमारे प्रदेश की 75 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर आधारित है। उसी प्रकार 40 प्रतिशत से अधिक भू-भाग में वनाच्छादित है और प्रदेश का औद्योगिक आधार यहां की खनिज संपदा है। प्रदेश की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्सा में हमारे अनुसूचित जनजाति प्रमुख रूप से बस्तर, सरगुजा में निवास करती है। पर्यावरण आधारित संसाधन के लिए भूमि का समुचित उपयोग हो, जैसे छत्तीसगढ़ में कुछ सालों से कृषि भूमि को गैर कृषि कार्य हेतु परिवर्तित किया जा रहा है जो उचित नहीं है। इस कार्य को तभी किया जाए जब उक्त परिवर्तन के बिना कार्य होने की संभावना ही न हो। सभापति महोदय, जल प्रबंधन की दिशा में वेटलैंड संरक्षण हो, वर्षा जल का संरक्षण, बहते हुए पानी को रोकना, सतह के उपर एवं भूगर्भीय जल की गुणवत्ता में ध्यान देना सर्वथा उचित होगा। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है, हमें जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशक के उपयोग को भी अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना होगा। उद्योग नीति से हमारे गांव की सबसे गरीब व्यक्ति को लाभ मिल सके, ऐसी नीति का निर्धारण हो। बायोमास

का प्रयोग कर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना लाभदायी साबित होगा। खनिज उत्खनन में पर्यावरण संरक्षण मानक के अनुसार उत्खनन क्षेत्र के पुनर्गठन को सुनिश्चित करना जरूरी है। वन एवं जैविक विविधता को हानिरिहत रखते हुए उपलब्ध भूमि तथा शासकीय एवं गैर शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना उचित होगा। आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत मुख्य रूप से शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिये विकास योजना तैयार करना होगा। प्रदेश में आवासीय योजनाएं, शासकीय सेवाओं के लिए भवन निर्माण की योजनाएं, राष्ट्रीय एवं राज्य की आवास नीति का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के माध्यम से किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत 8 हजार 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, परंतु शहरी क्षेत्रों में बसने वाले लोगों के लिए आवास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के विकास के लिये 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, परंतु शहरी क्षेत्रों में बाहर से आकर बसने वाले लोगों के बसाहट और साफ-सफाई व सौदर्यीकरण के लिए अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए, जो इस बजट में नहीं किया गया है। उपरोक्त बजट में पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, हरित योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किसी प्रकार के प्रावधान का उल्लेख नहीं है जो कि पर्यावरणीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। माननीय सभापति महोदय, पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रमों का इसमें उल्लेख नहीं है, जो सतत विकास के लिए अति आवश्यक है। ग्राम तथा नगर निवेश अंतर्गत बनाये जाने वाले मास्टर प्लान का जिक्र भी इस बजट में नहीं किया गया है जबकि विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर ग्रीन जोन की स्थापना करने का भी प्रावधान उक्त बजट में नहीं किया गया है। पर्यावरण विभाग द्वारा वायु, जल और भूमि प्रदूषण नियंत्रण करना शामिल होता है, परंतु वर्ष 2025-2026 के बजट में प्रदूषण नियंत्रण हेतु किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है जबकि राज्य में बढ़ते प्रदूषणों के कई कारण हैं। परंतु अत्यंत दुःख का विषय है कि माननीय वित्त मंत्री जी को सिर्फ विकास और अधोसंरचना पर विचार आया। यदि बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में सांस लेना भी दूभर हो जायेगा। छोटे-बड़े उद्योगों के द्वारा जगह-जगह फैलाये जा रहे अपशिष्ट पदार्थों के नियंत्रण हेतु नये कानून एवं विशेष बजट की आवश्यकता है। जिसे इस बजट में शामिल करने की मांग को शामिल किया जाना अनिवार्य है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम आदि का पालन करने के लिए कठोर से कठोर कानून व्यवस्था और विशेष टीम का गठन किये जाने हेतु मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूं। पवन ऊर्जा, बायो गैस आदि को बढ़ावा देने के लिए प्रचार-प्रसार करने हेतु बजट में प्रावधान नहीं किया गया है, जिसको प्रावधानित करना अत्यंत ही आवश्यक है। स्कूलों, कॉलेजों व सामाजिक संस्थानों में नुक्कड़,

नाटक के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट का प्रावधान करने की आवश्यकता है। एन.सी.ए.पी., राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जिसका कार्य प्रदूषित शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने का होता है। इसी तर्ज पर एस.सी.ए.पी. का भी गठन किया जाना चाहिए। एस.ए.पी.सी.सी. राज्यों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नवीन योजनाओं का निर्माण कर उनका क्रियान्वयन किये जाने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, निवेश क्षेत्रों का गठन करने के कार्य बहुत धीमी गति से हो रहे हैं और 10-15 वर्षों में भी ये कार्य पूरे नहीं किये जा रहे हैं। नये मास्टर प्लान बनाने तथा लागू मास्टर प्लान के पुनरावलोकन का कार्य भी अत्यंत धीमी गति से चल रहा है जबकि विकास की गति तेज है। जनता मास्टर प्लान का इंतजार नहीं कर सकती है। इसलिए अवैधानिक विकास कार्य बड़ी संख्या में हो रहे हैं। इसे गंभीरतापूर्वक देखा जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे बेटे के कॉलेज का अरबन प्लानिंग का विषय था। यह अध्ययन का एक ऐसा क्षेत्र है, जो शहरों की योजना को इस तरह से बनाता है कि वह पर्यावरण के लिए किफायती और टिकाऊ हो। शहरी विकास का सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव शहरी नियोजन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आवास निर्माण करते समय इन दोनों को ध्यान में रखने के महत्व पर जोर देता है। हमारे विधायक आवास के लिए जो जगह आवंटित की गई है, परंतु उस पर बहुत से कार्य अधूरे पड़े हैं। वहां सड़क, बिजली, पानी एवं वृक्षारोपण अतिआवश्यक है ताकि आवंटित जगहों पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इसकी मांग करती हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष अपने क्षेत्र की एक छोटी सी बात रखना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में सड़क के किनारे एक तालाब है। वह रोड तो बाद में बनी है और अगर उसके किनारे में तालाब है तो लोगों ने अब उस तालाब के किनारे पर अवैध प्लाटिंग करना शुरू कर दिया है। उस पर किसी की नजर नहीं पड़ती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि प्रशासन को इसके निर्देशित करें कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तालाब के पट जाने से जल स्तर गिर गया है। वहां पर जो लोग रहते हैं, जो वहां के रहवासी हैं, उनको दिक्कत हो रही है। मार्च का महीना चल रहा है और अभी से घरों में पानी की समस्या शुरू हो चुकी है। हमारे पूर्व वक्ता वरिष्ठ सदस्य श्री अजय चन्द्राकर जी ने इसी सत्र में अपनी बात में कहा था कि ठंड के बाद सीधा गर्मी आ गया है, बसंत ऋतु गायब हो गया है, यह बहुत गंभीर विषय है। हम सबको इस पर सोचने की आवश्यकता है कि ठंड के बाद गर्मी क्यों आई है ? अगर हम पेड़-पौधे लगाने की ओर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चलकर हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन का कार्य धड़ल्ले से होते चला आ रहा है। उसे रोकने के लिए, कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को निर्देशित करें। वह सिर्फ नदियों का सीना छलनी नहीं कर रहे हैं, आपस में बैर भी बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। पर्यावरण के साथ-साथ हम मानव के लिए भी नुकसानदायक है। जहां बाजार-हॉट लगता है,

वहां पर लोग गन्दगी छोड़ देते हैं। ज्यादातर गंदगी डिस्पोजल के रूप में हुआ करता है। उसके लिए भी प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करें। उसमें इंसान के स्वास्थ्य के साथ-साथ जो मवेशी होते हैं, जो पशु होते हैं, डिस्पोजल, प्लास्टिक की गंदगी की वजह से उनके सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं इतना ही कहते हुए माननीय मंत्री जी से अपनी मांग रखती हूं और अपने शब्दों को विराम देती हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुनील सोनी (रायपुर नगर दक्षिण) :- धन्यवाद, सभापति महोदय। वित्तीय वर्ष 2025-26 के वित्त विभाग की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, मैंने इस बजट के अंदर देखा है कि आम आदमी को सुविधा देने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है।

समय
8.12 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जो को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छोटे व्यापारियों को लाभ मिले, इसके लिए वेट के 10 वर्षों से जो पुराना बकाया था, जिनका 25 हजार रूपए तक का प्रकरण था, ऐसे लगभग 65 हजार प्रकरणों का निराकरण होगा। जिसमें 40 हजार बहुत छोटे व्यापारी हैं, इसके लिए मात्र लगभग 10 करोड़ रूपए खर्च हो रहा है। यह संवेदनशीलता और सुशासन इस बात के लिए इंगित करता है कि आम आदमी कहीं भी मत भटके और उसको एकमुश्त राहत मिल जाए, इस बात की चिंता माननीय वित्त मंत्री जी ने की है।

माननीय सभापति महोदय, e-way bill के माध्यम से जनवरी, 2024 तक साढ़े छः लाख e-way bill जनरेट हुए थे, लेकिन जनवरी, 2025 तक लगभग 13 लाख e-way bill जनरेट हुए हैं। इसमें छोटे व्यापारियों को सुविधा मिले, उसके लिए 50 हजार रूपए की राशि को बढ़ाकर 1 लाख किया गया है। आज देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में व्यापार फैला हुआ है। लेकिन व्यापारियों को सुविधा हो, अधिक से अधिक जी.एस.टी. प्राप्त हो, उसके लिए पहले 15 जिलों में जी.एस.टी. कार्यालय खोले गये थे, लेकिन अब पूरे 33 जिलों में जी.एस.टी. कार्यालय खुले, इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। अगर हम किसी से आय प्राप्त कर रहे हैं, हम किसी से राजस्व प्राप्त कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा दिया जाए। मैंने अपनी बात की शुरूआत यही से किया था कि आम आदमी को जितनी सुविधाएं मिल सकती हैं, यह सारा बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही व्यापारी ईमानदारी के साथ काम करें। इसके लिए भी हमारी सरकार और हमारे वित्त मंत्री जी ने अलर्ट रहकर जो करों का अपवंचन करते हैं, ऐसे व्यवसायी जो राजस्व का नुकसान पहुंचाते हैं, वह ईमानदारी के साथ काम करे। अगर पुरानी सरकार

और नई सरकार में अंतर देखेंगे तो सन् 2020 से लेकर 2023 के मध्य पुराने 87 प्रकरण थे और मात्र 6 करोड़ 80 लाख रूपए वसूल किए गए थे। वर्ष 2024 के जनवरी महीने में 110 छापे मारे गये और 77 करोड़ रूपये वसूल किये गये थे। मतलब अगर कोई व्यापारी कहीं पर कर का अपवंचन कर रहा है, उससे अगर हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ में वह पैसा अपने खजाने के अंदर में पहुंचे, इस बात की चिंता माननीय वित्त मंत्री जी ने की है, इसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा। व्यापारी आने वाले समय में इस प्रकार का कर का अपवंचन न कर पाये, उसके लिए भी हमारे वित्त मंत्री जी ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जहां भी छापा मार रहे हैं, वहां छापा मारने के लिए business intelligence unit की स्थापना कर रहे हैं, उस तकनीक के माध्यम से पकड़ में आ जाएगा कि कौन व्यापारी वास्तव में कर की चोरी कर रहा है और कौन व्यापारी ईमानदार है। इस बात भी को लेकर माननीय मंत्री जी ने चिंता की है। वर्ष 2024-2025 में कुल राजस्व लक्ष्य हेतु 23,500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और हम इस बात को खुशी के साथ में बोल सकते हैं कि आज जी.एस.टी. ग्रोथ के अंदर हमारा देश तीसरे स्थान पर आ गया है, यह हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। आम आदमी को सुविधा मिले। हमारे अमर अमर अग्रवाल जी ने बता दिया कि एक रूपये पेट्रोल के अंदर कम किया गया, केन्द्र में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने तीन बार मिलाकर कुल 17 रूपये कम किया था, लेकिन उनकी सरकार ने 25 पैसा भी इसके अंदर में कम नहीं किया। किसानों को लाभ मिले, उसके लिए हमारी सरकार प्रति क्विंटल 3100 रूपये में 21 क्विंटल धान खरीद रही है। अगर किसान ऋण लेता है, उसको जीरो परसेंट के अंदर में ऋण मिले, उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो 3 लाख का प्रावधान था, उसको 5 लाख कर दिया। उन्होंने उस प्रावधान को बढ़ा दिया और हमारी सरकार में वित्त मंत्री जी ने उसके लिए सहकारी बैंक के लिए 250 करोड़ रूपये और क्षेत्रीय बैंक व ग्रामीण बैंक के लिए 30 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है। डबल इंजन सरकार का यही अर्थ है कि केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे, इस बात के लिए इस बजट में सारी व्यवस्थाएं की गई है। माईनिंग क्षेत्र के अंदर में जो रेट है, चाहे वह स्टील का हो, चाहे कोल का हो, वह अप-डाउन होते रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारी तकलीफें पैदा होती हैं। Chhattisgarh Growth and Stability Fund, मेरे ख्याल से यह देश के अंदर में पहला फंड है, जिसको बनाकर उसके लिए 50 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। हमारे छत्तीसगढ़ के जितने विभाग हैं, वह विभाग कितना अच्छा काम कर सकते हैं, उनके बीच एक competition होना चाहिए कि मेरा विभाग सबसे अच्छा काम कर रहा है। उन विभागों को आगे बढ़ना चाहिए, वह आम आदमी को सुविधा दे रहा है इसलिए उन विभागों के बीच competition हो, उसके लिए इसमें competitive index का प्रावधान किया गया है। यह भी मेरे ख्याल से देश में पहला कदम है, जिसके लिए इस बजट में 5 करोड़ रूपये शामिल किया गया है, उसके लिए भी मैं माननीय वित्त मंत्री

जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। आज हम देखते हैं कि जब हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो लोग रजिस्ट्री के लिए लंबी लाईन लगाते हैं। आदमी राजस्व देना चाहता है, लेकिन जब वह सबेरे पूरे परिवार को रजिस्ट्री ऑफिस लेकर जाता है तब वह वहां पर खड़ा रहता है। 25 नये पंजीयन कार्यालय खुले, उसके लिए भी इस बजट में 20 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। जो जनता हमको राजस्व देती है, उसको अधिक से अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, वित्त विभाग का यह पूरा बजट इस ओर इंगित किया है। उसके लिए पिछले 24 सालों में कभी भी रजिस्ट्री विभाग का सेटअप तैयार नहीं हुआ था, रजिस्ट्री विभाग के लिए सब-रजिस्ट्रार के 20 पदों को भरने का काम इस बजट के माध्यम से किया जा रहा है । मैं उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा और आपका स्वागत करता हूँ । सभापति महोदय, 23 उप पंजीयन कार्यालय, 8 नवीन वरिष्ठ उप पंजीयक कार्यालय, 6 जिला नवीन पंजीयक कार्यालय, 1 वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय की स्थापना के लिये इस बजट में आपने प्रावधान रखा है, मैं उसके लिये भी आपको बधाई दूँगा । सभापति महोदय, महिलाओं को अधिक से अधिक सुविधायें मिले, जो कामकाजी महिलायें हैं, उनको वहां पर रहने का स्थान मिल जाये, उसके लिये हॉस्टल बनाने हेतु इसके अंदर प्रावधान रखा है । सभापति महोदय, हमारे देश के ही नहीं, अपितु पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का अटल नगर के अंदर में स्मारक बनाने के लिये 40 करोड़ का प्रावधान किया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस बात का हमेंशा एहसास होता रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया था । (मेजों की थपथपाहट) हम आज उस छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं, इस पूरे बजट के अंदर में और बहुत सारी बातें करनी थी, मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि आम आदमी को सुविधा देने के लिये बजट के अंदर में जो खर्च किया गया है, यह वास्तव में स्वागत योग्य है । सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगांव) :- धन्यवाद सभापति जी । सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 6 में अपनी बात रखना चाहूँगी । वित्त विभाग का मुख्य कार्य राज्य के वित्तीय प्रशासन को संभालना है, इसके अंतर्गत राज्य के वित्तीय नीतियों का निर्धारण, बजट निर्माण, राजस्व संग्रहण और व्यय प्रबंधन, सार्वजनिक नियोजन शामिल है तथा राज्य बजट निर्माण और कार्यों को सुनिश्चित करना है । सभापति महोदय, नियम 11 (1) के अंतर्गत कोई भी विभाग वित्त विभाग के पूर्व परामर्श के बिना प्राधिकृत नहीं करेगा, परन्तु एक बार वित्त विभाग से अनुमति लेने के पश्चात् भी पिछले वित्तीय वर्ष के अप्रारंभ एवं अपूर्ण कार्यों की राशि वापस बुला ली गई और जिसके कारण क्षेत्र में नाराजगी बढ़ गई है, अत: ऐसे प्रकरणों का निरीक्षण और परीक्षण कर पुन: अनुमति दिये जाने की मांग करती हूँ । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2025-2026 के 1 लाख 65 हजार करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें महिलाओं के लिये महतारी वंदन के लिये विशेष रूप से 5500 करोड़ आवंटित किया है, परन्तु हर विवाहित महिलाओं को मिलना आपके घोषणा पत्र में था और उसके बाद आज बुजुर्ग महिलाओं

को नहीं मिल रहा है, जिन्हें निराश्रित पेंशन मिलता है, जिनको विधवा पेंशन मिलता है । सभापति महोदय, आज कई लोगों का नाम सूची में नहीं होने के कारण उनको नहीं दिया जाता है । ऐसा होने से असहाय लोग, जिनको मिलना चाहिये, सही मायने में उनको लाभ नहीं मिल रहा है । सभापति महोदय, आप महिलाओं के लिये इतना लंबा बजट रखे हैं, महतारी वंदन की आपकी इतनी अच्छी योजना है, सभी महिलाओं को उसका लाभ मिले, मैं ऐसा आपसे मांग करती हूँ ? सभापति महोदय, मैं आपको रोजगार के बारे में बताना चाहूँगी कि आपने राज्य में रोजगार के लिये राज्य में सेवारत् सहायक शिक्षक थे, उनको भी आपने बेरोजगार कर दिया, उन्हें पद से हटा दिया । आपने बहुत सारी रोजगार की बातें रखी है, लेकिन उनको भी अगर वेतन दे देते तो अच्छा होता । वे पहले से रोजगार में थे । सभापति महोदय, राज्य के सभी शासकीय सेवकों को देय वेतन निर्धारण की जांच तथा पेंशन प्रकरणों का निराकरण का दायित्व संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि का है, परन्तु अक्सर देखा गया है कि कर्मचारियों के सेवानिवृत्त हो जाने के दो-दो, तीन-तीन महीने तक पेंशन प्रारंभ नहीं हो पाता है और उम्मदराज शासकीय कर्मचारियों को चक्कर काटने पड़ते हैं । सभापति महोदय, कई बार उनको ठोकर खाना पड़ता है । मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप इस तरह की बड़ी विडम्बना को दूर करें और सेवा निवृत्त कर्मचारियों को उनके निधन के पश्चात् उनके आश्रित पेंशन का भी प्रावधान है, उसके लिए भी बहुत चक्कर काटना पड़ता है तो वह तत्कालीक रूप से जैसे ही किसी शासकीय कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या सेवा निवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद जब पेंशन के लिए आवेदन जमा होता है तो उनको तत्काल पेंशन का लाभ मिल पाए । यह मैं आपसे मांग करना चाहती हूं कि दोनों विषय पर विशेष ध्यान दें क्योंकि उस स्टेज पर आने के बाद एक सेवा निवृत्त व्यक्ति कितना लाचार हो जाता है, उसके बाद उनको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है । मृत्यु प्रमाण-पत्र के बाद भी उनके परिवारजनों को फैमली पेंशन का लाभ मिल सके ।

सभापति महोदय, मैं पुरानी पेंशन योजना के बारे में भी कहना चाहूंगी । पुरानी पेंशन योजना बहाल होने के फलस्वरूप दिनांक 1.11.2004 से 31 मार्च, 2022 तक एनपीएस योजना के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों के लिए राज्य शासन द्वारा वित्त निर्देश, 2023 के अनुसार पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प दिया गया है, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित में आज भी नवीन अंशदायी पेंशन योजना ही लागू है, जिसकी मांग कर्मचारियों द्वारा लगातार की जा रही है । पूरे राज्य में लागू पुरानी पेंशन योजना का लाभ उक्त तीनों विभाग के कर्मचारियों को मिलना चाहिए, मैं आपसे इसकी भी मांग करती हूं, परन्तु शासन के इस निष्क्रिय सरकार के कानों में जूं भी नहीं रेंग रही है । सोचने वाली बात है कि आपने इसके लिए बजट का प्रावधान ही नहीं किया है । मैं आपसे मांग करती हूं कि इन सारी चीजों को आप शामिल कर लें ।

सभापति महोदय, समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय अधिकारी कर्मचारी, जो किसी न किसी रूप में राज्य सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं । उन्हें मार्च, 2025 से महंगाई भत्ते में किए गए 3 प्रतिशत की वृद्धि के लिए बधाई देती हूं, परन्तु कर्मचारियों को किए गए महंगाई भत्ते की वृद्धि जिसे इस डबल इंजन की सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि केन्द्र सरकार जिस दिन से महंगाई भत्ते की वृद्धि करेगी, उस दिन से लेकर राज्य शासनके कर्मचारिों को एरियस दिया जाएगा । मैं आपसे निवेदन करती हूं कि उनको एरियस सहित वृद्धि की राशि दी जाये और उन्हें 6 माह का एरियस देने की मांग आपसे करती हूं। अप्रैल, 2025 के वेतन के साथ एरियस का भुगतान करने की मांग आप स्वीकार करें।

सभापति महोदय, मंत्री जी, आपने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में सकल राजकोषीय घाटा 22900 करोड़ रूपए अनुमानित है, जिसमें 4000 करोड़ रूपए पूंजीगत व्यय विशेष सहायता के रूप में शामिल है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है, जो एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर है, लेकिन घाटे का उच्च स्तर वित्तीय स्थिरता के लिए चिन्ता का विषय यह है । साथ ही पूंजीगत व्यय के लिए आपने 26341 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है, जो कुल बजट का 16 प्रतिशत है और जीएसडीपी का 4.14 प्रतिशत है । हालांकि यह राज्य के विकास के लिए है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन निगरानी के लिए आपने कोई समिति नहीं बनाई । मैं आपसे निवेदन करती हूं कि मैं जनप्रतिनिधि हूं और ईमानदार, बेदाग अधिकारियों-कर्मचारियों की एक समिति बनाएं, ताकि वह निगरानी रखें और हर तिमाही में रिपोर्ट में सार्वजनिक स्तर पर इसका प्रकाशन भी हो और विशेष तौर पर इसकी निगरानी हो ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि बजट में स्टार्ट-अप और युवाओं के लिए निजी निवेशकों को आकर्षित करने की ठोस रणनीति नहीं बनाई गई है । साथ ही राज्य की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है, तत्काल कोई समाधान नहीं दिखता और आपने बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया है । यह कहां संभव नजर आता है कि यह कल्याणकारी योजना है । शिक्षा और स्वास्थ्य में समग्र सुधार की कोई स्पष्ट योजना नहीं है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में गुणवत्ता सुधारने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। स्कूलों के अधिकतर भवन जर्जर नज़र आते हैं। जहॉ-जहॉ हम जा रहे हैं, उनके लिए हमने कहा था कि इस सरकार का जब बजट आएगा, तो हम आपकी परेशानियों को दूर कर देंगे, लेकिन इसमें भी आपने कोई बजट नहीं रखा। तो इस प्रकार से बहुत सारी परेशानियां हैं, जिनके बारे में हमारे बजट में उल्लेख होना था, लेकिन नहीं है। राज्य की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों एवं नीतियों को वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में बजट में राजस्व में 2024-25 में 19% की वृद्धि बताई गई। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि आपका राजस्व बढ़ा और पूंजीगत व्यय कम है। राजस्व व्यय ज्यादा है और जनता

को आप अतिरिक्त कर से बचाए हैं, तो टोल टैक्स कैसे बढ़ा? टोल बढ़ा है। बिजली बिल कैसे बढ़ा? क्योंकि बिजली बिल भी बढ़ा हुआ आ रहा है। और तो और मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि अभी राजस्व वसूली हो रही है। राजस्व में ऑनलाईन, आफलाईन के चक्कर में लोग भटक रहे हैं। जिनका नाम पहले ऑफलाईन में जिस खसरा नंबर में रहता था, वह ऑनलाईन में दूसरे नंबर में आ रहा है। नंबर वही रहता है लेकिन जमीन दूसरे की रहती है और जब क्रय-विक्रय की रजिस्ट्री के लिए जाते हैं, तो वह उसके लिए चक्कर काट रहे हैं। पटवारी और आर.आई. उसके लिए वसूली ले रहे हैं। तो ये तो सरासर वसूली वाली सरकार हो गई। और ऐसे देखा जाए तो इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए भी आप लोगों ने कोई कदम नहीं उठाए। तो इसमें भी मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इसकी भी जांच कराई जाए और वसूली तो कम से कम दूर हो। यदि इस तरह से आप बजट में प्रावधान रखते कि लोगों को सुविधा हो, तो मुझे अच्छा लगता। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ का बजट कल्याणकारी योजनाओं पर केन्द्रित है, ये माननीय वित्त मंत्री जी आपने ही कहा था, तो मैं पूछना चाहती हूं कि संतुलित पूंजीगत निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी और बेरोजगारी जैसे बहुत से पहलुओं पर कमी नजर आती है।

सभापति महोदय :- हर्षिता जी, अब आप समाप्त करिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- बस, पांच मिनट।

सभापति महोदय :- पांच मिनट नहीं, एक मिनट में समाप्त करिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि उन्होंने डोंगरगढ़ में वाई-शेप और परिक्रमा के लिए अपने बजट में प्रावधान रखा लेकिन 20 साल से ये बजट में ही शामिल हो रहे हैं और इस बार आप उसकी स्वीकृति दे रहे हैं, तो यह मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। लेकिन सबसे प्रमुख बात ये है कि डोंगरगढ़ धर्मनगरी है, जहां अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों से लाखों की भीड़ आती है और जब वह आती है तो वहां बाईपास की सुविधा नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा गाड़ियां आती हैं। वह पूरे नगर के अंदर से आती हैं। मैं शायद पिछले बार के बजट में भी यह बात रखी थी कि वहां बाईपास होना बहुत ही आवश्यक है इसलिए वित्त मंत्री जी मैं आपसे इसकी मांग करती हूं। मैं सारे विभागों से कुछ-कुछ मांग रख रही हूं, जो कि मेरे विधान सभा के लिए अति आवश्यक हैं और इससे सीधा लाभ लोगों को होगा। तो मैं आपसे बाईपास के लिए निवेदन करती हूं। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग के संबंध में कहना चाहती हूं कि डोंगरगढ़ में अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, उसमें बाउंड्री और अतिरिक्त कक्ष का होना जरूरी है, ताकि एक्स-रे मशीन जिसमें आज भी जंग लगा पड़ा है, उसके लिए एक रूम भी नहीं है, तो मैं आपके वित्त विभाग के माध्यम से आपसे भी निवेदन करती हूं। इसी प्रकार नया जो नगर पंचायत घुमका बना है, जिसके लिए मैं कल भी बोली थी, वहां पर बस स्टाप की कमी है, तो उसके लिए भी मैं एक नए बस स्टाप की मांग करती हूं। साथ ही घुमका में एक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक है, जहां कि 10 हजार-20 हजार किसान एक साथ आते हैं

और महीनों लाईन में लगे रहते हैं और उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती। तो मैं आपसे बघेरा में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की एक अतिरिक्त शाखा की मांग करती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते। माननीय मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आज के इस विभागीय बजट चर्चा में भाग लेने वाले हम सब के सीनियर आदरणीय अमर अग्रवाल जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं भाई राघवेन्द्र कुमार सिंह जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मै हमारे सीनियर आदरणीय सुनील सोनी जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं बहन हर्षिता स्वामी बघेल जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इनके द्वारा जो कुछ बिंदु उठाये गये हैं, मैं संक्षिप्त में उन बिंदुओं पर जवाब देना चाहूंगा। सभापति महोदय, शेषराज हरवंश बहन भी बोली थीं, सॉरी मैं आपका नाम नहीं लिख पाया था, मैं आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसे राघवेन्द्र जी ने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया था कि हम टूरिज्म को कैसे बस्तर रिजन में आगे बढ़ाये। हम इको टूरिज्म में, कल्चरल टूरिज्म में, इन सब पर कैसे फोकस करें और बस्तर को कैसे ओपन करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर हमारी सरकार बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है और इसके परिणाम भी आने वाले दो-तीन सालों में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देंगे। एक ओर जहां माओवाद की समाप्ति की दिशा में ठोस प्रयास किये जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बस्तर के समुचित, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिये भी parallel काम किया जा रहा है। what after naxalism ? नक्सलवाद के बाद क्या ? उस पर भी हमारी सरकार की बहुत चिंता है, सोच है, विजन है और हम उसके तहत कार्य कर रहे हैं। राघवेन्द्र भाई ने बस्तर को ओपन करने की बात बतायी । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं दंतेवाड़ा में कलेक्टर था और मैंने थोड़ा deep में जाकर उस एरिया में, अबूझमाड़ अंचल में घूमने का काम कई बार किया है। वहां रहते हुए मुझे ज्ञात हुआ था कि 1960 के दशक में अबूझमाड़ में बहुत सारी सड़कों का काम सेंक्शन होकर आया था। लेकिन उस जमाने में प्रशासन, शासन के द्वारा सड़कों के काम को रोक दिया गया। उस काम को यह बोलकर रोक दिया गया कि इससे हमारी बस्तर की संस्कृति क्षरित और दूषित हो जायेगी, इस नाम से विकास को रोक दिया गया था। अबूझमाड़ में जो entry होती थी, उसके लिए किसी भी व्यक्ति को कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ती थी। वहां 1960 के दशक में ऐसा प्रावधान कर दिया गया था। बस्तर को Cultural protection के नाम पर अपने हाल पर छोड़ दिया गया, जिससे वहां पर हजारों लोग हैजा से और मलेरिया से मरते रहे और वहां माओवाद जैसी चीज पनपते रही। लेकिन उसे close कर दिया गया था और मैं राघवेन्द्र जी के इस view की तारीफ करना चाहूंगा कि वह आज open बस्तर की बात कर रहे हैं। लेकिन इतिहास कहता है कि उनकी पार्टी के नुमाइंदों ने बस्तर को open करने की बजाय close करने का काम किया था, जिसके कारण यह सारी समस्याएं पैदा हुईं।

(शेम-शेम की आवाज) सभापति महोदय, मैं राघवेन्द्र जी के सकारात्मक विचारों की प्रशंसा भी करता हूं और उस दिशा में हमारी सरकार काम भी कर रही है और उसी का परिणाम है कि United Nation World Tourism Organization ने दुनिया भर के 20 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्रामों की सूची में हमारे बस्तर के धुड़मारास ग्राम को इस बार शामिल किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) इको टूरिज्म और जनता की सहभागिता के आधार पर ही उस गांव का चयन हुआ है। अभी एक हफ्ता पहले ही जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है, उसको UNESCO ने अपने world heritage सूची के प्रथम चरण के लिये select किया है और temporary रूप से ही सही, इसके बाद permanent status मिलता है। (मेजों की थपथपाहट) इस दिशा में हम लोग निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, राघवेन्द्र जी ने बस्तर आर्ट, कोसा, इन सब विषयों को प्रमोट करने की भी बात की। उस संदर्भ में मैंने आपके माध्यम से बजट भाषण में भी बिंदु रखे थे और आपके माध्यम से सदन को आज भी अवगत कराना चाहूंगा कि इन्हीं सब बिंदुओं को प्रोत्साहित करने के लिये NIFT (National Institute of Fashion Technology) का निर्माण हम इस बार नवा रायपुर, अटल नगर में करने जा रहे हैं और within two years यह shape ले लेगा। इससे विभिन्न प्रकार के जो traditional art, craft हैं, हमको उनको एक नई ऊंचाई में present करने में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने भूटान जैसे देशों में Happiness index की बात की। मुझे लगता है कि हमारे बस्तर जैसे अंचलों का भी हम Happiness index देखें तो वह बहुत अच्छे लेवल पर होगा और इसको निश्चित रूप से आने वाले समय में हर एक देश और प्रदेश को अपने विकास मॉडल का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए। अभी जो Vision document बनाया जा रहा है, उसमें Happiness index का भी भरपूर ख्याल रखा गया है। उन्होंने डी.एम.एफ. के अच्छे उपयोगिता की बात कही। मैं उसके लिए उदाहरण देना चाहूंगा कि दंतेवाड़ा के डी.एम.एफ. की राशि से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। (मेजों की थपथपाहट) उसके लिए ढाई सौ करोड़ रूपया लगा है। इससे अच्छे Utilization का और बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। उन्होंने एयर क्वालिटी इंडैक्स पर भी बात की। मैं यह बताना चाहूंगा कि जब मैं रायपुर के कलेक्टर के रूप में काम करता था तो उस समय वर्ष 2016-2017 के आसपास रायपुर का जो एक्यू.आई. है, यह ढाई सौ और तीन सौ तक भी जाने लग गया था। लेकिन Multidimensional Efforts किये गये। यहां इंडस्ट्रीयल पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाये, जब मैं आवास एवं पर्यावरण विभाग की चर्चा में आऊंगा तो उस पर भी मैं विस्तार से बताऊंगा। मैं विस्तार से इस बात की चर्चा करूंगा कि उस पर कैसे काम किया गया? यहां रेग्युलर पॉल्यूशन को कैसे नियंत्रित किया गया? यहां बाईपास रोड अलग-अलग तरीके से कैसे बनाये गये ताकि ट्रैफिक जाम को कंट्रोल किया जा सके। यहां कैसे केनाल लिंकिंग रोड बना, यहां कैसे एक्सप्रेस-वे बना। यहां पर कैसे इतने फ्लाई ओव्हर, ओव्हर ब्रीज और अण्डर ब्रीज सारे बनें। यहां ट्रैफिक को कम करके, बेहतर करके जाम की स्थितियों को रोक कर के कैसे एयर क्वालिटी को इंप्रूव किया गया। यहां कैसे कलेक्ट्रेड के पास 19 एकड़

जमीन जिसकी तत्कालीन सरकारी कीमत 1 हजार 4 करोड़ रूपये थी उसको कोई कमर्शियल या हाऊसिंग या अन्य प्रकार का प्रोजेक्ट करने के बजाए अर्बन फॉरेस्ट में कंवर्ट किया गया। इस तरह के Efforts किये गये। अभी मुझे याद है कि नेशनल मीडिया ने लिखा था कि दुनिया में जंगलों को काटकर बिल्डिंग बनायी जा रही है, लेकिन यहां पर बिल्डिंगों को उड़ाकर, जंगल बनाया जा रहा है। रायपुर में इस तरह के बहुत सारे प्रयास किये गये। उस साल एयर क्वालिटी इंडैक्स में रायपुर का सर्वश्रेष्ठ Improvement रिकॉर्ड हुआ था। यहां एयर क्वालिटी इंडैक्स जो ढाई सौ और साढ़े तीन सौ से घटकर 100 के नीचे आ गया था। मैं यह बताना चाहूंगा कि जो एयर क्वालिटी इंडैक्स है। अभी चाहे बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, रायपुर और भिलाई का हो। मैं माननीय राघवेन्द्र जी को यह पूरा डेटा देना चाहूंगा, जिसमें बहुत ही Satisfactory लेवल पर इसके अलग-अलग कैटेगिरी होते हैं सीवियर, Very Poor, Poor, Moderate, सेटिसफेक्टिव और Good तो हमारे मैक्सिमम् शहर Satisfactory लेवल पर हैं। यह बहुत ज्यादा चिंता वाला विषय नहीं है, हमको और भी बेहतर करना है, इस बात पर भी कोई इंकार नहीं है। हमको और भी बेहतर करना है। इसके लिए बहुत ही Multidimensional Strategy की जरूरत पड़ती है। केवल इंडस्ट्रीयल पॉल्यूशन से ही कंट्रोल नहीं होता है। Vehicular Pollution, पी.एम. टू प्वाईंट 5 का, ट्रैफिक का ...।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय मंत्री जी, आपकी बात से सहमत हूँ। बस इसमें एक चीज और एड करना चाहूंगा। हम लोग शहरों में उसको माप ले रहे हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं, वह ज्यादातर बाहरी क्षेत्रों में हैं या गांवों में हैं तो वहां भी इसकी व्यवस्था की जाये कि हम इस मानक को देखें। जैसे मैं अपने यहां का उदाहरण देता हूँ कि के.एस.के. के पास तीन-चार गांव हैं, उनका भी मानक तो है। वहां पर आप घोषणा कर दें कि वहां लगाना अनिवार्य कर दीजिए। यह एक छोटा सा काम है। आपको धन्यवाद्।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, इसमें मैं विस्तार से बताऊंगा। जब मैं विभाग की चर्चा में आऊंगा। हमने इस पर भी काम किया है। मैं फ्लाईएश पर भी बात रखूंगा। उन्होंने एन.आर.डी. के बारे में कुछ विषय रखे हैं। मैं उस पर भी बाद में आगे चर्चा को बढ़ाऊंगा। उन्होंने जी.एस.टी. में यू.पी.आई. से पेमेण्ट की बात कही। जी.एस.टी. के किसी प्रकार के पेमेण्ट के लिए सारे ऑन लाईन Digital मोड Available हैं। माननीय अमर अग्रवाल जी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिन्दु बतायें हैं। उन्होंने तीन बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, जिसको हम निश्चित रूप से आगे पालन करेंगे। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि मास्टर प्लान के प्लान एरिया में अर्बन एरिया से बाहर Implementation के लिए कोई एजेंसी की व्यवस्था स्थापित करें। इस पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। उसको आने वाले समय में हम निश्चित रूप से लागू करेंगे। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि उन्होंने शहरों के बीच से नदी जो गुजरती है

उनके विकास प्राधिकरण की बात कही है, अलग-अलग शहरों में जैसे बिलासपुर में अरपा माता है, रायगढ़ में केलो माता है, आने वाले समय में निश्चित रूप से उस पर भी प्राधिकरण बनाने का काम करेंगे। उन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिया है। यहां जगदलपुर में इन्द्रावती नदी है, सब पर एक अच्छी Strategy बनाकर, निश्चित रूप से काम करेंगे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव हाऊसिंग बोर्ड की दृष्टि से दिया है। मैं बताना चाहूंगा कि अभी पिछले सवा साल से प्रोजेक्ट में जो हमारी आगे बढ़ने की रणनीति होती है, उसमें हमने जो norms adopt किया है, वह 60 प्रतिशत बुकिंग के बगैर टेंडर को अवार्ड हम लोग कोई भी construction का नहीं कर रहे। किसी भी नये प्रोजेक्ट में 60 प्रतिशत की बुकिंग हो जाती है, तभी टेंडर अवार्ड कर रहे हैं। या दूसरा हमने इसके लिए criteria रखा है कि मात्र 3 महीने में अगर 30 प्रतिशत की बुकिंग हो जा रही है, तब जाकर हम टेंडर में आगे बढ़ रहे हैं। यह हमने strategy adopt की है, जहां पर अगर डिमांड नहीं है, वहां पर अनावश्यक न बनें। इसके लिए यह स्टेप पिछले सवा साल से, यह प्रोटोकाल बना करके हम काम कर रहे हैं। अभी ओ.टी.एस. स्कीम लेकर के आये हैं, उसमें 5 साल से अधिक समय से जो प्रापर्टी नहीं बिकी है, उस पर भी हम लोग 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत रिबेट के साथ काम रहे हैं ताकि जो assets हैं, उनके न बिकने की स्थिति निर्मित न हो और अनावश्यक date trap में यह organization न फंसे, जैसा उनका concern था। उस पर भी हमने काम किया है। जो लोन इस बार वापस किया गया है, उसके संबंध में आपके माध्यम से आदरणीय अमर अग्रवाल जी को अवगत कराना चाहूंगा कि G.A.D. के जो quarters बनाने के लिए लोन लिया गया था, जो सरकार का assets था, सरकार को ही दिया गया है, उस लोन की वापसी की गई है। कमोबेश हम लोग financial condition को चाहे R.D.A., N.R.D.A., Housing Borad हो, इनका हम लोग काफी बेहतर सवा साल में किये हैं। यह दो, तीन सालों में हमारे कार्यकाल में ही यह देश के वित्तीय रूप से बढ़िया स्टेबल संस्थाओं के रूप में निश्चित रूप से स्थापित हो जायेगा। यह मैं स्पष्ट करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा हर्षिता स्वामी बघेल जी ने सहायक शिक्षकों, महतारी वंदन योजना, बेरोजगारी के बारे में बहुत सारे बिन्दु रखे हैं। इन सब विषयों पर मैं विनियोग विधेयक के जवाब में निश्चित रूप से जवाब दूंगा। कई विषय थोड़ा विषयांतर हो जायेगा। इसलिए उस पर मैं जवाब दूंगा। उन्होंने तत्काल पेंशन प्रकरण निराकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु रखा है, उस पर आदरणीय अमर अग्रवाल जी ने भी विषय रखा था। उस पर भी निश्चित रूप से आने वाले समय में विभाग कुछ अच्छा सिस्टम डेव्हलप करने का प्रयास करेगा जिससे लोगों को कोई दिक्कत न हो। हर्षिता स्वामी बघेल जी तो ऐसे विधान सभा क्षेत्र से आती हैं, जहां पर हमारी सनातन परंपरा का छत्तीसगढ़ के सबसे अगाध आस्था और श्रद्धा का केन्द्र डोंगरगढ़ है। मां बमलेश्वरी का वह धाम है। चारों शक्तिपीठों को चाहे वह मां दंतेश्वरी का धाम दंतेवाड़ा हो, मां बमलेश्वरी का धाम डोंगरगढ़ हो, मां महामाया का धाम रतनपुर हो,

मां चन्द्रहासिनी का धाम चन्द्रपुर हो, इन चारों शक्तिपीठों को हमने डेव्हलप करने का पूरा प्रण लिया है। इसी कड़ी में उनके बिना बोले 22 करोड़ रुपये का वाई शेप का ब्रिज पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के माध्यम से आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी की ओर से प्रस्ताव आया था, वह बजट में ही नहीं आया बल्कि उसकी स्वीकृति भी दी जा चुकी है। (मेजों की थपथपाहट) पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से टेंडर लग जायेगा। हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने वहां के परिक्रमा पथ का भी प्रपोजल भेजा था, वह लगभग 60 करोड़ रुपये का है, उसकी भी स्वीकृति दी जा चुकी है। उसका भी टेंडर with in a month लगेगा। (मेजों की थपथपाहट) उन्होंने डोंगरगढ़ के बाईपास का विषय रखा है, इसके लिए हमारे उप मुख्यमंत्री जी के विभाग की ओर से मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना बनाई गई है। जितने भी छोटे नगर पंचायत, नगरपालिका हैं जो सामान्यत: नेशनल हाईवे की स्कीम में जिसमें रिंग रोड नहीं बन पाती है, उन पर रिंग रोड बाईपास बनाने का काम किया जायेगा। चाहे डोगरगढ़ मां बमलेश्वरी का धाम है, आचार्य विद्यासागर महाराज जी का धाम है, वह हमारे बौद्धों के आस्था का केन्द्र है, चाहे वल्लभाचार्य की भूमि चंपारण्य हो, चाहे बौद्धों के श्रद्धा का केन्द्र सिरपुर हो, इन सब पर tourism developemt के लिये, लोगों की आय बढ़ाने के लिये, लोगों की आस्था के अनुरूप उसका विकास करने के लिए हमारी सरकार आदरणीय मुख्मयंत्री जी के नेतृत्व में समर्पित है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति जी, मैं एक बात बोलना भूल गई थी। अभी 29 तारीख से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। मैं आप सभी को निमंत्रण भी देना चाहती हूं कि डोंगरगढ़ में आईये और माता का दर्शन करिये और मेला का भी आनंद लीजिए। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना चलाकर पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से छोटे-छोटे नगर पंचायतों में, नगरपालिका क्षेत्रों में बाईपास और रिंग रोड की स्थापना का काम भी किया जायेगा। हम लोग लगातार इस तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं और मैं विभागीय रूप से आपके समक्ष कुछ बिंदुओं को रखना चाहूंगा ।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है । मैं विशेष रूप से आज पेंशन फंड का जिक्र करना चाहूंगा, जिसका जिक्र हमारे सदस्य आदरणीय अमर अग्रवाल जी ने बहुत विस्तार से किया है, उसको मैं रिपीट करते हुए कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में पेंशन का भार सभी राज्य सरकारों पर बहुत तेजी से बढ़ने जा रहा है । ओल्ड पेंशन स्कीम को हम सबने एडॉप्ट किया है और इसके कारण आने वाले वर्षों में इसका बहुत बड़ा बर्डन किसी भी राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर रहेगा । माननीय सभापति महोदय, जो NPS की व्यवस्था को बदलकर OPS पर पिछली सरकार ने किया, उसके कारण अभी पैसा देना नहीं पड़ रहा है, कुछ पैसा कम देना पड़ता है लेकिन भविष्य का बर्डन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो यह इनका जो स्टेप था और उसमें यह सोच रहे थे कि वर्ष 2004 से वर्ष 2018 तक बहुत बड़े amount को NPS के Government contribution के रूप में जमा किया

गया था Pension fund में और वह लगभग 19 हजार करोड़ रुपए की राशि थी । पिछली सरकार की मंशा थी कि उस 19 हजार करोड़ रूपए की राशि को ले लें क्योंकि हम अब NPS में नहीं हैं, OPS में जा रहे हैं इस नाम से 19 हजार करोड़ रूपए की राशि पर यह गिद्ध दृष्टि थी और उसके अलावा इस राशि को वह लेना चाहते थे इसलिए उन्होंने NPS को बदलकर OPS किया था । कर्मचारियों के हित-अहित का इनको कोई लेना-देना नहीं था लेकिन आज मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि Old Pension Scheme हमारे राज्य में लागू है और हम जानते हैं कि आने वाले समय में राज्य पर इसका वित्तीय भार पड़ने जा रहा है । इसमें कोई नियम-कानून नहीं है कि RBI की कोई Guideline हो कि Pension fund बनाओ कि भारत सरकार का कोई act हो कि Pension fund बनाओ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है उसके बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य के बेहतर वित्तीय भविष्य को सुनिश्चित करने के एक Vision के साथ हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में Pension fund लेकर आई है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, हमें किसी ने नहीं बोला था कि यह करना जरूरी है, न ही किसी ने बोला था लेकिन राज्य का वित्तीय भविष्य बेहतर हो यह हमारी आज जिम्मेदारी है । अगर जनता-जनार्दन ने अपना जनादेश देकर के हमें कुर्सी पर बिठाया है तो आज हमारी सरकार की और हमारी जिम्मेदारी है कि राज्य के बेहतर वित्तीय भविष्य की हम चिंता करें इसलिए हमने Pension fund बनाया है और इस बजट में हम 456 करोड़ रुपया Pension fund में डालने के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं, 456 करोड़ रुपया डालने जा रहे हैं ।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि इस बजट में कंसोलिडेटेड सिंकिंक फंड (Consolidated Sinking fund) के लिए भी प्रावधान हमने किया है । यह आर.बी.आई. के नार्म्स पर होता है और इसमें जो टोटल ऋण होता है उसका 5 प्रतिशत तक C.S.F. में पैसा जमा होना चाहिए कंसोलिडेटेड सिंकिंक फंड (Consolidated Sinking fund) में पैसा जमा होना चाहिए, यह नार्म्स होता है । टोटल जो राज्य का ऋण है उसका 5 परसेंट C.S.F. में जमा होना चाहिए । यह नियम है लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य की वित्तीय स्थिरता और राज्य के बेहतर वित्तीय भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लगातार इसमें राशि जमा कर रहे हैं और टोटल डेट के अगेंस्ट में 5 प्रतिशत का नियम है लेकिन हमने C.S.F. में 7.3 प्रतिशत राशि जमा करके रखी हुई है । (मेजों की थपथपाहट) और इस दृष्टिकोण से जो कई राज्य हैं, मैं आपके माध्यम से उनकी स्थिति सदन को बताना चाहूंगा कि जैसे झारखंड है जहां पर कांग्रेस के गठबंधन की सरकार चल रही है, जो C.S.F. 5 परसेंट होना चाहिए वह झारखंड में मात्र 2.04 प्रतिशत है । माननीय सभापति महोदय, पंजाब यह इंडी के इनके दोस्तों का अब दोस्त हैं, दुश्मन हैं यह लोग जानें लेकिन इंडी में तो साथ में थे, पंजाब में सरकार चला रहे हैं और इनका C.S.F. में जो

percentage है वह 2.95 प्रतिशत है जबकि 5 प्रतिशत होना चाहिए । तेलंगाना जहां कांग्रेस के सीधे नेतृत्व की सरकार है, उनके खुद के मुख्यमंत्री हैं वहां C.S.F. 2.23 प्रतिशत है जो 5 प्रतिशत होना चाहिए । इसी तरह से कर्नाटक में 4.36 प्रतिशत है और वेस्ट बंगाल, इंडी में ये लोग भी दोस्त थे। 2.39 प्रतिशत है। तो जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, उनका पूरा अध्ययन करेंगे तो वित्तीय पैरामीटर्स पर पूरे राज्यों को जहां-जहां कांग्रेस सा कांग्रेस समर्थन की सरकार है, वित्तीय रूप से उस राज्य को बर्बाद करने का काम कांग्रेस के संबंधित लोगों ने किया है। हमारे यहां के सदस्य जिम्मेदार हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन वे जिस पार्टी को belong करते हैं, उनकी स्थिति यह है, इस सदन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। अभी दो हफ्ते पहले राजदीप सरदेसाई को तेलंगाना के कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि भाई मेरे को तनख्वाह, पेंशन, कर्जा, ब्याज ये सब चुकाने के बाद कैपिटल expenditure के लिए महीने का 500 नहीं बचता है। उन्होंने ओपेन टेलीविजन में बोल दिया, मुझे नहीं छुपाना है, मुझे बता देना है। मैं मीटिंग के अंदर अलग बात करूं, भाषण में अलग बात करूं, यह नहीं करना चाहता। यह हालत आज तेलंगाना की है, जिसके पास रेवेन्यू अर्निंग हैदराबाद जैसा शहर है, जो राजस्व इकट्ठा करने का जी.एस.टी. इनकम टैक्स सब इकट्ठा करने का इतना बड़ा सेंटर है। हैदराबाद जैसा शहर है। महानगर है। आई.टी. का हब है, स्टार्ट-अप का हब है। उसके बाद भी वहां की वित्तीय स्थिति को इस स्थिति में कांग्रेस की सरकार ने पहुंचा दिया है कि वे खुद मुख्यमंत्री जी टेलीविजन में स्वीकार कर लिये। हमारे विपक्ष के साथी उस वीडियो को जरूर देखें, मैं जरूर बोलना चाहूंगा। कर्नाटक में आज ये शासन कर रहे हैं। उनके पास राजस्व इकट्ठा करने के लिए बैंगलोर जैसा मशीन है, बैंगलोर जैसा महानगर है, जो आई.टी. का और इनोवेशन का, स्टार्ट-अप का हब है और उस कर्नाटक को वित्तीय रूप से कांग्रेस की सरकार ने इस हालत पर पहुंचा दिया है कि पिछले चार महीने से गृह लक्ष्मी योजना जो ये लोग चलाते हैं, जैसे हम लोग महतारी वन्दन योजना चलाते हैं, वैसे गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में चलायी जाती है, उसका चार महीने से पेमेंट नहीं हुआ है। सभापति महोदय, इस तरह के हालात कर्नाटक के हैं। आपके माध्यम से कांग्रेस की सरकारों द्वारा किस तरह से राज्यों का वित्तीय प्रबंधन किया जा रहा है, मैं आपके समक्ष रखना चाहता था और ये आपके माध्यम से सदन को मैं अवगत कराना चाहता था। guarantee redemption fund इस पर भी हम लगातार पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फण्ड भी हमने बनाया है। ये भी देश के किसी नियम में, किसी कानून में, किसी एक्ट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फण्ड बनाया जाए, लेकिन ये हम ऐसा करने वाले देश के अग्रणी राज्यों में से हैं और इसके पीछे जो सोच और विजन है कि हमारा राज्य माइनिंग के रेवेन्यू पर बहुत डिपेंडेंट करता है और माइनिंग में जो मिनेरल्स होते हैं, उनके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसके अनुसार रॉयल्टी का अमाउंट भी ऊपर नीचे होता रहता है। बहुत सारे इंटरनेशनल फॅक्टर्स पर अंतर्राष्ट्रीय कारकों पर जो मिनेरल्स होते हैं, उनके

रेट निर्भर करते हैं। उसके कारण माइनिंग से होने वाली आय ऊपर नीचे होती रहती है तो कई आजकल के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य अलग-अलग तरह के होते रहते हैं तो उसमें कभी माइनिंग का रेवेन्यू एकदम से न गिर जाए और राज्य में वित्तीय रूप से समस्या पैदा न हो, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फण्ड बनाया गया है और देश और दुनिया में आजकल नए-नए तरह के opportunities डेवलप हो रहे हैं। उन नए-नए तरह के opportunities को भी हम capture कर सकें, उस पैसे का इस्तेमाल सही जगह राज्य के हित में, राज्य के भविष्य के लिए हम कर सकें, इस दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फण्ड भी हमने बनाने का काम किया है। सभापति महोदय, बैंकों के ब्रांच की बात हो, चाहे वित्तीय व्यवस्था में सुधार की बात हो, डी.बी.टी. की प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बात हो, इन सब पर हमारी सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ काम करते हुए आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी को adopt करने में तकनीकी को adopt करके व्यवस्था को अच्छा बनाने की दृष्टि से हम लोग पूरे समर्पण के साथ पूरे सवा साल काम किये हैं। चाहे कोई भी विभाग हो। कहीं पर भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से जो सुशासन और सुव्यवस्था स्थापित की जा सकती है, उस दृष्टिकोण से हमने कोई कसर नहीं छोड़ा है। सभापति महोदय, वित्त विभाग में पी.एफ.एम.एस. का सिस्टम हो, चाहे एस.एन.ए. स्पर्श का सिस्टम हो, ई-कुबेर का सिस्टम हो, सबको अपनाने में हम देश के अग्रणी राज्यों में हैं और उसके कारण सुशासन के कारण व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। सभापति महोदय, मैं और विस्तार से विनियोग में जवाब दूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे सदस्यों को अवगत होना चाहिए।

समय
9.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सभी सदस्यों को और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि वित्तीय रूप से हम एक तरफ इस सवा साल में सभी वेलफेयर की स्कीम को लागू करने में सफल हुए हैं। हमने किसान भाईयों के खाते में धान खरीदी की राशि 21 क्विंटल, 3100 रूपए का एक मुश्त भुगतान किया, महतारी वंदन की राशि, भूमिहीन कृषक मजदूरों के खाते में 10-10 हजार रूपए डालना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि पिछले पांच सालों से बंद थी और बंद होने के कारण बजट पर कोई भार नहीं था । मैं जितनी चीजों का जिक्र कर रहा हूं । चाहे 3100 रूपए की बात करूं, चाहे 15 क्विंटल की जगह 21 क्विंटल की बात करूं, चाहे मतहारी वंदन योजना की बात करूं, दो साल के बोनस की बात करूं, चाहे 7 हजार भूमिहीन कृषक मजदूरों को 10-10 हजार दिए जाने की बात करूं, चाहे प्रधान मंत्री आवास योजना की बात करूं । ये सारे विषय ऐसे हैं जिनका राज्य के बजट पर हमारी सरकार बनने से पहले कोई भार नहीं था । ये नए भार हैं, जो वित्तीय रूप से हमारा राज्य आज वहन कर रहा है और कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से चला रहा है । ये जो चार-पांच योजनाएं हैं

इन्हीं में लगभग 30 हजार करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि का वित्तीय भार हमारे राज्य पर पड़ा । उसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इन कठिन चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक सामना करते हुए आगे बढ़ने में सफल हुई है (मेजो की थपथपाहट) । इन सारी वेलफेयर स्कीम्स को लागू करने के साथ-साथ हम उतनी ही तेजी से पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के कारण ही एससीए में स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस में भारत सरकार से हमको लगभग 1 हजार करोड़ रूपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 50 साल का लोन बिना ब्याज का, के रूप में 1 हजार करोड़ की राशि प्राप्त हुई है ।

अभी मैंने रिफॉर्म्स का जिक्र किया था कि टेक्नालॉजी का उपयोग करते हुए कैसे हम अलग-अलग प्रकार के रिफॉर्म्स को लागू कर रहे हैं । इन सारे रिफॉर्म्स के एवज में भारत सरकार किसी चीज के लिए 100 करोड़, किसी चीज के लिए 200 करोड़, किसी चीज के लिए 300 करोड़ देती है । इतने सारे रिफॉर्म्स हमने सवा साल में लागू किये कि भारत सरकार से हमको 6300 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है (मेजो की थपथपाहट) । इस बार के बजट में भी हमने GATI का कांसेप्ट लिया है, उसमें G का अर्थ गुड गवर्नेंस है, T का अर्थ टेक्नालॉजी है, टेक्नालॉजी का अधिक से अधिक उपयोग गुड गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के माध्यम से तीव्र आर्थिक विकास, यह हमारी आर्थिक सोच है । जब हम टेक्नालॉजी को एडॉप्ट करते हैं गुड गवर्नेंस को स्थापित करते हैं और उसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं उसी का परिणाम होता है कि जीएसटी ग्रोथ में आज देश के बेस्ट थ्री राज्यों में शामिल हैं । हमारा पंजीयन रेवेन्यू का ग्रोथ लगभग 20 प्रतिशत है, हमारे परिवहन का, हमारे एक्साइज का । सब जगह जो सुशासन स्थापित हुआ है, उसके कारण 20 परसेंट, 22 परसेंट, 25 परसेंट, 15 परसेंट इस तरह के ग्रोथ है और वही कारण है कि आज हम हिम्मत कर पाते हैं कि इतने सारे वित्तीय भार के बाद भी हम पेट्रोल के दाम में भी 1 रूपए की कमी करने का साहस कर पाते हैं । सभापति महोदय, इन सारी परिस्थितियों के बीच मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के, आरबीआई के, एफआरबीएम एक्ट के जितने भी वित्तीय प्रावधान हैं, उनका अक्षरश: पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं । जो लोन की बात आती है, आपके माध्यम से मैं पुन: सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो वित्त आयोग के नॉर्म्स हैं, आरबीआई के नॉर्म्स हैं, भारत सरकार की कोई भी गाइडलाईन है सारे प्रावधानों का अक्षरश: पालन हम सुनिश्चित करेंगे । किसी को राज्य की वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से चिंता करने की जरूरत नहीं है । आपके माध्यम से मैं सम्माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं । सभापति महोदय, इन सारी स्थितियों के बाद भी मैं बताना चाहूंगा कि जो डेट टू जीएसडीपी का रेश्यो वह छत्तीसगढ़ के लिए अभी 19 प्रतिशत है, एससीए स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस को और जीएसटी लोन, इन दोनों को टेक्नीकली माइनस किया जाता है, उसके बाद हमारा 19 प्रतिशत टोटल GSDP के कंपेरिजन में डेट है, ये 25 प्रतिशत से कम होना चाहिए, आज भी हमारे राज्य का 19 प्रतिशत है। मैंने जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत

किया था, तब भी मैंने बताया था कि हमारे पास दो रास्ते थे, इस वित्तीय वर्ष को हम रेवेन्यू सरप्लस भी दिखा सकते थे लेकिन हमने पुराने गड्ढों को पाटना उचित समझा ताकि राज्य का वित्तीय भविष्य बेहतर हो सके। हम बड़ा वाहवाही ले सकते थे कि रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हैं, मैं वित्त मंत्री के रूप में भी वाहवाही ले सकता था, हमारी पूरी सरकार वाहवाही ले सकती थी लेकिन राज्य के लिए पिछले पांच वर्षों में विपक्षी साथी गड्ढे छोड़कर गए थे, हमने उसको भरना उचित समझा, इसलिए उचित समझा ताकि भविष्य में वे गड्ढे राज्य के विकास की गति को अवरूद्ध करते इसलिए हमने अपनी व्यक्तिगत प्रसिद्धी की जगह उन गड्ढों को पाटना उचित समझा। इस बार लोन लेने के बाद भी ये 19 प्रतिशत से बढ़कर 21, 22 प्रतिशत से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होगा। सभापति महोदय, तेलंगाना का 25 प्रतिशत है, जो कांग्रेस शासित राज्य है, झारखंड का 28 प्रतिशत है, उनके जी.डी.पी. के कंपेरिजन में उनका टोटल लोन 28 प्रतिशत है, 25 प्रतिशत जो वित्त आयोग की सीमा है, उसको पार कर चुका है, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का शासन है, हिमाचल प्रदेश में GDP के 35 प्रतिशत तक पहुंच चुका है जो 25 प्रतिशत होना चाहिए, वह 35 प्रतिशत पहुंच चुका है, पंजाब 42 प्रतिशत में पहुंच चुका है। सारे वित्तीय नार्म्स पर जो कांग्रेस रूल या इंडी रूल सरकारें हैं, वह बुरी तरह से फेल हुई हैं। मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं, हमारे पक्ष विपक्ष के दोनों सम्माननीय सदस्यों को ये अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जहां वेलफेयर स्कीम भी करेगी, पूंजीगत व्यय भी सुनिश्चित करेगी और वित्तीय अनुशासन का भी अक्षरश: पालन करके दिखाएगी।

सभापति महोदय, मैं इसके अलावा पंजीयन पर भी कुछ बिन्दु रखना चाहूंगा। पंजीयन विभाग में बहुत सारे विषय आते थे। आपने अपने क्षेत्र से संबंधित कंसर्न कई बार मेरे से शुरूआती दौर में जिक्र किया, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि पंजीयन विभाग में हमने इन सवा सालों में बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूज किए हैं, हम लोग बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। एक एक्ट भी अभी सदन में प्रस्तुत हुआ है, शायद एक दो दिन बाद उसकी चर्चा भी है। उस एक्ट को जो लगभग 70, 80 साल पुराना एक्ट है, उस पर समय के हिसाब से बहुत सारे संशोधन जरूरी थे, उन सारे रिफॉर्म्स को, सारे अमेंडमेंट को सम्मानीय सदन में एक्ट के माध्यम से ला रहे हैं, प्रस्तुत कर चुके हैं। सभापति महोदय, बहुत सारी दिक्कतें होती थी, बहुत सारे विषय आते थे, कहां कॉकस बना हुआ है, कहां कौन मठाधीश बैठा हुआ है, इस तरह की बहुत सारी बातें आपने भी बताई, हमारे कई सम्माननीय सदस्यों ने बताई, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि पंजीयन की दृष्टि से तीन जिले सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन तीन जिलों में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर है। इन तीनों जिलों में हमने बाबू से लेकर उपर के अधिकारी तक पूरे स्टॉफ को चेंज करने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) सारे जिलों के जो अधिकारी थे, हमने उनको चेंज किया, अदला-बदली की, हम लोग नये

टेक्नोलॉजी लेकर आए, नये एप लेकर आए, उनके माध्यम से हमने व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने का काम किया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि लगभग 10 साल बाद पंजीयन विभाग में जो सेटअप है, उसका भी रिवीजन किया गया। जितने लोग काम करते थे, उन पर लगातार काम का बर्डन बढ़ता जा रहा है, लोग उसके कारण लाईन लगाने के लिए मजबूर होते थे, उसी कारण से कहीं न कहीं करप्शन को भी प्रोत्साहन मिलता था, इस कारण से हमने सेटअप को रिवाईज करने का काम किया है, नये पोस्ट सेंक्शन किए हैं, पंजीयन विभाग के लिए नई भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जो नवीन उद्योग स्थापित होते हैं, उसमें पंजीयन शुल्क में बड़ी रिबेट दी है ताकि राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिल सके। हमने सुगम एप बनाया है, जो सुगम एप है उसके माध्यम से रजिस्ट्री हो रही है। सुगम एप में रजिस्ट्री करने से पहले उस जगह में जाकर तीन एंगल से फोटोग्राफ खींचने पड़ते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी के 3 तरफ से फोटोग्राफ खींचने पड़ते हैं। जब फोटोग्राफ खींचते हैं तो आक्षांश व देशांतर को भी ऐप अपने आप कैप्चर कर लेता है। इसके कारण उसी लोकेशन पर जाकर यदि कोई फिर से प्रॉपर्टी को खरीदने-बेचने का प्रयास करेगा तो उसको ऐप तुरंत ट्रेस कर लेगा। उसी प्रॉपर्टी की जो डबल, ट्रिपल, चौपल रजिस्ट्री हो जाती थी, उसको रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। हम कोई भी नई व्यवस्था लागू करते हैं, नया सिस्टम लागू करते हैं, नये रिफॉर्म लाते हैं तो कई प्रकार के साइडइफेक्ट्स भी पैदा होते हैं। इसके लिए हमारी सरकार नाक-कान खुली रखती है और आवश्यकतानुसार किसी नये प्रयोग के अनुसार नये चेंज की और जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं। इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि पंजीयन विभाग में जब हम सुगम ऐप लेकर आये तो फोटो खींचते थे और जब फोटो खींचते थे तो उसमें जो कोई पेड़ रहता था, वह पेड़ उस फोटोग्राफ में आ जाता था। पेड़ के रजिस्ट्रेशन का चार्ज ठीक-ठाक है। मोदी जी की सिलेण्डर योजना के कारण पेड़ कटने भी बंद हो गये हैं। बहुत सारे अंचलों में देखा गया है। जो पेड़ खड़े रहते थे और फोटोग्राफ में आ जाते थे, उस पर पंजीयन शुल्क लगता था, इसलिए लोग क्या करने लगे कि सुगम ऐप में फोटो खींचवाना है तो पेड़ को काट दो, ताकि पंजीयन शुल्क न देना पड़े। ऐसा मुझे सरायपाली के पास बोंदा गांव के एक आदमी ने बताया कि यह सब हो रहा है। जब हम यह व्यवस्था लागू किये तो उसके 1 महीने के अंदर ही उसने मुझे बताया और हमने तत्काल उसपर ध्यान दिया। हमारी सरकार अपने आंख-कान को इतनी खुली रखती है कि इस ऐप के लागू होने के लगभग डेढ़ महीने के अंदर पेड़ों पर पंजीयन शुल्क को जीरो करने का निर्णय लिया गया ताकि सुगम ऐप में फोटो खींच सके। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी, एक मिनट। सभापति जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। मैं ज्यादा जी.एस.टी. के बारे में तो नहीं जानो, लेकिन मैं अतका जरूर जानथो कि पहिले गैस सिलेण्डर के कीमत हा कम रीहिस हे ता ले डारत रीहिन हे। आपमन ओखर रेट ला बढ़ाए हवो अऊ

ओला पट में टांग देहो। ए बात हा सत्य है अऊ तुमन पेड़ ला काटत हो। बाकी आप गोठियाओ। आप मन सिलेण्डर के रेट ला पट में टांग देहो, ओला कोई भरात नहीं हे।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, इसके अलावा पूरी पंजीयन की प्रणाली और पूरी स्टाम्प की प्रणाली को ऑनलाइन करने का काम किया गया है। एक व्यक्ति दूसरे फर्जी आधार कार्ड को लेकर आ जाता है और पंजीयन करा लेता है। उसके लिए हम लोगों ने आधार इंटीग्रेशन का काम भी चालू किया है और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विभाग में सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस तरह के अलग-अलग प्रकार के प्रयास हम लगातार कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप से तो सब सहमत ही दिखाई दे रहे हैं। आप अपने विभाग का थोड़ा जल्दी-जल्दी कर दीजिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- ठीक है, सभापति महोदय। यह जो मैं सेटअप रिवीजन की बात कर रहा था तो आपके माध्यम से मैं इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि केवल रायपुर में पंजीयन के 5 टेबल/सीट होते थे। हम सेटअप रिवीजन करके 5 टेबल को सीधा बढ़ाकर 20 कर रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। हमने इस सवा साल के बीच में इतना बड़ा स्टेप लिया है और ये सारे जो मैं initiative बोल रहा हूं, इसके सुखद परिणाम आपको 4-5 महीने के अंदर पूरी तरह से दिखाई दे देंगे। सभापति महोदय, इसके अलावा मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पंजीयन की दृष्टि से जो बड़ा रिफॉर्म किया है। हमारे आदरणीय सदस्य अमर अग्रवाल जी भी उस विषय पर बोल रहे थे कि जो बंटवारा है, हक त्याग है और जो दान है, उस पर 0.8 प्रतिशत का पंजीयन शुल्क लगता था, उस पंजीयन शुल्क को 500 रूपये करने का साहसिक निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, इन सब तरह के स्टेप लेने के बाद हमने दूसरा बड़ा रिफॉर्म किया कि बहुत सारी बातें होती हैं कि रजिस्ट्री में कच्चा में ज्यादा पैसा खप रहा है। इस तरह की बात होती है तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने इसी सवा साल के बीच में एक बड़ा निर्णय लिया कि यदि कोई व्यक्ति गाइडलाइन रेट से ऊपर पंजीयन कराता है तो उसके लिए पंजीयन शुल्क को जीरो किया गया है। उसको स्टाम्प ड्यूटी लगता है, लेकिन उसके लिए पंजीयन शुल्क को जीरो करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पक्के में फॉर्मल इकोनॉमी में अपना रजिस्ट्रेशन करा सके। इसके दो तरह के फायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा तो फायदा। जेनविन बायर को होता है। जो लोवर मिडिल क्लास होता है, जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है, उसके पास कच्चा-पक्का करने के लिए पैसा नहीं होता है और ऐसे व्यक्ति को बैंक से लोन लेना पड़ता है। वह बैंक से लोन लेकर जमीन खरीदता है। जब किसी जमीन को अण्डर वेल्युवेशन दिखाया जाता है तो उसको लोन मिलने में उतनी ही दिक्कत होती है। उसे लोन भी कम मिलता है और सम्पत्ति क्रय करने में मिडिल क्लास के आदमी, छोटे आदमी को दिक्कतें

आती हैं। हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा रेट में पंजीयन हो, इसके लिए पंजीयन शुल्क को जीरो करने का साहसिक निर्णय इसीलिए लिया है। इस तरह से पंजीयन में अनेक रिफाम्स करने की कोशिश पिछले सवा सालों में किया गया है, जिसको मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं जी.एस.टी. की दृष्टि से कहना चाहूंगा कि यह देश का बहुत ही बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप है। आजाद भारत में आर्थिक रूप से 1991 के साल को एक महत्वपूर्ण साल के रूप में मानता हूं। देश में न्यू इकानामिक रिफार्म लागू किया गया था। मुझे लगता है कि न्यू इकानामिक रिफार्म के बाद जी.एस.टी. देश के सबसे बड़े सुधारों में से एक है। जी.एस.टी. से पहले जो 17 प्रकार के टैक्स लगते थे, उन सभी 17 प्रकार के टैक्स को हर राज्य में घुसने के पहले वहां नाका लगा रहता था, उन सबको समाप्त करते हुए 'एक देश एक कर' की व्यवस्था को भारत देश में लागू किया। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, यह आर्थिक रिफाम है, जो आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व के कारण लिया गया। आज देश में उसका सुखद परिणाम सामने आ रहा है। जी.एस.टी. की परिकल्पना देश में पहली बार मोदी जी लेकर आए, ऐसी बात नहीं है। यू.पी.ए. के समय में, कांग्रेस के नेतृत्व में जी.एस.टी. की परिकल्पना की गई थी। लेकिन उस समय की सरकारें पॉलिसी पैरालेसिस की शिकार थीं। उनमें इतना राजनीतिक साहस नहीं था कि इस तरह के रिफाम्स को लागू कर सकें। उन्होंने पूरी व्यवस्था बनाई थी। हालांकि आज विपक्ष के नेता दिल्ली में बैठकर आलोचना करने के लिए कुछ भी कह दें। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्होंने ही सिस्टम बनाया था। श्री नरेन्द्र मोदी जी की राजनीतिक इच्छाशक्ति ही है कि देश को विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनाने की इच्छाशक्ति है, जो अपने मजबूत इरादों के कारण देश में जी.एस.टी. व्यवस्था को लागू किया। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, जब जी.एस.टी. व्यवस्था लागू हुई थी तब लोगों को लगता था कि अगर भारत सरकार को महीने में 1 लाख करोड़ की आय हो जाए तो वाह-वाह हो जायेगा, भारत देश कहां से कहां पहुंच जायेगा। भारत देश में कितनी सड़कें, रेल्वे के काम हो जायेंगे, भारत देश में कितने कल्याणकारी योजनाएं लागू हो जायेगा, लोग ऐसा सोचते थे। मुझे आज यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यह मोदी जी का विजनरी लीडरशीप है कि भारत देश का जी.एस.टी. कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 1 लाख करोड़ को नहीं, 2 लाख करोड़ के लगभग पहुंच गया है। (मेजों की थपथपाहट) ऐसा नहीं है कि इसका लाभ केन्द्र की योजनाओं के लिए मिलता है। जी.एस.टी. की व्यवस्था लागू हुई, टैक्स में इतनी अधिक वृद्धि हुई, टैक्स कलेक्शन में इतनी वृद्धि हुई, वह राज्यों को शेयर के रूप में प्राप्त होता है और उसका लाभ सभी राज्यों को हो रहा है।

सभापति महोदय, जी.एस.टी. के जितने भी रिफाम्स हैं, ये सहकारी संघवाद, को-आपरेटिव फेडलरिजम का देश ही नहीं दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत जैसा विशाल राष्ट्र सभी राज्यों

की सहमति से जी.एस.टी. जैसी व्यवस्था को लागू कर सका है। फेडरल स्ट्रक्चर में अमेरिका जैसे देश में इतने बड़े रिफाम को सर्वसम्मति से लागू करने की परिकल्पना शायद राजनीतिक रूप से नहीं कर पाये। वह तो नरेन्द्र मोदी जी का नेतृत्व था। मैं आज इस अवसर पर अरूण जेटली जी को भी याद करना चाहूंगा, जिनके सामंजस्यपूर्ण नेतृत्व के कारण पूरे देश में जी.एस.टी. की व्यवस्था लागू की जा सकी। जी.एस.टी. के सारे निर्णय जी.एस.टी. कौंसिल में लिए जाते हैं। इससे संबंधित निर्णय पार्लियामेंट या किसी विधान सभा में नहीं लिए जाते हैं। सारे निर्णय पहले जी.एस.टी. कौंसिल में लिए जाते हैं। इस जी.एस.टी. कौंसिल में 1/3 वेटेज ही भारत सरकार ने अपने पास रखा है, 2/3 वेटेज राज्य सरकारों को प्रदान कर दिया है। मतलब 33 प्रतिशत ही वोटिंग राइट्स भारत सरकार के पास है और 66 प्रतिशत वोटिंग राइट्स राज्य सरकारों के पास है। जब जी.एस.टी. कौंसिल बैठती है तो वहां पर सारे राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं। वहां कांग्रेस शासित राज्यों, विपक्षी पार्टी के शासित लोग भी बैठते हैं और वहां पर सारे निर्णय लिए जाते हैं। 33 प्रतिशत का वोटिंग राइट्स भारत सरकार ने अपने पास रखा है। पूर्व से जारी (श्री ओ.पी. चौधरी) :- 33 प्रतिशत का वोटिंग राइट्स भारत सरकार ने अपने पास रखा है। 75 प्रतिशत की सहमति के बिना वहां पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। राज्यों को इतना अधिक अधिकार नरेन्द्र मोदी जी ने जी.एस.टी. की व्यवस्था लागू करते हुए प्रदान की है, जो देश में सहकारी संघवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी हमारे आदरणीय अमर अग्रवाल जी भी बोल रहे थे कि 75 प्रतिशत बहुमत के साथ ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन जब दिनांक 01 जुलाई, 2017 को जी.एस.टी. की व्यवस्था लागू हुई थी और इन आठ सालों में जी.एस.टी. काउंसिल के सारे के सारे निर्णय सर्वसम्मति से लिये गये हैं। (मेजों की थपथपाहट) रायगढ़ और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे जी.एस.टी. काउंसिल में जाने का अवसर मिलता है। मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर बाहर निकल कर कोई कुछ भी आलोचना करता है। आज मैं अपने व्यक्तिगत व्यावहारिक अनुभव को आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं कि उस जी.एस.टी. काउंसिल में कोई भी टैक्स को भारत सरकार घटाने की बात करती है तो उसका सर्वाधिक विरोध कांग्रेस और I.N.D.I. शासित वाले राज्य करते हैं। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा शेम-शेम की आवाज) मैंने आपको उसका कारण भी बताया कि उनके वित्तीय हालत कैसे हैं, जो कि सच्चाई है। उनके वित्तीय हालात ऐसे नहीं है कि वे कहीं पर एक रूपये भी कम करने के बारे में सोच सकें। मोदी जी की सरकार, केन्द्र की सरकार, निर्मला सीतारमण जी कहीं पर भी कम करने का प्रयास करती हैं तो उसका सर्वाधिक विरोध ऐसे राज्य करते हैं, जो भा.ज.पा. शासित नहीं है और वे वहां बाहर आकर दूसरी बात बोलते हैं और अंदर में दूसरी बात बोलते हैं। इसके बाद भी मैं कहना चाहूंगा कि जी.एस.टी. के सारे निर्णय common consensus से हुए हैं और देश के आर्थिक सुधारों की दृष्टि से यह बहुत बड़ी व्यवस्था है, इसके कारण भारत सरकार को वित्तीय रूप से बहुत ताकत मिली है, सभी राज्य सरकारों को वित्तीय रूप से बहुत

ताकत मिली है। पिछले सवा सालों में हमने जी.एस.टी. पर बहुत सारे Reforms को आगे बढ़ाने का काम किया है। सबसे बड़ी बात, हमने पहला किया है कि ...।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :- सभापति महोदय, रामकुमार जी पहली बार इतना ध्यान से सुन रहे हैं। वह बजट और इन सारी व्यवस्थाओं में बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। आज उचक-उचक कर नहीं बोल रहे हैं, मतलब उनका बड़ा ध्यान लगा हुआ है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मोर ध्यान ओती हे। हमर इहां भूपेश बघेल के सरकार रिहीस अऊ केन्द्र मा मोदी जी के सरकार रिहीस हे त जी.एस.टी. के 10 हजार करोड़ रूपये बचे रिहीस हे, जेला हमन मांगन त ओला देवय नई रिहीस हे। एक बात। देखा जाय त मैं हर ज्यादा पढ़े-लिखे नई हौं। दूसरा बात, मैं हर ठोक बात ल जानथौ, कांचबो त जानबो। जब हमर केन्द्र म सरकार रिहीस हे त जी.एस.टी. के सबसे पहिली विरोध करिस त भारतीय जनता पार्टी हर करे रिहीस हे। मैं पढ़े-लिखे नई हौ त ओला मैं समाचार म देखे रहे हौं। आप ये बात पता कर सकत हौं, इतिहास गवाह हे। अब आज हमन ओला बढ़िया बना के दे देहे हन त तुमन होशियारी मारत हौं। अब भईगे, मैं हर बइठत हौं। (हंसी)

श्री ओ.पी. चौधरी :- तोर नेता काबर बोलथे कि ये गब्बर सिंह टैक्स हावय? माननीय सभापति महोदय, इन सवा सालों में हमने जी.एस.टी. में सबसे पहला स्टेप लिया कि हमारी सरकार बनते ही हमने E.O.D.B. cell का गठन किया है। Ease of doin business cell बनाया है। आप जी.एस.टी. ऑफिस जायेंगे तो एक अलग से E.O.D.B. cell है, जो पूरे प्रोसेस को सरलीकृत करने के लिए ही काम करता है और टैक्स कलेक्शन के लिए काम नहीं करता है। पूरे व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है कि हम कहां टैक्स पेयर के लिए सुविधाओं को अच्छा कर सकते हैं, हम कहां चीजों को बेहतर कर सकते हैं, कहां सरकार के छोटे नुकसान से लोगों को बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं, इस पर हमारा E.O.D.B. cell काम करता है। हमने कॉल सेंटर बनाया है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 200 कॉल आते हैं। उस कॉल सेंटर में हमको जो भी इनपुट प्राप्त होता है, उसके आधार पर हम काम करते हैं। जी.एस.टी. में जो पंजीकृत डीलर होते हैं, उनकी संख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जी.एस.टी. में कुल पंजीकृत डीलर 1 लाख 87 हजार हैं। जब जी.एस.टी. व्यवस्था 01 जुलाई, 2017 को लागू की गई थी तब पंजीकृत डीलर 1 लाख 28 थे और अभी 1 लाख 87 पंजीकृत डीलर हो गये हैं। इसमें 79 हजार डीलर केन्द्र के अंतर्गत आते हैं और लगभग 1 लाख 8 हजार डीलर राज्य की जी.एस.टी. के अंतर्गत आते हैं। यह व्यवस्था ऐसी है, जिसमें केन्द्र का भी जी.एस.टी. काम करता है और राज्य का स्टेट जी.एस.टी. भी काम करता है। कई बार कोई शिकायत आती है, कोई गड़बड़ी सामने आती है तो उसमें कई बार हमारे सम्माननीय सदस्य भी कंफ्यूज होते हैं, कई बार कोई केन्द्र जी.एस.टी. वालों का विषय रहता है तो स्टेट जी.एस.टी. से कंफ्यूज करते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 1 लाख 87 हजार में से 79 हजार केन्द्र के पास हैं और 1 लाख 8 हजार डीलर हमारे पास हैं और 1 लाख 8 हजार डीलर

हमारे पास है । जहां तक इंसपेक्शन करने का, जांच करने का, रेड करने का पॉवर है, दोनो जी.एस.टी. को सभी डीलर पर है । उनके डीलर पर हम भी इंसपेक्शन कर सकते हैं, हमारे डीलर पर वह भी इंसपेक्शन कर सकते हैं । इसके लिये भी हमारे सम्माननीय सदस्य क्लियर रहें कि स्टेट जी.एस.टी. का कोई विषय रहता है, वह भी मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा...।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, कन्फ्यूशन जनरली रहता है, रेट के समय ज्यादा रहता होगा, फोन आता होगा कि छुड़वा दीजिए ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- होता है, जी । सभापति महोदय, हम लोग इसमें प्रक्रियाओं को सरलीकृत करने के लिये लगातार काम कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वह जितना सरल रहेगा, हमारे व्यापारी साथी आसान फील करेंगे । सभापति महोदय, सवा साल पहले जब हमने चार्ज लिया था तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एवरेज स्टेट जी.एस.टी. में 13 दिन का समय लगता था, जिसे सवा साल में हमने पूरे प्रोसेस को सरल करते-करते 13 दिन के समय को घटाते-घटाते 3 दिन में लेकर आ गये हैं । (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, तीन दिनों में एवरेज डीलर का पंजीयन हो जाता है । भारत सरकार की मंशा है कि तीन दिन को आईडल मानते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य आगे और भी है कि इसको दो दिन और एक दिन में लाने का प्रयास कर रहे हैं । सभापति महोदय, हमने पहले सिस्टम को बेहतर किया, व्यवस्थित किया, अब इसी बजट में हमने ऐलान किया है, छोटे व्यापारी साथियों की दृष्टि से 50 हजार ईवे बिल की जो सीमा थी, उसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है । 50 हजार पर ई.वे. बिल की जो सीमा थी, उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है । इससे हमारे 54 प्रतिशत ई.वे. बिल कम हो जायेंगे । यह छोटे व्यापारियों की दृष्टि से हमने निर्णय लिया है । 26 प्रतिशत व्यापारी साथियों को ई.वे.बिल जनरेट करना नहीं पड़ेगा। हमने इतना बड़ा रिफार्म व्यापारी साथियों की सहजता के लिये किया है, हम एक तरफ टेक्नॉलाजी का उपयोग कर रहे हैं, हम गवर्नेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे-जैसे हमारा गवर्नेंस इम्प्रूव होता जा रहा है, हम उस आत्मविश्वास के साथ लोगों को छूट देने का भी साहस कर पा रहे हैं । सभापति महोदय, हमको पता है कि टेक्नॉलाजी का जब प्रयोग होगा, जब सुशासन होगा तो टैक्स कलेक्शन अपने आप बढ़ेगा, आर्थिक विकास अपने आप होगा । सभापति महोदय, छोटे व्यापारी साथी जो वर्षों से परेशान थे, जी.एस.टी. व्यवस्था लागू हुई थी, उससे पहले वैट टैक्स था, इंट्री टैक्स था, उनके कई प्रकार के टैक्स पेंडिंग थे । 25 हजार रूपये से कम की जिसकी देनदारी थी, ऐसे केस को एक साथ समाप्त करने का इस बजट में निर्णय लिया है, इससे 40 हजार व्यावसायियों को 62 हजार पुराने केस में मुक्ति मिलेगी । सभापति महोदय, इससे राज्य को मुश्किल से 10-15 करोड़ रूपये आने वाले थे, उस 10-15 करोड़ के लिये 40 हजार व्यावसायी 62 हजार केस में परेशान हो रहे थे । हमने उसको पूरी तरह से एक बार में समाप्त करने का निर्णय लिया है । सभापति महोदय, उनको पैसे का बहुत लाभ नहीं होगा, लेकिन वकील करना, आफिस में जाना, आफिस के चक्कर काटना, लालफीताशाही का सामना करना, इन सब

स्थितियों से हमारे व्यापारी साथियों को बाहर निकालना चाहते हैं, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ सके ।(मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, जो जी.एस.टी. में छोटे-छोटे काम होते हैं, कोई औपचारिकता है, कोई रेड हो गया, कोई इंसपेक्शन हो गया, जो जी.एस.टी. आफिस में काम होता है, उस दृष्टिकोण से हमारे 33 में से 18 जिलों में ही जी.एस.टी. के स्टैब्लिश आफिस थे, बाकी 15 कार्यालयों में भी हम करने के लिये निर्णय लिये हैं । जी.एस.टी. में भी अतिरिक्त पदों को स्वीकृति किये हैं और उसके भी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, जिससे कार्य आसानी से हो सके । सभापति महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि हमने बीफा सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चालू किया है, अपने जी.एस.टी. कार्यालय में बिजनेस इंटेलिजेंसी यूनिट लगाया है, जो दुनिया का बेस्ट अपग्रेडेड टेक्नॉलाजी पर बेस्ट सिस्टम है और उसके कारण से कहीं भी पिलफ्रेज होता है, कोई भी गड़बड़ी करता है, बड़ा गड़बड़ी करता है, अपने आप उसका क्रेडिट स्कोर होता रहता है, रिस्क स्कोर होता रहता है, रिस्क स्कोर जैसे ही एक लिमिट को क्रास करता है, हमारे पास रेड फ्लैग आ जाता है । उस रेड फ्लैग बिजनेज इंटेलीजेंस यूनिट के इनपुट के आधार पर रेट करते हैं, इंसपेक्शन करते हैं, उसमें भी रेड से पहले हमारी कोशिश होती है कि उसको अवगत करा दिया जाये । सभापति महोदय, यदि चुपचाप टैक्स दे देता है तो उसको परेशान नहीं करते हैं । पिछली सरकार के समय में होता यह था कि जिसको टारगेट करना है, उसी के घर पहुंच गये । मैं आपके बिलासपुर जिले का ही उदाहरण देना चाहूँगा कि एक जगह ऐसा प्रकरण हुआ था कि एक बड़े स्टील उद्योग में जाकर पहुंच गये और एक ट्रैक्टर की ट्राली में कुछ गिट्टी रखे हुए थे, उस गिट्टी के आधार पर जीएसटी में उस समय आईपीसी की धारा 379 के तहत नॉन बेलेबल एफआईआर दर्ज कर दिया गया। इस तरह से रेड होते थे । इस दृष्टिकोण से मैं बताना चाहूंगा कि बिजनेश इंटेलीजेंस यूनिट के रेड फ्लैग के आधार पर हम चुनिंदा टारगेट करके ही बहुत बड़ा कोई गड़बड़ हो, तभी रेड करने का काम करते हैं । हमारी सरकार के पिछले महीनों में 1,87,000 डीलर हैं, उनमें से हमने 88 पर रेड किये हैं और हमने 76 करोड़ रूपए राज्य सरकार के खजाने में जमा कराया, वही पिछली सरकार के समय में 85 जगह रेड हुए थे, उसमें मात्र 8 करोड़ रूपए जमा कराए गए थे । इससे स्पष्ट होता है कि पिछली सरकार के समय में रेड करने जाते थे, उसके बाद क्या होता था । आज हम जहां पर भी रेड करने जाते हैं, बिजनेश इंटेलीजेंस यूनिट के रेड फ्लैग के आधार पर करते हैं और वहां पर अच्छा खासा एमाउन्ट राज्य सरकार के खाते में जमा होता है । पिछले समय में रेड होते थे, लेकिन उस समय कोई टैक्स कलेक्शन नहीं होता था, बल्कि निश्चित रूप से लगता है कि इनके जेब में कलेक्शन होता था ।

सभापति महोदय, इस तरह के अनेक बिन्दुओं को हमने जीएसटी में आगे बढ़ाने का काम किया है और इसी का परिणाम है कि आज हम देश के जीएसटी ग्रोथ की दृष्टि से बेस्ट थ्री स्टेट में हैं और बहुत तेजी से हमारे टैक्स रेवेन्यू में रिफार्म हुआ है । (मेजों की थपथपाहट) हमने सुविधाएं भी दी हैं,

हमने बड़े केसेश को समाप्त किया है, 50 हजार की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख किया है । हमने ये सारे रिफार्म्स इंट्रोडयूज़ किए हैं, उसके बाद भी हमारे टेक्स कलेक्शन इम्प्रू हुए हैं । यह केवल टेक्नालॉजी और गवर्नेंस के आधार पर हुआ है ।

सभापति महोदय, आवास एवं पर्यावरण की दृष्टि से मैं कुछ बिन्दु आपके समक्ष रखना चाहूंगा । सबसे बड़ा विषय पर्यावरण की दृष्टि से मैं दो बिन्दुओं का विशेष रूप से यहां ऐलान करना चाहूंगा, जो हमारे विभाग के द्वारा आलरेडी किया जा रहा है, उसके दो बिन्दुओं पर मैं जरूर जानकारी देना चाहूंगा । जो एयर क्वालिटी की बात होती है कि चिमनी में जो परिस्परेटर रहता है, वह पार्टिकल्स को एब्जार्व करता है, लेकिन बिजली बिल बचाने के लिए उस परिस्परेटर को बंद कर दिया जाता है, यह हम सब कामन सुनते आये हैं, कामन तरीके से समाज में यह बात चलते रहती है । सभापति महोदय, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इसमें होता क्या है कि अभी तक जो सिस्टम चलता था, उसमें इएसपी लगा हुआ है, 17 प्रकार के जो हाईली पालिटिंग इंडस्ट्री हैं, रेड एलर्ट वाली, रेड एलर्ट वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, जो 17 प्रकार की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें यह ईएसपी लगता था, लेकिन वहां से जो गैस मिशन है, एसओ टू है या कार्बन मोनोआक्साइड है या नाइट्रोजन डाईआक्साइड है, इस तरह के जितने गैस हैं, उन गैस के एमिशन का जो रिपोर्ट होता था, वह रिपोर्ट उस कम्पनी के डेटा बेस में उनके सर्वर में जाता था, उस सर्वर से हमारा पाल्यूशन डिपार्टमेंट डेटा लेता था तो उसमें डेटा मेनूपुलेशन का बहुत ज्यादा स्कोप था । हमने पिछले 6 महीने में बड़ा सीरियस एफर्ट किया है कि कांटीन्यूस एम्बियेंट एयर क्वालिटी मानीटरिंग स्टेशन हम स्टेबलिस कर रहे हैं । इसके टेण्डर का काम भी आगे बढ़ गया है और अब हमारा इंस्ट्रूमेंट सीधा चिमनी में लग रहा है, जिसकी सीधी रिपोर्टिंग हमारे सर्वर को आ रहा है, इससे कोई भी व्यक्ति जो पाल्यूटिंग गैस है, उसके एमीशन पर कोई मेनूपुलेशन नहीं कर पाएगा । यह बहुत बड़ा रिफार्म हम करने जा रहे हैं । इस तीन-चार महीने के अंदर हम पूरी तरह से प्रदेश में जो उस केटेगिरी के उद्योग हैं, जहां पर पाल्यूशन नार्म्स में जरूरी है, 17 प्रकार की इंडस्ट्रीज़ है, उसमें 100 परसेंट लागू कर देंगे । यह एक बड़ा रिफार्म हम करने जा रहे हैं ।

सभापति महोदय, आपने भी फ्लाईऐश का बहुत सारा विषय उठाया और हमारे सम्माननीय सदस्यों ने बहुत सारे विषय उठाये तो उस दृष्टिकोण से मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 6 महीने से हम लोग एक नई व्यवस्था पर काम कर रहे हैं कि जो फ्लाईएश कैरी करने वाली गाड़ियां हैं, उसकी जीपीएस ट्रेकिंग और जहां पर फ्लाईएश को डालते हैं, उसकी जियो टैगिंग यह दोनों चीज टेक्नालॉजी करने से कहीं भी फ्लाईएश फेंककर चले जाते हैं, जहां परमिशन नहीं होता, जहां पर व्यवस्था नहीं होती, उस चीज को रोका जा सकता है । इस पर हम काफी आगे बढ़ चुके हैं । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में ऐलान करना चाहता हूं कि अगले महीने के 15 अप्रैल से सारी गाड़ियों पर हम इसे compulsory कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) महोदय, फ्लाईऐश की ट्रांसपोर्टिंग करने वाली सारी गाड़ियों पर जीयो

टैगिंग और जीपीएस ट्रेकिंग दोनों की व्यवस्था को हम compulsory कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इससे हम काफी हद तक चीजों को कंट्रोल कर पायेंगे क्योंकि कोई कहीं पर भी लेकर फेंक देता है और हम उस चीज को कंट्रोल कर पायेंगे। उस पर आपने भी चिन्ता जाहिर की है, माननीय राघवेन्द्र जी ने भी चिन्ता जाहिर की है। इसे हम सुनिश्चित करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, ग्रीन जी.डी.पी. का राघवेन्द्र भाई कई बार जिक्र करते हैं। उस दिशा में भी हमारी सरकार आने वाले समय में बहुत प्रयास करेगी क्योंकि sustainable development आज हमारे देश ही नहीं बल्कि दुनिया की जरुरत है और कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति के development model की ओर दुनिया लौट रही है, तो इसमें ग्रीन जी.डी.पी. के लिए बहुत सारे अवसर हैं। चाहे hydrogen energy हो, nuclear energy हो, solar energy हो, wind energy हो, carbon credit हो, हमारे पास 44% forest है, इन सबको हम ग्रीन जी.डी.पी. में, इन सारे प्रयासों को reforms के साथ-साथ जी.डी.पी. में हम कैसे कन्वर्ट कर सकें, उस दृष्टिकोण से आने वाले समय में हम बड़ी योजना लेकर निश्चित रूप से काम करेंगे।

सभापति महोदय, नवा रायपुर, अटल नगर हमारे छत्तीसगढ़ की शान है। 21वीं सदी की green field smart city के रूप में यह पूरे देश और दुनिया में पहचान बना सकती है। इतनी बड़ी संभावना नवा रायपुर के साथ है। मुझे आज ये बताते हुए बड़ा दुख होता है कि पिछले पांच सालों में नवा रायपुर को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था। जब हमने चार्ज लिया, तो NRDA के सारे एकाउंट्स NPA (Non Performing Assets) थे। हम default कर गए थे। NRDA के सारे के सारे एकाउंट्स NPA थे और default कर गए थे। NRDA ने जिन भी सरकारी विभागों को कोई विकास कार्य के लिए जमीन दी, उसके लिए भी एथारिटी को पिछले पांच सालों में कुछ पैसा नहीं दिया गया और वह पेंडिंग चलता रहा। आज आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि NRDA पर हमने बहुत सारे +ve steps लिए हैं, बहुत सारे aggressive steps लिए हैं, ताकि उसका डेव्हलपमेंट भी हो और साथ ही साथ कर्ज के डेप्थ की स्थिति से NRDA बाहर निकले। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हम बहुत जल्दी सारे लोन का प्रीपेमेंट भी करेंगे, सारे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, बहुत सारी चीजें आक्सन कर रहे हैं। एक समय पर तीस-तीस, पैंतीस-पैंतीस टेंडर हम ऑनलाईन लाईव कर रहे हैं। तो अब इन सब माध्यमों से पैसा इकट्ठा करके आने वाले कुछ महीनों में NRDA को डेड फ्री कर देंगे और डेड फ्री करने के बाद हम NRDA का बॉड भी जारी करके दिखायेंगे। इसकी क्रेडिट रेटिंग को इतना इम्प्रूव कर देंगे कि NRDA का बॉड भी सक्सेस होगा। जो वित्त व्यवस्था के डेव्हलब्ड कंट्रीज़ हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उनमें जो व्यवस्थाएं होती हैं, उस दृष्टिकोण से उस स्थिति में हम NRDA को पहुंचा देंगे। इसमें अनेक प्रकार के बजटरी प्रोवीजन हमने इस बार किए हैं। परिवहन सुविधाओं की दृष्टि से, लंबे समय तक पेयजल व्यवस्था को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जो migrant labor हैं, उनके कैंप की दृष्टि से,

श्रद्धेय अटल जी की स्मृति में अटल स्मारक और संग्रहालय बनाने की दृष्टि से, निफ्ट बनाने की दृष्टि से एवं आई.टी. सर्विसेस को भी हम NRDA में बहुत तेजी से ला रहे हैं। इन सवा सालों में हमने स्क्वायर बिजनेस सर्विस, टेलीपरफार्मेंस और सी.एस.एम. इन तीन कंपनियों के साथ एम.ओ.यू. किया हुआ है और लगभग 700 लोगों के recruitment का काम भी हो चुका है। आई.टी. को नवा रायपुर में लाने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। इस तरह के अनेक प्रयासों को हम नवा रायपुर में आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि नवा रायपुर की तरह ही एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमारे manifesto के आधार पर, जनसंकल्प पत्र के आधार पर हमारी सरकार ने एस.सी.आर. (स्टेट कैपिटल रीजन) बनाने का निर्णय लिया है। जिस प्रकार से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों को इकट्ठा करते हुए एन.सी.आर. (नेशनल कैपिटल रीजन) है, उसी तरह से हम एस.सी.आर. बनाने जा रहे हैं। इसमें रायपुर, नवा रायपुर, कुम्हारी, पॉवर हाऊस, भिलाई-तीन, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव इन पूरे अंचलों को जोड़कर स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है, जिससे एक integrated planning हो पाएगी। अभी भिलाई वाला सोचता है कि मैं भिलाई की रिंग रोड बना लूं, दुर्ग वाला सोचता है कि मैं दुर्ग का बाईपास बना लूं लेकिन integrated planning, integrated economic planning नहीं हो पाती, इसलिए हम एन.सी.आर. की तर्ज पर एस.सी.आर. बनाने जा रहे हैं और इस बजट में भी हमने इसके लिए प्रावधान किया है और आज मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, और आने वाले 10-20 सालों, 25-30 सालों बाद भी शायद हम सब यहां पर न रहे तब भी इस एस.सी.आर. के स्टेप को छत्तीसगढ़ की जनता आने वाले भविष्य में आने वाले दशकों में याद करेगी और पूरे छत्तीसगढ़ के ग्रोथ का इंजन बनकर स्टेट केपिटल रीजन उभरेगा। हम जब गरीब कल्याण की बात करते हैं तो आर्थिक विकास भी जरूरी है। जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास में तेजी लाकर टैक्स कलेक्टशन करना भी जरूरी है, तभी ग्रामीण विकास और गरीब कल्याण की योजनाएं चल सकती है। इस तरह के बड़े आर्थिक विजन के साथ हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। योजना विभाग की दृष्टि से मै कहना चाहूंगा कि बाकी सब काम हम आगे बढ़ा ही रहे हैं, इन सवा सालों के बीच में ही हमने छत्तीसगढ़ अनजोर विजन@2047 बनाकर तैयार कर लिया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी जी, वर्ष 2022 से वर्ष 2047 तक के 25 सालों को अमृतकाल की संज्ञा देते हैं कि देश की आजादी के 75 साल से लेकर 100वें साल का जो कालखण्ड होगा, वह विकासशील भारत को विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने का कालखण्ड होगा और उसके लिये कहते हैं कि यही समय हैं, सही समय है और इसी 25 साल के समय को देश को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में न केवल एक विजन रखते हैं, बल्कि उसके लिये मिड टर्म प्लानिंग भी करते हैं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग के 1 वर्षीय प्लानिंग के रूप में बजट भी प्रस्तुत करते हैं। उनके हर बजट को विकासशील भारत को विकसित भारत के रूप में परिवर्तित करने के विजन के रूप में देखा जा सकता

है। इसी दृष्टिकोण में हम ध्यान रखते हैं, हमारी सरकार ध्यान रखती है। हमारी सोच है कि भारत की इस विकास यात्रा में छत्तीसगढ़ कहीं पीछे न छूट जाये। हम देश की विकास यात्रा में कदम ताल करते हुए बराबर की भागीदारी दे सके। इस विचार और इस सोच के साथ हमने विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिये छत्तीसगढ़ अनजोर विजन@2047, विजन डॉक्यूमेंट भी बनाया है। उस पर भी कभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि उस पर हमारे क्या विजन है, क्या पिल्लर्स है, हमारी जी.एस.डी.पी. कहां होगी, पर कैपिटा इनकम कहां होगी, हम इन्क्लूजिव ग्रोथ को कैसे सुनिश्चित करेंगे। हम इन सभी विषयों को रणनीतियों के साथ कभी व्याख्यायित करेंगे। हम योजना विभाग के माध्यम से, जिसे एक तरह से लोग लूप लाइन की तरह का डिपार्टमेंट समझते हैं, उसके माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से हमने एक बड़ा विजन, रोडमैप तैयार किया है। सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि मैंने रामचंद्र सिंहदेव जी का एक डॉक्यूमेंट पढ़ा था। वह इस दुनिया में नहीं है लेकिन वह डॉक्यूमेंट मुझे मिला। उन्होंने बस्तर के लिये बहुत सारी परिकल्पनाएं करके डॉक्यूमेंट बनाया था। मैं आज उनको याद करना चाहूंगा। वह विपक्षी पार्टी के थे, फिर भी मैं उनको दिल से याद करना चाहूंगा। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, हम इसी तरह से वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के विजन के साथ आगे बढ़ेंगे। यही सोच और विचार रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रतिबद्ध प्रयास करते रहेगी। यही संकल्प दोहराते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि एक दिन आय-व्यय की चर्चा में मैं 3 मिनट लेट हो गया था तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी बहिर्गमन करा दिये थे। आज बड़ा दुःख लग रहा है कि 3 लोग बैठकर सुन रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। विपक्ष के चौथे सदस्य हमारी तरफ आ गये हैं। लोकतंत्र के प्रति हमारे नेता प्रतिपक्ष जी का कितना सम्मान भाव है, विपक्षी साथियों का कितना सम्मान भाव है, वह देख सकत हैं। केवल विषय के लिये विषय बनाना, मैं केवल 3 मिनट के लिये लेट हुआ था, उसको उन्होंने विषय बनाया, मुझे इसका दुःख है। आज मैं थोड़ा दुःखी होकर यह बात बोल रहा हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- धन्यवाद।

सभापति महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6, 21, 31 एवं 7 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 6 वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिये- ग्यारह हजार एक सौ नौ करोड़, तिरालीस लाख, पच्चीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय के लिये - एक हजार दो सौ आठ करोड़, छत्तीस लाख, बहत्तर हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिये - इकहत्तर करोड़, उनचास लाख, साठ हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय

9.45 बजे

नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा

दिनांक 26 जुलाई, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या- 05 (क्रमांक-426) के उत्तर से उद्भुत विषय

सभापति महोदय :- नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा। दिनांक 26 जुलाई, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या- 05 (क्रमांक-426) के उत्तर से उद्भुत विषय पर श्री अजय चन्द्राकर सदस्य, चर्चा उठायेंगे। श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- (अनुपस्थित)

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 19 मार्च, 2025 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(9 बजकर 46 मिनट पर विधान सभा बुधवार दिनांक 19 मार्च, 2025 (फाल्गुन 28 शक सम्वत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 18 मार्च, 2025